राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक-10 चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का 45 वाँ दिवस संख्या 26

बुधवार,

दिनांक 28 अप्रेल, 1971,

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.! को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

[श्री पूनम चन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, उपनिवेशन, जन स्वास्थ्य राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, सहकारिता, उद्योग, जन सम्पर्क विभाग]

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न : श्री शंकरलाल !

जैतारण क्षेत्र के ग्रामों का सर्वेक्षण

499 श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले को जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र के गावों का सर्वेक्षण भूजल मंडल विभाग द्वारा किया जा चुका है और उसमें कई गावों में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धि की संभावना बताई गई है यदि हां तो उस सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सरकार द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप मन्त्री (श्री खेतसिंह) (1) :जैतारण पंचायत समिति के क्षेत्र के गांवों का सर्वेक्षण भूजल मंडल द्वारा किया जा चुका है और उसमें कई गांवों में प्रचुर मात्रा में जल उपलब्धि की संभावना बताई गई है । रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कृषि पुनर्वित निगम के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) कृषि विभाग द्वारा बना दी गई है ।

श्री शंकरलाल : यह रिपोर्ट कौनसी तारीख तक तैयार हो गई थी ?

श्री खेतसिंह : आपको आम खाने से मतलब या गुठली गिनने से ?

श्री शंकरलाल : दोनों से मतलब है।

श्री खेतसिंह : आपकी स्कीम दो महीने के अन्दर मंजूर हो जाएगी ।

श्री शंकरलाल : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार ।

चूरू जिले की सीमा पर रेलवे लाईन पर दुर्घटनायें

500. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत दो वर्षों में चूरू जिले की सीमा में नादर्न रेलवे लाईन पर पशु व इन्सान कटने की कितनी दुर्घटनायें किस किस स्थान पर और कब कब हुईं ?

Page No. 2

राज्य मन्त्री गृह(श्री हीरालाल देवपुरा): चूरु जिले की सीमा में उत्तरी रेलवे लाईन पर वर्ष 1969 व 1970 में किसी भी पशु के कटने की दुर्घटना घटित नहीं हुई है। इस रेलवे लाईन पर वर्ष 1969 में 5 सन 1970 में 7 व्यक्तियों के रेल से कटने की दुर्घटनायें हुई। स्थान व तारीख की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री मेघराज पंवार : इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं, क्यों होती हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कारण एक नहीं अलग अलग हैं। स्पेसिफिक केस के लिए पूछें। आपने पूछा है कितनी दुर्घटनायें हुई हैं, अब स्थिति आपके सामने प्रस्तुत की।

श्री मेघराज पंवार : इनका मूल कारण यह है कि जो आम रास्ते थे उनको रेल विभाग द्वारा स्लीपर लगा कर बंद किया गया है। क्या उन रास्तों के खुलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी जानकारी में विशेष बात है। उस सम्बन्ध में जानकारी करके क्या हो सकता है, प्रयत्न किया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आया था।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : तीन बार यह प्रश्न स्थगित हुआ। मुख्य मन्त्री ने उत्तर दिया था और आश्वासन दिया था। बीकानेर डिवीजन में जितनी स्टेट रेलवे थी वहां रेल्वे पर खेत से गांव और गांव से खेत, एक गांव से दूसरे गांव जितने रास्ते हैं सब सफेद स्लीपर लगाकर दोनों तरफ रास्ते बंद किये हुए थे, डबल लाइन लगाई गई थी लेकिन ज्योंही रेलवेज मर्ज हुई उसके बाद केन्द्र में यह विभाग गया। उसके बाद दोनों के बीच में खाइयां खोदी गई, कोई बेलगाडी क्रोस नहीं कर सकती रास्तों के दोनों तरफ रुके हुए हैं, खाइयां लगाकर, आए दिन दुर्घटनायें होती हैं। इसलिए राज्य सरकार को इस समस्या की तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। एक साल पहले भी इस सदन में इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : दुर्घटनाओं के संबंध में प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब मैंने दिया है। आपने बताया है कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। तो अब अलग से आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी कार्यवाही हो सकती है वह की जाएगी और इस कठिनाई का हल हो सके, उसका प्रयत्न किया जाएगा।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : दो साल में नहीं हुआ तो टाइम दे सकते हैं ? आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि कितनी अवधि में इसका प्रबन्ध किया जाएगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : समय तो निर्धारित मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसमें भारत सरकार से बातचीत करनी होगी, सारी कार्यवाही उनके माध्यम से होगी। शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाएगी और प्रयत्न किया जाएगा कि जल्दी ही कठिनाई दूर हो।

श्री रामचंद्र आर्य : आज तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उत्तर आया ? पहले भी विधान सभा में सवाल उठा था उस संबंध में आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री ने, तो उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुख्यमंत्री के आश्वासन की मुझे जानकारी नहीं है कि क्या कहा था।

श्री रामचंद्र आर्य : तो कैसे मानें कि अब इंतजाम हो जाएगा ? आप कहकर चले जाते हैं और इंतजाम नहीं होगा तो कैसे विश्वास करें कि इंतजाम हो जाएगा ? आए दिन लोग मरते हैं, दुर्घटनायें होती हैं, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री मेघराज पंवार : क्या खुले रास्तों को बंद करना, यह फौजदारी मुकदमा नहीं बनता है ?

श्री रामचंद्र आर्य : क्या कह रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रेलवे की जो सीमा है, उसमें ऐसा करने से फौजदारी मुकदमा बनता है, मैं नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आम रास्तों को खुला रखना, राज्य सरकार के कर्तव्यों में शामिल है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उस संबंध में बातचीत करके निवेदन करूंगा।

श्री दौलतराम सारण : रेलवे की सीमा का सवाल पैदा इसलिए नहीं होता कि रास्ते सेटिलमेंट के कटे हुए हैं और कानून के अनुसार उन रास्तों पर होकर आदमी को जाने का अधिकार है और रेलवे उसके लिए बाऊंड हैं, रेलवे किसी कानून को हाथ में नहीं ले सकती। इसलिए जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, वह सही स्थिति का द्योतक नहीं है। सही स्थिति यह है कि गांव वालों को रास्ते, जो कटे हुए हैं सेटिलमेंट में उन पर आने जाने का रास्ता देना राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसका पालन करने में सरकार असमर्थ रही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने उस कर्तव्य से ना नहीं कही है। सवाल यह है कि समस्या को कैसे सुलझाया जा सके वह सवाल हमारे सामने है। उसके लिए मैंने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, शीघ्र कार्यवाही करके इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

नगरपालिका द्वारा भूमि की नीलामी

501. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई सु.) : क्या स्वायत्तशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका द्वारा अपनी सीमाओं के अन्तर्गत पड़ी हुई किस किस प्रकार की जमीनों को नीलाम द्वारा बेचा जाता है ? और किस किस प्रकार की जमीनों को बिना नीलाम बेचा जाता है ?

(2) जिन जमीनों को नीलाम द्वारा बेचा जाना हो उसकी नीलाम संबंधी सूचना आम जनता को किन किन माध्यमों से दी जाती है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(3) क्या डीग नगरपालिका द्वारा गढ़ सराय के पास वार्ड नं. 1 में भूमि खंड 80×35 फुट को नीलाम करने की विज्ञप्ति निकाली गई थी ? यदि हां तो कब व किस कि‍स माध्यम से ?

( ) क्या उक्त नीलामी विज्ञप्ति के प्रसारित करने की प्रक्रिया नियमानुकूल थी ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विज्ञप्ति को किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगाया गया था ?

(6) क्या यह भी सही है कि विज्ञप्ति पर नगरपालिका कर्मचारियों ने ही हस्ताक्षर कर उसे फाइल में लगा दिया ? यदि हां तो कर्मचारियों के नाम बतावें।

(7) क्या यह भी सही है कि विज्ञप्ति में अंकित दिनांक को जमीन की नीलामी वस्तुतः नहीं की गई थी और नगरपालिका कर्मचारियों ने यह झूंठी रिपोर्ट की कि मौके पर बोली बोलने कोई नहीं आया ?

(8) इस मामले में उक्त नगरपालिका के इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह) : भूमि विक्रय संबंधी प्रसारित नियम, आदेश आदि के अन्तर्गत आने वाले अपवादों के अतिरिक्त सभी भूखंड आम नीलाम द्वारा विक्रय किए जाने चाहिए।

(2) नियमानुसार भूमि विक्रय की सूचना का व्यापक विज्ञापन होना आवश्यक है। ऐसा विज्ञापन डूंडी पिटवाकर अथवा अखबारों में विज्ञापन अथवा हेंड-बिल द्वारा किया जा सकता है।

( ) प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 6-4-53 को हैंड बिल द्वारा सूचना प्रसारित की गई।

(4) जी हां

( ) यह नहीं कहा जा सकता कि सूचना किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई अथवा नहीं।

( ) विज्ञप्ति पर कर्मचारियों के भी हस्ताक्षर हैं :

( ) श्री लक्ष्मणप्रसाद

(2) श्री नत्थीलाल।

(7) जी नहीं।

(8) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने अपने प्रश्न 1 के उत्तर में कहा प्लाट्स आम नीलाम द्वारा बेचे जाने चाहिये। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। नीलाम नहीं हुआ। दूसरे नम्बर में कहा है कि सूचना का व्यापक विज्ञापन होना आवश्यक है। इस केस में वह भी नहीं हुआ। हैंडबिल निकाला है, केवल रेकार्ड में है, किसी को नहीं दिखाया, प्रसारित नहीं किया गया। तीसरे में आपने कहा है कि इसकी सूचना वाजिब जगह पर लगाई गई अथवा नहीं कह नहीं सकते आपको पूरी जानकारी नहीं है तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें, क्यों हुआ है ? मैं मांग करता हूं इसमें सारे केस को देखते

Page No. 5

(श्री जयनारायण सालोदिया)
हुए आपके जवाब को देखते हुए स्पष्ट मालूम होता है कि इसमें जरूर गड़बड़ है इसलिए इसकी जांच करवायें ।

श्री खेतसिंह : मैं प्रश्नकर्ता की राय से सहमत हूं । कुछ मुझे भी मालूम होता है कि थोड़ा बहुत इसमें हुआ है हालांकि इसके अन्दर जो पार्टी है उन्होंने राजस्व एपेलेट आँथोरिटी अजवर के पास अपील कर रखी है और जांच एस डी ओ डीग को दी गई है फिर भी मैं चाहूंगा आया वह एस डी ओ वहीं तो नहीं है जो पहले प्रशासक थे लिहाजा इसमें पूर्ण जांच करके आपको बताया जाएगा और जब वास्तविक स्थिति सामने आएगी तो आपके सामने रखेंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 502

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 503

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 504

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रोफेसर केदारनाथ

हिंदुमल कोट मण्डी के विकास की योजना

505. श्री केदार नाथ (गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला गंगानगर के हिन्दुमल कोट मण्डी का निर्माण कब हुआ पाकिस्तान बनने से पूर्व उसकी आबादी क्या थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह मन्डी हिन्दु पाक सरहद पर आबाद है और सैकिन्ड डिफेन्स लाइन में सहायक है ?

(3) क्या यह सही है कि देश के बंटवारे का इस मण्डी की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ा ?

(4) क्या यह सही है कि 1965 में पाक हमले के दौरान इस मण्डी पर कई बार बम्बारी की गई ? यदि हां, तो कितना नुकसान किन किन व्यक्तियों को हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि आज तक उन व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि ब्रोडगेज लाइन का नया स्टेशन बनने के कारण व आमदनी व रोजगार के साधनों के अभाव के कारण मण्डी गैर आबाद होने की स्थिति में हैं ?

(7) राज्य सरकार ने इस मन्डी को आबाद व कायम रखने के लिये क्या योजना बनाई है ?

(उपनिवेशन मंत्री की ओर से)

कृषि मन्त्री (श्री शोभा राम) : (1) हिन्दूमल कोट मण्डी का निर्माण सन् 1925 26 में हुआ था तथा सन् 1951 में इसकी आबादी 1624 थी।

(2) जी हां। यह मण्डी सरहद पर है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। अतः प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) ब्राडगेज लाइन के नये स्टेशन का निर्माण होने से आमदनी व रोजगार के साधनों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

(7) फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार इस मण्डी को स्टेटेजिक इम्पोर्टेन्स को मान कर चलती है।

श्री शोभाराम : मण्डी के महत्व को न मानने का प्रश्न तो नहीं है। यद्यपि मैंने निवेदन किया कि यदि कोई वहां पर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जावेगा लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है कि हिन्दुमलकोट गंगानगर से लिंक किया है लेकिन गंगानगर से ज्यादा माल आता है। इस लाईन के आ जाने से उसका महत्व खत्म हो गया है क्या योजना है इसके महत्व को रखने के लिए? 65 में पाकिस्तान और भारत के बीच झगड़ा हुआ। इसका आउटर सिगनल पाकिस्तान में पड़ता था और इधर हिन्दुस्तान में। वहां पर कोई व्यापारी रोजगार करने और इन्डस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं है फिर जो लोग उद्योग लगाने की बात कहते हों उनकी मन्त्री महोदय के पास भेजे तो जो सहूलियत हो सकती हैं वह उनको दिलाने की चेष्टा की जावेगी।

श्री केदारनाथ : पानी, बिजली आदि की सुविधा उनको वहां पर मिल जाय तो यह मंडी आबाद हो जायेगी।

श्री शोभाराम : कुछ पार्टीज वहां पर तैयार हों और कितना इन्वेस्टमेन्ट करना चाहती हैं तो बिजली आदि की बात सोच सकते हैं। गंगानगर इलाके को छोड़ कर हिन्दुमलकोट मंडी में जाकर आबाद होंगे यह मुझे नहीं लगता है। आपके पास कोई पार्टी हो तो दूसरी व्यवस्था के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आवेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री लालचन्द वेद।

रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ के ग्रामों की पेय जल समस्या

506. **श्री लालचन्द वेद (सुजानगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. रतनगढ़ व सुजानगढ़ तहसील के कितने गांवों में पेय जल की समस्या है?

2. सरकार ने इन गांवों के लोगों को मीठा पानी मुहैया कराने के लिये क्या कोई फंड प्रोग्राम बनाया है? यदि हां, तो इस

(श्री लालचन्द वैद)
योजना के कब तक कार्यान्वित होने की उम्मीद है ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) (1) रतनगढ़ तहसील में 49 तथा सुजानगढ़ तहसील में 43 गांवों में पेय जल की समस्या है।

(2) इन गांवों को मीठा पानी मुहैया करने के लिये मास्टर प्लान के अन्तर्गत क्षेत्रिय जल प्रदाय योजनाओं का प्रावधान है, विस्तृत योजनायें बनाये जाने के बाद आगे कार्यवाही की जावेगी।

श्री लाभ चन्द वैद : क्या रतनगढ़ पंचायत समिति में नहीं हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : तहसील के लिये पूछा था।

श्री लाभचन्द वैद : सुजानगढ़ का ही नाम लिया था।

श्रीमती सुमित्रा : फिर से पढ़ दूं ?

श्री लाभचन्द वैद : क्या रतनगढ़ पंचायत समिति ने कोई योजना बनाकर भेजी है ?

श्रीमती सुमित्रा : कितने गांवों की पेय जल की समस्या है उसका जवाब दे दिया गया है ?

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़ पंचायत समिति ने कोई योजना बनाकर भेजी है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : हमें तो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री लाभचन्द वैद : यह आज के पेपर में ही खबर है कि 18 लाख 74 हजार की स्कीम बना कर भेजी गयी है पेय जल की समस्या समाधान हेतु।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा उसके बाद भेजी गयी है।

अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : सुजानगढ़ में 43 संख्या गांवों की बतायी यह थोड़ी है। आधे से अधिक गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की समस्या है।

श्रीमती सुमित्रा : मास्टर प्लान के अनुसार जिन गांवों में पेय जल की समस्या है उन गांवों के बारे में बताया है आपको।

श्री दौलतराम सारण : जहां तक गांवों में पीने के पानी की समस्या का सम्बन्ध है, और अधिक गांवों में यह समस्या है।

श्रीमती सुमित्रा : मास्टर प्लान के अनुसार जिन गांवों में यह समस्या है उन गांवों के बारे में आपको बताया है। 43 गांवों का मैंने निवेदन किया है।

श्री दौलतराम सारण : इन गांवों में पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में प्रश्न में यह पूछा गया है कि रतनगढ़ और सुजानगढ़ तहसील के कितने ग्रामों में पेय जल की समस्या है ! यह पूछा है। उसका निवारण करना चाहिये। यह विभागीय प्रश्न है। जिन गांवों में पेय जल की समस्या है उनके लिए सोचना चाहिये। जितने गांव आपने बताये उनसे दूने से भी अधिक गावों में पेय जल की समस्या है।

Page No. 8

श्रीमती सुमित्रा : मेरी सूचना के अनुसार 43 गांव ही होते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप अपनी सूचना को कन्फर्म कर लीजिये।

श्री लाभचन्द वैद : यह समस्या कब तक सुलझायी जावेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : निश्चित तो मैं नहीं कह सकती। जैसा कि आपको मालूम है पेय जल की समस्या के लिये राजस्थान का मास्टर प्लान भारत सरकार की स्वीकृति के लिये 66 से विचाराधीन है। वहां से आने के बाद ही निश्चित कहा जा सकता है। अलग अलग स्कीम्स यहां बनायी भी गयी हैं और बनाई भी जा रही हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : दिल्ली से कितने मील रोजाना चलता है। आप कहती हैं कि 66 में गया और आज तक आया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 507

श्री बुद्धिचन्द जैन। (बाडमेर)

(अनुपस्थित--कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 508

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदनकौर।

सूरतगढ़ केन्द्रीय फार्म की भूमि

50.. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. सूरतगढ़ केन्द्रीय फार्म के अन्तर्गत कितनी भूमि है ? सिंचित और असिंचित का अलग अलग रकबा बतावें ?

2. यह भूमि केन्द्रीय सरकार को कब और कितनी अवधि के लिये दी गई थी ? क्या यह अवधि समाप्त हो रही है अथवा हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

3. क्या अवधि समाप्ति पर राज्य सरकार इस काम को राजस्थान के भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का विचार कर रही है ?

4. यदि हां, तो क्या अकालग्रस्त क्षेत्र के भूमिहीनों और विशेष कर अनुसूचित जाति और जन जाति को यहां बसाने का विचार है ?

(उप निवेशन मंत्री की ओर से) कृषि मंत्री (श्री शोभाराम): केन्द्रीय फार्म सूरतगढ़ के पास कुल 48535 बीघा 18 बिस्वा भूमि है। जिसमें से नहरी व बारानी निम्न प्रकार है:-

नहरी 43306 बीघा 6 बिस्वा

बारानी 802 बीघा 15 बिस्वा

गैरमुमकिन 4426 बीघा 17 बिस्वा है।

2. भूमि अगस्त, 1956 में दी गई। 15 साल की लीज पर दी गई। अवधि अगस्त 1971 में समाप्त होगी।

(श्री शोभाराम)

3. केन्द्रीय सरकार की लीज बढ़ाने या न बढ़ाने पर अभी नहीं लिया गया है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

4. प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मदन कौर : क्या यह सही है कि यह फार्म अमूमन घाटे का रहता है और समय समय पर आलोचना का विषय रहता है ?

श्री शोभाराम : पहले घाटे में चलता था। दो साल से घाटे में नहीं चलता है ?

श्रीमती मदन कौर : कितना फायदा है ?

श्री शोभाराम : यह जानकारी तो मुझे नहीं है। इसके ऑडिट और अकाउन्ट्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास पेश होते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के सामने पेश नहीं होते हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार 69–70 और 70–71 में बजाय हानि के लाभ हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि उस क्षेत्र की प्रति बीघा उपज के मुकावले में इस फार्म की प्रति बीघा उपज थोड़ी है ?

श्री शोभाराम : यह जानकारी केन्द्रीय सरकार को है, मुझे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : फार्म की लीज पूरी हो चुकी है और केन्द्रीय सरकार ने आगे कार्यवाही नहीं की। फार्म बनाया गया और दिया गया तो उस समय लोगों को जमीनों से बेदखल करके दिया गया है नाली की बेस्ट क्वालिटी की जमीनें को वर्षों से बेकार रख रखी है, काश्त नहीं करते और काश्त की जाती है तीन चार मण बीघे की उपज होती है और अधिकांश फसल बिना काटे सूख जाती है। इतनी दयनीय स्थिति, है तो क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती है कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार को कह कर अपने कब्जे में ले ?

श्री शोभाराम : 70 में इसका लीज पूरा हुआ। राजस्थान सरकार का जहां तक सम्बन्ध है लीज की अवधि न बढ़ायी जाय। एग्रीमेन्ट हुआ था तो उसमें यह रखा था कि लीज का एक्स्टेन्शन होगा वह भारत सरकार के ऑप्शन पर होगा। फिर भी हमने कहा है कि यह राजस्थान के इलाके का है और लोगों को भूमि की आवश्यकता है। या तो हम को दे दिया जाय। कीमत भी हम इसकी चुकाने के लिये तैयार हैं। राजस्थान नहर को आगे बढ़ाने के लिये भी उसको लेना चाहते हैं। मैंने निवेदन किया कि अभी तक पत्र व्यवहार चल रहा है और निर्णय नहीं हुआ है। आगे अन्तिम निर्णय हो सकेगा।

श्रीमती मदन कौर : क्या यह राज्य सरकार की जानकारी में है कि इसकी जांच की गई है कि सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं ?

श्री शोभाराम : कुछ सालों पहले इसमें हानि होती थी। पर ठीक ढंग से काश्त होती तो हानि नहीं होती। यह तो सर्व-विदित है। इसमें दो राय नहीं है। पर यह लीज पर दी जा चुकी है। केन्द्रीय सरकार

Page No. 10

(श्री शोभाराम)

के अधिकार में है। अगस्त में लीज समाप्त होने जा रही है। अब हमने उसे आगे बढ़ाने की बात स्वीकार नहीं की है हालांकि इस लीज पीरियड को एक्सटेण्ड करने की शर्त के अनुसार उनको अधिकार है। अब हम बात कर रहे है भारत सरकार से। अब उनको नियन्त्रण में रखते हुए या स्टेट के नियन्त्रण में रखते हुए कुछ प्रगति की जा सकती है या इसे अच्छी तरह से चलाया जा सकता है यह तो नामुमकिन है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह भूमि केन्द्रीय सरकार को फार्म बनाने के लिये दी गई थी तो रसियन कोलोबोरेशन में लाखों रुपयों की मशीनरी और इम्प्लीमेन्ट्स वगैरह दिये गये थे और एक खास शर्त भी इसमें थी। अब इसका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है यह हमारी जानकारी में है और इसको मद्देनजर रखते हुए जब लीज को बढ़ाने का प्रश्न भारत सरकार की तरफ से आयेगा तब इन सारी बातों पर विचार करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि इस समय जो थोड़ा बहुत मुनाफा बता रहे हैं इसका कारण यह है कि फार्म की ओर से आधे से अधिक बांटे पर जमीन लोगों को दी जाती है और इसलिए मुनाफा होता है?

श्री केदारनाथ : पिछले दो सालों से वन थर्ड लैंड ऑक्शन पर दी जाती है।

श्री शोभाराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह राजकीय फार्म का तरीका नहीं होता। बिलकुल प्राइवेट आदमी की तरह से कल्टीवेटर्स को देते हैं और उनसे दुगुना तिगुना बांटा वसूल करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं जिसे वे अपना मुनाफा कहते हैं। आज भी हजारों बीघा जमीन लोगों को दी हुई है। इसके बाद भी हजारों एकड़ जमीन बेकार बंजर पड़ी है जो सोना उगल सकती है। तो इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये।

आपकी लीज में शर्त तो होगी कि इस पूरी जमीन को वे काम में लेंगे। अब अगर नहीं ली तो लीज की शर्त तोड़ी है। तो तोड़ने के मामले को लेकर आप उन्हें रोक सकते हैं और जमीन वापिस ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने आज तक इस बात की जांच की है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये यह जमीन लीज पर ली गई थी वह लक्ष्य कितना प्राप्त कर लिया गया है?

श्री शोभाराम : यह राजस्थान सरकार स्वयं चाहती है कि जो गतिविधि उनकी अब तक रही है उसको देखते हुए राजस्थान सरकार यह चाहती है कि इसकी अवधि न बढ़े।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। अवधि अब बढ़े या न बढ़े यह प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न तो यह है कि जिस ओब्जेक्ट को अचीव करने के लिये यह फार्म खोला गया था क्या वह ओब्जेक्ट

(श्री भैरोंसिंह)
अचीव किया गया या नहीं ? क्या इसकी जानकारी कभी सरकार ने की है ?

श्री शोभाराम : यह तो परसेन्टेज में निर्धारित करना मुश्किल होता है।

श्री भैरोंसिंह : आप समझे नहीं मेरे प्रश्न को। आप किसी भी चीज को लीज पर देते हैं तो उसमें कुछ शर्तें होती है, मेरा पूछने का मतलब यह है कि वे शर्तें पूरी तरह से पाली जा रही हैं या नहीं ? उन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं । पीरियोडिकली भी कभी आपने जांच की है ?

श्री शोभाराम : इस तरह की जानकारी इस प्रश्न में नहीं चाही गई थी इसलिये ऑफ हैण्ड तो यह जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। आप अलग से पूछ लीजियेगा मैं बता दूंगा।

श्रीमती मदन कौर : एक बार इतनी बढ़िया जमीन लीज पर दी गई। अब वह लीज खत्म हो रही है। एक्सटेन्शन का प्रश्न विचाराधीन है। तो इन पिछले दस पन्द्रह वर्षों में इस फार्म ने अपने लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति की इसकी जानकारी की या नहीं ? नहीं की, क्या यह मानकर चलें ?

श्री भैरोंसिंह : लक्ष्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में जानकारी आपको बराबर रखनी चाहिये थी, वह नहीं रखी, यह मानकर चलें ?

श्री शोभाराम : इसको विस्तार से देखने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : अलग से नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। ओब्जेक्ट का सवाल है। ओब्जेक्ट तो बराबर ध्यान में रखा जाना चाहिये था। यह प्रश्न स्पष्ट है। और भी प्रश्न है। क्या इसकी लीज समाप्त हो गई ? अब यह भूमिहीन किसानों में बांटी जावेगी क्या ? जमीन का उपयोग हो रहा है क्या ? ये इस तरह के प्रश्न एम्पलाइड हैं। इस प्रश्न का रिजल्ट जो आवेगा वह यही आवेगा। फार्म सिम्पल होता तो प्रश्न पूछने की नोबत नहीं आती। बंटाई पर दी जा रही है इसकी जमीन आज तो जागीरदारों की तरह।

श्री उपाध्यक्ष : बंटाई पर दे रहे हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : बंटाई हो रही है या नहीं ? इसका उत्तर तो देंगे ?

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार के कागजों में फार्म अब ठीक तरह से चल रहा है जो सारी जमीन दी गई क्या उस सारी का सदुपयोग किया गया है ? नहीं किया गया, किया तो कितनी का ?

श्री शोभाराम : चार महीने के बाद लीज समाप्त हो रही है तब इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों के सुझाव आ गये हैं, इनको ध्यान में रखियेगा।

श्री दौलतराम सारण : लीज को डिटर-मिन करने से पहले क्या किन्हीं विशेष अधिकारियों को लगाकर फार्म की सफलता-असफलता के लेखे जोखे तैयार

(श्री दौलतराम सारण)
करने के विषय में इरादा करेंगे? इस सबकी जांच करावेंगे कि लक्ष्यों कि पूर्ति किस सीमा तक प्राप्त की गई है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय जनलेखा समिति की रिपोर्ट, जिसमें सूरतगढ़ फार्म में उल्लेख है, देखा है ? और क्या सरकार ने इसकी जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट को भी देखा है ?

श्री शोभाराम : मैं तो निवेदन कर सकता हूं कि दौलतराम जी ने जो फरमाया लीज की आइन्दा समाप्ति के प्रश्न पर जब बात करने का अवसर आवे तो इस केस की जो कुछ भी कार्यवाही 15 सालों में रही या जो खामियां रहीं और जिनकी वजह से वे समझते हों कि यह फार्म लीज पर दिया गया तो इसको बढ़ाने की अब स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। तो इन तमाम कारणों में जाकर आपने जो बातें कहीं उन सबकी भी जानकारी और जांच करा लेंगे। यह बंटाई पर भी दी गई जमीन यह भी जांच कर लेंगे। इन सारे तथ्यों के साथ मामला केन्द्र के सामने रखेंगे जब लीज समाप्त होने पर दुबारा एक्सटेण्ड करने की बात आवेगी तब।

श्री भैरोंसिंह : क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि जिन बातों के लिये यह जमीन लीज पर दी गई थी सूरतगढ़ फार्म में उन चीजों का पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री शोभाराम : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तो आ जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से पूछ लीजिये। या अलग से इस पर चर्चा उठा लीजिये। कई रास्ते खुले हैं इसके लिये आपके पास।

श्री रामचन्द्र आर्य : जेतसर में भी जमीन एक्वायर की गई है नया फार्म बनाने के लिये ?

श्री शोभाराम : जेतसर फार्म भी दे दिया गया है, यह सही बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : थोड़ी बहुत जमीन और बची है, वह भी बेकार कर दी जावेगी। अनाज पैदा नहीं करो, किसान जो भूमि के बिना तरस रहा है इधर-उधर भटक रहा है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है उनके पेट पर आप लात मार कर जमीन इस तरह से बेकार पटके रखने वालों के हाथों मे सौंपते जा रहे हो। यह निक्कमी सरकार की नीति है।

श्री शोभाराम : इसके लिये, पूरे उपयोग के लिये हमने भारत सरकार को लिख रखा है। अब इसका पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं इसको जानकारी करने के बाद में निवेदन कर सकूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक फार्म और बढ़ा दो। सब ठीक हो जायेगा। जो कुछ थोड़ी बहुत जमीन आपके पास और बढ़ी हो वह और दे दो। फिर कोई आपसे कुछ मांगेगा नहीं। आपका सिर दर्द ठीक हो जावेगा। न आपके पास जमीन बचेगी, न कोई मांगेगा। सब ठीक हो जावेगा।

Page No. 13

श्री उपाध्यक्ष : आप ठीक कहते हैं, सब ठीक हो जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों को जमीन नहीं मिली। उनको देने के लिये आपके पास जमीन नहीं। पर इस तरह से बेकार में पड़ी रखने के लिये फार्म के नाम पर उस जमीन को बरबाद करने के लिये आपके पास जमीन मिल जाती है। यह नीति है इस अनैतिक सरकार की।

एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लि. रामगन्ज मन्डी को ठेके

510. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज लि. रामगंजमन्डी ने अपने को सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके लेने के लिये रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ? यदि हां, तो कब से और किस ग्रेड में ?

(2) उक्त कम्पनी को रजिस्ट्रेशन के बाद किन किन कार्यों का कब कब कितने कितने रुपयों का ठेका दिया गया है व कहां 2 कार्य अधुरा है अथवा कार्य पूरा किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की घोषित नीति के बावजूद इन्होंने किसी बेरोजगार इन्जीनियर को अपने कार्यों के निरीक्षण हेतु नहीं रखा हुआ है ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। दिनांक 6-12-36 को (बी) श्रेणी के ठेकेदार पंजीकृत किये गये हैं।

(2) झालावाड़ खण्ड में ठेके पर दिये गये कार्यों की सूची प्रस्तुत है।

(3) बेरोजगार इन्जीनियर को कार्य निरीक्षण हेतु रखना उक्त ठेकेदार को आवश्यक नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : आपने जो सूची दी है पांच कामों की, इसके अलावा क्या अकाल सहायता और बाढ़ सहायता के काम भी इनको दिये गये हैं ?

श्री खेतसिंह : इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जुझार सिंह : मैंने पूरी सूची मांगी है लेकिन आपने केवल डिपार्टमेंटल वर्क्स की सूची भेजी है। इसके अलावा अकाल सहायता और बाढ़ सहायता के जो कार्य इन ठेकेदारों को दिये गये हैं उसकी सूची भी मांगी थी, वह आपने नहीं दी है। आपने पूरी जानकारी नहीं दी है।

श्री खेतसिंह : मेरे पास तो विभाग के जो काम हैं उनकी सूची मैंने दे दी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या अकाल सहायता के जो काम होते हैं वे इस विभाग के द्वारा नहीं दिये जाते ?

श्री खेतसिंह : पी. डब्लू. डी. के तहत दिये जाते हैं या नहीं। लेकिन आपने यह

(श्री खेतसिंह)
पूछा था कि पी. डब्ल्यू. डी. ने ठेकेदार को कौनसे काम दिये, वह मैंने बता दिये।

श्री भैरोंसिंह : न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, न उप मंत्री, ये बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कोई भी मंत्री दे सकते हैं लेकिन उत्तर सुनने वालों को कठिनाई होती है। उनका विभाग है नहीं, तो संतोष नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ दिनों से आप ही काम कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : काम तो ये सभी विभागों के कर रहे हैं, हमने छूट दे रखी है, लेकिन काम कुछ होता नहीं है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने कहा उसमें मैं भी सहमत हूं कि मंत्री या उपमंत्री को हाजिर होना आवश्यक है, लेकिन उनके यहां शादी की वजह से दोनों गैर हाजिर हैं।

श्री भैरोंसिंह : लड़के की शादी है?

एक माननीय सदस्य : एक के लड़के की शादी है और दूसरे कहीं गए हुए हैं।

श्री खेतसिंह : वह भी वहीं गये हुए है।

श्री जुझारसिंह : फिर इसको अगले टर्न पर रख दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : इनको यह तो पता है नहीं कि फैमिन रिलीफ विभाग या दूसरे विभागों द्वारा भी इस विभाग को काम दिये गये हैं या नहीं।

श्री खेतसिंह : यह तो जानकारी है मेरी, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि इस ठेकेदार को फैमिन का कार्य भी दिया गया था अथवा नहीं। इस पर्टीकुलर ठेकेदार की जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पोस्टपोन कर दीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया।

प्रश्न संख्या 511

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल भाई।

ग्राम खाटू में छात्रावास की मांग

512. श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाडा के खाटू गांव में वहां की जनता व ग्रा[illegible] से खाटू में छात्रावास खोलने की [illegible] सरकार से की गई है?

2. क्या यह भी सही है कि वह आदिवासी क्षेत्र है और वहां के आदिवासी विद्यार्थियों के लिये आगे पढ़ने की कोई अन्य सुविधा नहीं है? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री–समाज कल्याण विभाग (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : 1. जी नहीं, समाज कल्याण विभाग में इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

2. यह सही है कि यह आदिवासी क्षेत्र है और वहां समाज कल्याण का छात्रावास नहीं है। फिलहाल वहां छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्योंकि बांसवाड़ा जिले में 7 राजकीय तथा 13 छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चल रहे हैं। जिनका लाभ ग्राम खाटू के विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा और खाटू के बीच कितनी दूरी पड़ती है, आपको मालूम है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यद्यपि मैं भूगोल का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन करीब साढ़े सात मील की दूरी है।

श्री विट्ठल भाई : उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा के छात्रावास में सारे जिले के लड़के आते हैं, वहां पर केवल 55 लड़कों को भर्ती किया जाता है लेकिन खाटू के लड़के बगैर भर्ती रह जाते हैं। तो खाटू में अलग से विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। तो आप पक्षपात न करें, वह आदिवासी इलाका है और वहां पर..,

एक माननीय सदस्य : बांसवाड़ा के लड़कों की संख्या क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष प्रश्नकर्ता।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग का नियम है कि यदि कोई गांव पांच मील की परिधि में पड़ता है और पांच मील की परिधि में कोई अन्य छात्रावास है तो उस गांव में अलग से छात्रावास नहीं खोला जाता।

श्री रोशनलाल शर्मा : भरती नहीं करते हैं तो खाटू के लड़के कौन से छात्रावास में जायें ?

श्री विट्ठल भाई : बांसवाड़ा बारह तेरह मील पर पड़ता है। अगर वहां के छात्रावास में भर्ती नहीं किये जायेंगे तो वे लड़के कैसे पढ़ेंगे ? वे रोज तो बांसवाड़ा जा नहीं सकते।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वहां पर सीटें बढ़ा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सीटें बढ़ा दीजिये और इस क्षेत्र के लड़कों का ध्यान रखें।

श्री विट्ठल भाई : खाटू के लड़कों को ज्यादा सीटें दी जायें। बांसवाड़ा के छात्रावास में डूंगरपुर के लड़के आकर पढ़ते हैं, लेकिन खाटू के लड़कों को नहीं लिया जाता, जब कि डूंगरपुर में अलग से छात्रावास खुला हुआ है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : डूंगरपुर के लड़के यदि बांसवाड़ा में आकर पढ़ाई करते हैं तो बांसवाड़ा की जो आवश्यकता है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरा भाई।

Page No. 16

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : भीलवाड़ा के लड़के आकर वहां पर एडमिशन ले लेते हैं लेकिन खादू के लड़कों को नहीं लेते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : पहले आप वहां के लड़कों को प्राथमिकता दें, उसके बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को लें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह सुझाव सही है कि पहले उस जिले के लड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी और उसके बाद यदि जगह रह जायेगी तो दूसरे जिलों के लड़कों को लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न सं. 513

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 514

श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

स्वर्गीय पथिकजी की धर्मपत्नी के निर्वाह के लिये व्यवस्था

515. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय पथिक जी राजस्थान के अग्रुआओं में से थे ?

(2) उनकी धर्मपत्नी माता जानकी देवीजी कहां हैं और उन्हें निर्वाह के लिये क्या मिल रहा है ?

(3) क्या उनके निर्वाह के लिये समुचित व्यवस्था है या उन्हें कठिनाई से दिन निकालने पड़ रहे हैं ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : जी हां।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रीमती जानकी देवी जी वर्तमान में मथुरा निवास करती हैं तथा उनको राज्य सरकार द्वारा 250 रुपये मासिक पेन्शन मिल रही है।

(3) श्रीमती पथिक को दी जा रही मासिक पेन्शन नियमों के अन्तर्गत अधिकतम है। उनके निर्वाह में कठिनाई के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

थाना असनावर में भील-बालिका के साथ बलात्कार

516. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम बाकडी खेड़ा थाना असनावर में एक भील के यहां 4-5 मार्च को कोई चोरी हुई थी,

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
और उसकी रिपोर्ट चौकी मंडावर या थाना असनावर में दर्ज हुई है ?

(2) उक्त चोरी की रिपोर्ट के पश्चात् क्या एस. एच. ओ. असनावर ने प्रार्थी एवं उसकी बालिका को थाना असनावर में बुलाया था ? यदि हां, तो किसलिये ?

(3) क्या उक्त बालिका को 3-4 दिन तक थाना असनावर में रोकें रखा और इसके साथ स्वयं थानेदार, हैड मोहर्रिर एवं एक सिपाही ने बलात्कार किया ?

(4) क्या उक्त बलात्कार की कोई शिकायत एस. पी. झालावाड़, कलेक्टर झालावाड़ को प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो कब एवं उस पर उक्त अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह सत्य है कि श्रीमती कंचन को जब कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला, तो उसे झालावाड़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के वहां पेश होकर अपनी अस्मत लुटने की नंगी एवं दर्दनाक कहानी सुनानी पड़ी ?

(6) क्या यह सत्य है कि अब उक्त बालिका को पुलिस द्वारा डराया। धमकाया जा रहा है और उसे राजस्थान से बाहर भाग जाने को कहा जा रहा है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी हां। दिनांक 5-3-71 को नन्दा पुत्र परथा भील निवासी बावड़ी खेड़ा ने अपने घर से जेवर चोरी जाने की घटना की रिपोर्ट थाना असनावर में दर्ज कराई।

(2) उपरोक्त अनुसंधान के दौरान नन्दा भील थाना असनावर में वास्ते तफतीश 7-3-71 को बुलाया गया था। उसके साथ उसकी पुत्री श्रीमती कंचन भी आई थी।

(3) जी नहीं। उपरोक्त अनुसंधान के दौरान श्रीमती कंचन उसके पिता के साथ दिनांक 7-8 मार्च सन् 71 को कस्बा असनावर में रही है। उससे अनुसंधान में एस. एच. ओ. ने पूछताछ की है। थाना अधिकारियों के विरुद्ध बलात्कार के आरोपों की जांच सी. आई. डी. के एक वरिष्ट अधिकारी द्वारा कराई गई। मजीद जांच सी. आई. डी. के एडीशनल एस. पी. द्वारा कराई जा रही है। थानेदार व संबंधित कान्स्टेबिल को लाइन में बुला लिया गया है।

(4) जी हां, 19-3-71 को इस्तगासा की नकल जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई थी। इससे पूर्व कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया।

(5) श्रीमती कंचन ने दिनांक 17-8-71 को मुंसिफ मजिस्टेट, झालावाड़ की अदालत में एस. एच. ओ. असनावर, मुख्य आरक्षी और तीन आरक्षियों के विरुद्ध एक इस्तगासा धारा 342।323। 354।376।511 भा. द.. सं. का प्रस्तुत किया।

(6) जी नहीं।

श्री राम प्रसाद बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न (3) के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि बलात्कार करने का जो आरोप है वह जांच से निराधार साबित हुआ है। तो आपकी जांच का कौन सा आधार है ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

दूसरा इस लड़की को 7 और 8 तारीख को थाने पर बुलाने का क्या कारण था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मैंने यह नहीं कहा है कि बलात्कार का आरोप निराधार पाया गया। मैंने तो एडीशनल एस. पी. को नियुक्त किया है।

श्री राम प्रसाद बोहरा : मेरे पास जो आपका लिखित उत्तर है ....

श्री हीरालाल देवपुरा : वह नहीं है। उत्तर तो जो मैं अब दे रहा हूं वह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, और उत्तर दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपने यह कहा उक्त थानेदार को लाइन पर हाजिर किया गया है। आपने अब तक सस्पेन्ड क्यों नहीं किया उसको ?

श्री उपाध्यक्ष : जांच हो रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोर्ट में केस चला गया तो उसके बाद तुरन्त सस्पेन्ड कर देना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, अब सी. आई. डी. के माध्यम से जांच करवाई जा रही है। पहले वाली जांच में आरोप ही नहीं पाये गये थे। इस वजह से ऐडीशनल एस.पी. को दुबारा जांच के लिए कहा है। जांच में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाले इसलिए वहां से हटा कर उसको लाइन में भेज दिया है। अब कोई सन्देह वाली बात नहीं है। एस.पी. के केडर का आदमी है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सदन में जो आपने उत्तर दिया है वह कोई दूसरी कापी दे दी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके पास पहले वाली कापी पहुँची होगी। मैंने दूसरा आदेश दे दिया है। जांच करवा दी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल। प्रारम्भ में जो जांच हुई और जांच होने के बाद आपका कहना यह है कि इस प्रकार की जांच का विश्वास नहीं हुआ इसलिये दुबारा जांच कराने के आदेश दिये हैं। जब दुबारा आदेश दिये हैं तो पहली वाली में जो स्मेल आती थी वह पर्याप्त नहीं थी कि सस्पेंड किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक आदिवासी लड़की के साथ पुलिस ने थाने में बुलाकर बलात्कार किया। उपाध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव रखा था और उस स्थगन प्रस्ताव पर कोई रिप्लाई नहीं दिलाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : मा. सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शिड्यूल्ड कास्ट जाति की लड़की के साथ पुलिस बलात्कार करे और अधिकारी उसकी बात को दबा दें इससे अधिक लज्जाजनक बात क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मा. सदस्य, मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया वे जांच करा रहे हैं।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

(श्री विट्ठल भाई, श्री श्रवण लाल, एवं

श्री देवीदत्त गाडिया एक साथ बोलते रहे ।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के मा. सदस्य जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं की जानकारी है कि पुलिस वाले डरा धमका रहे हैं उसको भी सरकार कहती है यह गलत है । इस प्रकार आदिवासी लड़की के साथ थाने में बुलाकर बलात्कार करें, अमानवीय व्यवहार करें इस सरकार के लिये लज्जा की बात इससे बढ़कर क्या होगी···

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री देवीदत्त गाडिया : (भाषण अंकित नहीं किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, मैं समझता हूं पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (दौसा सु.) मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी चाहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल जांच शुरू की गई और सी.आई.डी. के माध्यम से जांच करवाई और एडीशनल एस.पी. से जांच करवा रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : कब शुरू कराई यह बतायें ? तारीख बतायें ।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी (छबड़ा) : जांच से आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो··

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? यह बतायें ।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं सी. आई. डी. के जरिये जांच कराई है । यह जांच कब कराई ? हमने स्थगन प्रस्ताव रखा उसके बाद या पहले ? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव के बाद में जांच शुरू करवाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न तो ऐसा हुआ कि जोधपुर कितना माइल कि 213 माइल और फिर 213 माइल बताने के बाद में पूछा जोधपुर से बाड़मेर कितने माइल तो यहां तो यह उत्तर प्राप्त हो गया है कि उन्हें लाइन हाजिर के आदेश दे दिये हैं । ऐडीशनल एस. पी. को जांच के लिए दुबारा मुकर्रर किया है । इस स्टेज पर यह बात पर्याप्त है और कोई दूसरी बात आती है तो उसको कोई दूसरे तरीके से...

श्री विट्ठलभाई: महिलाओं के साथ जो रक्षा करने वाली पुलिस है कान्सटेबिल हैं, थानेदार हैं वे आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार करें ....

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीरा भाई : बलात्कार की धारा को ध्यान में रखना चाहिये । बाद में उसकी जांच किया जाना चाहिये । आपने उसको निलम्बित नहीं किया है ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इस लड़की के साथ यह घटना कब घटित होने की बात है और उसके घटित होने की जानकारी उस पुलिस आफिसर के ऊपर के अधिकारियों को कब हुई और उसके कितने अर्से बाद उसको वहां से हटाया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तारीख माननीय सदस्य ने पूछी है। अभी है नहीं। तारीख कोई महत्व पूर्ण बात नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर से थानेदार जब थाने में होते हैं तो वे अपने आपको मिनिस्टर समझते हैं और मनमानी करते हैं–ऐसा हुआ करता है। जांच होती है तो थानेदार को हटा देना चाहिये क्योंकि थानेदार जांच अच्छी तरह से नहीं होने देते हैं। मैं यहां तक कहना चाहता हूं इस प्रकार के काम करने वाले थानेदार की नाक कान काट लेना चाहिये ताकि आईन्दा इस प्रकार का काम ही नहीं हो।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द निवेदन कर दूं। मैं मा. सदस्यों की उत्तेजना को समझता हूं और जिस तरह की शिकायत है और जिस तरह का केस है उसमें स्वाभाविक गुस्सा और नाराजगी आनी चाहिये। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, क्राइम ब्रांच को जांच करने के लिये भेजा था उनकी जांच की रिपोर्ट से हमको सन्तोष नहीं हुआ। यह सही है क्योंकि उनके पास उस लड़की की शहादत के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं थी। यह भी सही है कि यदि पुलिस के कर्मचारी वहां दौरान जाप्ते के समय रहें तो इससे गवाहों पर असर पड़ता है इसलिये उस कान्स्टेबल को वहां से झालावाड़ पुलिस लाइन में बुला लिया गया। अब भी यदि मान्यवर सदस्यों को यह विश्वास है कि उसके लाइन में रहते हुये गवाहों पर दबाव पड़ता है तो मैं आपके सन्तोष के लिये जिससे इम्पारशियल एन्क्वायरी हो सके उसको कोटा पुलिस लाइन में रखने के लिये हुकुम कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि एडीशनल एस.पी. को यहां से भेजा जा रहा है। वे निष्पक्ष जांच करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं. जब कभी मुझे यह मालूम पड़े कि पुलिस कर्मचारी इस मामले में दखलन्दाजी कर रहे हैं और बेजाप्ता कार्यवाही कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 517, श्री दुर्गालाल बादृदार, (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

मांगली बेटर फार्मिंग सोसायटी

513. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सही है कि मांगली बेटर फार्मिंग सोसाइटी पंचायत समिति तालेड़ा जिला बून्दी को 878 बीघा 16 विस्वा भूमि अवंटित की गई है ?

2. क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति दिनांक 27-10-58 से अवसायन में चल रही है ?

3. क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति पर पांच अवसायक रह चुके हैं ? अगर हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

4. क्या यह सही है कि उपरोक्त भूमि पर सन् 70 में रिसीवर नियुक्त किया गया था ? अगर हां, तो उसने क्या कार्यवाही की ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

5. क्या यह सही है कि अभी तक अवसायन उपरान्त नगद अथवा फसल के रूप में एक भी पैसा वसूल नहीं किया ?

6. क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति पर कर्जा बकाया है ? अगर हां, तो कितना व कब से ?

7. क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त भूमि चम्बल नहर से सिंचित है ?

8. क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त भूमि पर काश्त हो रही है ? अगर हां, तो क्यों, किसके द्वारा व कब से ?

9. क्या यह सही है कि राजस्व विभाग द्वारा सहयोग न देने से भूमि पर रिसीवर अथवा अवसायक किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर सकता ?

उप मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह):

1. जी हां।

2. जी हां।

3. इस समिति में अब तक 6 अवसायकों की नियुक्ति हुई है। दिनांक 21-2-64 तक नियुक्त अवसायकों के द्वारा समिति में कोई कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि उन्हें समिति का रिकार्ड एवं भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी थी। दिनांक 21-2-64 को प्रथम बार समिति के अध्यक्ष द्वारा कुछ खाते व बहियां अवसायक को सम्हलाई गईं, किन्तु समिति की भूमि व ट्रैक्टर अवसायक के सुपुर्द नहीं हुये। जिसके कारण अवसायक समिति का कार्य नहीं कर सके। समस्त अधिकारी जो अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण मांग लिये गये हैं और स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. जी हां। यह सही है, कि राज्य सरकार द्वारा सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बूंदी को वर्ष 1970 में समिति का रिसीवर नियुक्त किया गया है। रिसीवर ने दिनांक 1-5-70 को रिकार्ड का चार्ज अवसायक से लिया। दिनांक 2-5-70 को समिति की भूमि अपने अधिकार में लेने की सूचना जारी की। दिनांक 10-6-70 को समिति की भूमि एक वर्ष के लिये काश्त करने हेतु नीलाम करने की सूचना दिनांक 27-5-70 को जारी की गई किन्तु दिनांक 28-5-70 को रिसीवर द्वारा इस समिति की भूमि एक वर्ष के लिये काश्त करने के लिये नीलाम करने की तारीख 10-6-70 निश्चित कर नोटिस जारी किया परन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 9-6-70 को राज्य सरकार का स्थगन आदेश प्राप्त होने से नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी। दिनांक 30-6-70 को राज्य सरकार द्वारा यह अन्तरिम व्यवस्था की गई थी कि जो सदस्य गत 5 वर्षों से समिति की भूमि पर खेती कर रहे हैं उनसे 5) रुपये प्रति बीघा समिति में जमा करवाया जाकर एक वर्ष के लिये भूमि काश्त हेतु दे दी जाय किन्तु किसी भी व्यक्ति ने यह राशि जमा नहीं करवाई जिसके फलस्वरूप समिति की भूमि पर अनधिकृत काश्त जारी है। समिति में धन के अभाव के कारण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 90, 91 व 183 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर पाये तथा पुलिस विभाग द्वारा भी ट्रेसपास के मुकदमें दर्ज नहीं किये गये जिसके कारण ही समिति की

(उप मंत्री, सहकारिता)
भूमि पर अब तक अनाधिकृत काश्त जारी है और रिसीवर समिति का कार्य समापन हेतु कार्यवाही नहीं कर सके हैं।

5. जी हां।

6. समिति पर पुनःसंस्थान विभाग का 20612–53 ऋण बकाया है। जो सन् 1951 से बकाया है।

7. जी नहीं 189 बीघा 13 बिस्वा सिंचित है।

8. समिति को आवंटित 878 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 68 बीघा 8 बिस्वा भूमि वन विभाग व नहर में आ गई तथा शेष भूमि पर सदस्यों एवं गैर सदस्यों के द्वारा खेती की जा रही है। भूमि पर यह काश्त समिति के अवसायन में आने से पूर्व से ही की जा रही है।

9. जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस सारे मामले का काग्नीजेंस मन्त्री महोदय ने लिया है ?

श्री रामदेव सिंह : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किस अधिकारी को स्थगन आदेश दिये गये थे और किस अधिकारी द्वारा दिये गये थे ?

श्री रामदेव सिंह : सारी कार्यवाही राज्य सरकार की जानकारी में लाकर की गई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या माननीय मन्त्री महोदय ने स्वयं ने दिये थे ?

श्री रामदेव सिंह : यह सारा मामला पूछ कर किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि स्थगन आदेश दिये गये फिर भी मन्त्री महोदय के सामने नहीं लाये गये ?

श्री भैरोंसिंह : किस विभाग द्वारा स्थगन आदेश जारी किये गये हैं ?

श्री रामदेव सिंह : सहकारी विभाग द्वारा दिये गये हैं। हमारी जानकारी में लाकर दिये गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कितने बीघा भूमि पर सदस्य काश्त कर रहे हैं और कितने आसपास के लोग काश्त कर रहे हैं ?

श्री रामदेव सिंह : सदस्य 540 बीघा और दूसरे 270 बीघा पर कर रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस समिति का अवसायन इसलिए किया गया है, क्योंकि वह असफल रही है। क्या यह सही है कि जिस परपज के लिए जमीन दी गई है, वह असफल रही है और राज्य सरकार इसे अपने कब्जे में ले सकती है ?

श्री रामदेवसिंह : 21-1-70 को जिलाधीश, बूंदी को अवसायक ने लिखा था कि यह भूमि राज्य सरकार वापिस संभाल ले। लेकिन नियम नहीं मिल रहे हैं, मामला विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बढ़िया जवाब है। इस सरकार को नमस्कार है। नमस्कार है।

श्री कृष्णकुमार : क्या यह सही है कि तहसीलदार, बूंदी को समय समय पर फसल कुर्क करने के लिए कहा गया है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री रामदेवसिंह : यह सही है कि ऐसा लिखा गया है लेकिन वह कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री दौलतराम सारण : अभव्य ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार अवसायन करने के पश्चात् अब तक कब्जे में नहीं ले पाई है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश द्वारा या तहसील द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो सहकारी विभाग द्वारा मुख्य सचिव को कार्यवाही करने के लिए लिखा है ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने निवेदन किया है कि सारा मामला विचाराधीन है ?

श्री हीराभाई : 51 रु. लगान वाला भी विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह : इनको नियमों का पता तो लगवा दें ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, किसी को चेयरमैन बनाना हो तो आर्डिनेन्स निकालें। राज्य की 900 बीघा भूमि लूटी जा रही है उसका कुछ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया ।

स्थगित प्रश्न
(21-4-71)

बारां-सांगोद सड़क

395. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां-सांगोद मार्ग का कुछ हिस्सा विभाग द्वारा पक्का बनाया गया था ? यदि हां, तो किस वर्ष में और उस पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर आज तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ और बनी हुई सड़क का हिस्सा भी खराब हो गया है ? यदि हां, तो इस पूरी सड़क को कब तक डामर रोड बना दिया जावेगा और इस पर कितना रुपया खर्च होगा और टूटी हुई सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जावेगी।

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। यह सड़क निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवीदत्त गाडिया ; यह दो मील का टुकड़ा पी.डब्लू. डी. द्वारा बनाया गया था। अब उप मन्त्री कहते हैं कि नहीं बनाया गया है, पी. डब्लू. डी. के द्वारा।

श्री खेतसिंह : इस विभाग द्वारा नहीं बनाया गया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस विभाग ने ही दो मील का टुकडा बनाया है। उप मन्त्री महोदय को कोई जानकारी नहीं है, इसलिए निवेदन करूंगा कि इसको पुनः स्थगित कर दिया जाये और बाद में उत्तर दिलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो बहुत ही निराशाजनक है।

श्री खेतसिंह : निराशा जनक नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि पी. डब्लू. डी. विभाग ले ले यह नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : एक तो मन्त्री महोदय को यह बता दें कि पी. डब्लू. डी. डिपार्टमेन्ट नहीं होता है। पी. डब्लू. डी. होता है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या सरकार इस बांरा–सांगोद सड़क की, इसके महत्व को समझते हुये इस विभाग द्वारा मरम्मत कराना उचित समझती है।

श्री खेतसिंह : यह सड़क आपकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन और सड़कों को देखते हुये उसका इतना महत्व नहीं है। इसलिए मरम्मत नहीं कराई गई है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ी सहानुभूति आपके साथ है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मन्त्री महोदय कहते हैं कि इस विभाग की बनाई हुई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इनके बारे में सोचियेगा।

श्री खेतसिंह : आप शान्तिपूर्वक कहें। इतना जोर मत दिखायें, फिर सोचेंगे इस पर!

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

प्रश्न सं. 398

श्री उपाध्यक्ष : बालसिंह सोढा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : 532 का उत्तर दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अभी टाइम है, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो गया है।

श्री श्रवणलाल : 530 प्रश्न है, इसको ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सम्भव नहीं होगा।

श्री श्रवणलाल : यह गांधी शताब्दी के सम्बन्ध में है।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है, नहीं तो मुझे ऐतराज नही होता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि अतारांकित प्रश्न

(श्री भैरोंसिंह)
है, उनके उत्तर लिखित में आ जाने चाहिये लेकिन मेरा एक अतारांकित प्रश्न है, उसको दिये हुए एक महीना हो गया है, वह चार बार स्थगित हुआ है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है....

श्री श्रवणलाल : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं निवेदन करू......

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर जल्दी भिजवा दिये जायं। (श्री श्रवणलाल से) आपका कौनसा प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : 530।

श्री भैरोंसिंह : इसे ले लें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह पक्षपात नहीं चलेगा, हमारा भी लेना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसकी कच्ची कौड़ी है अभी।

श्री उपाध्यक्ष : 530 स्थगित किया गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि स्नातकों को भूमि का आवंटन

502. श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य सरकार ने जिलाधीशों को बेरोजगार कृषि स्नातकों को भूमि आवंटित करने के लिए जो निर्देश दिये थे उनके आधार पर अब तक कितने कृषि स्नातकों को भूमि आवंटित की जा चुकी है व कहां कहां?

(2) सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या आयातित ट्रेक्टरों के आवंटन में कृषि स्नातकों को कुछ प्राथमिकता दी जाती है?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) राजस्थान के राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 75 कृषि स्नातकों को 1172 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर में हरिजनों आदि को आवंटित प्लाट्स

503. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

1. गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा हरिजनों व अन्य शिड्यूल्ड-कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने

(श्री श्रवणलाल)

कितने व्यक्तियों को कितने कितने वर्ग गज के कितने प्लाट किस किस स्कीम में दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

. उपरोक्त प्लाटों पर कितनों को कब्जा दिलाया गया है और कितनों को अब तक कब्जा नहीं दिलाया गया है ?

. उक्त जातियों के व्यक्तियों से भूमि की कीमत किस हिसाब से वसूल की गई है ?

उत्तर

1. गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा भूखण्ड जिन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं में दिए जाने का निर्णय लिया गया उनकी सूची संलग्न है ।

2. तालिका संलग्न है ।

3. तालिका संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

हरिजनों को तंग किये जाने के विरुद्ध शिकायत

504. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि इस लोक सभा के चुनाव में अलवर जिले की बानसूर तहसील के ग्राम गूता और शाहपुरा के हरिजनों द्वारा वोट न देने के कारण अन्य जाति वाले लोगों द्वारा हरैसमेन्ट की शिकायत पुलिस स्टेशन बानसूर में दर्ज कराई गई थी ?

2. यह शिकायतें कब कब और किस किस ने किस किस के खिलाफ दर्ज कराई और इस पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

( ) क्या यह सही है कि ग्राम गूता के [illegible] के [illegible] किये जाने [illegible] बानसूर पुलिस स्टेशन [illegible] और [illegible]रैसमेन्ट को [illegible] ?

क्या यह सही [illegible] कि [illegible]रैसमेन्ट की शिकायत अलवर जिले के उच्च अधिकारियों को भी की गई फिर भी हरिजनों को [illegible] किया जाना अभी तक जारी है ?

(5) सरकार अब इन हरिजनों को तंग किये जाने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । इस प्रकार की दो शिकायतें थाना बानसूर में दि. 22-3-71 को की गई हैं ।

(2) ग्राम शाहपुरा के हरिजन सर्व श्री भगवाना, कालू, सन्नू, मंगल व हरफूल ने दिनांक 22-3-71 को एक शिकायत सर्व श्री भोला, रामनारायण, अर्जुन, रघुवीर साधु, उमराव, बनवारी, हरचन्द, घीसा, मुखराम, डालाराम, हरचन्द सरपंच वहीरान निवासी शाहपुरा के विरुद्ध दर्ज कराई थी तथा दूसरा शिकायत श्रीमती रामप्यारी सा. शाहपुरा ने बलवीर, बन्शी, मुरली, वहीरान साकिन शाहपुरा के विरुद्ध दर्ज कराई थी । हरिजनों द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने 117 (3) जाब्ता फौजदारी का

Page No. 27

(गृह मन्त्री)

इस्तगासा उसी दिन 12 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। श्रीमती रामप्यारी द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा धारा 452 323 भा. द. सं: में उसी दिन कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ की गई, जो जारी है।

(3) जी नहीं।

4. ग्राम शाहपुरा के हरिजनों द्वारा शिकायत किए जाने पर सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट बहरोड़ व एस. एच. ओ. मय फोर्स के तत्काल दिनांक 2-3-7 को घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियन्त्रण में किया। बाद में अलवर से एस. डी. एम. व सी. ओ. बहरोड़ ने भी मौके पर जाकर स्थिति को संभाले रखा।

5. जिला अधिकारियों द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की जा रही है। इस समय स्थिति सामान्य है।

परमवीर चक्र, महावीर चक्र वीर चक्र आदि प्राप्त व्यक्तियों को सुविधाएं

517. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा जिन राजस्थान के व्यक्तियों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी प्राप्त हुए उनके या उनके वारिसों के प्रार्थना-पत्र देने पर क्या क्या सुविधायें, नकद, सिंचित या असिंचित भूमि के रूप में किन किन को किन किन स्थानों में किस प्रकार प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या यह सही है कि श्री प्रतापा, ड्राईवर, उत्तरी रेलवे, जोधपुर डिवीजन निवासी बाड़मेर, श्री चेतनराम भूतपूर्व पी. डब्ल्यू. आई., निवासी ग्राम रबड़ोर, हाल बाड़मेर को अशोक चक्र श्रेणी 2 एवं अशोक चक्र श्रेणी तीन क्रमश: प्राप्त हुए? यदि हां, तो क्या उन्हें नकद एवं भूमि सिंचित असिंचित राज्य सरकार की ओर से प्रदान की गई? अगर नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

(3) क्या राज्य सरकार उन्हें जल्दी से जल्दी नकद एवं भूमि के रूप में सुविधायें प्रदान कर उनके अधिकारों की रक्षा करेगी?

उत्तर

1. राजस्थान राज्य में जिन व्यक्तियों को परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी प्राप्त हुए और उनके या उनके वारिसों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर जो सुविधायें दी गई हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

2. जी हां। राजस्थान सरकार के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत फौजियों के अलावा अन्य को उक्त सुविधायें देने का प्रावधान नहीं होने से श्री प्रतापा ड्राईवर व श्री चेतनराम भूतपूर्व पी. डब्लू. आई. को कोई सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं।

3. राज्य सरकार इस मामले पर छान-बीन कर नियमानुसार कदम उठायेगी।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

मेड़ता–गोठन सड़क पर डामर

508. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता-गोठन सड़क पर पूरा डामर नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि गोठन में चूने के भट्टे होने एवं जोगीमगरा वासलास में पत्थर की खानें होने से पूरी तहसील में पत्थर व चूना इसी रास्ते से ट्रकों द्वारा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि यह सड़क बहुत ही दुर्दशाग्रस्त है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी मार्ग से मेड़ता गोठन मेड़ता-भोपालगढ़, परबतसर-जोधपुर रूट की बसें चलती हैं ?

(5) क्या सरकार इस सड़क को पूर्णतः डामर कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

1. जी हां।

2. जी हां।

3. सड़क के कच्चे हिस्से खराब हैं।

4. जी हां।

5. जी हां। इस सड़क का कार्य ग्रामीण योजना के अन्तर्गत चालू किया जा रहा है।

अलवर जिले के बाढ़ग्रस्त लोगों को बीज का वितरण और उसकी वसूली

511. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में बाढ़ग्रस्त लोगों को गत वर्ष चने का बीज सरकार की ओर से बांटा गया था ? यदि हां, तो जिले में कुल कितना बीज किस माह में बांटा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि बीज के चने का भाव बाजार में उस समय आम तौर पर 96.00 प्रति क्विंटल था ? कृपया उस महीने के चने के भावों के अलवर, खैरथल और खेड़ली मंडियों के मारकेट रेट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इन बाढ़ग्रस्त लोगों से चने के बीज का भाव 120.00 रुपया प्रति क्विन्टल वसूल किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि इसमें उधार दिये गये बीज पर ब्याज और अतिरिक्त लगाया जा रहा है .

(4) राज्य सरकार द्वारा किसानों को इतने ऊंचे रेट पर बीज देने का क्या कारण है ?

(5) क्या यह भी सही है कि बीज के वितरण के समय भाव के बारे में जिला कम्यूनिस्ट पार्टी और जिला किसान सभा, अलवर द्वारा ऐतराज उठाया गया था जिस पर सरकार की ओर से भावों में कमी करने का आश्वासन दिया था ?

(कृषि मन्त्री)

उत्तर

1. जी हाँ। वर्ष 69-70 के अक्टूबर व नवम्बर माह में कुल चने का बीज अलवर जिले में 1959। क्वि. 22 किलो 500 ग्राम वितरित किया गया था।

2. जी नहीं। अलवर, खैरथल और खेडली मण्डियों में मारकेट रेट की तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

3. जी हां।

4. ऊंचे रेट पर बीज देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

5. जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजनैतिक पीड़ितों को भूमि का आवंटन

513. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजनैतिक पीड़ितों की सहायता सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि, भाखडा, चम्बल एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित की गई है? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन व्यक्तियों को राजनैतिक पीड़ित मानने के आधार क्या थे? शारीरिक एवं आर्थिक हानि का उल्लेख करते हुए तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजनैतिक पीड़ितों के सहायता संबंधी नियमों के अन्तर्गत जिन जिन को भाखरा, चम्बल एवं राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. वर्षों तक राजनैतिक आन्दोलनों में लगातार भाग लिया, जेल गये तथा आर्थिक अथवा शारीरिक हानियां उठाई। हानि का उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में वर्णित सूची में कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति आमेर क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि

514. श्री मोतीलाल (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. पंचायत समिति, आमेर क्षेत्र अनुसूचित जातियों को कितनी जमीन कहाँ कहां अलाट की गई है?

2. ग्राम पंचायत रामपुरा, डाबडी क्षेत्र में भट्टों की गली खसरा नम्बर 626, 627, 628 में 122 बीघा जमीन थी? यदि हां, तो वह जमीन किसी को अलाट की गई?

3. क्या उक्त जमीन को अलाटमेंट हेतु राजस्व मन्त्री ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र पर दिनांक 6-9-67 को रजिस्टर नम्बर 1853 के द्वारा कलेक्टर जयपुर को व कलेक्टर जयपुर ने दिनांक 8-9-67 को रजिस्टर नम्बर 12324 के द्वारा तहसील आमेर को भेजा गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

Page No. 30

(श्री मोतीलाल)

4. क्या इसके बाद प्रार्थियों को अलाटमेंट हेतु उप राजस्व मंत्री ने दिनांक 5-12-67 को टी. 9(1)डी. आर. एम., पत्र को कलेक्टर जयपुर के द्वारा तहसील आमेर में भेजा था ? यदि हां, तो उक्त जमीन को उनको अलाट क्यों नहीं की गई और अब कब तक कर दी जावेगी ?

5. क्या मूनबाडी ग्राम पंचायत जयरामपुरा के कालबेलियों ने भी उसी रोज खसरा नम्बर 99 व 100 में से 27) बीघा जमीन को अलाटमेंट हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां तो वह जमीन उनको अलाट क्यों नहीं की गई और अब कब तक अलाट कर दी जावेगी ?

उत्तर

1. पंचायत समिति क्षेत्र आमेर में अनुसूचित जातियों को आवंटित हुई भूमि की सूची परिशिष्ट क/1 व क/2 नाम, ग्राम, तादाद व्यक्ति और रकबा का उल्लेख करते हुए संलग्न है।

2. ग्राम पंचायत रामपुरा डाबडी क्षेत्र में ग्राम भट्टों की गली स्थित भूमि खसरा नं. 6.6 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व 627 रकबा 69 बीघा 11 बिस्वा खातेदारों का है जिसको आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं होता है। खं. नं. 628 रकबा 47 बीघा 8 बिसवा की भूमि सिवाय चक थी जिसमें से 15 बीघा भूमि श्रीमती चन्द्रकला, पत्नी, श्री नारायण को और 15 बीघा रामकुमार वर्मा को आवंटित हुई है। और शेष भूमि 17 बीघा 8 बिस्वा पर अतिक्रमण है।

3. जी नहीं। एक प्रार्थना-पत्र श्री रामपाल को बाबत अलाटमेंट आफ लैण्ड सहायक सचिव सहायता विभाग राजस्थान जयपुर के कार्यालय से क्रमांक 1859 दिनांक 6-9 67 से जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुआ जो कि दि. 8- -67 को पत्र प्राप्ति पंजिका क्रमांक 1 324 पर दर्ज किया गया, जिस पर उसे तहसीलदार आमेर को प्रेषित किये जाने बाबत लेख कर प्रार्थी श्री रामपाल को दस्ती दिया गया था। ये प्रार्थना-पत्र तहसील आमेर में उपलब्ध नहीं होना सूचित किया गया है।

4. जी नहीं। उप राजस्व मंत्री महोदय का पत्र डी. 11 डी. आर. एम. दिनांक 5-12-67 न तो जिलाधीश कार्यालय में और न तहसील आमेर के कार्यालय उपलब्ध होना पाया जाता है।

5. ग्राम मोहनबाड़ी ग्राम पंचायत जयरामपुरा स्थित भूमि खसरा नं. 99 व 100 अनुसूचित जाति से व्यक्तियों को आवंटन की गई थी, जिसके अपील होने पर ये भूमि पानी के भराव की व काश्त के अयोग्य होने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से काश्तकारों द्वारा ले जाये जाने हेतु छोड़ दिया गया है। अतः कालबेलियों की दरख्वास्त पर भूमि आवंटन करने की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

चन्दगार तथा पुरानी हाईकोर्ट की इमारतों की घड़ियां

श्री दुर्गालाल बाकदार (हवामहल, जयपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

1. जयपुर नगर में यादगार की इमारत तथा पुरानी हाई कोर्ट की इमारत के ऊपर जो क्लाक लगे हुए हैं वे कब से बन्द पड़े हुए है ?

2. क्या राज्य सरकार, सार्वजनिक हित को ध्यान मे रखते हुए उन्हें चालू कराने का इरादा रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

पोकरण तहसील के जागीरदारों से भू-राजस्व की वसूली

3?8. श्री बालसिंह रोढ़ा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि जिन जागीरदारों ने जागीर मुग्रावजा नहीं लिया है उनसे भू-राजस्व वसूली 15 वर्ष तक नहीं की जावेगी ? अगर हां, तो पोकरण तहसील के कुछ जागीरी गावों से भूराजस्व वसूलो क्यों की जा रही है जब कि उन्होंने स्पष्ट प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं कि उनका जागीर मुग्रावजा भू-राजस्व में एडजस्ट कर दिया जावे ?

2. इस प्रकार के कितने जागीरदार हैं ? गांव वार सूची सदन को मेज पर रखें और भविष्य में कब तक यह एडजस्टमेन्ट कर दिया जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां । जिन जागीरदारों ने जागीर मुग्रावजा नहो लिया है उनसे भू-राजस्व की वसूली गणना के अनुसार जितने साल होते हैं उतने सालों तक नहीं की जावेगी ।

किन्तु पोकरण तहसील के जागीरदारों के जो फाईनल एडजस्टमेन्ट के प्राप्त हुए थे उनके एडजस्टमेन्ट कर दिये गये हैं । केवल सांकडा व राजगढ़ के जागीरदारों का फाईनल अवार्ड अशुद्ध जारी करने से एडजस्टमेन्ट गलत हो गये थे । अतः वे पुनः शुद्ध भाव पर जारी करने हैं ।

2. 150 जागीरदार हैं । गांववार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इनके एडजस्टमेन्ट संबन्धी आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर दी जावेगी ।

अतारांकित प्रश्नोतर

अधिकारियों के तबादले

505. श्री बालसिंह रोढ़ा (जैसलमेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार तीन वर्ष से अधिक एक जगह अधिकारीगणों को नहीं रखा जावेगा? अगर हां, तो यह निर्णय किस किस विभाग ने अमल में लाना पारम्भ कर दिया है ?

2. क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग राजस्थान नहर व विकास विभाग ने आज तक इसको लागू नहीं किया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

3. कितने विकास अधिकारी तीन वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर हैं ? भविष्य में य आदेश कब तक लागू कर दिया जावेगा ?

Page No. 32

(मुख्य मन्त्री)

उत्तर

1. जी हां। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा केवल निम्नलिखित विभागों के सम्बन्ध में ही लिया गया है :-

1. राजस्व विभाग,
2. पुलिस विभाग,
3. वाणिज्य एवं आबकारी विभाग,
4. सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग,
5. वन विभाग,
6. विकास विभाग।

2. राजस्थान नहर पर निर्णय लागू नहीं होता एवं सिंचाई व विकास विभाग निर्माण का पालन कर रहे हैं।

3. निर्णयानुसार 24 विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जा चुके हैं तथा शेष 2 विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण के मामले विचाराधीन हैं।

राज्य में डकैत द्वारा की गई वारदातें

506. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान बनने से लेकर 31 दिसम्बर 1970 तक कुल कितने डाकू पुलिस द्वारा जिन्दे पकड़े गये तथा कितने मुकाबले में मारे गये ?

(2) उन डाकुओं के क्षेत्र कौन कौन से जिले थे ?

(3) डाकुओं का मुकाबला करते हुए पुलिस के किस किस पद के कुल कितने अधिकारी मारे गये ?

(4) कुल कितने डाके पड़े उनमें अनुमानतः कितनी कीमत का सामान गया उस सामान में से कितना सामान पकड़ा गया?

(5) पकडा गया सामान वारिसों को वापिस दिया गया या नीलाम कर दिया गया ?

(6) डाकुओं द्वारा कुल कितने मनुष्य तथा बच्चे उठाये गये ? उनमें से कितने वापिस आये और कितनों को डाकुओं द्वारा मार दिया गया ?

(7) ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

1. राजस्थान बनने से लेकर 31 दिसम्बर 1970 तक कुल 1871 डाकू पुलिस द्वारा जिन्दा पकड़े गये 197 मुकाबले में मारे गये हैं।

2. अजमेर जिले को छोड़कर उक्त डाकुओं द्वारा राजस्थान के हर जिले में डाके डाले गये है।

3. डाकुओं का मुकाबला करते हुए पुलिस के 1 एस. पी., 1 डी. एस. पी., 4 सी. आई. 7 इन्सपेक्टर, 11 हैड कानिस्टेबिल और 20 कानिस्टेबिल मारे गये हैं।

4. कुल 945 डाके पड़े हैं इनमें अनुमानतः रु. 7370406-71 का माल गया है और जिनमें से रु. 185036-81 का माल बरामद किया।

Page No. 33

5. पकड़े गये माल में से वारिसों को रु० 1299639.83 का माल वापस किया है बकाया माल का फैसला न्यायालयों के आदेशानुसार किया जायेगा।

6. डाकुओं द्वारा 222 मनुष्य और 11 बच्चे उठाये गये जिनमें से मनुष्य 213 और बच्चे 11 वापिस जिन्दे आ चुके हैं। 9 मनुष्य डाकूओं द्वारा मारे गये हैं।

(7) इतनी लम्बी सूची अल्प समय में देना संभव नहीं है।

डकैती, अपहरण, हत्याएं एवं आत्म हत्याओं के मामले

507. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) सन् 1954 से लेकर सन् 1969 तक के वर्षों में राज्य में अब तक कितनी डकैतियां, अपहरण, हत्याएं एवं आत्म-हत्यायें हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस दौरान कितने डाकू दलों का सफाया किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस दौरान कितने नये डाकू दल बने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अधिकारी, कोटा एवं पुलिस स्टेशन अधिकारी, गुमानपुरा के विरुद्ध शिकायतें

508. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रमेश चन्द्र शृंगी निवासी कोटा आदि व्यक्तियों ने कोटा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अधिकारी एवं गुमानपुरा पुलिस स्टेशन अधिकारी के विरुद्ध फरवरी, 70 में लिखित शिकायती रिपोर्ट श्री सचिव, गृह विभाग के नाम से दी है ?

(2) यदि हां, तो रिपोर्ट में किस किस अधिकारी के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं, और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1. जी हां। ऐसा एक परिवाद राज्य सरकार को 28-1-71 को प्राप्त हुआ था।

2. इस परिवाद में श्री महावीरसिंह उप अधीक्षक आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक, कोटा उप केन्द्र के विरुद्ध सरकारी जमीन में बिना स्वीकृति के सेपटिक टैंक का निर्माण करने बाबत आरोप लगाये। इसी परिवाद में बृजलाल मदावा निरीक्षक एवं श्री गुरुबचनसिंह उपनिरीक्षक थाना गुमानपुरा के विरुद्ध उपरोक्त कार्यवाही रोकने बाबत निषेध आज्ञा जो जिलाधीश कोटा ने जारी की थी उसकी पालन नहीं करने तथा गिरफ्तारी के आरोप लगाये गये। राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त परिवाद की जांच सी.आई.डी. के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई गई जिससे इन अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की सीमा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मामले

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बाड़मेर व जैसलमेर जिलों की सीमा से पाकिस्तान से कुछ आदमियों के प्रवेश हुए हैं और क्या यह भी सही है कि उनके विरुद्ध मुकद्में भी दर्ज हुए हैं ? अगर हां, तो 1965 से आज तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए हैं और किस कानून की किस धारा के अधीन ? पुलिस थानेदार का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

1. जी हां,

2. जी हां।

3. कुल 392 मुकदमें विदेशीय अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दर्ज हुए हैं। मुकदमों का 1965 से 1971 तक का पुलिस थानेवार ब्यौरा संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

खिदमतगारों को खातेदारी अधिकार दे कर लगान की वसूली

श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. गंगानगर जिले के बारानी क्षेत्र की कौन कौन सी तहसीलों के कितने गांवों के कुल कितने खिदमतगारों को यानी नाई कोतवाल और बेगारी वगैरह को उनकी कब्जा काश्त भूमियों पर लगान लेना शुरू कर दिया है और उनसे बेगार लेना बन्द कर दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

2. यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

3. क्या इस संबंध में सरकार ने कोई आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो कब जारी किया गया था ?

4. आदेश की प्रति (हिन्दी में) सदन की मेज पर रखी जावे।

5. क्या यह सही है कि खिदमतगारों से अब भी बेगार ली जा रही है ?

उत्तर

1. जिला गंगानगर के नाम-प्रोजेक्ट (बारानी) क्षेत्र की तीन तहसीलें हैं। नोहर, भादरा सूरतगढ। इन तहसीलों में निम्न प्रकार माफीदार हैं। नोहर 11 व. भादरा 327 तहसील सूरतगढ़ के बारानी क्षेत्र में कोई माफीदार मंजूरशुदा नहीं है उनमें से नोहर तहसील के 71 व भादरा के 113 माफीदार को उनकी कब्जा शुदा काश्त की भूमि के खातेदारी हकूक दिये जा चुके हैं। तथा लगान लेना शुरू कर दिया है। शेष माफीदारों की पत्रावलियां विचाराधीन है इनसे कब कोई बेगार नहीं ली जा रही है।

2. उत्तर नं. 1 के अनुसार।

3. जी हां, दिनांक 30-4-69 को।

4. प्रति संलग्न है।

5. जी नहीं।

(कृपया-परिशिष्ट 10 देखिये)

ग्राम रोणी बाजार में गांधी शताब्दी वर्ष में आवंटित भूमि

श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गंगा सहाय)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रोणी-आजार, जिला अलवर, के अनुसूचित जाति (कोलियों) के 24 परिवारों को 11 बीघा कृषि भूमि प्रति परिवार के हिसाब से गांधी शताब्दी वर्ष में आवंटित की गई थी ?

(2) क्या उक्त सभी परिवारों को आवंटित की गई कृषि भूमि पर दखल दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) उक्त समस्त परिवारों को अब प्लाट नं. 5 में दखल दिया जा रहा है। अब तक दखल न देने का कारण वन विभाग से 130 बीघा भूमि पर अभी तक राजस्व विभाग को दखल नहीं दिया जाना है। इस क्षेत्र का आवंटन आदेश पहिले ही जारी हो चुका है। कुछ क्षेत्र पंचायत समिति फार्म से लेना था जिसका दखल भी तहसील को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में संघ के पास वाले ग्रामी को क्रमश: दखल दिलाया जा रहा और कुछ ग्राम बाकी रह गये हैं।

पटवार सर्किल के सेणे

श्री केसरी सिंह हाडा [हिन्डोली] क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. क्या यह सही है कि भूतपूर्व बून्दी राज्य के समय में एक पटवार सर्किल के लिये एक सेणा दिया जाता था ? तथा अब दो या तीन पटवार हलकों के लिये चार चार सेणे होते है ?

2. क्या यह सत्य है कि हर तहसीलदार और एस0डी0ओ0 अपने गृह कार्य के लिए चार चार सेणे रखते हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार करना उचित है ?

उत्तर

1. भूतपूर्व बून्दी राज्य में पटवार सर्किल के लिए एक एक सेणा दिया जाता था लेकिन अब सेणों के पद पर नहीं रहे।

1. जी नहीं। अत: औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

गांधी शताब्दी वर्ष में तहसील किशनगंज व शाहबाद में भूमि का आवंटन

513. श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. गांधी शताब्दी वर्ष 70-71 में और उसके बाद शाहवाद पंचायत समिति की तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के किस किस ग्राम में किस किस जाति के किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि किस किस तारीख को आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर मय हल के रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि आवंटित की गई भूमि पर कई व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

तहसील नोहर के काश्तकारों पर तावान

514, श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1967 से 1970 तक तहसील नोहर में काश्तकारों पर भारी मात्रा में तावान लगा है ? यदि हां, तो यह तावान कब से कायम हुआ और किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि तावान कायम करने की सूचना समय पर काश्तकारों को नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं, तो जो नोटिस दिये गये हैं उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि गलत तरीके से कायम किया गया तावान जबरन वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इस वर्ष कुल कितना तावान वसूल हुआ ?

उत्तर

(1) 1967 से 1970 तक तहसील नोहर में कुल 2,05,229) रु0 24 पैसे तावान कायम किया गया तावान रकबा राज पर अतिक्रमण के अपराध में लगाया गया।

(2) तावान कायम करने की सूचना संबंधित व्यक्ति को वर वक्त फैसला मिसल दे दी जाती है।

(3) गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति पर तावान कायम नहीं किया जाता। वसूली कार्य नियमानुसार किया जाता है। इस वर्ष 16.019) रु0 51 पैसे तावान वसूल हुआ।

तहसीलों में बढ़ा कार्य

515. श्री गंगासहाय (बहूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलों में कार्यगत 10 वर्ष में पहले से कई गुना अधिक बढ़ गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कार्य के अधिक बढ़ जाने के कारण तहसीलदार तथा तहसील के कर्मचारी समय पर केसों को निपटाने मे असमर्थ हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अधिकतर तहसीलों में।

(2) राज्य सरकार ने आवश्यतानुसार कई स्थानों पर अतिरिक्त तहसीलदारों। नायब तहसीलदारों एवं स्टाफ के पद समय समय पर इसी हेतु स्वीकृत किये है। चूंकि अब उप खण्ड अधिकारियों को भूमि आवंटन के अधिकार दे दिये गये हैं, अतः तहसीलदारों के पास कार्यक्रम हो जावेगा और वे उनके पास जो कार्य है उसे समय निपटाने में समर्थ होंगे।

खेडली मण्डी में औद्योगिक बस्ती

516. श्री गंगासहाय (बहूमर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा कपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खेड़ली मण्डी में सरकार औद्योगिक बस्ती बनाने का विचार रखती हैं ?

Page No. 37

(श्री गंगासहाय)

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में राज्य के उच्चाधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक लिया जाकर औद्योगिक बस्ती का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

हाडेचा क्षेत्रीय नल योजना

517. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष अकाल में हाडेचा क्षेत्रीय नल योजना पाइप खुदाई करके लगाने का कार्य वित्त विभाग द्वारा पर्याप्त रकम की मन्जूरी नहीं होने से अब तक शुरू नहीं किया गया ? अगर हां, तो इसकी मन्जूरी कब तक दी जावेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि वित्त मंत्री जी ने सांचौर के मौके पर तारीख 5-1-1970 को आश्वासन दिया था कि इस योजना के लिए पर्याप्त धन की मन्जूरी शीघ्र कर दी जायेगी ताकि इस योजना का कार्य अकाल राहत कार्य के रूप में शुरू कर दिया जाये ? अगर हां, पर्याप्त धन राशि की मन्जूरी दी जाकर कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

(3) क्या सरकार इसी वर्ष क्षेत्रीय योजना में सम्मिलित ग्रामों में पानी सप्लाई शुरू कर देगी ताकि ट्रकों द्वारा पीने के पानी का खर्चा बच सके ?

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त योजना संशोधित की गई है ? अगर हां, तो किस प्रकार ? संशोधित योजना के अनुसार सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

(5) क्या यह सत्य है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम बीछावाड़ी में नल योजना ले जाना जरूरी था और शुरू की योजना में ग्राम बीछावाड़ी का नाम था ? अगर हां, तो इस गांव में नल योजना का कार्य क्यों नहीं किया गया ? इसमें किस की गलती रही है ? अब इस ग्राम योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

(6) क्या यह सत्य है कि नल योजना का कार्य बावरलाढाणी, बीछावाड़ी वनाकी ढाणी काछेला कोलियों की ढाणी, गलीछा रामदेवजी का मन्दिर एवं सखाना आदि स्थानों पर भी होगा ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, गत अकाल में हाडेचा क्षेत्रिय योजना का कार्य स्वीकृत किया जा चुका था।

(2) इसके बारे में विभाग को कोई जानकारी नहीं है योजना मंजूर की जाकर कार्य हाथ में लिया जा चुका तथा कार्य निर्माणाधीन हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां, योजना की स्वीकृति होने पर।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(5) जी हां, शुरू की योजना में गांव बिछावाड़ी का नाम था किन्तु इस योजना पर स्वीकृत रकम 12 लाख से अधिक खर्च हो जाने की वजह से ये कार्य पूर्व नहीं किया गया व इसकी पूर्ति संशोधित योजना स्वीकृत होने पर ही की जावेगी।

(6) गांव सरबना बावला की ढाणी कोछला इत्यादि ग्रामों के लिये एक अलग से योजना तैयार की गई है जो विचाराधीन है योजना की स्वीकृति के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

पंचायत समिति, लाडनूं की जल प्रदाय योजनाएं

518. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के क्षेत्र में जलप्रदाय योजनाएं बनाने के लिये किन्हीं गांवों का सर्वे किया गया है? यदि हां, तो किन किन का कब और क्या क्या नतीजे सामने आये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सर्वे करने के उपरान्त किन्हीं गांवों के लिये योजनाएं बनाई गई ? यदि हां, तो किन किन के लिये कब कब और क्या क्या योजनाएं हैं और उन पर कितने कितने रुपये खर्च होंगे?

(3) उक्त योजनाओं में से किन किन योजनाओं को मन्जूर किया गया है और कब और उनका कार्य कब शुरू होगा और कितने कितने समय बाद कार्य पूर्ण होगा?

(4) उक्त क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और किन किन पर कार्य शुरू है तथा कौन कौन सी योजनायें मन्जूर हो गई पर कार्य शुरू नहीं हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) सर्वे की गई योजनाओं को किस प्रकार से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कर कार्य शुरू करेंगे?

उत्तर

1. जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. सूची संलग्न है।

3. किसी को भी नहीं। अभी योजनाऐं बनाई जाकर तकनीकी दृष्टि कोण से जांच की जा रही है अभी कार्य शुरू करने पर प्रश्न ही नहीं उठता।

4. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

5. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

पाली जिले में सर्वे

519. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या कृषि (भू-जल मण्डल) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या वर्ष 1970-71 में या उससे

Page No. 39

(श्री पृथ्वी सिंह चौहान)
पहले कभी पाली जिले में (under ground water) होने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु कोई तकनीकी सर्वेक्षण करवाया गया ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

2. क्या यह सही है कि वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हुआ है कि पाली जिले में (underground water) का अपार भण्डार है ? यदि हां, तो इस पानी का उपयोग करने की राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

1. जी हां, भू-जल मण्डल द्वारा पाली जिले में भू-जल सर्वेक्षण कराया जा चुका है तथा सम्पूर्ण जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

2. सर्वेक्षण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि जैतारण, सोजत एवं सुमेरपुर पंचायत समितियों के कुछ भाग में भू-जल मिलने की अच्छी संभावना है। पंचायत समिति, जैतारण के लिए कृषि विभाग द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर लघु सिंचाई योजना बना दी गई है तथा सुमेरपुर पंचायत समिति के लिए यह योजना बनाई जा रही है।

ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली की सहकारी समिति को भूमि का आवंटन

520. श्री केसरीसिंह हाडा (हिण्डोली) क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

1. क्या यह सत्य है कि ग्राम ठीकरदा तहसील हिण्डोली में 13 व्यक्तियों की सहकारी समिति गठित की गई ? यदि हां, तो कब और उसके कौन कौन किस किस ग्राम के सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

2. क्या उक्त सहकारी समिति को 9 किता (9 टुकड़े) जमीन, कुल रकबा 200 बीघा का आवन्टन 1969 में किया गया था ?

3. क्या उक्त आवन्टन नियमानुसार किया गया था और क्या यह आवन्टन अनियमित होने के कारण खारिज कर दिया गया है ?

4. क्या यह भी सत्य है कि अब किसी बड़े नेता व अधिकारी के दबाव में आकर अनियमित ढंग से उक्त भूमि उपरोक्त 13 व्यक्तियों के ही खाते बान्ध दी गई है ?

उत्तर

1. जी नहीं। अतः सूची रखने का प्रश्न नहीं उठता।

2. सर्वश्री होशमराम, सेवाराम, खानचन्द, रूपचन्द, दीपचन्द, ताऊमल, झामनदास, सेवकराम, उधोदास, पमनदास, जेठानन्द, तुलसीदास और कुन्दनमल को कुल 201 बीघा 4 विस्वा इस शर्त पर आवंटित हुई कि वे एक सहकारी समिति का गठन कर उसे रजिस्टर करावेंगे। आवंटन 1959 में हुआ न कि 1969 में।

3. जी नहीं। आवंटन खारिज कर दिया गया है।

4. जी नहीं।

वल्लभबाड़ी स्कीम में सेप्टिक टैंक का अवैध निर्माण कार्य

521. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

1. क्या यह सही है कि श्री रमेशचन्द्र शृंगी, कोटा ने चम्बल मण्डी कमेटी के अध्यक्ष को लिखित में दिनांक 24-1-70 को यह शिकायत की थी कि कोटा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अधिकारी गुमानपुरा वार्ड में बल्लभ बाड़ी स्कीम में प्लाट नं. 22 के पास सरकारी गली में बिना इजाजत सेप्टिक टैंक के निर्माण का कार्य कर रहा है ?

2. क्या यह सही है कि इस पर जिलाधीश, कोटा ने स्टे आर्डर जारी किया था तथा उसकी पालनार्थ स्टे आर्डर गुमानपुरा, थाने में भेजा था ?

3. क्या यह सही है कि प्रार्थी ने स्टे आर्डर की पालना नहीं होने के सम्बन्ध में दि. 26 व 27 जनवरी, 70 को चम्बल मण्डी कमेटी कोटा के अधिकारी व जिलाधीश को तार द्वारा सूचना दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) दिनांक 27-1-70 को तार प्राप्त हुए थे परन्तु सेपटिक टेंक का निर्माण पुलिस स्टेशन गुमानपुरा की रिपोर्ट दिनांक 25-1-70 के अनुसार पूर्ण हो चुकी थी जिस पर कार्यवाही अन्ततोगत्वा इस निर्माण को बिना इजाजत निर्माण के बारे में पेनल्टी भी जाकर निर्माण को नियमित करने के आदेश हुए हैं। चंबल मंडी कमेटी कोटा का कार्य अब नगर न्यास कोटा को स्थानांतरित हो चुका और अग्रिम कार्यवाही नगर विकास न्यास ही करेगा।

टोंक जिले की सडकों के लिए स्वीकृत राशि

252. श्री केसरीसिंह ?ाडा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

1 क्या यह सत्य हैं कि जिला टोंक की सड़कों के समुचित सुधार एवं मरम्मत तथा कुछ स्थानों पर नई सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1970-71 के बजट में लगभग 13.50 लाख रु. स्वीकृत किये ?

2 क्या यह सत्य है कि उपरोक्त राशि में से 8 लाख 25 हजार नई सड़कों के निर्माण कार्य के लिए निर्धारित किए गये हैं ? यदि हां, तो इस योजना में से कितनी लम्बी सड़कें बनने का अनुमान है ?

3 क्या यह सत्य है कि जिला बून्दी में अब तक कोई नई सड़क नहीं बनाई गई ?

4 सड़कों की वार्षिक मरम्मत हेतु जिला बून्दी के लिए कितनी रकम गत पांच वर्षों में स्वीकार की गई और इसमें गेंग की तनख्वाह देने के बाद कितनी रकम शेष रहती है ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(श्री केसरीसिंह)

(5) क्या यह सत्य है कि मरम्मत के लिए पर्याप्त रकम नहीं मिलने के कारण जिला बून्दी की समस्त डामर की सड़कों व पक्की सड़कों के अब प्राय: अवशेष मात्र रह गये हैं ?

उत्तर

(1) 12,65,000 रुपये स्वीकृत किया गया था।

(2) 4,65,000 नवीन सड़क निर्माण हेतु निर्धारित थे। 6 कि. मी. मैटल्ड तथा 28 कि. मी. में डामर हो सकने का अनुमान है।

(3) नवीन सड़क निर्माण कराई गई है।

(4) बून्दी जिले के वास्ते अलग से कोई रकम मंजूर नहीं की है कोटा खण्ड के लिए निर्धारित धनराशि की सूची संलग्न है।

(5) बून्दी जिले में आने वाली सड़कों की मरम्मत की जाती है और सड़कों पर यातायात सुविधाजनक चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिए)

लक्ष्मणगढ़ खुडियाना सड़क

523. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मणगढ़ कठूमर रोड में ग्राम खुडियाना को जोड़ने के लिए मैटल्ड रोड बनाई गई थी ? यदि हां, तो यह सड़क कब बनाई गई थी ?

(2) क्या इस सड़क की हालत आज बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे री मेटलिंग कराकर तारकोल बिछाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

चन्द्रभागा नदी पर पुलिया की मरम्मत

524. श्री रामप्रसाद मोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि कोटा-भोपाल रोड पर झालरापाटन के पास चन्द्रभागा नदी की रपट पुलिया गत बरसात में टूट गई है और तब से आज तक उसकी मरम्मत नहीं की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी पुलिया पर होकर ट्रकें बसें, रेलगाड़ियां आदि आती जाती हैं और ट्रैफिक काफी रहता है तथा पुलिया के पत्थर बह जाने के कारण खड़े हो गये, जिससे बैलगाड़ियां जीपें आदि वाहन फंस जाते हैं ?

(3) इसकी मरम्मत शीघ्र और कब होगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मरम्मत कराई गई है।

(2) खरंजे के कुछ पत्थर बैठ जाने से ट्रैफिक को थोड़ी कठिनाई होती है, वाहनों

Page No. 42

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

के फंसने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) साधारण मरम्मत की गई है, उपलब्ध धनराशि अनुसार खरंजा इस वर्ष थोड़ा ठीक करा दिया जावेगा।

अन्ता मांगरोल सड़क

525. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अन्ता से मांगरोल सड़क का कितना हिस्सा ग्रेवल रोड है और कितना हिस्सा कच्चा है और इस सड़क को डामर रोड़ कब तक बनादी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इस सडक पर अभी तक मरम्मत का कार्य कभी नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम लहसर के निवासियों द्वारा प्रार्थना-पत्र

526. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कामां-पहाड़ी सड़क पर स्थित लहसर ग्रामवासियों ने मंत्री महोदय को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रार्थना-पत्र में यह मांग की थी कि वर्षा काल का समस्त पानी सड़क की रोक से आबादी में भरने से जनता को बड़ी तकलीफ रहती है और उसके निकास के लिये सड़क के नीचे से दो छोटी छोटी मोरी निकाल दी जावें ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने ग्रामवासियों की इस प्रार्थना पर विचार किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक कार्य शुरू नहीं किया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामवासियों की इस असुविधा को दूर करने के लिये वर्षाकाल से पहले इसकी व्यवस्था कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक कार्य होगा ?

उत्तर

(1) याद नहीं पड़ता।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) अभी कोई योजना नहीं है।

सहकारी भूमि विकास बैंक झालावाड

528. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तारीख 7-?-70 को झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक में निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालक मंडल का कोरम पूरा न होते हुए भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की उपस्थिति में गोलियें निकाल कर रिक्त स्थानों की चुनाव की तारीख निश्चित कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) गोलियें डालने की कार्यवाही किस नियम के अन्तर्गत की गई ? नियम का कोई प्रस्ताव जो बैंक की सभा द्वारा पास किया गया हो तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) तारीख 18-3-70 को चुनाव की निश्चित तारीख पर ग्राम सभा हुई जिसमें क्या यह तय किया गया कि रिक्त स्थानों के लिये गोली निकालने की कार्यवाही वैध या अवैध थी और क्या मीटिंग चुनाव की तारीख पर बुलाना निरर्थक था ? सभा बुलाने का कितना खर्चा बैंक को वहन करना पड़ा और यह खर्चा किससे वसूल किया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि गोलियें निकालने का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित नहीं किया गया बल्कि पीछे से यह बढ़ा दिया गया था ? यदि हां, तो किसने बढ़ाया और अगली मीटिंग में इस प्रस्ताव की पुष्टि हुई या नहीं ?

(5) तारीख 18-3-70 की सभा की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट कीजिये।

उत्तर

(1) जी हां। तारीख 7-3-70 को झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक में निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालक मण्डल का कोरम पूरा न होते हुए भी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की उपस्थिति में गोलियां निकाल कर रिक्त स्थानों की चुनाव तारीख निश्चित करदी गई थी। क्योंकि निर्वाचन अधिकारी को सहायक रजिस्ट्रार स. स. द्वारा ऐसे आदेश थे। किन्तु इस कार्यवाही की निगरानी रजिस्ट्रार को दी गई व उस पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्णय देकर इस कार्यवाही को निरस्त करार दिया गया।

(2) गोलियां निकालने की कार्यवाही बैंक उपनियम संख्या 23 (1) के अन्तर्गत की गई थी।

(3) सदस्यों को रिटायर करने हेतु बैंक की सभा द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है!

(4) तारीख 18-3-70 को चुनाव की निश्चित तारीख पर ग्राम सभा हुई जिसमें रिक्त स्थान के लिये गोलियां निकालने के वैधता या अवैधता पर कोई तय नही हुआ। मिटिंग बैंक द्वारा बुलाई गई उसी तारीख को चुनाव की कार्यवाही भी चुनाव अधिकारी द्वारा रखी गई। ग्राम सभा बुलाने का बैंक का 1493 रु. 5 पैसे का खर्चा की वसूली बाबत ग्राम सभा में चर्चा हुई और बैंक के अध्यक्ष को अधिकार दिया कि वे स्वयं जिम्मेदार अधिकारी से चुनाव के सम्बन्ध में खर्चे की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(5) ग्राम सभा कि बैठक में गोलियां निकालने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और ना ही बाद में किसी द्वारा बढ़ाया गया अतः आगामी बैठक में पुष्टि होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) दिनांक 18-3-70 की सभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

दौसा-सिंहवाड़ा सड़क

527. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि दौसा कस्बे से

Page No. 44

(श्री किशन लाल वर्मा)
गुप्तेश्वर जी होती हुई सिगवाड़ा तक कच्ची सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या इस सड़क को पक्का बनाने का सरकार कोई इरादा रखती है यदि हां, तो इस सड़क को पक्का कब बनाया जावेगा ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. अर्थाभाव के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर द्वारा पम्पिग सैट्स के लिये दी गई राशि

529. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर से ऋण लेकर काश्तकारों के नाम छ: पम्पिग सैट्स की रकम उठाई गई थी ? अगर हां, तो कब व कितनी रकम किस किस नाम से किसने उठाई थी ? किस फर्म के नाम से किस पम्पिग सैट के नाम से रकम उठाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जब केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर से रकम उठाई गई थी उस वक्त जिस फर्म के नाम से रकम उठाई गई थी उस फर्म में पम्पिग सैट्स नहीं थे। अगर हां, तो पम्पिग सेट्स फर्म में कब आये थे एवं उन्हें खरीदने के लिये रकम कब उठाई गई थी ? ऐसा करने के क्या कारण थे

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त छ: पम्पिग सैट्स के लिए फर्जी बिल बना कर रकम उठाई गई थी परन्तु वास्तव में उस वक्त के स्टॉक में नहीं होने से नहीं खरीदे गये थे ? अगर हां तो वास्तव में कम्पनी से जैन मशीनरी स्टोर्स भीनमाल के नाम से छ: पम्पिग सैट्स कब प्राप्त हुए थे ? काश्तकारों द्वारा रकम वास्तव में कब दी गई थी एवं कास्तकारों को पम्पिग सैट्स कब प्राप्त होकर कुए पर लगाए गये थे? इन अनियमितताओं के लिये कौन कौन कर्मचारी जिम्मेदार हैं व उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई थी ? भविष्य में उनके खिलाफ कब तक क्या कार्यवाही की जा रही है।

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पम्पिग सैट्स जिनके लिये केन्द्रीय सरकारी बैंक जालौर से रकम उठाई गई थी, उस वक्त ये पम्पिग सैट्स सरकार द्वारा खरीदने के लिये स्वीकृत भी नहीं थे ? अगर हां तो वे क्यों खरीदे गये ? क्या यह भी सत्य है कि उनकी खरीद में किसी राज्य कर्मचारी का निजी फायदा निहित था ? अगर हां, तो किसका ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि श्री मूलसिंह भूतपूर्व जागीरदार ग्राम मूली तहसील सांचोर के नाम से अजीत इंजिन की खरीद के लिये सहकारी बैंक, जालौर से ऋण की रकम उठाई गई थी ? अगर हां तो कितनी, कब व किसने उठाई ? क्या यह भी सत्य है कि वास्तव में काश्तकार को रकम नहीं दी गई ? अगर हां तो क्यों ? वह रकम अब तक दी गई है या नहीं ? इस बारे में सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) पिछले डेढ़ साल में केन्द्रीय

(श्रीरघुनाथ विश्नोई)
सहकारी बैंक जालोर एवं भूमि-बन्धक बैंक जालोर से कितने पम्पिग सैट्स ऋण की रकम उठाई गई ? कब कब किस किस पम्पिग सैट के लिये कितनी कितनी ऋण की रकम किस किस नाम से उठाई गई एवं वास्तव में रकमें काश्तकारों को कब कब दी गई एवं इंजिन्स खरीदे जाकर कुओं पर कब कब लगाये गए ? सूची सदन की मेज पर रखवाने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. जालोर से पिछले वर्ष मालती ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. को निम्न आठ सदस्यों के लिये आठ पम्पिग सैट का 40000/- मध्यकालीन ऋण दिनांक 27-3-70 को स्वीकृत किया गया जिसका भुगतान बैंक द्वारा समिति की मांग के अनुसार जैन मशीनरी स्टोर, भीनमाल को अतुल शक्ति इन्जन हेतु दिनांक 31-7-71 को किया गया।

	राशि
1-श्री भीखाराम	5000/-
2-श्री हीराराम	5000/-
3-श्रीनारायण राम	5000/-
4-श्री सूरजराम	5000/-
5-श्री राभूराम	5000/-
6-श्री रामलाल	5000/-
7-श्री जेठाराम	5000/-
8-श्री कानाराम	5000/-

(2) जो नहीं सदस्यों द्वारा इसमें प्राप्ति की रसीद व जैन मशीनरी स्टोर के इन्जन देने में बिल बैंक में प्राप्ति होने पर ही भुगतान किया गया अतएव फर्म में पम्पिग सैट्स नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) अतुल शक्ति इन्जन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है इन इन्जनों की खरीद में किसी राज्य कर्मचारी का निजी फायदा निहित होने की कोई सूचना नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) पिछले डेढ़ साल में केन्द्रीय सहकारी बैंक जालोर एवं भूमि विकास बैंक जालोर से कितने पंपिग सैट की रकम कब 2 किस किस व्यक्ति को दी गई सूची परिशिष्ट संलग्न है। चूंकि राशि का भुगतान पंपिग सैट की प्राप्ति पर ही फर्म के मारफत किया जाता है अतएव पंपिग सैट उक्त भुगतान के पूर्व ही प्राप्त हो जाना बताया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सेवा सहकारी समिति

530. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को एक पंचायत में अधिक होने के कारण एक साथ मिला कर एक समिति बनाने का कार्य चालू है ? यदि हां, तो कब से ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) इस योजना के तहत किस समिति को रखा जाय और किसको दूसरी के साथ शामिल किया जाय, यह किस आधार पर तय किया जाता है ?

उत्तर

(1) जी हां, साधारणतया एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति रखे जाने की योजना है। परन्तु एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति सक्षमता के मापदण्ड को पूरा करती हो तो एक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समिति भी बनाई जा सकती है। इसी प्रकार एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्षमता के मापदण्ड के अनुसार अगर एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति बन पाती हो तो एक ही समिति रह सकती है। यह कार्य वर्ष 67-68 से आरम्भ हुआ है।

(2) जो समितियां आर्थिक दृष्टि से निर्बल हैं या निष्क्रिय हैं उन्हें आर्थिक इकाई बनाने हेतु उस क्षेत्र की सुदृढ़ समिति में मिलाने पर या निष्क्रिय समिति को अवसायन में लाने की योजना है जिससे समिति सक्षम इकाई बन सके।

पर्यटकों की संख्या

531. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मुख्य मन्त्री जी ने अभी हाल ही में उदयपुर में यह घोषणा की थी कि सजनगढ़ को और आकर्षक बनाने हेतु 6 लाख रुपये खर्च किये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि पर्यटन की दृष्टि से जयपुर उदयपुर से अधिक उपयोगी है ?

(3) वर्ष 1962 से 1970 के अन्त तक कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए जिनमें से उदयपुर और जयपुर में कितनी कितनी संख्या रही ?

(4) इन पर्यटकों से राज्य सरकार को कितनी आमदनी वर्ष 1962 से 1970 तक हुई है।

उत्तर

(1) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में सजनगढ़ के विकास हेतु 6.31 लाख रुपया रखा गया है। जिसमें से 3.00 लाख रुपया (70-71) द्वितीय वर्ष में व्यय हुआ और 3.91 हजार रुपये का 71-72 में प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर मुख्य मन्त्री जी ने भी कहा है।

(2) जहां तक पर्यटन की दृष्टि में उपयोगिता का प्रश्न है, जयपुर और उदयपुर में भेद कर पाना सम्भव नहीं। क्योंकि दोनों ही स्थान अपनी अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात हैं।

(3) सन् 1962 से 1970 तक राजस्थान में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या लगभग एक करोड़ 13 लाख रही जिसमें से जयपुर में देशी पर्यटक 3,03,176 तथा विदेशी पर्यटक 1-36,036 एवं उदयपुर में देशी पर्यटक 29,86,016 व विदेशी पर्यटक 41,013 आये हैं।

(पर्यटन मन्त्री)

(4) राजस्थान में सन् 1962 से 1970 तक आये देशी विदेशी पर्यटकों से राज्य को कुल आय करीब 26 करोड़ रुपये हुई । राज्य सरकार को इनमें से कितनी Direct या Indirect आय हुई उसके अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

ग्राम तालाब में भवन निर्माण के लिये दी गई राशि

532. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सन् 1962 में ग्राम तालाब जिला अलवर में 11 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु ऋण दिया गया था ।

(2) क्या यह सही है कि ऋण देने से पूर्व उन्हें यह कहा गया था कि उन्हें 750 रु० इस ऋण में से अनुदान मुफ्त सहायता के रूप में कर दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि उनसे ऋण की सारी रकम का किश्तों के साथ ब्याज वसूल किया जाता है ?

(4) अब तक उक्त 11 व्यक्तियों से प्रत्येक से ऋण व ब्याज सहित कितनी धनराशि वसूल की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1962 में भवन निर्माण हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता -

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कठूमर क्षेत्र में छात्रावास

533. श्री गंगासहाय (कठूमर):– क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर प्रथम आम चुनावों से सुरक्षित सीट रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या इस क्षेत्र में सबसे अधिक है इसी हेतु इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाता रहा है ।

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र के गरीब अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए एक छात्रावास खोलने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) प्रश्न का सम्बन्ध चुनाव विभाग से है ।

(2) प्रश्न का सम्बन्ध चुनाव आयोग से है ।

(3) छात्रावासों में स्थानीय छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । बाहर के छात्रों के लिए कठूमर के पास डीग, रैनी तथा राजगढ़ में छात्रावास है जहां कठूमर क्षेत्र के छात्र प्रवेश पा सकते हैं और जो कठूमर से 20 मील की परिधि में हैं । इसलिए कठूमर में

Page No. 48

(समाज कल्याण मन्त्री)
छात्रावास खोलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

कठूमर में बिजली के लिए वसूल की गई राशि

534. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कठूमर कस्बे में जिन जिन अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली के लट्ठे लगाये गये हैं उसके लिए बस्ती वालों से 40 व 50 रुपया प्रति लट्ठे के हिसाब से वसूल किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(स्थगित किया गया)

हरिजनों की आवास व्यवस्था के लिए स्वीकृत राशि

535. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर)**: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों के लिए आवास व्यवस्था व उनकी बस्तियों में बिजली व पानी के लिए विशेष राशि स्वीकृत की थी ? अगर हां, तो जैसलमेर जिले में कितनी राशि इसमें से स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी पोकरण नगर में और कितनी जैसलमेर नगर में ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। अगर खर्च नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों के सिर पर मैला नहीं ढोने के सम्बन्ध में भी राशि स्वीकृत विशेष रूप से की गई थी ? अगर हां, तो जैसलमेर व पोकरण नगर को कितनी कितनी राशि स्वीकृत थी ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जैसलमेर जिले के पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में बिजली लगाने के लिए 6960 रुपये गांधी शताब्दी वर्ष में स्वीकृत किये गये। बिजली लगाने का कार्य विद्युत् मण्डल द्वारा किया जाता है।

(2) जैसलमेर के लिए सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए गांधी शताब्दी वर्ष में 15 हजार रुपये नगरपालिका को स्वीकृत किये गये। पोकरण के लिए कोई स्वीकृति नहीं की गई।

स्थगित प्रश्न

(24-3-71, 31-3-71, 14-4-71 व 21-4-71)

डाक बंगलों एवं रेस्ट हाउसों का निर्माण

79. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1969-70 में विभाग द्वारा कोई नये डाक बङ्गले या रेस्ट हाउस बनाये गए हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि "कोट ग्राम के बांध" पर विभाग द्वारा कोई नया डाक बङ्गला बनाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

3. क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में किसी सेठ ने या किसी संस्था ने पैसे दिए हैं ? यदि हां, तो उसके द्वारा कुल कितनी धनराशि दी गई और उसका क्या नाम है ?

4. इस भवन के निर्माण करने के क्या कारण हैं ? क्या यह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ?

5. क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण करने से पूर्व दूसरी 'साइट' देखी गई थी और उस डूंगरी पर सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो इस कार्य पर कितना खर्च हुआ ?

6. क्या यह सही है कि जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण किया गया है वहां पर एक 'शिवालय' पहले से ही बना हुआ है ?

7. क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने एतराज किए थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया ?

8. क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिंचाई विभाग के अधीन है ?

9. क्या यह सही है कि इस डाक बङ्गले के निर्माण पर करीब 50,000 रु. खर्च हुए ?

10. क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मन्त्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी ?

उत्तर

1. सूची (अ) प्रस्तुत है।

2. जी हां। 23662.72 रुपये व्यय हुए हैं।

3. जी हां। 15000 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. यात्रियों की सुविधा तथा दर्शनीय स्थल होने के कारण निर्माण कराया गया है।

5. स्थल देखा गया था, सड़क निर्माण नहीं कराया गया है। रास्ता बनवा कर सफाई की गई थी, जिस पर 2236.70 रुपया व्यय हुआ है।

6. जी हां।

7. जी हां। ध्यान दिया गया है।

8. जी नहीं।

9. निर्माण पर 23,662.72 रुपया व्यय हुआ है।

10. जी नहीं। यह अमानता (Deposit) वर्क कराया गया था।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

पाली जिले के छात्रावास

536. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पाली जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए छात्रों के लिए किस किस स्थान पर राजकीय छात्रा-

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)

वास स्वीकृत हैं तथा कहां कहां पर चल रहे हैं ?

(2) कितने कितने बजट प्रत्येक छात्रावास के लिए स्वीकृत हैं ?

(3) प्रत्येक में कितने कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं ?

(4) प्रति छात्र छात्रावास-वार कितना कितना खर्च आता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों के लिए निम्न राजकीय छात्रावास स्वीकृत हैं:—

1–अनुसूचित जाति छात्रावास, फालना।

2–अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सादडी।

3–अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सेवाडी।

(2) प्रत्येक छात्रावास के लिए वर्ष 70–71 में निम्न प्रकार बजट स्वीकृत था:-

1. अनुसूचित जाति छात्रावास, फालना 39470.00

2. अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सादडी 29680.00

3. अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सेवाडी 22270.00

(3) प्रत्येक में निम्न प्रकार छात्र लाभान्वित हो रहे हैं :–

1. अनुसूचित जाति छात्रावास, फालना 60 छात्र

2. अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सादडी 40 छात्र

3. अनुसूचित जन-जाति छात्रावास, सेवाडी 30 छात्र

(4) प्रत्येक छात्रावास में प्रति छात्र औसतन व्यय 70.00 रुपये प्रति मास आता है।

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

जोजावर–कांवली सड़क

409. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : कृपया सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोजावर-कांवली रोड पूरी होने से सीधा जोधपुर-भीलवाडा रूट खुल जाता है ?

(2) इस सड़क को प्लान में किस साल ली गई थी और काम किस साल में शुरू हुआ ?

(2) अब कितने लम्बे टुकड़े का काम बाकी रहा है ?

(4) यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) यह कार्य उदयपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और पाली में तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत किया गया था।

(3) 2 कि. मी. का कार्य अधूरा है।

(4) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

स्थगित प्रश्न
(21-4-71)

मोराझड़ी ग्राम के पास पुलिया का निर्माण

410. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि मोराझड़ी ग्राम के पास राहत कार्यों में 69 में पुलिया का निर्माण हुआ ?

2. क्या यह भी सही है उस पुलिया में वर्षा का पानी नहीं निकलने से पुलिया से आगे की भूमि कट कर यातायात ठप्प हो गया है ?

3. क्या उस पुलिया को 70 में पूर्ण करने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो पूर्ण क्यों नहीं की गई ?

4. क्या सरकार उस पुलिया के अधूरे कार्य को यातायात की सुविधा हेतु, पूर्ण कराने की इच्छा रखती है ?

5. यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(21-4-71)

बारां नगर की सड़कों की मरम्मत

411. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. क्या यह सही है कि बारां नगर में अस्पताल व मण्डी में जाने वाली सडक की हालत बडी खराब है तथा स्थान स्थान पर बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं ?

2. यदि हां, तो उस सड़क की मरम्मत पर कितना रुपया व्यय होगा और कब तक ठीक हो जावेगी ?

3. क्या यह सही है कि इस सड़क पर भारी ट्रेफिक होने के कारण यातायात अवरुद्ध रहता है और उसके कारण इस सडक को चौडा किया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

4. क्या यह सही है कि इस सडक पर श्री दल्लाजी खत्री की बगीची के पास सडक नीची होने के कारण पानी का खालसा पडता है, जिसके कारण यातायात में बाधाएं पडती हैं ? यदि हां, तो इस पर पुलिया बनाए जाने पर कितना रुपया खर्च होगा ?

5. क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी की प्रमुख सडक होने के कारण इस सडक को चौडा व रपटे पर पुलिया बनाने हेतु चम्बल मण्डी कमेटी द्वारा भी कुछ धनराशि दिये जाने की स्वीकृति हुई है ?

Page No. 52

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

1. जी हां।

2. साधारण मरम्मत प्रति वर्ष की जाती है, विशेष मरम्मत की अभी कोई योजना नहीं है।

3. ट्रैफिक धीमी गति से गुजरता है। सड़क चौड़ा कराने की योजना विचाराधीन नहीं है।

4. जी हां। पुलिया निर्माण पर लगभग 30,000 रुपया व्यय होने का अनुमान है।

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

चावल गांव तक सड़क

413. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या झालरा पाटन-उज्जैन मार्ग पर चावली नदी के पुल के पास चावली गांव तक कोई सड़क का निर्माण किया जा रहा है?

2. उक्त नव-निर्मित सड़क की लम्बाई कितनी है एवं उस पर कितनी राशि व्यय होगी?

3. उक्त ग्राम चावली की कितनी जन संख्या है?

4. क्या उक्त निर्माण कार्य के लिये पी.डब्ल्यू.डी. बजट में कोई प्रावधान था?

उत्तर

1. अर्थ वर्क कराया गया है।

2. लगभग $2\frac{1}{2}$ फर्लांग लम्बी है। 8,800 रुपये व्यय का अनुमान है।

3. लगभग एक हजार की जनसंख्या है।

4. उक्त कार्य स्पेशल रिपेयर्स प्रोग्राम 70-71 में शामिल किया गया है।

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

लाडनूं स्टेशन से राहूगेट तक सड़क निर्माण कार्य

414. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सत्य है कि स्टेशन लाडनूं से राहूगेट-लाडनूं सड़क का निर्माण करवाने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कब और कितने रुपये की स्वीकृति दी गई और उसमें क्या क्या कार्यवाही होना शामिल है?

2. क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़क के निर्माण का कार्य चालू भी हुआ था? यदि हां, तो कब और कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21-4-71)

राजस्व न्यायालयों में निपटाये जाने वाले मामलों में विलम्ब

421. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

1. क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्व न्यायालयों द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों में काफी देरी लगती है ? यदि हां, तो उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना के कार्यालय में कौन कौन से मामले विचारधीन हैं तथा उनके दायर होने की तारीखें क्या हैं तथा इतने समय तक बिना निर्णय रहने के क्या कारण हैं ?

2. क्या सरकार ने कोई अवधि निर्धारित कर रखी है कि राजस्व न्यायालयों द्वारा अमुक प्रकार के मामले अमुक समय में तय किये जावेंगे ? यदि हां, तो किस किस प्रकार के मामलों में क्या क्या अवधि निर्धारित कर रखी है और उनका पालन कहां तक हुआ ?

3. भविष्य में ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

1. सामान्यत: ऐसा नहीं होता। किन्हीं किन्ही मामलों में विलम्ब हो जाता है। उप-खण्ड अधिकारी, डीडवाना के कार्यालय में कुल 376 मामले पैन्डिग हैं जिनमें 1962 का 1, 1963 के 2, 1964 के 5, 1965 के 11, 1966 के 30, 1967 के 49, 1968 के 106, 1969 के 88, 1970 के 53 व 1971 के 31 हैं। मुकदमों के समय पर न निपटाने का कारण कार्य की अधिकता व कार्यालय के कार्य के अतिरिक्त दीगर प्रसासनिक कार्य, यात्रा, निरीक्षण आदि में व्यस्त रहना है।

2. जी नहीं। परन्तु राजस्व मण्डल एवम् राज्य सरकार ने पुराने मुकदमों को यथाशीघ्र निपटाने के संबंध में जो परिपत्र व निर्देश जारी किये हैं, उनकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

3. पूर्व प्रचलित निदेशों की पालना हेतु अधिकारियों को पुन: पाबन्द किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:–

1. सीकर नगर परिषद् के कमिश्नर द्वारा चुंगी नाके पर कुछ दिन पूर्व तथाकथित पकड़े गए हीरे, सोने आदि के बहुमूल्य जेवरात गायब कर दिए जाने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री हरिवल्लभ शर्मा व श्री गंगासहाय, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

2. दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि जिला गंगानगर में गंगानगर हनुमानगढ़ रास्ते पर गंग कैनाल का पुल टूट जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया है।

3. तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि

(श्री उपाध्यक्ष)

बंगला देश में पाक सेना के भीषण नर संहार के भय से लाखों नागरिकों ने सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्राण रक्षा हेतु प्रवेश किया है तथा भारत पाक सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं जिसके कारण सम्पूर्ण देश में और विशेष तौर से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेचैनी, असंतोष एवं क्षोभ उत्पन्न हो गया है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर सदन के माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि कल्याणमल मीणा, सदस्य विधान सभा से जहाजपुर तहसील मे पेटा तालाब की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में पटवारियों द्वारा प्रति व्यक्ति 25 रुपये वसूल किए जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी।

आज राजस्व विभाग की मांग पर सदन में चर्चा की जायेगी। उस समय इस विषय को भी कटौती प्रस्ताव के जरिये उठाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त यह अविलम्बनीय लोक महत्व का भी विषय नहीं है। अतः इसको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था, मेजा फीडर बांध के बारे में, उस बांध के द्वारा जो नहरें निकाली जा रही हैं, वह नहर जिन खेतों में से निकल रही है, राज्य सरकार ने उस भूमि को अभी तक एक्वायर नहीं किया है और इस प्रकार खेतों में नहरें खोदी जा रही हैं और कुए बरबाद हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर आर्डर!

श्री देवीदत्त गाडिया : इसमें आठ दस गांव डूब जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जानकारी में है। शीघ्र ही जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री लाभचन्द वेद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव रखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह जानकारी में होगा या उस पर निर्णय हो गया होगा। इस वक्त न उठायें।

श्री लाभचन्द वेद : अध्यक्ष महोदय, ने फर्माया था जानकारी ली जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी ली जा रही है-अभी तक यही स्थिति है।

श्री लाभचन्द वेद : तीन दिन हो गये स्थगन प्रस्ताव को दिये हुए। फिर स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ? तीन दिन हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी मंगवायी जायगी।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है, वैसे कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है। यह सम्भव नहीं है कि उस पर आज ही विचार हो, वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पांच सात दिन में सदन में आ पायेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उस समय विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो सिनेमा दिखाया गया, रेशमा और शेरा–उसके बारे में, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक खास बात है, उसमें जाट और राजपूतों की लड़ाई बताई जाती है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री विजयसिंह : इस तरह से दो जातियों की लड़ाई बताना प्रजातंत्र के लिए कहां तक उचित है····

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आयेगा उस समय आप कहें।

श्री विजयसिंह : लेकिन उसके पहले ही यह सिनेमा जनता को दिखा दिया जायगा और इससे न मालूम कितने झगड़े होंगे। मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मैंने साफ लिखा है, इस प्रकार दो जातियों का झगड़ा बताना···

श्री उपाध्यक्ष : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उसमें क्या स्थिति है सदन के सदस्य उससे परिचित हैं।

श्री विजयसिंह : लेकिन वह फिल्म रिलीज हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय···

श्री लाभचन्द वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसके विषय में जानकारी दे दें।

श्री विजयसिंह : मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है कि शांति प्रिय राजस्थान के अन्दर···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री विजयसिंह : वह तो दिया है लेकिन बीस तारीख तक फिल्म रिलीज हो रही है।

श्री लाभचन्द वैद : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से गुण्डा-गर्दी हो रही है, बीस तारीख को जनसंघ के कार्यकर्ता पर घातक हमला किया गया। उसकी एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई इसलिए उनका साहस बढ़ गया है और 22 तारीख को जनसंघ कार्यालय पर हमला कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें शीघ्र जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, माननीय सदस्य धीरज रखें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो फिल्म दिखाई गई उसको दिखाने का मतलब क्या था ? इसलिए ही दिखाई गई कि हमें ऐतराज हो तो कहें। मैं ऐतराज प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पिक्चर तो दिखाने के लिए ही होती है।

श्री विजयसिंह : दूसरे तो नहीं दिखाते है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें विशेष जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन राज्य सरकार का रुख तो...

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार को मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि मेरे पास पिछले दो तीन दिनों से बाड़मेर, जैसलमेर से लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं, चिट्ठियां आ रही हैं। उनका कहना यह है कि जो वायुमण्डल बंगला देश के कारण बन रहा है, उससे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में खलबली मची हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसा लगता है, पाकिस्तान से संघर्ष...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! शीघ्र ही इस पर व्यवस्था दी जायगी, उस वक्त कह सकते हैं। आपने कहा है उसको भी वह ध्यान में रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र !

विद्युत् मंत्री !

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री [illegible] (उप मंत्री विद्युत्) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जुझारसिंह : जेक आफ आल ट्रेड्स।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक लेखे वर्ष 1969-70 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री जुझारसिंह : आपकी इम्पार्टेन्स बहुत बढ़ गई है पूर्व से।

श्री उपाध्यक्ष : नौहर में कृषि उपज मण्डी के कार्यालय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्री जी, वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय श्री देवीदत्त गाड़िया व माननीय श्री रामचन्द्रजी आर्य ने नौहर की घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस मामले के वाकयात इस प्रकार हैं :—

दिनांक 15-4-71 की रात्रि को करीब 11॥ बजे सर्वश्री सोहनलाल और मालचन्द ने थाना नौहर में आकर इत्तला दी कि कृषि उपज मण्डी के दफ्तर में एक औरत शोरगुल कर रही है और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गये हैं। थानेदार नौहर मय मुलाजमान के कृषि उपज मण्डी तुरन्त पहुँचे। मण्डी के कार्यालय के पीछे आम गली में मुसम्मात जैसी पत्नी गुरनामल जाति सिन्धी सा. नौहर बैठी हुई मिली जिससे कुछ आदमी घेर कर बातचीत कर रहे थे। थानेदार के पूछने पर मुसम्मात जैसी ने श्री गंधर्वसेन चपरासी के पास कृषि उपज मण्डी में अपनी राजी खुशी से आना बताया, मुसम्मात जैसी को भीड़ से हटा कर उसे उसके पिता के साथ जाने की इजाजत दी गई।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इस बात को लेकर दिनांक 16-4-71 को करीब 9½ बजे सुबह सर्व श्री शंकर लाल, मालचन्द, सोहनलाल व रामस्वरूप वगैरह ने श्री गधर्बसेन चपरासी को उसके घर से बुलाया और एक कागज पर उससे लिखवाया कि श्री दौलाराम मीना सचिव कृषि उपज मण्डी नौहर के कहने से मुस्मात जैसी को मण्डी के कार्यालय में रात को लाया था और करीब 75 आदमियों ने मुस्मात जैसी के साथ दुर्व्यवहार किया। इस तरह लिखावट करवाने के बाद लोगों ने श्री गधर्ब सेन चपरासी का मुंह काला किया बाल काट दिये और गधे पर चढ़वा कर बाजार में घुमाया ...

श्री विजयसिंह : बहुत अच्छा किया।

श्री हीरालाल देवपुरा : इन लोगों ने कृषि उपज मण्डी कार्यालय पहुंच कर चपरासी को एक कोठरी में बन्द कर दिया। उस समय कृषि उपज मण्डी कमेटी के सदस्य कार्यालय में मौजूद थे।

कुछ ही समय उपरान्त श्री भंवरलाल, कनिष्ठ लेखक, कृषि उपज मण्डी नौहर ने हाजिर थाना नोहर होकर इत्तला दी कि महावीर, भोलाराम, वगैरह कृषि उपज मण्डी के कार्यालय में घुस आये हैं और भोलाराम सचिव को मारपीट कर रहे हैं। इस इत्तला पर एस. एच. ओ. मय मुलाजिमान के मण्डी कार्यालय पर पहुंचे करीब 1000–1500 आदमी और लड़के उस समय मण्डी कार्यालय पर नारे बाजी और घराव कर रहे थे। भीड़ दौलाराम मीना को कार्यालय के बाहर निकालकर काला मुंह करके गधे पर चढ़ाकर जुलूस निकालने कि मांग कर रही थी। पुलिस ने भीड़ को बहुत समझाया लेकिन वे नहीं माने और भीड़ कार्यालय में जबरदस्ती घुस गई। मण्डी सदस्यों की मीटिंग में बाधा पहुचाई, सदस्यों को मारपीट की, टेलिफोन और फर्नीचर तोड़ दिया तथा कागज भी बिखेर दिये। इस घटना का मु. नं. 33 दिनांक 16-4-71 धारा 492, 147, 325, 353, 336, 440, 149 ता. हि. दर्ज किया जाकर की गई। सी. ओ. नोहर को इत्तला मिलते ही भादरा से आर. ए. सी. की टुकड़ी मंगवाने के लिए टेलीफोन करवाया और मौके पर पहुंच गये। एस. डी. एम, सा. और तहसीलदार सा. भी मौके पर आ गये। भीड़ को धैर्य व शांति रखने की काफी देर तक समझाइश की।

भीड़ तितर बितर नहीं हुई तथा पथराव और नारेबाजी करती रही। सब अधिकारियों ने भीड़ को समझाया और तितर बितर हो जाने को कहा, लेकिन लोग नहीं माने और श्री दौलाराम सचिव, को हथकड़ी लगा कर थाने ले जाने की मांग की। भीड़ में से कुछ व्यक्तियों ने एस. डी. एम. साहब को श्री दौलाराम मीना के खिलाफ एक दरख्वास्त इस बाबत पेश की। समझाने के बावजूद भी भीड़ ने करीब 1½ बजे दोपहर फिर उग्ररूप धारण कर लिया और समिति कार्यालय तथा मुसलमानों पर ईंट पत्थर और बोतलें फेंकना शुरू कर दिया और समिति का मेन गेट तोड़ कर भीड़ कार्यालय की गेहरी में घुस गई। भीड़ को रोकने के लिये एस. डी. एम. साहब के आज्ञानुसार पुलिस ने

Page No. 58

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लाठीयों से उनको पीछे हटाया और हलका लाठी चार्ज किया इतने में पुलिह की मदद के लिए आर. ए. सी. के जवान एक ट्रक में भादरा से भी आ पहुंचे जिनको देख कर भीड़ तितर बितर हो गई। इस घटना का मु. नं. 34 दिनांक 16-4-71 धारा 147।353।332।342।336 ता. हि. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर फौरन तफतीश शुरू की गई। इसके उपरांत चपरासी गधर्वसिंह जिसे कोठरी से निकाल लिया गया था के द्वारा रिपोर्ट करने पर मु. नं. 35 धारा 147।149।323।34।।342। 335।327 ता. हि. के अन्तर्गत दर्ज किया गया। तीनों मुकदमात की तफतीश की जा रही है और अभी तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गई।

पुलिस के दस मुलाजमानों के मामूली चोटें पथराव के कारण आई हैं। भीड़ में से केवल एक आदमी को साधारण चोट आई है।

अब तक के अनुसंधान के दौरान दिनांक 18-4-71 को मुस्मात जैसी का बयान धारा 164 जा. फो. के तहत अदालत में कराये गये हैं। इसमें उसने बताया है कि वह सिनेमा से लौट रही थी। रास्ते में चक्कर आने के कारण रास्ता भूल गई और कृषि उपज मण्डी के कार्यालय में पहुंच गई। आवाज देने पर लोग इकट्ठे हो गये और बाद में पुलिस भी आ गई। इस महिला ने यह भी बताया कि वह कृषि उपज मण्डी के किसी भी अधिकारी या चपरासी को नहीं जानती। अनुसंधान जारी है।

अब तक की तफतीश से कृषि उपज मण्डी के सचिव श्री दौलाराम मीना के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। पुलिस भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिये फौरी कार्यवाही की और स्थिति को बिगड़ने से रोका। स्थिति शांत है।

श्री दौलतराम सारण : ये जो मुकदमें दर्ज किए गए हैं, यह किन किन व्यक्तियों के खिलाफ एफ. आई. आर. है।

श्री हीरालाल देवपुरा : किन किन व्यक्तियों के खिलाफ है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन जो तीन विभिन्न समय पर घटनायें हुई उसके बारे में केसेज रजिस्टर किए गए हैं, भीड़ काफी थी, कुछ के नाम बताये हैं और भी हो सकते हैं, तफतीश जारी है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : गिरफ्तारियां आज तक क्यों नहीं हुई, क्या कारण है कि इतनी लम्बी तफतीश चल रही है कि गिरफ्तारियां भी नहीं हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तफतीश जारी है, पूरी जानकारी के लिए और जब काफी भीड़ होती है तो किस किस ने क्या क्या अपराध किया, गिरफ्तारी काबिल है या नहीं, जमानत काबिल है या नहीं, इसमें समय लगता है। कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई। तफतीश जारी है जिन जिन लोगों के खिलाफ जो जो जुर्म साबित होंगे, उसके बाद सारी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह की बात नहीं होगी जिससे कहा जा सके कि मुकदमा दबाने या और तरह की बात है।

श्री देवीदत्त गाडिया : गृहमंत्री ने कृषि उपज मण्डी के सचिव से सम्बन्धित

(श्री देवीदत्त गाडिया)
स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जो वक्तव्य दिया है, उस संबंध में उन्होंने सम्बन्धित लड़की के बारे में जो कहा कि उसको चक्कर आ गया और उसके बाद वह रास्ते से भटक कर कृषि उपज मन्डी के कार्यालय में पहुंच गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं स्पष्ट कर दूं कि यह मैंने नहीं कहा है, लड़की ने 164 में बयान दिया है उसको मैंने बताया।

श्री देवीदत्त गाडिया : जो बयान दिलाया गया है जिस प्रकार से बयानों को दिलाया गया, क्यों दिया गया, बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उपज मन्डी के सचिव श्री दूलाराम को मण्डी के अध्यक्ष ने पहले भी कई बार उनके काले कारनामों या घटनाओं के बारे में वार्निंग दी थी ...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि समिति के अध्यक्ष ने जानकारी हेतु राज्य सरकार को अपने वक्तव्य द्वारा यह जानकारी दी है कि यह सचिव श्री दूलाराम जिसने इस लड़की के साथ अपने कार्यालय में बुलाकर शराब पिलाकर एशोआराम किया और उसके बाद सिनेमा गये और लड़की को भी पिलाया ? क्या यह सही है कि अध्यक्ष ने उक्त सचिव पर यह आरोप लगाया था कि इस सचिव ने आज से 5-6 महीने पहले किसी अच्छे परिवार की लड़की से व्यभिचार किया था ? इतना ही हीं यह वक्तव्य मेरे पास है उसके संबंध में आप इजाजत दें तो पढ़कर सुना सकता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : सारांश।

श्री देवीदत्त गाडिया : जिस कृषि उपज मन्डी के अध्यक्ष का सचिव से हमेशा पाला पड़ा है उसने गंभीर आरोप लगाये हैं, कुछ सारांश पढ़ कर सुनाता हूं :

वक्तव्य श्री आईदान बेनीवाल, अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति, नोहर जिला श्री गंगानगर।

15 अप्रेल 1971 की अर्ध रात्रि को 35 वर्षीया सिंधी युवती से श्री दूलाराम मीणा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति नोहर ने अनैतिक कार्य किया, जिसकी चर्चा सारे शहर में फैली हुई थी। लोगों के दिमाग में भी गर्मी थी। मैं ज्योंही जयपुर से रवाना हो कर 17 अप्रेल 1971 को नोहर पहुंचा। लोगों कि शिकायत का समा बंध गया इसलिए कि मैं कृषि उपज मंडी समिति का अध्यक्ष हूं। मैंने लोगों की शिकायत पर जांच पड़ताल अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध से मोहल्ले में जाकर की तो मेरी पूर्व आशंका पर लोगों को अक्षरशः सही पाया ...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें जो खास बात है वह दोहरा दो।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमन्त्री) : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो वक्तव्य राज्य मंत्री ने दिया है उसमें लड़की ने दफा 164 में बयान दे दिया, उसका हवाला दर्ज है। अब यह मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली कहावत वाली बात रह गई है

(श्री दामोदर लाल व्यास)

इसका एप्रोप्रीयट विभाग तो कृषि विभाग है। जहां तक गृह विभाग का सम्बन्ध है हमारे पास अगर इस बात की शहादत आयेगी कि लड़की के साथ कोई जबरन बात की गई है तो उस पर एक्शन लिया जाऐगा लड़की को फोरन अदालत में पेश किया गया अदालत में उसने इन्कार कर दिया। यहां तक इन्कार कर दिया कि वह उस मंडी की चपरासी या सचिव को नहीं जानती हैं। ऐसी स्थिति में समझ में आता कि आप पुलिस से क्या आशा करते हैं? मैंने जितना कानून समझा है और मैं जानता हूं, उस लिहाज से समझता हूं कि इस मुकदमे में चाहे कितनी शहादत पेश करदे मगर लड़की का बयान, जो महिला उसका बयान, यह है कि मंडी के सचिव और चपरासी को वह नहीं जानती और सिनेमा से रास्ता भूलकर वह वहां गलती से चली गई थीं ऐसी स्थिति में कितनी ही शहादत पेश करे उस पर पुलिस या अदालत कार्यवाही नहीं कर सकेगी मेरे पास जब कभी कोई दरखास्त इस मामले में पेश हुई है उसे मैंने कृषि मंत्री के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी है और साथ है कि वहां की फिजा खराब है, इस वजह से पार्टीबाजी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेन्सी के लिहाज से वहां से चपरासी और सचिव को ट्रांसफर कर दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : गृहमंत्री ने जो बात कही मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आर. ए. सी. के जवानों को बुलाया और निरपराध व्यक्तियों को रास्ते चलते मारा है और इस कदर उनको बुरी तरह से मारा चलते रास्ते कि चाहे विद्यार्थी हो, नौजवान लड़का हो, अनेक आदमी लाठी चार्ज के द्वारा घायल हुए लेकिन गृहमंत्री ने कहा पुलिस कर्मचारी घायल हुए, कितने व्यक्तियों को चोटें आई, इस बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस लड़की को जो सचिव ने कमरे में बंद किया, उसकी रिपोर्ट है श्री सोहनलाल और मालचंद, दो व्यक्ति पुलिस में रिपोर्ट करने गए ···और उन्हीं व्यक्तियों को बाद में पुलिस ने बन्द कर दिया जिन्होंने सूचना दी कि अन्दर ताले में लड़की बन्द है और वह चिल्ला रही है। उसके बाद में सचिव को पकड़ा। तीनों को ले जाकर थाने में बन्द कर दिया। रिपोर्ट दर्ज की। फिर पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट ली और रिपोर्ट करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से षडयंत्र रचकर पुलिस ने सचिव को बचाने के लिए राजनैतिक नेताओं के दबाव में आकर रिपोर्ट बदली और दूसरी ली।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री देवीदत्त गाडिया : 'सब ही गण-मान्य व्यक्तियों को,' नगरपालिका का जो वक्तव्य है उसको पढ़ें। उसमें सब ही राजनैतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, सोसलिस्ट पार्टी है, जनसंघ और भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य भी हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आप लगत कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सारा का सारा षडयन्त्र था। कृषि उपज मंडी के सचिव पर हमला किया।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार की कार्यवाही हुई है । कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी 41 व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था । बाजरी का सवाल था लेने का । सारा का सारा षडयन्त्र था । आप कहते हैं कि कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी और चपरासी का तबादला कर दिया जाय । भादरा और संगरिया में गोली चली तो क्या आपने उन अधिकारियों को वहां से तुरंत बदल कर दिया ? नहीं किया । कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी को वे लोग जान से मार देते । मैं यह नहीं कहता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है । जांच करने से पता लग सकता है पुलिस को । तफतीश के दौरान में तबादला कर देने का मतलब है कि मुकदमे को खत्म कर देना है । कृषि उपज मंडी का चेयरमैन है वह शराबी है । आज भी जहां ठहरे हुए हैं मेडिकल एक्जामिनेशन करवा लीजिये और आपको वह शराब पिया हुआ न मिल जाय तो आप मुझे गलत मानें । किसी भारतीय क्रांति दल के व्यक्ति ने दस्तखत नहीं किये । हो सकता है जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के लोग हों । कई राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हों । इस प्रकार का कातिलाना हमला किया जाय और वक्तव्य प्रसारित किया जाय कि हंसराज और रामचन्द्र मिल गये । मैं किसी से मिला हुआ नहीं हूं । मैं तो सही बात कहने वाला हूं । कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी पर कातिलाना हमला किया गया है । दोषी आदमियों को सजा देनी चाहिए । इस प्रकार से कानून को हाथ में लेने की बात की । जनसंघ द्वारा छोटी बात के इतने बड़े मामले को उठाया । कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए । क्यों आप कानून को इससे निकाल देना चाहते हैं ? भैरोंसिंहजी से मैंने कहा था कि यह मामला उस तरह का नहीं है । आपके लोग कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं । हमला हुआ योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ और सेक्रेटरी पर ब्लेम लगाया गया जब कि वहां का चेयरमेन इस प्रकार के धन्धे करता है । कांग्रेस में वहां पर दो पार्टियां हैं । एक पार्टी हंसराजजी के खिलाफ आधे आदमी इस तरफ और आधे आदमी उस तरफ । इस प्रकार रस्सा कस्सी में इस मामले को बिगाड़ना चाहते हैं । राज्य सरकार इसको वापिस ले ले यह न्याय की बात नहीं है । गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए । इस प्रकार का प्रस्ताव रख कर आप घटना को दबा देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : निर्दोष है तो जांच के बाद छोड़ा जा सकता है लेकिन गलत तरीके से इस प्रकार की कार्यवाही करना उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सेक्रेटरी और चपरासी के तबादले की बात करवाई

Page No. 62

(श्री रामचन्द्र आर्य)
जाय मैं इससे अधिक भद्दी बात नहीं समझता। एक तो उन लोगों ने हमला किया कानून को हाथ में लिया, सेक्रेटरी पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, आज तक मुकदमा नहीं किया, इस प्रकार की कार्यवाही की तो उसने तो पहले कार्यवाही क्यों नहीं की आज कौनसी नौबत आ गयी? हमले के बाद ही कृषि उपज मंडी के सेक्रेटरी आचरणहीन हो गया? थाने में रिर्पोट पहले तो आनी चाहिये थी। पार्टी बन्दी हुई है। अब इस घटना को दबा देना चाहते हैं। बाजरी वाले मामले को दबाने के लिए व्यापारियों की साजिश है। बालचन्द खास दोषी है। हमारे मेम्बरों को मारा है। कृषि उपज मंडी एक संस्था है। वह एक मण्डी को कन्ट्रोल करने के लिए चुनिन्दा बॉडी है। क्यों उसको समाप्त कर देना चाहिए? उस वक्त मीटिंग हुई थी। 16 तारीख को मैं गया हुआ था। मेरे कई मेम्बरों को चोटें लगीं। उसमें मेरी पार्टी के लोग हैं दस्तखत करने में यह कैसे मान लूं कि यह सत्य है। निर्दोष को जांच करने के बाद ही छोड़ा जाना चाहिये और राजनैतिक साजिश की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस ढंग से बात कही है मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार एक तरफ रह गयी है और आपस में ही विवाद छिड़ गया है। संक्षेप में एक दो मिनिट में कहना चाहें तो कहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : दस मिनिट बोल लिये रामचन्द्र जी तो कुछ नहीं। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई सार नहीं है। सारहीन बात कहते हैं सदन में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : भैरोंसिहजी ने जानकारी की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि 15–4–71 को रात को रिर्पोट की गयी श्री सोहनलाल ओझा और बालचन्द के द्वारा। वह रिर्पोट क्या थी? क्या यह सही है कि इस रिर्पोट के बाद पुलिस मय अमले के कृषि उप मन्त्री कार्यालय पर आयी और उस वक्त वह महिला ताले में बंद थी? क्या यह सही है कि पुलिस के आने के पश्चात् उस महिला को बाहर निकाला गया? क्या यह सही है कि उसके पश्चात् इसकी जानकारी की है कि सारा कथन असत्य है, महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, नोहर के लोग जिस प्रकार के लोग हैं रामचन्द्रजी कह रहे हैं कि जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार लाठी चार्ज बना मुकदमा बना उसके पीछे भावना मुख्य रूप में क्या थी?

क्या राज्य सरकार ने इसकी जांच की है? क्या यह भी जांच की है कि जितने लोगों के खिलाफ मुकदमें

(कृष्ण कुमार गोयल)

दर्ज किये हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि गल्ले का व्यापारी कच्ची या पक्की आड़त वाला हो ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी दो मिनिट कह लूं। जिस ढंग से जिस तरह से बातें यहां कही गई हैं, मैं उनके क्षेत्र की राजनीति को जानता नहीं, कैसी है। हंसराजजी एक ग्रुप के हैं, रामचन्द्रजी किस ग्रुप के हैं या मनफूलजी किस ग्रुप के हैं, मुझे इससे लेना देना भी नहीं है। वे अध्यक्ष पर कितने ही आरोप लगावें किसी तरह से लगावें यह उनकी राजनीति का हिस्सा है।

प्रश्न यह खडा होता है कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि बाजरे के भाव और उसकी खरीद को लेकर सैक्रेटरी पर गबन का चार्ज लगाने की बात है ? अब इन व्यक्तियों को पकड़ा है क्या उनमें एक भी व्यापारी पकड़ में आया है ? यह तथ्य है कि एक भी पकड़ में नहीं आया। सारे के सारे जो पकड़े गये हैं, गैर व्यापारी हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जिनके नाम उल्लिखित हैं उनमें एक भी व्यापारी गल्ले का है क्या ? उनमें से एक व्यक्ति गल्ले का व्यापारी नहीं है। सारे के सारे अन्य व्यक्ति हैं। जहां इस प्रकार की बात हो चाहे कृषि उपज मन्डी के उपाध्यक्ष उनके ग्रुप के हों, दूसरे के हों, फिर जिस ढंग से पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, चलते व्यक्तियों पर लाठियां चलाई हैं। चाहिए तो यह था माननीय सदस्यों को कि वे इस कांड पर दुख प्रगट करते। आज यह पहला मौका है कि इस लाठी चार्ज पर भी वो मौन हैं। (श्री रामचन्द्र आर्य. के व्यवधान करने पर अश्रव्य शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत गाडिया : आप आरोप लगावें ग्रुपबाजी के आधार पर हमें इस पर कुछ नहीं कहना है। पर इस निकम्मी सरकार की निकम्मी पुलिस ने मासूम बच्चों पर, नौजवानों पर जो लाठी चार्ज किया है वह निन्दनीय है। मैं इस सरकार से मांग करना चाहूंगा कि नौहर में 16 तारीख को जो लाठी चार्ज किया गया उसकी निष्पक्ष जांच की जाय। इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जावेगा। कौन गलती पर था कौन नहीं था इसका अपने आप पता लग जावेगा। अगर आप चाहते हैं कि जनता पर लाठी चार्ज न हो, पुलिस द्वारा दमन न हो तो निष्पक्ष जांच कराइये। पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। इसीलिए मेरी मांग है कि यह जो कुछ घटना हुई है इसमें सक्रेटरी दौलतराम मिर्धा का चरित्र कैसा है इसके बारे में कोई भी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा जांच करावेंगे तो इसके पूर्व के इतिहास से और वर्तमान की घटना से पता लगेगा कि बात क्या है। मेरा तो यह निवेदन है कि निरपराध व्यक्तियों पर पुलिस ने मुकदमा बनाया है, अपराधियों को छोड दिया है। इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
पहले और उसके बाद सरकार कोई कदम उठावे, यह सूचना है कि इसके सेक्रेटरी भ्रष्टाचारी हैं। इसके चरित्र के सम्बन्ध में भी अनेकों शिकायत हैं। जिसके बारे में इसके क्षेत्र की राजनैतिक पार्टियों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने कमेटी के चेयरमैन और दूसरे सभी ने सार्वजनिक वक्तव्य जारी किये हैं और इस समिति के अध्यक्ष ने भी वक्तव्य जारी किये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन सब बातों पर गौर करे और इसकी निष्पक्ष जांच कराये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं चेलेन्ज करता हूं आज की तारीख में इसकी जांच करायी जाय। (शोरगुल अश्रव्य)

श्री लाभचन्द वैद : आप उपाध्यक्ष महोदय, क्या जो कुछ कहने का अधिकार है वह इन्हीं को है दूसरों को नहीं है?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार पर दबाव डाल कर निरपराधियों पर मुकदमें बनाने का काम किया है। आप अपनी कहते जा रहे हैं दूसरों की सुनने नहीं देते।

श्री लाभचन्द वैद : आप उपाध्यक्षजी सब देख रहे हैं, हम आने वाले नहीं हैं इस रौब में।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस सारी घटना के दौरान श्री रामचन्द्रजी ने एक बात स्वीकार की है इस सारी घटना के अन्दर चाहे अध्यक्ष के या मन्त्री के विरुद्ध या पक्ष में बी. के. डी. का कोई हाथ रहा हो या नहीं रहा हो पर पुलिस के लाठी चार्ज में उनके दल के कुछ सदस्य भी घायल हुए हैं उनके भी चोटें आई हैं। अब जब जैसा कि वे कहते हैं उनका इसमें कोई हाथ नहीं, बी. के. डी. का हाथ नहीं पर लाठी चार्ज ऐसा हुआ है कि जो जहां मिला रास्ते में मिला तो वह भी उसकी चोट में आ गया लाठी चार्ज इनडिसक्रिमिनिटली हुआ, इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे, दूसरे आपने यह भी स्वीकार किया है कि बेगुनाह लोगों के नाम भी पुलिस ने दर्ज कर लिये हैं। बाद में वे नाम निकाले जा सकते हैं। यह भी आपके कथन से स्पष्ट है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जानबूझ कर कुछ लोगों को फांसा गया है। ये जो मुकदमें दर्ज किये गये हैं। ये अपने आप में रामचन्द्रजी के कथनानुसार उचित नहीं हैं और महिला के साथ जो घटना हुई है यह गलत है या नहीं। यह हो सकता कि कोई भी महिला शील भंग होने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करावे यह नहीं हो सकता है। पर ऐसी घटना हुई है जैसा कि लगता है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिये। लाठी चार्ज से बेगुनाह लोगों को पीटा गया, उनकी भी जांच की जानी चाहिए। जो मुकदमे में नाम लिखे गये हैं क्या वे गल्ले से सम्बन्धित व्यक्ति हैं? मैं बताना चाहूंगा कि कितने मुलजिमों के नाम हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसका गल्ले के व्यापारी से सम्बन्ध हो।

अतः मैंने तीनों मामलों में निष्पक्ष जांच के लिए सरकार से मांग की है।

प्रोफेसर केदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक दो सवाल पूछना चाहूंगा कृषि उपज मण्डी के दफ्तर में 1500 की भीड़ में से कितने व्यक्तियों एवं किस किस व्यापारी को कहां कहां चोट आयी, लाठी चार्ज से ? दूसरा 1500 की भीड़ को तितर बितर करने में कितने घंटे लाठी-चार्ज करना पड़ा। जब जाकर शान्ति कायम हुई यह भी स्पष्ट करदें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, घटना बहुत साधारण सी थी और सरकार की तरफ से जो वक्तव्य दिया गया उसमें सारी बातें साफ साफ कर दी गयी थीं। दफा 164 जाब्ता फौजदारी के तहत महिला के जो बयान हुए इसके बाद कानूनी कार्यवाही कुछ नहीं हो सकती। कोटा से आये हुए माननीय सदस्य स्वयं बहुत योग्य वकील हैं। वे समझते हैं इस बात को कि जहां तक कानून का सम्बन्ध है आगे कार्यवाही नहीं हो सकती। अब नोहर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रजी और श्री गाड़िया तथा अन्य माननीय सदस्यों ने जो कहा और अब जो कह रहे हैं वे उनकी आपस की बाते हैं उसमें मेरा दखल देना ठीक नहीं है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हो रहे हैं। इसमें अब गलती मण्डी कमेटी के सेक्रेट्री की है या अध्यक्ष की, कौन बदचलन है, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता इसमें जहां तक पुलिस विभाग का संबंध है, मैं समझता हूं, हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। इसका फिर कोई सम्बन्ध है भी तो वह है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब से। उनके महकमे के अन्दर इस प्रकार के अगर कोई आदमी हैं जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो वे करें। मैंने माननीय एग्रीकल्चर मंत्रीजी को लिख दिया था, अच्छा हो कि वे इन नतीजे इन हालातों मे उनका तबादला कर दें परन्तु इस सदन की बहस सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय एग्रीकल्चर मंत्री पूरी छान बीन इस बात की करे लें कि आया मण्डी कमेटी के सेक्रेटरी और चपरासी या चौकीदार दोषी हैं या नहीं हैं या उनके ऊपर महज आपसी रंजिश के कारण आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं। इस पर उनको सन्तोष है तो तबादला करें। पहले उनको इस बारे में लिखा परन्तु बहस सुनने के बाद मेरे लिए यह मुश्किलात हो गई हैं। इधर के माननीय सदस्यों का या उधर के माननीय सदस्यों का समर्थन करूं और फिर जो इस सदन के अन्दर कन्ट्रीब्यूशन करते हैं उनकी बात को तो मानूं। आखिर में यह अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर मंत्री खुद अपने महकमे के जरिये और अगर वे चाहेंगे तो पुलिस के जरिये भी जांच की मदद कर देंगे और जांच होने के बाद जो उचित कदम भी वे उठावें और साथ ही यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य कृषि उपज मण्डी को लेकर इतनी कटुता पैदा न करें जिससे नोहर कस्बे में व्यापारियों और कृषि उपज मंडी के लोगों के अन्दर परस्पर व्यवहार खराब हो। उससे व्यापारियों को ही धक्का लगेगा।

रहा सवाल इस बात का कि पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज क्यों किया गया ?

(श्री दामोदरलाल व्यास)
लाठीचार्ज होता है तो चोट लगना स्वाभाविक है। यह कोई नई बात नहीं है। यह उन लोगों पर किया जाता है जो मजमा नाजायज में शामिल होते हैं। हमने यहां यह माना है। कृषि उपज मंडी के सदस्य और मंत्री अन्दर थे, उनको पकड़ कर वही हालत करना चाहते थे जो कि चपरासी के साथ की गई है। उसके लिये भीड़ इकट्ठी हुई थी। वह उत्तेजित थी, वायलेन्स में थी और पत्थर फेंक रही थी। पुलिस ने समझाया बुझाया और वारनिंग दी और उसके बाद अगर लाठी चार्ज किया गया तो मै समझता हूं कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है और इसके लिये मैं जांच की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। अनुदानों की मांगों पर विचार। आज निम्नांकित मांग विचारार्थ और मत दान के लिये प्रस्तुत की जायेगी। मांग संख्या 33 वन मंत्री महोदय।

अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण

राव श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,94,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या, भू-राजस्व।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9, भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,17,21,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : मांग संख्या 36.

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92, भूमि-धारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

मांग संख्या 33

1. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (वनों के विकास सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 1

2. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व में वर्तमान प्रशासन और उसके स्वरूप में आवश्यक शुल्क की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

Page No. 67

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मांग संख्या 36

3. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92–भूमि-धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षति-पूर्ति भुगतान के सम्बन्ध में सरकारी व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

4. श्री शंकरलाल (जैतारण) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (वन विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के बारे में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 1

5. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मन्दिरों की भूमि का मुआवजा देने की नीति के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

6. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (एलाटमेन्ट की भूमि का कब्जा दिलाने व एलोटमेन्ट रद्द करने की नीति का अननुमोदन)।

7. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू इन्सपेक्टर्स का पद समाप्त कर खर्चे में कमी की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून की क्रियान्विति हेतु अधिक स्टाफ लगाकर निर्धारित समय में क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के पद को लोकतांत्रिक नीति के अनुसार उपयोगी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारी का पद समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेदखली के मामलों को निबटाने हेतु अतिरिक्त तहसीलदारों की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यक्तिगत तालाब, बांध और कुओं को शीघ्र अधिग्रहीत करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

13. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (इमारती लकड़ी तथा बांस का 10 साल के लिए ठेका बन्द करने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

(श्री हीरा भाई)

14. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्र में से उत्पादन काबिल भूमि भूमिहीनों में वितरित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती से उतनी आय वाली जमीन का लगान समाप्त करने की आवश्यकता पर, जितनी कि कृषक की उदर–पूर्ति के लिये आवश्यक है, चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

16. श्री हंसराज आर्य (भादरा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग ने लम्बे समय के बाद भी हनुमानगढ़ क्षेत्र के हजारों एकड़ रकबे में नाम मात्र का जंगल लगाया है तथा वन विभाग के ठेकेदारों ने लम्बी धनराशियां ठेकों की वसूली की बाकी चली आ रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन भूमि पर लोग जगह जगह पर नाजायज रूप से काश्त कर रहे हैं, जिसे वन विभाग रोकने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग सड़कों, नहरों तथा रेलों के किनारों पर जहां पर काफी मात्रा में भूमि खाली पड़ी हुई है उस पर पेड़ लगाने में आज तक सफल नहीं रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के जंगलों में से कितने ही लोग चोरी से लकड़ी काट कर, उसका कोयला बना कर चोरी से बाजारों में बेच रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान का रेगिस्तान रोजाना चलने वाली आंधियों के कारण पश्चिम से पूर्व को बढ़ता जा रहा है, जिसे वन विभाग रोकने में असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलात के ठेकों का पैसा पुराने ठेकेदारों से वसूल करने में सरकार असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जगह जगह पर जंगलों की चोरी से कटाई हो रही है, जिसे रोकने में विभाग असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री हंसराज आर्य)

23. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ के जंगल में वन विभाग पेड़ लगाने में लम्बे समय से असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

24. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैटलमेन्ट विभाग में व्याप्त सुस्ती, भ्रष्टाचार व मनमानी रोकने एवं कृषकों को समय पर पास बुकें न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा क्षेत्र में जहां जहां पर भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दो-दो, चार-चार, आठ-आठ, दस-दस बीघे के टुकड़े बाकी पड़े हुए हैं; वे सरकार के नियम होते हुये भी किसानों को स्माल पेचेज नहीं मिल रहे हैं और यदि मिल भी रहे हैं तो बड़ा समय इस काम में लग रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोगामेडी में स्टेशन के पास, जहां पर मंडी के लिये भूमि को खाली रखा गया है, में लोगों ने सैकड़ों मकान बिना मंजूरी के बना लिये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी एरिया की भूमि पर कई स्थानों पर नाजायज मकान बन रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक, 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में व शहरों में जो खातेदारी भूमि आबादी के पास में होती है उसे बिना आबादी में कनवर्ट कराये दो-दो हजार रुपया बीघा का लेकर मालिक भूमि को सरे आम बेच रहे हैं तथा ऐसी बेची गई भूमियों पर कच्चे पक्के मकान बन रहे हैं कोई रोकथाम नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में आबादी के लिये भूमि नहीं रह गई है। आबादी भूमि की भारी समस्या गांवों में उत्पन्न हो गई है, इस पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में रहने वाले के बैनामें के तथा विरासतन के हजारों इन्तकालात बाकी पड़े हुये हैं; उनकी तस्दीक कराने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहां पर सड़कों के लिये किसानों की खातेदारी भूमि एक्वायर की जाती है किन्तु उसका

(श्री हंसराज आर्य)

मुआवजा सड़क बन जाने के बाद में भी वर्षों तक उन्हें नहीं मिल पाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारानी क्षेत्र की सरकारी खाली पड़ी हुई भूमि को पटवारी किसानों से मिलकर काश्त कराते रहते हैं। इस पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा क्षेत्र की, जहां पर सरकारी भूमि खाली पड़ी है, को नाजायज रूप से खुद काश्त कराते हैं तथा सरकार को लगान तक देने को तैयार नहीं हैं, हालांकि वहां पर नहर का पानी लगता है, इस पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी लोग सरकारी वसूली नहीं करके, उन किसानों से, जो धनवान होते हैं, रिश्वत लेकर सरकारी होने वाले वसूली न करके बकाया रखने की नीयत से बाकी रख देते है, इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैंकों से ऋण लेने के लिये किसान जब पटवारियों से फर्दखाता तथा अन्य कागज की नकल मांगते हैं तो ऐसे किसानों से लम्बी लम्बी रकमें रिश्वत के रूप में मांगते है, जो कि किसानों के पास में होती नहीं हैं, इससे किसान नकल लेने में और नकल के नहीं मिलने के कारण ऋण से वंचित रहते हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी लोग जहां चाहे उन गांवों के किसानों की आरजी काश्त भूमि पर तावान लगा देते हैं, समय पर वे किसानों को बताते नहीं है कि तुम्हारे पर नाजायज काश्त का इतना तावान लगाया जा रहा है, इन सब स्थितियों पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग में नीचे के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, इसे रोकने पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ऐसे गांव जो भाखरा क्षेत्र में तो आ गये थे लेकिन उनमें पानी नहीं लगता था, ऐसे गांवों को भाखरा जोन से तो निकाल दिया गया है लेकिन उन गांवों के किसानों को आज तक कागजात में हकूक खातेदारी दर्ज नहीं की गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर

(श्री हंसराज आर्य)

और चूरू जिलों के गांवों में आज से 8-10 साल पहले सैटलमेन्ट होने पर आज तक सैटलमेंन्ट के कागजात राजस्व विभाग को नहीं सौंपे गये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारानी क्षेत्र के गांवों के खिदमतगार यानी नाई, कोतवाल, वगैरह को, आज से 3 साल पहले सदन में घोषणा करने के बाद भी बेगार देनी पडती है तथा राज्य सरकार आज तक नोहर भादरा तहसीलों के खिदमतगारों को उनकी कब्जा काश्त भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दे सकी है, इन पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार सदन में बार बार घोषणा करने के बाद भी आज तक गांवों के किसानों को पास बुकें नहीं बंटवा सकी है, इस पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने, जहां पर 5–5 व 6–6 अकाल पड़ चुके हैं वहां पर अव्वल तो भू-राजस्व को माफ नहीं किया है और यदि किया है तो केवल एक साल का माफ किया है जो कि न्यायसंगत नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार ने बारानी क्षेत्र के ऐसे गांवों के काश्तकारों को उनके काबिज काश्त की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये हैं जो कि सन् 55 के बाद से आज तक बराबर 15-16 साल से काश्त करते चले आ रहे हैं, इस परचर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चार पांच अकालों के कारण भू-राजस्व को जो बकाया वसूली बाकी रह गई है उसे एक साथ सरकार सख्ती से कुर्की के द्वारा वसूल कर रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : (वि. सं. 177) प्रस्ताव करेंगे कि:–

45. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को औजारों तथा घरों के छावण हेतु सस्ती लकड़ी उपलब्ध न कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इमारती व ईंधन लकड़ी सवाई माधोपुर क्षेत्र में होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर रेंज में वर्ष 70–71 में ही राजकीय सघन वन खण्ड जागीरदार का बतलाकर एक ठेकेदार

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

को काटने की इजाजत दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर कस्बे के आस-पास सघन वन होते हुए भी नागरिकों को सस्ता ईंधन उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

49. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (निजी कुओं से सिंचित तथा नहरी भूमि के लगान में असमानता रखने के बारे में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

50. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सन् 67 से 70 तक पड़े अकालों के समय सवाई माधोपुर, खण्डार एवं बोंली तहसीलों में लगान माफी के प्रश्न को महीनों निकल जाने पर भी फाइनल न करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

51. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मामलों सम्बन्धी लिटिगेंट पब्लिक को कार्यालयों में पीने की सुविधा उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. डी. ओ. सवाई माधोपुर के दुराचरण के सम्बन्ध में जनसंघ पार्टी व जनता द्वारा मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन देने तथा राजस्व मंत्री जी को बार एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन देने पर भी कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के के लिए)।

53. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस.डी.ओ. सवाई माधोपुर द्वारा एलाटमेंट्स में अनियमितता बरतने व भ्रष्टाचार फैलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर द्वारा डाक बंगले के खर्चे के नाम से रजिस्ट्री वालों से चन्दा एकत्रित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों के मुआवजे के मुकदमें डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में अब तक न निबटाये जाने व मुआवजा न दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

56. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिवाय चक के अनधिकृत कब्जों का नियमन अब तक न करने तथा खण्डार, बोंली एवं सवाई माधोपुर तहसीलों में राज्य सरकार की सख्त हिदायतों के

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बावजूद तहसील द्वारा न निबटाए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (रबी सं. 2026 में ओलावृष्टि से सवाई माधोपुर, खण्डार एवं बोली तहसीलों के काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा घोषित ऋण न देने के बारे में चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू- राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब-डिवीजन की बोंली एवं तहसील सवाई माधोपुर में अलाटेबल सिवाय चक्र भूमि उपलब्ध नहीं होने पर भी हजारों भमिहीन काश्तकारों को वन विभाग से भूमि उपलब्ध न कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा तय न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

60. श्री गंगासहाय (कठूमर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन व राजस्व विभाग के सैटलमेण्ट में सामंजस्य न होने एवं पशु पालकों तथा लकड़हारों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

61. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गांधी शताब्दी वर्ष और वर्ष 1971 में अलाट की गई भूमियों पर कब्जा न देने, चरागाह तोड़ने व ग्रामों में आवासीय भूमि अलाट न करने के बारे में चर्चा के लिए)।

62. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार स्कूल, पटवारियों को राणावत आयोग द्वारा 10 वर्ष सेवा करने पर वेतन वृद्धि न देना व पटवारियों की धांधली पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

63. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ के फोरेस्ट को समाप्त कर जमीन भूमिहीनों को बांट दी जाए, इस पर चर्चा के लिए)।

64. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन लगाने की सरकारी नीति असफल रही है, उदाहरणार्थ हनुमानगढ़ में वन लगाना अक्ल का दिवालियापन ही कहा जा सकता है, इस पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

Page No. 74

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कर दिया जाय (हनुमानगढ़ फोरेस्ट में घास नहीं काटा गया है और पहले का जमा शुदा घास वर्षा से गल गया है इस कारण सरकार को बहुत घाटा हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृक्षारोपण का कार्य टीबों वाली भूमि में किया जावे ताकि रेगिस्तान आगे बढ़ने से रोका जा सके और काश्त की भूमि बेकार न हो, इस पर चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर क्षेत्र में रावतसर नोहर व रावतसर हनुमानगढ़ व रावतसर-पल्लू रोड के दोनों ओर वृक्षारोपण का कार्य काश्तकारों की खातेदारी भूमि में जो किया जा रहा है, उन काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

68. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर के काश्तकारों की भूमि 781 इन्तकाल खारिज हुये थे वे बहाल नहीं किये, इस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के नीचे आने वाली भूमि का काश्तकारों पर लगान लगाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के 12 मील के एरिया में निजी फार्मों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

71. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भू प्रबन्धक (सेटलमेन्ट) डिपार्टमेन्ट के एक ए.एस.ओ. का गंगानगर मुकाम रखने से काश्तकारों को भारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, अतः ए.एस.ओ. का हैडक्वार्टर गंगानगर नहीं रखा जाकर बीकानेर में रखा जावे और ए.एस.ओ. हर तहसील हैडक्वार्टर पर जाकर सबकी सुनवाई करे, इस पर चर्चा के लिए)।

72. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में काश्तकारों पर झूठा तावान कायम शुदा बकाया है, इसकी सही जांच हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (तहसील नोहर भादरा में भूमि अलाटमेन्ट के लिए नोटिस जारी किये गये हैं, वे अंग्रेजी में होने से जनता उनको पढ़ने से मजबूर है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

74. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92 भूमि धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रामचन्द्र आर्य)

100 रुपया कम कर दिया जाय (भाखरा व राजस्थान केनाल क्षेत्र में फर्जी जागीरदार व भूमि धारकों को हजारों एकड़ भूमि कास्तकारी दी जाकर अलहदा मुआवजा तय कर दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

75. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों को बेरहमी से काटे जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

76. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जङ्गल काटना बन्द नहीं करने से वर्षा शनै: शनै: घट रही है फलत: स्थायी अकाल पड़ते रहेंगे, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

77. मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोटी पाने में लोग स्वतन्त्र रहें, इस हेतु भू-राजस्व उठा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

78. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सींगोली, बड़वनी, लाडपुरा श्यामपुरा आदि के रिजर्व फोरेस्ट जिस प्रकार बरबाद हुए हैं उनकी पूरी निष्पक्ष जांच कराने, नये पेडोक्स लगाने, घास की गंजियां आदि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

79. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचाई होने वाली भूमि का लगान कम करने तथा नहर से सिंचित होने वाली भूमि का लगान बढ़ाने तथा जमीन केवल हाथ से खेती करने वालों को अलाट करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डलगढ़ क्षेत्र से कुछ व्यक्तियों को बाला बाला नहरी व जंगलात की जमीन अलाट करने के सम्बंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

81. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (वनों के ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार व बकाया वसूली में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग सं. 33 मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वनों की सुरक्षा नहीं होने के कारण वन बर्बाद हो गये हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No. 76

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मांग संख्या 1

83. मांग सं. 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 1, मुख्य 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को पास बुकें नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की नीतियों के अनुसार अनु-सूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को भूमि अलोट नहीं की गई है, कब्जा व पट्टा नहीं दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

86. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जा ठेके दिये जाते हैं, जैसे कि बौंरा में तेंदू का ठेका सहकारी समिति को दिया गया, उसने फिर ठेका दे दिया, इस पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70 वन के मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वन- प्राणियों की दिनों दिन कमी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 33, शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो कठित है, उस पर चर्चा के लिये)।

89. मांग सं. 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर "गेम सैंन्चूरी' की व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक के भावां, सीतापुर, बनेठा राजकोट, रें देवल में स्थापित करने से वहां के कास्तकारों को असुविधा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 33, शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में वन विभाग द्वारा वन क्लोजर में अनियमित रूप से चराई वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में दिनों दिन वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

93. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No. 77

(श्री दिग्विजय सिंह)

रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा तहसीलदार द्वारा वहां के काश्तकारों से से 85 गुना पैनेल्टी की वसूली पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा तहसील, जिला टौंक में से 30 रुपया पैनेल्टी वसूल की जा रही है, जबकि सरकार ने इसे माफ करने का निर्णय ले लिया है, इस पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में भू-राजस्व समाप्त करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36

96. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92–भूमि धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कु जागीरदारों को, सरकार द्वारा 195 में जागीरें रिज्यूम होने के बाद भी आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया उदाहरणार्थ भूतपूर्व ठिकाना खण्डेला के ठाकुर साहब को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, इस पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 92 भूमिधारकों आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जागीर पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदारों को 6 माह मुआवजा नहीं दिया गया और इस पर जो ब्याज हो गया है, उसे देने का राज्य सरकार का विचार नहीं दिखता, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

98. श्री देवी सत गाड़ित (बारां) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा श्रेष्ट तरीकों से राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को तेंदूपत्ता, गोंद, कत्था, कोयला आदि ठेकों पर देने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जलवाड़ा–नाहरगढ़ रेंज में बारां वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कटी जंगल की हजारों रुपयों की लकड़ी को गायब करने व मामले को दबाये जाने पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां वन विभाग में अकाल के लिये आज से करीब आठ दस वर्ष पूर्व खरीद किए जाने तथा तत्कालीन अधिकारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार व गोलमाल आदि पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय राजकीय व्यापार में बारां व झालावाड़ क्षेत्र में कत्था आदि के उत्पादन में चल रही

Page No. 78

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अव्यवस्था व घोटालों पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहरगढ रेंज के रेंजर्स आदि द्वारा हजारों रुपयों की कीमती लकड़ी जंगल से भ्रष्ट तरीकों से कटवाकर गायब कर देना और उस जांच के मामले को दबाए जाने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां वन विभाग के पुराने घास काण्ड में मुख्य अपराधी वरिष्ठ अधिकारी, एकाउन्टेन्ट व दो क्लर्कों को सजा नहीं देकर मामले को दबा कर बहाल कर देना, लेकिन एक दो गरीब फोरेस्ट गार्ड्स को निलम्बित कर उनको अनुचित ढंग से बरखास्त कर देने बाबत चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज के ग्राम केलवाड़ा, सीताबाड़ी क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन डी.एफ.ओ. द्वारा महुवा का ठेका आदिवासी सहरिया जाति के लोगों की सोसायटी को जो दिया था वह उनको नहीं देकर दूसरे किसी व्यक्ति को दिया गया। इस पर चर्चा के लिये

मांग संख्या 1

105. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद किशनगंज व बारां तहसील क्षेत्र में बंजर भूमि के आवंटन में हुए घोटालों फर्जी कार्यवाहियों पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज शाहबाद, अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, मांगरोल एवं बारां तहसील क्षेत्रों में सहकारी फार्मिंग सोसायटीज़ के नाम पर नियम विरुद्ध बड़े 2 धनाढ्य जमींदार व बड़े 2 भूमिपतियों को हजारों बीघा जमीन आवंटित करने एवं अवसायन में आई हुई सोसाइटोज में पड़ी हुई हजारों बीघा भूमि भूमिहीनों विशेषतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों व अनुसूचित पिछड़ी जातियों के गरीब किसानों को आवंटित की जाने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां उप-जिला क्षेत्र के तहसील क्षेत्रों में वास्तविक गरीब-अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों व पिछड़ी जातियों के गरीब भूमिहीन किसानों को, जो आठ-दस वर्ष से लेकर दो-तीन वर्ष पूर्व तक ट्रेस पासर्स हैं, तहसील द्वारा खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने एवं जुर्माना करने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां, अन्ता, मांगरोल एवं किशनगंज शाहबाद तहसील क्षेत्र की गोचर भूमि पर स्वार्थी तत्वों

Page No. 79

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
द्वारा तहसीलदार आदि की शह पर हजारों बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके पशुओं की चराई करवाने सम्बन्धी स्थिति पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में करीब तीन चार वर्षों में तत्कालीन तहसीलदार शाहबाद व तहसीलदार किशनगंज द्वारा रिश्वत लेकर फर्जी कार्यवाही कर नियम विरुद्ध हजारों बीघा भूमि का किये गये आवंटन पर एवं दोनों तहसीलदारों के विरुद्ध चलाई गई जांच रिपोर्ट को दबाये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36

110. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92—भूमिधारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (कई भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद भी उनका मुआवजा नहीं दिये जाने एवं सम्बन्धित फाइलों को गायब करने के बाबत चर्चा के लिये)

111. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92—भूमि धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम दिया जाने (तहसील किशनगंज क्षेत्र में जमीदारों से जागीरदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त की गई कृषि व जंगल की भूमि का सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाने बाद भी कुछ जमींदारों से जमीन नहीं लिए जाने से सरकार को होने वाले लाखों रुपयों के नुकसान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

112. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (वन विभाग से किसानों को खेती के कार्य के लिये लकड़ी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

113. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9— भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरी क्षेत्र में कुओं से पानी लेने पर लगान एवं नहर पानी से लगान में असमानता के सम्बन्ध से चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

114. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में वन विभाग की ओर से मकानों के लिये पास नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

115. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 1970 में रैंज असनावर—अकानी व खानपुर (जिला—

Page No. 80

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
झालावाड़) में पत्ता तेंदु के ठेके दिये जाने में भारी घोटालों पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेंज बकानी व असनावर, झालावाड़ (जिला झालावाड़) में जलाऊ लकड़ी के परमिट न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में वन विभाग की काबिल काश्त भूमि रेवेन्यू में न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

118. श्री लक्ष्मण तानीलाल (डग) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड में वन विभाग द्वारा जलाने की लकड़ी व घास तथा झालावाड़ की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

119. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में किसानों की भूमि आवंटनादि के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

121. श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (वन विभाग में काबिल काश्त भूमि को राजस्व विभाग में बदलने व पेंडोक बनवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

122. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (जिला सवाईमाधोपुर में वन विभाग की कृषि योग्य भूमि भूमिहीनों को दी जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

123. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार में गांधी शताब्दी में हुए अलाटमेंट में पट्टे नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

Page No. 81

मांग संख्या 33

124. श्री हरजी राम बुरडक (लाडनूं): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (वन सम्पदा को विक्रय तथा ठेका देने में किये गये घोटालों एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

125. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल व राजस्व अपील अधिकारियों के न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर समय पर फैसला नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नायब तहसीलदारों की नियुक्तियों में की गई मनमानी कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या , मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 0 रुपया कम कर दिया जाय (एस.डी.ओ. कोर्ट डीडवाना में चल रहे राजस्व मामलों में लम्बे समय तक फैसले नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या , मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत निम्बीजोधा, तहसील लाडनूं द्वारा आबादी भूमि वृद्धि के प्रस्ताव पर कई वर्ष बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत भामासी, त. डीडवाना के क्षेत्र में पंचायत द्वारा बार बार मांग करने पर भी चरागाह भूमि घोषित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत आगुता त. डीडवाना के क्षेत्र में पंचायत द्वारा बार बार मांग करने पर भी अभी तक चरागाह भूमि घोषित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नामान्तरकरण के मामलों में की गई अत्यधिक देरी पर चर्चा के लिए)।

1 2. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 0 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को पास बुकें देने में बरती गई शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9.भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम तिलोटी तहसील लाडनूं जिला नागौर में गत वर्ष भूमि अलोटमेन्ट में गलत कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No. 82

(श्री हरजीराम बुरडक)

रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष भूमि आवेदन करने में डीडवाना सब-डिवीजन में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि भूमि में रेलवे स्टेशन जसवन्तगढ़, तहसील लाडनूं के पास कंकर की खानें खोदकर कंकर को बेचने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आफिस कानूनगो, लाडनूं, द्वारा ग्राम तीपनी के खसरा नम्बर 110 की फसल का कूंता राजस्व मण्डल के आदेश से किया गया, उसमें फर्जी कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जांय (ग्राम तीतरी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में पत्थर की खान का गलत इन्द्राज करके उक्त भूमि को खातेदारी में दे देने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (नागौर जिले के 25 पटवारियों का अभी तक नये वेतनमान में फिक्सेशन नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बीजोधा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के पटवारी द्वारा नेशनल सर्टिफिकेट के नाम पर ली गई रकम के गबन कर लेने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी वाकलिया, तहसील लाडनूं जिला नागौर द्वारा काश्तकारों को वितरित की गई पास बुकों में काश्तकारों की सारी भूमि नहीं लिखने, खेतों का नक्शा साथ में नहीं देने व गलत इन्द्राज करने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जांय (ग्राम निम्बीजोधा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर की गौशाला के तालाब की भूमि का गलत रूप से आवण्टन करने के कारण उसे खारिज करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36

142. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92-भूमि धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों को देरी से दिये गये मुआवजे के ब्याज के भुगतान के पेश मामलों पर समय पर निर्णय नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 33

143. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी स्तर पर जंगलों की कटाई से हो रही हानि के बारे में चर्चा के लिये)

144. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक–70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी.एफ.ओ., अजमेर कार्यालय के ड्राईवर की चुनाव अवसर पर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने के विषय में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही व आबू क्षेत्र के वनों के बांस व लकड़ी, कोयला व कत्थे के ठेकों में नाजायज कटाई पर पेनल्टी लगाकर, उन्हें गलत ढंग से स्थगित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू, उदयपुर, भरतपुर, बून्दी, चित्तौड़ क्षेत्र के बांस व कत्थे के वर्ष 67–68 के ठेकों में अनुचित व गैर कानूनी ढंग से अवधि बढ़ाए जाने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कूप कत्था करौली रेंज का ठेका वर्ष 1971 में ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर राज्य डेजर्ट डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (वन) के सम्बन्ध में धांधली व घास बीज तथा तार खरीद में भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खंडार व सवाई माधोपुर रेंज के वर्ष 69–70 व 70–71 के गोंद के ठेके में की गई गड़बड़ी के बारे में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 1

150. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में भूमि के वर्गीकरण में सीलिंग की दृष्टि से, सौतेला व्यवहार किए जाने पर चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदार व जिलाधीश बूंदी द्वारा मांगली बेटर को–आपरेटिव फार्मिंग के मामले में लिक्वीडेटर की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा में भूमि के आवंटन में पक्षपात व अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

153. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम बोदल की खसरा 199 की भूमि के आवंटन में किए गए पक्षपात व अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

154. श्री जुझार सिंह (रामगंज मंडी): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक) व्यय के बढते रहने व वन विभाग की आमदनी कम हो जाने पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नदियों के बीहड़ों में वन लगाने के कार्यक्रम हाथ में नहीं लेने व राज्य में वन सम्पदा बढ़ाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जानबूझकर सक्रिय कदम न उठाने पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों की अवैधानिक कटाई करके कोयला बनाने व बेचने व सरकार द्वारा इस बात को नजर अन्दाज करके चलने पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्वीज सीजन में वन्य पशु पक्षियों का रेस्टोरैन्ट व होटलों में इस्तेमाल व विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग की गलत नीतियों के कारण वन सम्पदा में हो रही कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

159. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेसपासर्स को साल दर साल रेग्यूलराइज करते रहने की गलत नीति के फलस्वरूप वास्तविक भूमिहीनों को हो रहे नुकसान की ओर ध्यान दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीलिंग कानून के सम्बन्ध में सलाह देने हेतु वकीलों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में भूमि कटाव व जल भराव की समस्या को ध्यान में नहीं रखते हुए सीलिंग कानून के तहत उपज के अनुपात में रकबा नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

162. श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादवा तहसील सांभर के गंवाई जंगल को चरनोट में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री पी. के. चौधरी)

मांग संख्या 1

163. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाय (भू–राजस्व में असमानता के बारे में नीति का अननुमोदन)।

164. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पास बुकें वितरित करने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

165. श्री केसरीसिंह हाडा (हिंडोली): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70- वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में जंगलों की कटाई में वन विभाग पूर्णतया असफल, अयोग्य और राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु मंत्रियों की इच्छानुसार कार्य करने के कारण राष्ट्र-निधि समाप्त हो जाने पर चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी शहर के पांच मील के दायरे में सरकार द्वारा जंगलों की कटाई नहीं रोकने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

167. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की नामकरण में पाबन्दी लगाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

168. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक –9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व-सम्बन्धी रेकार्ड व पैमाइश के बारे में चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से सौ रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जवठीकलां के कांकड़ की भूमि काश्तकारों से छीन कर रूंगटा सेठ को बेचान पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसीलों में भू–आवण्टन कार्य में पक्षपात व धांधली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

171. श्री विजयसिंह (मकराना): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जंगलों को बुरी तरह काटने, आबू में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने व मंत्रियों को शिकार कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

172. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना के पटवारी नवाबअली के बारे में लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 33

173. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा दिये जाने वाले वन उपज के ठेकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (राजस्थान के वन विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार व अवैधानिक कार्यों पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कोटा जिले में काश्तकारों को कोसवलीता व खेती के काम आने वाली लकड़ियों के पास देने वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा फैलाये हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

176. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 00 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में भू-राजस्व की अवमानता व वसूली में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में प्रत्येक जिले का भू-राजस्व असमान होने की स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

178. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले को रेगिस्तान विकास योजना से वंचित करने एवं सरकार की पक्षपात वृद्धि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

179. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थाई भू-बन्दोबस्त के अभाव में नामान्तरकरण का समय पर इन्द्राज नहीं होने बाबत चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिले में स्थाई भू-बन्दोबस्त पूर्ण होने से पूर्व व नामान्तरकरण नहीं होने के कारण सरचार्ज व भू-राजस्व की अनियमितता रूप से वसूली पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर फील्ड फायरिंग से प्रभावित जनता से अनियमित रूप से भू-राजस्व भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

182. देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वन सम्पदा को

(श्री बालसिंह सोढा)
नष्ट न कराने तथा ठेकेदारों को वनों के ठेके नहीं देने बाबत चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में छोटी जोत का लगान नहीं लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

84. श्री देवीलाल बरासिया (केकड़ी): मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 00 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों को समय पर ठेकों की स्वीकृति न देने से लाखों रुपयों का नुकसान होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली रेंज के घटियाली एवं जसवन्तपुरा जंगलात में पशुओं की चराई के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में व्याप्त चरम सीमा पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

187. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी एवं सरवाड़ तहसीलों में धारा 91 के मामलों में अत्यधिक मात्रा में शास्ति लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लए)।

18. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 00 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी उपखण्ड में तरमीम चकबन्दी के सम्बन्ध में आये हुए अमीनों द्वारा भ्रष्टाचार पनपाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

189. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर के खेवटदारों की खेवटदारी समाप्त कर उनको बहुत कम मात्रा में क्षतिपूर्ति अदा करते हैं, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी एवं सरवाड़ नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत आये हुए वर्षों से काबिज काश्तकारों को खातेदारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी नगर में शामलात कमेटी की जमीनों पर बिना पेनल्टी लगाए खातेदारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी क्षेत्र में जमाबन्दी में 21 वर्ष के जो नाबालिग दर्ज हैं वह आज भी नाबालिग ही रखे हैं, उनको दर्ज दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

193. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जुनिया के परिगणित जाति के काश्तकारों की जमीन की किस्म में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धारा 91 में स्टिप लैण्ड की खातेदारी बिना पैनल्टी लगा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

195. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में वन विभाग व्यापक रूप से गांवों व कस्बों के पास वृक्षारोपण करके वन सम्पत्ति बढ़ाने और सरकारी बीड़ों को संरक्षित करने में असमर्थ रहा है और इस सम्बन्ध में पूरी उपेक्षा की है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

196. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में राजस्व विभाग के अन्तर्गत चरागाह, जोहड़ ताल, बीड़, सांसण, ओरण आदि की घोर उपेक्षा करके उनमें स्थित पुराने पेड़ पौधे, वनस्पति को भारी क्षति पहुंचाई हैं तथा शहरों के पास के बीड़ों को गैर कानूनी तौर से प्राइवेट व्यवस्था में दे दिया गया है जो मनमाने ढंग से नष्ट कर रहे हैं, इस दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में आबाद गांवों के पास गोचर भूमि और आबादी भूमि में सरकारी पड़त भूमि को न छोड़कर आबादी तक काश्त के लिए भूमि आवंटित करने के कारण पीने के पानी हेतु कुण्ड, कुए, कुइयां बनाने के लिए और आबादी के आवास एवं पशुओं के लिए भूमि की समस्या हो गई है जिसके समाधान हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

198. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70--के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा पदोन्नति हेतु ठोस कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

199. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलाटमेंट ऑफ लैण्ड एवं दफा 91 लैंड रेवेन्यू के तहत मुकदमात से किसानों को परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री अमीलाल यादव)
कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की ग्राम जनता को जलाने व कृषि कार्यों के लिये समय पर लकड़ी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नैनवा के ग्राम अरनेड़ा के कूप में पीने के पानी का कुण्ड डिमार्केशन से न निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशोरायपाटन के ग्राम खराड़ता व पापड़ी की कृषि की भूमि को वन विभाग में लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिले की तहसीलों में वन विभाग से कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

204. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग द्वारा कृषकों को अब तक पास बुकें न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व विभाग में समय पर वसूलियां न होने पर चर्चा के लिए)।

206. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसीलों में भूमि आवंटन करने के बाद समय पर किसानों को कब्जे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में भूमि के नामान्तरकरण करने से रोके जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में कृषकों को पास बुकें न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में भू-राजस्व की वसूली समय पर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

210 श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों में जो कृषि योग्य भूमि है उसको सिवाय चक में लेकर पिछड़े लोगों को बांटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 33

211. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग में वनों की सुरक्षा न होने के कारण एवं वनों की गैर कानूनी कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

212. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व में समान दृष्टि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

213. श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को भूमिहीनों में बांटने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

214. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय राज्य में भू-राजस्व की समाप्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

215. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांवली स्टेशन (सीकर) के पास वन विभाग की जमीन में बांध बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू एवं बगड़ के बीच स्थित बीहड़ में अनाप शनाप वृक्ष काटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

217. श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के जंगलों की बाउन्ड्री में से काबिल काश्त भूमि निकलवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

218. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सराड़ा तहसील में काश्तकारों पर जो भारी जुर्माना किया उसे माफ कराने और पुराने कब्जों को खातेदारी हक दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा की नाकाबिल काश्त भूमि को काबिल काश्त में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री देवीलाल मीणा)

220. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में लोगों के कब्जे की भूमि चरनोट में दी गई जिसे चरनोट में से निकलवाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

221. श्री किशन लाल दर्मा (सिकराय) : मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों के पास जंगलात के नाम से आराजी को रोक कर गांव वालों को परेशान किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनको वनों के ठेके दिए जाने सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

223. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय (महकमा जंगलात की आराजी में से काबिल काश्त आराजी को अधिक से अधिक निकाली जाकर सिवाय एक में परिवर्तित किए जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

224. मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों व बड़े बड़े गांवों के पास रहने सम्बन्धी कठिनाई को दूर किए जाने के लिए जंगलात की आराजी को आबादी की आराजी में अधिक से अधिक परिवर्तित किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

225. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय के नाजायज कब्जों के मुकदमों को जल्दी से जल्दी फैसला किया जाकर रेगूलराइज करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्य जिलों की अपेक्षा जयपुर जिले का लगान जो कई गुना है उसको कम किया जाकर लगान का समानीकरण किया जाए, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

227. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय जयपुर जिले के किसानों को जल्दी ही पास-बुकें दी जाकर उनकी कठिनाई को दूर किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 33

228. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़): मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग से काश्तकारों को आने वाली समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

229. श्री दुर्गालाल हाडदार (हवा-महल): मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (प्रगतिशील राजस्व नीति के अनुरूप कार्य न करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

230. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय भू-सम्पत्तियों का समुचित प्रबन्ध करने में असफलता के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 1

231. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों को भू-राजस्व से राहत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

232. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अदालतों में व्याप्त लाल फीतेशाही तथा अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू अदालतों में होने वाले विलम्बित निर्णयों पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पटवारियों तथा गिरदावरों पर की जा रही मनमानी कार्यवाही पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

235. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नामांतरकरण का समय पर इन्द्राज नहीं होने बाबत चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील में गोचर भूमियों पर नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के डूब में भूमि आने के उपरान्त भी खातेदारों से लगान वसूल करने बावत चर्चा के लिये)।

238. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राजस्व मण्डल द्वारा मुकदमों के निबटारे की शिथिलता के बारे में चर्चा के लिए)।

239. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे की रकम का ब्याज नहीं दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

(श्री पृथ्वीसिंह चौहान)

240. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को पास-बुकें नहीं मिलने बाबत चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील में सेटलमेन्ट की मांग के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन के वक्त कृषकों को वास्तविक कब्जा नहीं दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 36

243. मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92-भूमिधारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों को मुआवजे की रकम के ब्याज की अदायगी बावत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

244. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की भूमि सुधारों के सम्बन्ध में नीति का अननुमोदन)।

245. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में सिरसका सैंचुरी सीमा में सिवाय चक जमीन पर अलाटमेंट की पाबन्दी हटाने पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में माधोगढ़ खुशलगढ़, इरोख आदि गावों के किसानों द्वारा अनधिकृत काश्त को नियमित कराने और पेनल्टी समाप्त कराने पर चर्चा के लिये)।

247. श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जो लगान वसूली हो रही है, उस सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

248. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कानून को क्रियान्वित करने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

249. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरणकरण (म्यूटेशन) की कार्यवाही में देरी करने एवं उसमें भ्रष्टाचार फैलाने से किसानों में असंतोष पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कम कर दिया जाय (पटवार मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसको दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के सुदरा हरसाणी, जेसिधी. सेपूसर एवं गिराव ग्रामों को अनेक रैवेन्यू ग्रामों में विभाजित कर उन्हें पृथक ग्रामों में तय करने के लिये जिलाधीश बाड़मेर एवं रैवेन्यू बोर्ड से सिफारिश के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा विभाजन करने में ढिलाई बरतने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पत्रकारों को पास बुके दिलाने में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासक द्वारा ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

253. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-आवण्टन में पक्षपात एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

254. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

255. श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विगोड़ी की दरों में डिसपैरिटी है और बिगोड़ी की तीन साल की वसूल की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 1

256. राजकुमारी श्री कृष्णसिंह (सरदार शहर): मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालय में समय पर काम न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

257. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के अलाटमेंट व तबादलों में जो घोटाले किये गये हैं उन पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में पटवारियों तहसीलदारों व दीगर रेवेन्यू स्टाफ में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

259. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड में 75 प्रतिशत मेम्बर्ग रेवेन्यू लॉज के एक्सपर्ट्स होने एवं उनकी नियुक्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

(राजवी श्री रूपसिंह)

260. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड के कार्यालय को जयपुर में शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड के कोर्ट-आवर्स 10 से 5 तक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड में काबिल लीगल एडवोकेट्स की कमी के कारण लिटिगेट्स को असुविधा व मेम्बर्स की लीगल पोइन्टस पर पूरी इमदाद न मिलने बाबत चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू बोर्ड में केसेज के फैसलों की अनुचित दरें को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में तहसीलदारों व दीगर रेवेन्यू आफिसरों के तबादलों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

265. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनको में एक साथ ही मूव करता हूं।

जहां तक राजस्थान की वन सम्पदा का प्रश्न है यह निर्विवाद सत्य है कि धीरे धीरे यह कम होती जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य को कुल 3 लाख 38 हजार 400 स्क्वायर मील का क्षेत्रफल में से वन का अब 37 हजार 525 स्क्वायर मील का एरिया ही रह गया है और इस एरिया के अन्दर से भी अब धीरे धीरे वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि आप अगर 68-के आंकड़े देखेंगे तो उस वर्ष में सरकार को 35.36 लाख का घाटा हुआ है। 69-70 के वर्ष में आपको 77 लाख का घाटा हुआ है। तो यह अपने आप में सिद्ध और स्पष्ट है कि राज्य की वन सम्पदा से जो आमदनी होनी चाहिये वह आमदनी होने के बजाय उसके अन्दर घाटा होता जा रहा है जब कि शुरूआत के अन्दर जब वन सम्पदा राज्य सरकार को दी गई थी उसके बाद के वर्ष के अन्दर 56-57 और 63-64, 64-65 वर्षों में राज्य सरकार को बहुत आमदनी हुई उपाध्यक्ष महोदय, इस घाटे का जहां तक सवाल है मातो इससे यह सिद्ध होता

(श्री दिग्विजयसिंह)

है कि वन सम्पदा के अन्दर अधिक चोरियां होती हैं, इल्लीगल फेलिंग होती है या इसके अन्दर जो वसूली की जाती है उसमें गड-बडी की जाती है और इस तरह से राज्य के अन्दर यह वनसम्पदा धीरे धीरे कम होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं दूसरा प्रश्न इस घाटे का जहां तक समझा गया है वह यह है कि हमारे वन मंत्री महोदय या सरकार वन की भूमि काश्त के लिये रिलीज कर देते हैं एक तरफ हम बात करते हैं वनों की सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा होनी चाहिये और दूसरी ओर वन भूमि को निकालकर काश्त के लिये दे देते हैं। इससे राज्य को खास तौर से वनो का घाटा होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत वन मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले आपने जो घोषणा की थी प्राइवेट फारेस्ट के सम्बन्ध में। आप प्राइवेट फोरेस्ट की स्कीम को लागू करें मुझे याद है कनाडा के अन्दर जहां पर कि बिलकुल इतने क्षेत्रफल के वन हैं जितना कि यह प्रदेश है वहां वन सम्पदा बहुत है, और वहां की आमदनी आज वनों से इतनी ज्यादा है कि आज उसका इंडिया से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि वहां पर प्राइवेट फोरेस्ट स्कीम को लागू किया गया है। प्राइवेट फोरेस्ट स्कीम में जमीन को लीज पर देते हैं और उन पर सरटेन इन्स्ट्रक्शन इम्पोज की हुई है उनको दो, चार, छः दस मील का एरिया लीज पर दिया जाता है। यह यह इन्स्ट्रक्शन भी इम्पोज की होती है कि इसके अन्दर आप ट्रीज को नहीं काटेंगे और न बेचेंगे और जो अन्य सुविधाएं हैं वे उसको लेते रहेंगे। अगर यह स्कीम आप लागू कर देंगे तो मैं समझता हूं कि फोरेस्ट विभाग को काफी आमदनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह करना है कि अभी तक राजस्थान का निर्माण होने के पश्चात् भी ग्रेजिंग का रेशनलाइ-जेशन नहीं हुआ है। आज हर जिलों में ग्रेजिंग की रेटस अलग है। कहीं गायों की चराई ली जाती है और कही नहीं ली जाती है। आज इतने वर्ष होने के बाद भी हमारे वन विभाग में चराई के सम्बन्ध में इकजाई नियम नहीं हैं जहां पर रेशनलाइज्ड टर्म से ग्रेजिंग फीस ली जा सके और उससे कम से कम यह मालूम हो कि इस तरह की फीस लगी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गेम सेंक्चुअरी के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज गेम सेंक्चुअरी की स्थिति, बराबर खराब होती जा रही है। आपको स्वयं को याद होगा नेपाल के महाराजा पधारे थे। सिर-सका गेम सेंक्चुअरी में उनके लिये खास तौर से टाइगर शूटिंग का इन्तजाम किया गया था और इसके लिये वन विभाग द्वारा काफी खर्चा भी किया गया। नेपाल नरेश पधारे और उस मचान पर पधारे जहां से उनको टाइगर शूट करना था। शूटिंग के बाद वहां पर टाइगर तो क्या खरगोश भी नहीं निकला। गेम सेंक्चुअरी के अन्दर जहां पर कि इतना प्रोटेक्शन है, इतनी इमदाद हम करते हैं, आज उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। वहां का जो रक्षक है वही वन प्राणियों का भक्षक बना हुआ है वह लोगों से मिल मिला कर अनआथोराइज्ड शूटिंग

(श्री दिग्विजयसिंह)

करवाता है। इस प्रकार गेम सेंक्चुअरी की हालत दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है।

जहां तक गेम सेंक्चुअरी माधोपुर का प्रश्न है यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी हमेशा से उपेक्षा की जाती रही है। अन्य गेम सेंक्चुअरी एक नेचरल गेम सेंक्चुअरी है। उसका जो प्रोटेक्शन है वह नेचुरल है।...

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष जी यहां पर आक्षेप किया गया है गेम वारडन पर इज देअर एग्जाम्पल क्योंकि वारडन यहां पर नहीं है और इस पर मंत्री महोदय मौन हैं। हम भी जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली गेम वार्डन के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप नाम खुलाना चाहते है ?

श्री मदन सिंह : गेम वार्डन नाहर मारते है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य ने सुना नहीं। मैंने कहा शूटिंग कराई जाती है अब जानवर मरे या न मरे यह दूसरी बात है लेकिन अन-आथोराइज्ड तो हो गया। तो उपाध्यक्ष महोदय माधोपुर गेम्स सेन्कचुरी के बारे में निवेदन किया। वन विभाग की गेम्स सेन्कचूरी के सम्बन्ध में बड़ी मेग्लीजेंस रही है। आज जो पोस्ट है वह मेरे ख्याल से असिस्टेन्ट वार्डन की है जबकि माधोपुर का क्षेत्र 155 स्क्वायर माइल का है। इसके मुकाबले में दूसरी जगह के क्षेत्रों में 55, 55 और 65-65 स्क्वायर माइल के क्षेत्र हैं। पाबू में तो मेरा जहां तक ख्याल है 35 और 50 के बीच का क्षेत्र ही है यदि आप माधोपुर गेम्स सेन्कचुरी को देखेंगे तो अन्य सेन्कचुरियों से लाख दर्जा अच्छी है। इतने पेड़ हैं कि आपको अन्य गेम्स सेन्कचूरी में नहीं मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं माधोपुर गेम्स सेन्कचुरी में गया हूं चूंकि वह मेरे क्षेत्र के पास पड़ता है। 56-57 में जितने वन प्राणी मिलते थे उतने आज नहीं हैं। परन्तु फिर भी अन्य गेम्स सेन्कचुरी के मुकाबले काफी अच्छी है। अभी भी दिन में 4-6 टाइगर जरूर मिल जायेंगे। अन्य गेम्स सेन्चूरी में व्यवस्था करने के बाद भी जानवर नहीं मिलते हैं। माधोपुर गेम्स सेन्कचुरी के बारे में आपने वार्डन नियुक्त कर रखा है। उस सम्बन्ध में उन्होंने आज दिन तक गेम्स सेन्कचुरी के सम्बन्ध में क्या क्या रिपोर्ट दी, क्या जस्टिफिकेशन दिया और गेम्स सेन्कचुरी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाय जो भी जानकारी हो, कही जाय राज्य सरकार को और राज्य सरकार ने उस पर आगे क्या कार्यवाही की यह जानकारी दें।

उपाध्यक्ष महोदय यह अन-आथोराइज्ड शूटिंग जिसका कल भी प्रश्न था, माननीय मन्त्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया कि चार मामले चल रहे हैं, नाम बताये नहीं। चार के विरूद्ध कार्यवाही चल रही है और उनके मुकदमें पेंडिंग हैं। इसका कारण ... है। ... उपाध्यक्ष महोदय। जो टाईगर हैं इन्होंने इन्टरनेशनल मार्केट केपचर कर रखा है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं शूट नहीं करते हैं और इस प्रकार हत्या करते हैं कि जब वाटर टैंक्स पर आते हैं पानी पीने के लिये तो उसमें पाइजन मिला देते हैं और इस तरह वह

Page No. 98

(श्री दिग्विजयसिंह)
समाप्त हो जाता है। ऐसे केसेज मैंने देखें है और व्यक्तिगत निवेदन भी किया और आज भी इस प्रकार के केसेज फारेस्ट में होते हैं। विभाग ने आज तक इन वाटर पोन्ड्स पर ध्यान नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो गार्ड्स हैं और जो उनको एरिया दिया हुआ है मेरे ख्याल से 6 मील दे रखा है, वह उनको केपीसिटी के बड़े हिसाब से ज्यादा पड़ता है, इसलिये गार्ड्स की स्ट्रेन्थ बढ़ाई जाय। गार्ड्स की स्ट्रेन्थ बढ़ाने से वाटर पोन्ड्स हैं उनमें पाईजन मिलाने की स्थिति को रोक पायेंगे वरना नहीं रोक सकेंगे।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय शिकार के संबंध में जिस प्रकार शिकार के परमिट देते हैं वह 15 दिन के रेस्ट से दें। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि एम. पी. के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था है। एम. पी. में सूटिंग ब्लाक्स के लिये इस प्रकार की व्यवस्था है कि उनके जितने ब्लाकस् है उन ब्लाक्स् को इयर मार्क कर रखा है और सरटेन ब्लाक्स को बन्द कर रखा है और दूसरे ब्लाक्स को खोल दिया है। आप भी इस प्रकार की व्यवस्था बना सकते हैं लेकिन्ड फोर्ट नाइट में कम्पलीट रोक दें।

श्री जुझार सिंह: आपको मालूम है यहां भी इन्टरनेशनल प्राणी बैठे हैं।

(10-54 म.प.)

(श्री विजय सिंह, सभापति पदासीन)

श्री दिग्विजय सिंह : वे तो ऐसे ही बैठे हैं। सभापति महोदय, अन-आथोराइज्ड शूटिंग है। इसके अन्दर यह कहा जा सकता है कि आपके जो वन अधिकारी हैं वे लोग भी मिले हुये हैं। और माधोपुर का जो ब्लाक है उसके अन्दर काफी शिकार है और सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जयपुर से हर वीक में पार्टी जाती है और शिकार होता है..

एक माननीय सदस्य : उनियारा से भी जाते है।

श्री दिग्विजय सिंह : हां, जाते है। मैं भी साथ जाता हूं। मुझे साथ ले जाते हैं तो साथ जाता हूं वे कहते हैं चलो आप भी चलो तो जाता हूं। यह जो पार्टी जयपुर से जाती है और माधोपुर में जाकर शिकार खेलती है इसके अन्दर जो डी. एफ. ओ. हैं उनको जानकारी है। उनके खुद के मिलने वाले मित्र हैं वे उन्हीं के गेस्ट होकर ठहरते हैं। शनिवार को यहां से रवाना होते हैं और रविवार को शिकार करके लौटते हैं। यह तो, सभापति महोदय, ऐसी बात है बाड़ का रख वाला हो वही बाड़ को खा जाय तो फिर रक्षा करने वाला कौन रहेगा।

अब मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारी राज्य सरकार ने एक वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना रखा है। अब इस बोर्ड का क्या मकसद है, मैं नहीं समझता हूं मेरे ख्याल से इसके 36 या 40 मेम्बर होंगे। इस बोर्ड की यह स्थिति है कि जो भी यह चाहता हैं कि मेरा आना चाहिये उसका नाम जोड़ दिया है। इस बोर्ड के शुरू शुरू में मेरे ख्याल से 15 मेम्बर थे, लेकिन आज 15 मेम्बर से बढ़

Page No. 99

(श्री दिग्विजयसिंह)

अगर उनसे 3:-36 हो गये हैं। जब पूछा जाय कि आपके वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या अनुभव हैं। तो वे शून्य हैं। उनके इस सम्बन्ध में कोई अनुभव नहीं है। मेरा निवेदन है कम से कम कोई अनुभव के आधार पर तो नियुक्ति की जाय, जो वाइल्ड लाइफ मे इन्टरेस्ट रखते हो, सूटिंग के बारे में कुछ जानते हों, फारेस्ट के बारे में उनको कुछ जानकारी हों तब तो ठीक है लेकिन सभापति महोदय, जो इन्डस्ट्रिलिस्ट हैं या उनके जो रिप्रजेनटेटिव हैं श्री के. एल. जैन हैं, उनको क्या जानकारी है? वह यहां चमचागिरी करते हैं। उनको यह मालूम नहीं हैं कि वाइल्ड लाइफ कैसी होती है। उनको पता ही नहीं है कि खरगोश कहां रहते हैं। पेंथर और लेपर्ड कहां रहते हैं। पेंथर और लेपर्ड में क्या फर्क है ?

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री जुझार सिंह : डिप्टी मिनिस्टर को पता है।

श्री मदन सिंह : मन्त्री को पता है। उपमन्त्री को पता है।

श्री दिग्विजय सिंह : यह उपमन्त्री जी बतायेंगे, पेंथर और लेपर्ड में क्या फर्क होता है।

श्री मदन सिंह : यह क्या बतायेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष को पूछा था

श्री जयनारायण सारोदिया : क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे ?

श्री सभापति : आप क्या इन्टरव्यू ले रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे जहां तक जानकारी है, मध्य प्रदेश में केवल 10 सदस्य हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं तो बहुत दिनों बाद बोला हूं। अभी तो शुरू ही किया है।

तो सभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ बोर्ड में कम से कम सदस्य रखें। वह जो कुछ सुझाव देते हैं, क्या राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? क्या आपने फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ? जिससे की बढ़ोत्तरी हो सके। मैंने गतवर्ष माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि सीतापुर, बनापुर, राजकोट इनमें बड़ा अन-आथोराइज्ड ग्रेजिंग हुआ है। आप सभापति महोदय, आश्चर्य करेंगे कि वहां फोरेस्ट गार्ड बैठे हुये हैं। बैलों की जोड़ी छूट रही है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि एक जोड़ी का 20 रु. देते हैं। इस तरह से 10 हजार रुपया इकट्ठा किया गया है। उनकी शिकायत मैंने खुद ने माननीय मन्त्री महोदय को की है। दरख्वास्त पेश की है। आपने अविलम्ब जांच करने का आदेश दिये हैं। पर जहां तक मुझे जानकारी है, जांच पूरी हो गई है। लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आप हम को भी जांच में शामिल करते हैं। जब हम तथ्य देते हैं। जांच से पता चलता है कि अन-आथोराइज्ड ग्रेजिंग हुई है। अगर जरूरी कार्यवाही नहीं होती है तो उससे आप पर भी लांछन आता है। तो आदमी यह सोचता है कि ऊपर तक मिले हुये हों। जबकि मैं जानता हूं कि आप इस प्रकार के आदमी नहीं हैं। लेकिन उस पर

(श्री दिग्विजयसिंह).

कार्यवाही नहीं होती है तो स्वाभाविक रूप से यह समझा जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस व्यक्ति पर क्या क्या कार्यवाही हुई है? क्या क्या एक्शन हुआ है?

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वन मन्त्री महोदय से कि आप के विभाग में डिले बहुत होती है। उनका कारण यह है कि आप के पास रैवेन्यू कम् फारेस्ट सेक्रेटरी हैं। उनके पास रेवेन्यू का काम इतना रहता है उनको फुरसत ही नहीं मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि या तो आप अलग से सेक्रेटरी की पोस्ट क्रियेट करवायें या फिर आप के जो सी. सी. एफ. हैं उनको ही यह पावर्स दे दें जिससे कि फारेस्ट के मामले शीघ्र ही डिस्पोजआफ हो सकें। फारेस्ट के मामले यह देख लेंगे और रेवेन्यू के मामले उनको रैफर हो जायेंगे। आज होता यह है कि सी सी एफ के यहां से कागज रेवेन्यू सेक्रेटरी के यहां जाता है। इससे देर होती है। सभापति महोदय, अब मैं राजस्व विभाग से सम्बन्धित जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं, उन पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं। पिछले वर्षों भी यह घोषणा की गई थी कि छोटी जोतों पर लगान नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में वह वापिस ले लिया गया। तो माननीय राजस्व मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जैसा कि कुनेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया था कि जैसे किसी के पास 15 बीघा जमीन है और उसने 8 बिस्वा जमीन इन्क्लूड कर ली है तो उसके ऊपर भी सेक्शन 91 की कार्यवाही होती है। लाखों केसेज में कार्यवाही हो रही है। यह समस्या राजस्थान में हो रही है। किसी ने स्ट्रिप आफ लैण्ड कब्जे में कर ली है उन पर भी कार्यवाही हो रही है। तो उन पर यह कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जिन काश्तकारों का कब्जा संवत 2011 और 2012 के अन्दर था। राजस्थान का टैनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद आपको लिस्ट बनाकर दे देनी चाहिए। वह तहसील ने नहीं दी है। ऐसी स्थिति में 2011-12 से कब्जा है। 15-20 बीघे पर कब्जा कर रखा है। तो मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि जिनका पजेशन 2011-12 से चला आ रहा है, यदि सेक्शन 91 के अन्तर्गत ट्रीट करेंगे तो यह उचित नहीं होगा। उनको खातेदारी का अधिकार मिलना चाहिए। वह दिलवादें तो आप की अति कृपा रहेगी।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह और निवेदन करना था कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी पास बुक के सम्बन्ध में कि हम पास बुक जल्दी से जल्दी काश्तकारों में वितरित कर देंगे। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी पूछा गया था, उस समय इस सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने व्यवस्था कर दी है कि पास बुक तहसील हैड क्वार्टर पर उपलब्ध हो जाय। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन तक पूरी मात्रा को छोड़कर आधी मात्रा में भी काश्तकारों के नम्बर को देखते हुए तहसील हैड क्वार्टर पर पास बुक नहीं दी गई है। काश्तकारों को पास बुक मिल जायं तो उनको सही स्थिति होल्डिंग की मालूम हो सकती है, और लोन लेने के सम्बन्ध में भी उनको आज जो पटवारी के पास भटकना

(श्री दिग्विजयसिंह)

पड़ता है वह भी न भटकना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि पास बुक की योजना को जल्दी से जल्दी लागू करे ताकि काश्तकारों को अधिक लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज की समाजवादी सरकार, समाजवादी मित्र और साम्यवादी मित्रों से, जो इतनी डींग मार कर काश्तकारों के हितैषी के रूप में बातें करते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, और जो यह नई समाजवादी सरकार बनी हुई है इससे निवेदन करना चाहता हूं जब सरकार काश्तकारों की हिमायती बनी हुई है तो यह सरकार राजस्थान के अन्दर क्यों नहीं सम्पूर्ण भू-राजस्व को समाप्त करती है? इसमें क्या दिक्कत आ रही है? जब आप काश्तकारों के विशेष हितैषी हैं और काश्तकारों का भला चाहने वाले हैं तो क्यों नहीं सम्पूर्ण भू-राजस्व को समाप्त कर देते हैं। मैं निवेदन करूं कि भारतवर्ष में उड़ीसा सरकार ही ऐसी थी, जो स्वतंत्र पार्टी की सरकार थी, जिसने सरकार के गठन के बाद राज्य के अन्दर सम्पूर्ण भू-राजस्व को माफ कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि असली काश्तकारों का हित चाहने वाली सरकार कौन है? आप तो केवल वोट लेने के लिए और षड़यन्त्र रचने के लिए काश्तकार के हित की बात करते हैं। इसके अलावा अभी किया है पंजाब सरकार ने, लेकिन सर्वप्रथम सरकार उड़ीसा की थी, जो स्वतंत्र पार्टी की सरकार थी, जिसने सम्पूर्ण भू-राजस्व को माफ कर दिया। आप तो केवल ढकोसलेबाजी करते हैं और नारे लगाते हैं....

श्री जयनारायण शर्मा दिया: यह तो घोषणा करके, थूक करके चाट गई सरकार।

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, इसलिये मैं राज्य की समाजवादी सरकार से, और जो अपने आपको कहते हैं युवा तुर्क, उनसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री मनोहर सिंह मेहता: तुर्क नहीं तुरक है।

श्री दिग्विजय सिंह: युवा तुर्क सरकार को बाध्य कर दें तो वास्तव में काश्तकारों के नेता सिद्ध हो जायेंगे, वास्तव में ही काश्तकारों के नेता हैं वे जिन्होंने काश्तकारों के लिए आवाज उठाई है। पी. के. चौधरी, जो फुलेरा से आये हैं, उन्होंने बहुत प्रयास इस सम्बन्ध में किया है, मैं खुद उनकी तारीफ करता हूं।

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में मेरा प्रश्न जागीर-कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में है वह यह है कि आज तक कई जागीरदारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। खण्डेला के जागीरदार हैं, उनको न मुआवजा दिया गया है, न इन्टरिम कम्पेन्सेशन दिया गया है...

श्री विजय सिंह: वही कम्युनिस्ट लीडर चाहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: कम्युनिस्ट लीडर सरकार नहीं चलाते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : असली बात पर आ गये अब।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने ही सिखाया है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं. राजस्थान लैंड रिफार्म्स के तहत यह था, आप छः महीने की अवधि के अन्दर सबके कम्पेन्सेशन सैटल कर देंगे और कम्पेन्सेशन दे देंगे। लेकिन वह आप नहीं कर सके, कईयों के दो साल में, कईयों के तीन साल में, कईयों के छः साल में-इस तरह से कम्पेन्सेशन के केसेज फाइनल किये। इसके अलावा, सभापति महोदय, राज्य सरकार को जो कम्पेन्सेशन तय करना था और जब कम्पेन्सेशन तय किया, इसके बीच का जो पीरियड रहा-उस पीरियड के इन्ट्रेस्ट के सम्बन्ध में एक जागीरदार ने रिट की, अपील की आपके यहां पर, आपने उस पर निर्णय दिया कि हम इन्ट्रेस्ट नहीं देंगे। उसके बाद वह रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर गये वहां पर यह फैसला हुआ कि नहीं, कानून के तहत बीच का जो पीरियड था, जितने पीरियेड डिले की, उस डिले के पीरियेड का इन्ट्रेस्ट देना अनिवार्य है। तत्पश्चात रेवेन्यू बोर्ड को जो अपील की गई और रेवेन्यू बोर्ड का जो फैसला हुआ, उसको भी आपने नहीं माना, तो फिर, सभापति महोदय, वह हाई कोर्ट के अन्दर यह मामला ले गये और डूंडलोद के केस के अन्दर हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार को बीच के पीरियेड का ढाई परसेंन्ट इन्ट्रेस्ट देना पड़ेगा। जब हाईकोर्ट का फैसला हो गया तो आपने इन्ट्रेस्ट चुकाया। इसके अलावा अभी हाल ही में मंत्रिमण्डल के सदस्य, राव साहब धीरसिंह के शाहपुर के केस में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ढाई परसेंन्ट इन्टरिम पीरियेड का इन्ट्रेस्ट है वह देना पड़ेगा। मेरा राजस्व मंत्री से निवेदन है कि क्या आप इन्तजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट में इंडिविजुअल जागीरदार जाय और वहां जाकर इस सम्बन्ध में फैसला करायें, और हाई कोर्ट उसमें यह कहे, विद कास्ट आप दें? क्या आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, या और कोई दिक्कत आ रही है? मेरी समझ में यह आज दिन तक नहीं आ रहा है कि आप डिले क्यों कर रहे हैं जब कि हाई कोर्ट का और निर्णय हो चुका है कि आपको देना है। आपको देना है तो आप दे दीजिये, अन्यथा आपके ऊपर यह बर्डन और आ जायगा कि आप विद कास्ट दें।

इन शब्दों के साथ वनों के सम्बन्ध में, जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में, पास बुक के सम्बन्ध में, और जागीरदारों को इन्टरीम पीरियड का इन्ट्रेस्ट देने के सम्बन्ध में अपने कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए मैं अपनी जगह बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहला लैंड रेवेन्यू के रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में, लैंड रेवेन्यू के समानीकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव है-उस पर कुछ कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह आपको विदित है कि लैंड रेवेन्यू की जो टैक्स है वह राजस्थान में बड़े इर्रेशनल ढंग

(श्री पी. के. चौधरी)

से तय की हुई हैं। एक ही किस्म की जमीन की कम से कम पन्द्रह पन्द्रह तरह की रेट्स हैं। एक तो नहरी जमीन की रेट्स आती है, दूसरी चाही की रेट आती हैं, चाही में अव्वल, ए. बी सी डी,. चाही दोयम ए. बी. सी. इस प्रकार एक किस्म की जमीन की पन्द्रह पन्द्रह तरह की रेट्स है। यह चाही की अलग अलग रेटस् हैं, इसी तरह से बारानी के अन्दर अव्वल ए. बी. सी. इस प्रकार की रेट्स हैं, दूसरी बात, सभापति महोदय यह है कि इस प्रकार की जो डिस्पेरिटी है, उसके अलावा यह भी बात देखने में आ रही है कि चाही जमीन का जो लगान है, वह कुछ इलाकों में काफी अधिक है, यहां तक कि नहरी जमीन के लगान से भी अधिक है। खास करके जो एक्स जागीरदारी के इलाके हैं, जहां खालसा नहीं है, वह काफी एरिया है, जयपुर का इलाका है, जयपुर डिवीजन का और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का उसमें काफी रेट हाई है। आप जानते हैं, गंगानगर इलाके में जो नहरी जमीन है, जिसके लगान के सम्बन्ध में पिछली 25 मार्च के सत्र में मुख्य मंत्री ने एलान किया था, उसके माफिक पेरेनियल इरिगेटेड लैंड है, उस पर तेरह रुपये बीघा से अधिक नहीं आता है जब कि जयपुर में 18-19 रुपये बीघा का आता है। उदयपुर में नाथद्वारा, माल्टर साहब की कान्स्टीट्यूएन्सी में देखें, वहां पन्द्रह रुपये बीघा आता है। चितौड़ में चाही जमीन का लगान अधिक आता है। तो इससे यह प्रश्न पैदा होता है कि जब राजस्थान में एक गवर्नमेंट बन गई एक स्टेट हो गया, तो लगान की रेट में इस प्रकार की डिस्पेरिटी क्यों है? जब राजस्थान एक बना तो चपरासियों की तनख्वाह एक हो गई, सिपाहियों की तनख्वाह एक हो गई, आफिसरों की तनख्वाह एक हो गई। इसी प्रकार से जो टैक्स हैं, सेल्स टैक्स है या दूसरे टैक्स हैं वह राजस्थान में एक प्रकार के हो गये। फिर काश्तकारों के साथ में इस प्रकार का भेदभाव क्यों होता है कि अलग अलग जगह की अलग अलग रेट होती है। इसके अलावा जो सेटलमेंट हुआ, तो जो खालसा एरिया था, जहां पर स्टेट को काश्तकार लगान देता था, वहां पर तो लगान कम है, लेकिन जहां जागीरदारी एरिया था, जहां काश्तकार जागीरदारों को सीधा लगान देता था, उस इलाके में जो सेटलमेंट हुआ, उसमें रेंट रेट्स अधिक रखी। इसके अलावा, सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि लैंड रेवेन्यू की रेट्स के चढ़ने के कुछ नार्म्स होते हैं, उसूल होते है, वह लैंड रेवेन्यू एक्ट में दिए हुए है। सेक्शन 152 में इस बात को दिया हुआ है कि आस पास के इलाके की लैंड रेवेन्यू रेट्स को ध्यान में रखेंगे। साथ साथ एक बात यह और कही गई है कि लैंड रेवेन्यू की रेट्स तय करते समय कास्ट ऑफ प्रॉडक्शन और काश्तकार का जो फेमिली के मेन्टेनेन्स पर खर्च आता है–उसको ध्यान में रखा जायगा। मैंने कोशिश की, यह जानने के लिए कि सरकार के पास में यह इन्फार्मेशन है कि एक बीघा जमीन में जो काश्त होती है, चाही जमीन में इरिगेटेड लैंड होती है, उसकी कास्ट आफ प्राडक्शन क्या है, लेकिन वह सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो डिस्पेरिटी है, जहां गंगानगर में नहरी जमीन का, पेरेनियल

Page No. 104

(श्री पी. के. चौधरी)

इर्रिगेटेड का लगान डेढ से तीन रुपया है, कोटा डिवीजन में चम्बल एरिया है, दूसरा एरिया है, वहां नहरी जमीन का लगान साढ़े चार रुपया या पांच से कम है, लेकिन जयपुर में चाही जमीन का लगान, जयपुर डिवीजन में और दूसरी जगहों में चाही जमीन का लगान से सबसे अधिक है, नहरी से अधिक है, पन्द्रह से 18 रुपये बीघा का है।

इस सम्बन्ध में, मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बीघा नहरी जमीन इर्रीगेट करने का खर्चा जो निर्धारित कर रखा है फसलवाइज, इसके लिए मैं मिसाल देता हूं कि गेहूं की फसल में जो पानी का चार्ज होता है, गग नहर का इलाका हो या राजस्थान कैनाल का इलाका हो, चाहे 4 पानी दे चाहे 5 पानी दें एक दिन का 8 रुपया, चंबल एरिया में वहां गेहूं की फसल में चाहे 4 पानी हो चाहे 5–6 पानी, कितना ही पानी दें, 10) चार्ज है। एक बीघा जमीन में फसल पैदा करने के लिए जयपुर जिले में एक काश्तकार को कम से कम 8 पानी देने पड़ते हैं और जो हाई ब्रंड काश्त करते हैं उनको 10–12 देने पड़ते हैं। जयपुर जिले में एक लाख कुंए हैं जिनसे सिंचाई होती है। उनमें से 10 हजार कुएं इलेक्ट्रीफाइड हैं और 85–90 हजार में चरस होती है तो एक बीघा जमीन पर एक पानी देने के लिए दो जोड़ी बैल और चार आदमी होते हैं। खर्चा कितना होता है? तीन तीन रुपया बैल का और तीन तीन रुपया आदमी की तनख्वाह। एक पानी देने के लिए खर्चा 48 रु.। उस हिसाब से आज 8 पानी देने पड़ते हैं तो एक फसल का इर्रीगेशन का खर्चा जो आता है वह जाकर करीब 400) रु. पड़ते हैं जिस जमीन में एक बीघा में गेहूं पैदा करने के लिए चाही जमीन में चरस से सिंचाई करने के लिए 400) खर्च बैठता है वहां नहरी इलाके में गंगानगर व चंबल इलाके में एक फसल में पानी देने के लिए सिर्फ 8 या 10 रुपए का खर्च होता है पूरे पानी का। आप लैंड रेवेन्यू का सेटिलमेंट करते हैं, असेसमेंट होता है वहां कास्ट आफ प्रॉडक्शन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है लेकिन हकीकत यह है कि नहरी इलाके में यहां पर काश्तकार को 4 0) फसल की पिलाई के देने पड़ते हैं तो कहां है? ईक्यूटेबुल चार्जेज कहां हैं?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह आर्ग्यूमेंट अपनी जगह पर है। सवाल सिद्धांत का है। जो बारानी जमीन पर कोई लगान लगता है तो चाही पर उसका दुगुना या चौगुना लेने का क्या अधिकार है?

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी फंडामेंटल बात यह है कि नहरी जमीन में नहर आपने बनाई। कैनाल सिस्टम आपने तैयार किया। उस पर जो आप लेवी लेते हैं वह नामीनल है लेकिन एक काश्तकार को एक कुआं बनाने पर जमीन इम्प्रूमेंट करने का सारा खर्चा उसका आता है, जयपुर जिले में एक कुआं बनाने पर खर्चा करीब 10 हजार से नीचे नहीं आता है। कुआ खोदा हो, लेविलिंग

Page No. 105

(श्री पी. के. चौधरी)

हो, याने सारा इन्वेस्टमेंट काश्तकार ने किया। इम्प्रूवमेंट उसने किया लेकिन फिर उसका टैक्स लेने का आपको क्या अधिकार है? आप कहते हैं कि 20 साल तक नहीं करते लेकिन उसके बाद कौनसा अधिकार पैदा हो जाता है कि जो इम्प्रूवमेंट काश्तकार ने किया, उस पर टैक्स लगायें?

दूसरी बात डिस्पैरिटी का सवाल है, संविधान में समान काम करने के लिए सबके साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। वित्त मंत्री ने जो 25 मार्च को स्टेटमेंट दिया था, तो गंगानगर के सम्बन्ध में, उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक जिले की अपनी समस्यायें होती हैं किन्तु उनको अलग करके नहीं चला जा सकता। जो निर्णय लिए जाय सम्पूर्ण राज्य में लागू नीति के अनुसार होना चाहिए।

तो हम चाहते हैं कि गंगानगर में लागू किया हुआ वह सिद्धान्त सारे राज्य में लागू होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको बराबर हम चाहते हैं...

श्री पी. के. चौधरी : आपने तो मसिल्स दिखाई, हमने नहीं बताई। डेमोक्रसी में जनता की आवाज, उनके साथ जो भेदभाव होता है उसका वह प्रदर्शन करती है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब जनता मसिल्स बताने में मजबूर होती है। आज सारे काश्तकारों को और सब जगह नहरी जमीन नहीं है ज्यादातर जमीन बारानी है या चाही है। तो वहां के सारे के सारे जो लाखों को तादाद में काश्तकार हैं, जयपुर जिले में एक लाख कुएं हैं वह काश्तकार कहते रहते हैं और हम ही कह रहे हैं यह बात नहीं है रेवेन्यू लॉज कमीशन ने भी कहा है। मैं दो मिनट का समय लूंगा। उसने कहा है कि इन्इक्वेलिटी है उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए–

There is urgent need for undertaking revision of assessment in almost the entire State. The existence of disparity between the rents, which is prevalent in the State is partly due to historical reasons as survey and settlement operations were carried out in various covenanting States at different times and in different manner. It is admitted that this disparity is so glaring that there are cases in which the tenant is paying rents at two different rates for two adjacent plots of land of equal value. The different princely State made assessment as it suited them and as they considered proper to fill their coffers.

दूसरी बात कही है अन्त में :

There is a persistent demand from the public to remove this inequality. We are of opinion that this just demand of the public should be met by the State and a scheme should be applied for the rationa-

Page No. 106

(श्री पी. के. चौधरी)

lisation of the land revenue rates."

तो रेवेन्यू लॉज कमीशन ने इस बात को कहा है। इन्क्वेलिटी है, डिस्पैरिटी ग्लेयरिंग है, उनकी रिपोर्ट 1966 में आई थी आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। हम नहीं कहते कि रेवेन्यू लॉज कमीशन ने जो सारी बातें कहीं है उनके फंडामेंटल्स को एक्सेप्ट कर दें। मेरा जो कहना है वह यह कि चाही जमीन पर बारानी से अधिक लगान नहीं होनी चाहिए क्योंकि चाही जमीन का इम्प्रूवमेंट खुद काश्तकार ने किया है। इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि आपने जो सीलिंग लगाई है उसमें स्टैंडर्ड एकड़ काऊंट किया है तो पेरीनियली इरीगेटेड एरिया का 30 स्टैंडर्ड एकड़ माना है लेकिन जो चाही जमीन है उसको बारानी के समान किया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए किया गया है कि यह जो चाही जमीन है इसका इम्प्रूवमेंट काश्तकार ने किया है। मेरा निवेदन है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन है जो बात आपने सेक्शन 152 में कही है कि लैंड रेवेन्यू तय करते समय कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन का ध्यान रखा जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन की तरफ आपने कतई ध्यान नहीं रखा।

दूसरी बात जो चाही जमीन में इंजिन से खेती करते है वहां पर एक फसल की पिलाई का जो खर्चा आता है वह 150, आता है। और बिजली से करते हैं करीब 60–70) . रुपये कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन इरींगेटेड का आता है तो जहां इतनी डिस्पैरिटी है, एक इलाका नहर के आने से प्रॉसपरस होता है वहां एक फसल की पिलाई पर 8) चार्ज करते हैं दूसरे इलाके में जहां खुद काश्तकार ने किया है वहां खर्चा 400) एक फसल का पड़ता है लेकिन लगान आपने 10) रखा है, गंगानगर में 2), कोटा में 4) इर्रीगेटेड जमीन का जबकि यहां पर चाही जमीन है उस पर लगान 18-15-20) का है।

तो इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बड़ा अरजेन्ट प्रोबलेम है और सरकार को इस ओर इमिडियेट एक्शन लेना चाहिये। मैंने सुना सरकार ने कमेटी अपोइन्ट की। इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे याद है शायद मुख्य मन्त्री जी महोदय ने भाषण देते हुए कहा कि डेस्पैरिटी रहती है उसको कम किया जाय।

केबिनेट डिसिजन गवर्नमेन्ट का होना चाहिये कि लैंड रेवेन्यू रेट, चाही और बारानी जमीन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सिंपल डिसिजन है उसको लेने में क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। मैं यह समझने में असमर्थ हूं। मैंने पोलिटिकल लोगों से और सरकारी अधिकारियों से बात की। इस दलील को नहीं समझते हैं कि चाही जमीन का लगान बारानी से अधिक नहीं होना चाहिये। सब के दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं होना चाहिये क्योंकि इसें रेवेन्यू का नुकसान होंगा। हो सकता है रेवेन्यू लॉ कमीशन ने कहा है कि हो सकता है कि एक करोड़ का घाटा हो। एक करोड़ का घाटा इतना नहीं है जितना दूसरी तरफ का घाटा है। इससे लाखों आदमियों को राहत मिलेगी।

(श्री पी. के. चौधरी)
डेस्पेरिटी नहीं रहेगी। करोड़ रुपया लगाते हैं प्रोजेक्टस पर। पैसा हम देते हैं और हम से ही अधिक लगान लिया जाय। सरकार इस ओर ध्यान दे और डिस्पेरिटीज हैं उनको समय रहते हुए दूर करें। आखिर में जनता का पेशेन्स खत्म हो सकता है। गवर्नमेन्ट विल फेल टू चैक इट अप। आप इसके लिये एक्शन लेने में क्यों परेशान होते हैं? सिंपल डिसिजन है। आप कह दीजिये कि चाही जमीन और बारानी जमीन के लगान में कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि सारी जमीन में इम्प्रूवमेन्ट किसान ने खुद ने किया है। इक्वेलिटी ओफ प्रिन्सिपल से क्या दलील है? चाही जमीन में 18 रुपया लगान और बारानी में 12 रुपया बीघा लगान काश्तकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है क्योंकि वह गरीब है।

दूसरी बात आती है पास बुक के लिये। हम यह जानते हैं कि चालीस पचास लाख खातेदार हैं। आपने दस लाख छापी हैं यह आपका एडमिशन है। आप कैसे कहेंगे कि सब को पास बुक पहुँचेगी? दूसरा भ्रष्टाचार होता है तो वह वहां होता है जहां कि स्केयरसिटी है। प्लेन किताब छापने में इतने वर्ष लग गये। न जाने आप चालीस पचास लाख कब उनको बांटेंगे? आपका टारगेट भी तो देखिये। आप कहते हैं कि समय पर वसूली होनी चाहिये। पटवारियों और तहसीलदार को समझना चाहिये कि तमाम काश्तकारों को पास बुक मिलनी चाहिये, अगर वसूली के लिये जाते हैं तो उसी प्रकार घर पर जाकर पास बुक देकर आना चाहिये। क्यों आपके पास आये?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, दो चार मिनिट और।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आप इससे सहमत है कि जब तक पास बुक न दे लगान न दें?

श्री पी. के. चौधरी : आप इस बात को कहलवाना चाहते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक तरीके से डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जनता को इकट्ठा करके कहते हैं, यदि आप उसको नहीं मानते हैं तो लोगों को फिर मजबूर हो जाना पड़ता है। मसिल्स बतायेंगे और उसके लिए सरकार मजबूर न करें। कई प्रकार की तकलीफें हैं केवल पास बुक की ही नहीं है। आप अभी उसको नहीं देख रहे हैं तो आगे आपको सम्भालना मुश्किल हो जायेगा।

श्री दौलतराम सारण : लगान लगना चाहिये या नहीं लगना चाहिये? भूमि कर के लगाने में आप सिद्धांततः सहमत हैं क्या?

श्री पी.के.चौधरी : वह इश्यू अलग है?

श्री दौलतराम सारण : इश्यू तो इससे सम्बन्धित है। विकास युग में आप लगान कर रखना चाहते हैं क्या?

श्री पी. के. चौधरी : अनइकोनोमिक होल्डिंग पर नहीं लगना चाहिये। एक राय यह है कि लगान नहीं लगना चाहिये और एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगना चाहिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता : वह और भी खराब है।

Page No. 108

श्री रावतराम : बड़े किसान को एग्रीकल्चर टैक्स से परेशानी होगी।

श्री पी.के.चौधरी : दोनों बातें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी।

श्री दौलतराम सारण : चाही और बारानी में डिस्पेरिटी है और समकक्ष लगान होना चाहिये। लेकिन सैटलमेंट कानून के मुताबिक सोयल का क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक, एक जगह पर उस क्वालिटी का लगान और दूसरी जगह उसी क्वालिटी पर दूसरा लगान और पांच सात गुना लगान है, इसको क्या आप उचित मानते हैं ?

श्री पी.के. चौधरी : रेवैन्यू लॉज कमीशन ने खुद ने कहा है कि एक काश्तकार को एक जगह एक लगान देना पड़ता है और दूसरी जगह दूसरा।

श्री दौलतराम सारण : इसको आवश्यक मानते हैं क्या ? केवल जागीरदारी सिस्टम खतम करने से भूमि सुधार हो गये क्या ? रेंट का सवाल था और दूसरा प्रश्न था वही लेना चाहिये था जो की जागीरदार लेता था। उसकों यों का यो स्वीकार कर लिया है, तब्दीली नहीं की है यह सबसे बड़ा दोष है।

श्री पी.के.चौधरी : जागीरदारी एरिया में राजस्थान बनने के बाद यह हुआ, जितना पैसा जागीरदार को दे रहे थे वह ही सरकार को दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : जागीरदार बन बैठी है सरकार।

श्री पी.के.चौधरी : जागीरदार को जो लगान दिया करते थे वह ही राजस्थान सरकार को दे रहे हैं। चपरासी और सिपाही का एक तबका हो गया लेकिन किसान का एक नहीं हुआ।

दूसरी बात सैक्शन 91 के केसेज के लिए निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने जो सहूलियत दी है, जैसा उस वक्त भी निवेदन किया था, 5 परसेन्ट से अधिक को सहूलियत नहीं मिलेगी। 91 के केसेज ऐसे हैं कि किसी के पास बीस बीघा जमीन है किसी ने बाड़ा दबा दिया। वित्त मंत्री जी को फायदा नहीं मिलेगा।

श्री दौलतराम सारण : फायदा मिलेगा जयपुर में काले पैसे को सफेद पैसे में बदलने के लिये भूमि पर कब्जा किया और तामीर कर ली।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

आपको आसन को सम्बोधित करते हुए कहना चाहिये। और आपस में बात नहीं करनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : आसन को सम्बोधित करके ही सब बातें कहते हैं।

श्री पी.के.चौधरी : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी का जो डिसीजन है जिससे 95 प्रतिशत केसेज में रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि 3/4 लैण्ड में पांच बिस्वा एक बाड़ा बनाने का है। ऐसे केसेज बहुत थोड़े हैं। इसलिये बाकी के केसों में फायदा नहीं होगा। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं एक गांव किशनगढ़ रेनवाल में है तीस साल से वह रिप्रेजेन्ट कर र

(श्री पी. के. चौधरी)

हैं। दो तीन मंजिल के मकान बना दिये ऐसे एक दो नहीं चार सौ मकान बन गये। पर तहसीलदार उसको आज भी गोचर लैण्ड बता रहा है। आज इतने सालों से सरकार के ध्यान में ये बातें लाई जा रही हैं कि ऐसे मामलों को रैगुलेराइज करने के लिये जो पेनेल्टी जरूरी हो ले लो पर इस प्रश्न को एक बार में समाप्त कर दो। तीस तीस चालीस चालीस साल हो गये मकान बने, पर सेटलमेण्ट रेकार्ड में सारे गांव को ही गोचर भूमि बता रखा है। दस हजार की आबादी का एक गांव बन गया है पर फिर भी गोचर भूमि बता कर आप उन लोगों को तंग करते रहते हो तो यह क्वश्चन आफ इमेजीनेशन का है। आप इतने सारे मकानों को तो गिरा तो नहीं सकते दस दस बीस बीस हजार रुपया खर्च करके जहां एक एक मकान बना है तो वहां आपकी छोटी मोटी पेनल्टी भी आसानी से दी जा सकती है पर आप कोई फैसला तो करिये। सब से ज्यादा दिक्कत फैसला नहीं होने की है। वन्स फोर आल ऐसे मामले सेटल होने चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : पैसा खाये बगैर कैसे सेटल कर दें।

श्री पी. के. चौधरी : दूसरी बात रैवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में कहता हूं इसका जो फंक्शन है सैक्शन 8 (23) में वह दिया हुआ है। सेक्शन 8 में जुडिशियल फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दो फंक्शन इसके हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जुडशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स अलग अलग होने चाहिये। दूसरी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज रैवेन्यू डिपार्टमेंट में युनिफाइड कन्ट्रोल नहीं है। न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और न सेन्ट्रल लेवल पर। ड्यूअल कन्ट्रोल चलता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री दौलतराम सारण : अगर यह सरकार सुने तो बहुत अच्छा सुझाव वे दे रहे हैं।

श्री पी. के. चौधरी : मैसूर में, हिमाचल में रैवेन्यू बोर्ड नहीं है। जुडिशियल काम के लिये सेपरेट ट्रिब्यूनल अपोइण्ट कर दीजिये।

लैण्ड रेवन्यू कमीशन ने भी यह कहा है। यूनिफाइड कन्ट्रोल नहीं हो पाता आप इसको ठीक कर दें तो रैवेन्यू विभाग की काफी दिक्कतें हल हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है।

एक बात मैं फोरेस्ट के बारे में कहना चाहता हूं। एस्टीमेट्स कमेटी ने भी सिफारिश की है फोरेस्ट के सम्बन्ध में वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा न जंगल है न कुछ है पर चौकीदार आपने बिठा रक्खा है। पास के गांव के मवेशी वहां चले जाते हैं तो उनका चालान कर देते हैं। हम कहते हैं कि वहां केवल घास उगता है पेड़ नहीं है तो उस जगह को गोचर में दे दीजिये या अलग लैण्डलेस हरीजन हैं उनके लिये रिलीज कर दीजिये। मेरी खुद की कोन्स्टीटयुएन्सी में ऐसा है। इसमें न तो आज तक गोचर में कन्वर्ट किया न कुछ किया कागज भी चल रहे बताये हैं न जाने वे कहां अटक जाते हैं। दो तीन साल हो गये पता नहीं लगता तो इस तरह से मेजोरिटी गांव फोरेस्ट में हैं उन गांवों के

(श्री पी. के. चौधरी)

जानवर अगर घास चरने आस पास भी चले जाते हैं तो फोरेस्ट के चौकीदार उनका चालान करते हैं। लोग रात दिन परेशान होते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : नाम बता दें उन जगहों का।

श्री पी. के. चौधरी : भैंसलाना का बीड़ है।

श्री दौलतराम सारण : काहे को नाम पूछते हैं आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं?

श्री पी. के. चौधरी : उसके कागज रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास काफी अरसे से पड़े हुए हैं इसी प्रकार विलेज फोरेस्ट्स हैं उनमें जंगल नहीं है, पेड़ नहीं हैं ऐसे फोरेस्ट को आप आबादी में कन्वर्ट कर दें। रेवेन्यू में दे दें या गोचर भूमि बना दें। चाहे लेण्डलेस को अलोट कर दें।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदय, आज वन विभाग और राजस्व विभाग की मांग पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। उन्हीं पर मैं इस समय कुछ समय के लिये माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री भवणलाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सभापति महोदय।

दोनों विभागों पर चर्चा चल रही है। सदन में उप मन्त्री वन हैं, और मन्त्री भी हैं। पर दोनों दूर दूर बैठे हैं जब कि रेवेन्यू विभाग के मन्त्री एवं उप मन्त्री दोनों एक साथ बैंच पर बैठे हैं। तो इसी तरह वन विभाग मन्त्री एवं उप मंत्री को भी एक साथ बैठकर बहस सुननी चाहिये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उनके चिन्तन में दिक्कत होती है इससे।

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : वन उप मन्त्री को तो केवल इतना ही चार्ज दिया है कि उप मन्त्री बन कर बैठे रहो बाकी कोई काम धन्धा उनके पास नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह जो राजस्थान का जंगल विभाग का सवाल है फोरेस्ट विभाग द्वारा ठेके दिये जाते हैं उन ठेके देने की पद्धति में त्रुटियां है। एक टुकड़े के एक बीड को वन विभाग, पंचायत विभाग जागीरदार लोग और राजस्व विभाग अलग अलग नाम से नीलाम करते हैं।

मैं वन मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कोटा जिला एक जंगलों से भरा हुआ जिला है और कोटा जिले में राजस्थान सरकार को वन उपज के नाम से बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है। यहां पर बारां फोरेस्ट डिविजन में चार पांच रेन्ज हैं। वे पत्ते तेन्दू, गोंद, लकड़ी आदि के ठेके हर साल नीलाम करते हैं। मैं वन मंत्री से निवेदन करूं कि पत्ते तेन्दू के ठेकों को तहसील नीलाम करती है। ग्राम पंचायत भी नीलाम करती है जागीरदार जिनके पास पचास पचास सौ सौ बीघा

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
जमीन हैं वे भी नीलाम करते हैं। इस तरह से हर चीज में धांधली बरती जाती है। इससे राज्य सरकार को काफी हानी होती है और उनके बीच में मंत्रियों के भी हस्तक्षेप होते रहते हैं। यहां तक होते हैं कि निवेदन करूं कि पिछले वर्ष की बात है बगरू रेन्ज के बारे में एक ठेकेदार ने अधिक बोली लगाकर उसकी चौथान की रकम जमा कराई पत्ते तेन्दू के ठेके की। पर स्वतन्त्र दल वदलू मिनिस्टर श्री कन्हैयालाल पटेल ने नीलाम कैसे रद्द किया? मैं निवेदन नहीं कर सकता। मगर उस ठेके को वापिस केन्सल करवाया। माननीय वन मन्त्रीजी का मन नहीं कहता था मगर प्रेशर पड़ा और प्रेशर पड़ने के बाद उनकी आत्मा मरी और आत्मा को मारने के बाद राज्य सरकार के कोष पर डाका डाला और उस ठेके को केन्सिल करा कर कम पैसे में नीलाम कराया। इसी प्रकार से खानपुर रेन्ज का हाल है और इसी प्रकार बारां रेन्ज के अन्दर शाहबाद वगैरह के अन्दर वन सहकारी संघ के नाम से और ठेके नीलाम किये और उसके बाद उस वन सहकारी संघ के तीन साल के एवरेज पर ठेका दिया गया। सभापति महोदय, एक एक ठेके के अन्दर करीब 30/40 हजार की कमी की गई और कहीं कहीं दस हजार से लेकर पच्चीस पच्चीस हजार तक की कमी है। इस प्रकार जो आपने बीड दी उसके मुकाबले में 25 हजार रुपये एक एक ठेके में कमी करके हमारे वन मन्त्री महोदय ने अपने हाथों से उन ठेकों को राजस्थान वन सहकारी संघ को दिया है। वह सहकारी संघ के जो अधिकारी हैं या उसके जो चुने हुए अधिकारी हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वापिस उस ठेके को 10112 हजार और 15120 हजार उन्हीं ठेकेदारों से लेकर उन्हे दे दिया है। तो इस तरह की हालत वन विभाग की है। इसलिये वन मन्त्री महोदय मैं निवेदन करूंगा कि यह आपके बस की बात नहीं है कि आप इन पटेल जो पर अंकुश लगा सकें और जिनकी वजह से आपको यह गलत काम करना पड़ा और इस राज्य सरकार के कोष को घाटा उठाना पड़ा है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से जो धांधली हो रही है उस पर आप विशेष तौर से ध्यान दें।

सभापति जी, जहां तक फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने साइल कन्जरवेशन का काम कराया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे झालावाड़ जिले के अन्दर . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, जो डिप्टी मिनिस्टर पर यहां पर चार्ज लगाया गया है तो कम से कम उन्हें खड़े होकर कहना चाहिये कि यह गलत है। यह अच्छा नहीं है कि कोई आप पर चार्ज लगाये और आप उसका खण्डन नहीं करें। हमें भी सौभाग्य मिल जायेगा और आपका भाषण सुन लेंगे।

श्री कन्हैयालाल पटेल : चार्ज लगाने दीजिये।

श्री केसरीसिंह हाडा : आप खड़े होकर बोलिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, अच्छा तो यह है कि मुझको बीच में डिस्टर्ब न किया जाये।

श्री सभापति : आप हरेक को बीच में डिस्टर्ब करते हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, इनके कारनामें आगे दिखाता हूं।

सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के अन्दर फोरेस्ट विभाग के तहत साइल कन्जरवेशन का काम करवाया गया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि झालावाड़ जिले के अन्दर 36 हजार का जो साइल कन्जरवेशन का काम हुआ है वह सिर्फ माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब के खेत में करवाया गया है। इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात है . . .

श्री कन्हैयालाल पटेल : मेरे खेत के अन्दर कोई साइल कन्जरवेशन का काम नहीं कराया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप जांच करवा लें, यह हुआ है।

श्री कन्हैयालाल पटेल : आप जांच करवा लीजिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय इनका तो मैं कहां तक वर्णन करू . . .

श्री सभापति : आप क्या कालीदास हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जनता के पैसे पर डाका डाल रहे हैं, उसके बारे में निवेदन कर रहा था.....

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह भ्रष्टाचार मंत्री महोदय की साजिश से हुआ है . . .

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय इनके बारे में एक पुरानी कहावत मशहूर है नाथू महाराज वाली। मैं कह नहीं सकता कहां तक सच है। मगर यह बात सही है कि ये इस बात के आदी हैं। सभापति महोदय, क्षमा करें.....।

फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने एक बीड़ का ठेका दिया और उसको हमारे मन्त्री महोदय ने केन्सिल करवा दिया और वह ग्राम पंचायत को दिया और उसको भी केन्सिल करवा कर अपने ही बिरादरी वालों को दिला दिया और उस पर मवेशियां चरती हैं मगर आज तक बीड़ का पैसा सरकार के कोष में जमा नहीं कराया गया है। इस तरह की अनेक घटनाएं इनके क्षेत्र में हो रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के धन का दुरुपयोग हो रहा है.....

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, एक बात है। हम नहीं समझे हैं, नाथू महाराज की बात आपने कही है वह क्या है ?

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने अभी अपने भाषण में नाथू महाराज का जिक्र किया है.....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सभापति जी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो नाथू महाराज था, वो एक स्त्री का नाम था। उनका इनसे सम्बन्ध विशेष हो गया, ऐसी बात है, मैं उसको नहीं कहना चाहता।

Page No. 113

दौलतराम सारण : क्या आपने नाम लिया है ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह नाथू महाराज है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : एक माननीय सदस्य को पूरी बात कहना चाहिये ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप अपने होम दिन पुलिस मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिये ये तीन कस्टडी में भी रहे हैं ।

श्री कन्हैयालाल पटेल : यह जो गैर जिम्मेदारी का चार्ज आपने लगाया है, उसे आपको साबित करना पड़ेगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : गलत हुआ तो साबित कर दूंगा । नाथू महाराज कौन था और उससे आपके क्या सम्बन्ध थे । तीन दिन आप कहां रहे, पुलिस कस्टडी में रहे...

श्री कन्हैयालाल पटेल : आप किसी भी तरह से गलत बात न करें ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका हाऊस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(शोरगुल—व्यवधान, होहल्ला)

श्री सभापति : माननीय सदस्य को इस प्रकार का चार्ज लगाने के पहले नोटिस देना चाहिये । ऐसे चार्ज हाउस के अन्दर डाईरेक्ट नहीं लगाने चाहिये ।

आर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह विवाद का प्रश्न नहीं है । यह सत्य है ।

(शोर-गुल)

मदनसिंह : सभापति जी आपने एक मंत्री के ऊपर ऐसा ही आरोप लगाया था...

श्री सभापति : सभापति कभी कोई इलजाम नहीं लगाता ।

श्री मदनसिंह : श्री विजयसिंह मकराना ने ऐसा ही चार्ज एक मंत्री पर लगाया था इसलिये आप इनको भी नहीं रोकें ।

श्री सभापति : यहां विजयसिंह मकराना कोई वकत नहीं रखता ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरी बात में कोई असत्यता है तो माननीय सदस्य मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है तो करें । विशेष अधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री सभापति : यस पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री शंकर लाल : सभापति जी हमारे सदन की परम्परा रही है कि माननीय सदस्य किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये और जनता से उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो यह शोभा की बात नहीं है क्योंकि यह विशेष अधिकार प्राप्त हैं और जो बात यहां पर कही जाती है उस पर कोई डिफेन्सेशन का सवाल नहीं चल सकता है । इसका मतलब यह भी नहीं है कि हरेक के ऊपर आरोप लगाये जावें । इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाया जाये तो पहले उसको पूर्ण

(श्री शंकरलाल)

सूचना नियमों के अनुसार दी जानी चाहिये और उसके बाद आरोप लगाये जायें जिसका कि सार्वजनिक जीवन से उसका सम्बन्ध हो और किसी प्रकार के वेग एलीगेशन नहीं लगाने चाहिये।

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्य को कह दिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : जो कट मोशन है उस पर भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये लिखा है। उस सब्जेक्ट पर बोल रहा हूँ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय मैंने जो बात कही है पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कही है। मंत्री महोदय के कथन में बिल्कुल असत्यता है। अगर मेरे चार्जेज सही नहीं निकले तो आप चाहे जो कुछ मेरा कर सकते हैं। मैं दावे और शर्त के साथ कहता हूं। सभापति महोदय, इन्होंने मुझे छेड़ा है मैं एक बात बताता हूं–अटरू रेन्ज का मामला था अर्नेस्ट मनी के साथ दस परसेन्ट की रकम थी। उस रकम के लिए माननीय मंत्री महोदय ने ठेकेदार को आश्वासन दिया और आश्वासन देने के बाद सौदा किया। एक पाना चन्द जैन हैं उनके नाम ठेका था। वह ठेके की रकम और अर्नेस्ट मनी दिला नहीं पाये और उसकी एवज में जो सौदा किया गया था उसको कांग्रेस के चुनाव के नाम से हजम कर गये। इसमें कोई फर्क हो तो पटेल साहब आप खड़े होकर कह दें कि पाना चन्द जैन से आपने एक हजार रुपया नहीं लिया। मैं आपको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ और शर्त के साथ कहता हूं कि आपने उस ठेकेदार से एक हजार रुपया लिया है।

श्री सभापति : ऐसे ऐलीगेशन में तो आपको नोटिस देना पड़ता है।

श्री प्रेम सिंह : यह तो मैं भ्रष्टाचार के बारे में कह रहा हूं। कोई व्यक्तिगत नहीं है भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है। 10 परसेन्ट रकम खा गये···

श्री सभापति : इस प्रकार के चार्ज नहीं लगाये जांय।

श्री प्रेम सिंह : नियम है कट मोशन में लिख सकते हैं। अब रहा सवाल वन विभाग और काश्तकार····

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : एक बात सभापति महोदय मैं पूछना चाहता हूं। अभी मा. सदस्य ने फरमाया कि मुझे छेड़ा है। यह किस प्रकार छेड़ा है, कैसे छेड़ा है?

श्री प्रेम सिंह : सभापति महोदय फारेस्ट डिपार्टमेंट के रेन्ज आफिसर हैं इनके द्वारा जो लकड़िया दी जाती हैं वह फ्री पास द्वारा दी जाती हैं मगर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं बारां सब डिवीजन में बिना पैसे लिये हुए किसी काश्तकार को नहीं देते हैं। एक नहीं पचासों पत्र सम्बन्धित विभाग को भेजे, पूरे का पूरा गांव मौजूद था, बारां के डी. एफ. ओ. को भी चिट्ठी भेजी लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई। मुझे दुख इस बात का है एक बार काश्तकार की शिकायत····

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

को नहीं सुनें लेकिन पचासों शिकायतें होती हैं फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है। इनके भ्रष्टाचार का भगवान ही मालिक है। सभापति महोदय, जो···········

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
मिनिट और लूंगा।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये काफी समय हो गया है !

श्री प्रेमसिंह : आपने जो आनन्द लिया है।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, आसन के लिए यह कहा 'जाय आपने आनन्द लिया है' क्या यह सही है ?

श्री सभापति : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, रैवेन्यू के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। आज राजस्थान में इस तरह की हालत है छबड़ा के बारे में निवेदन करूंगा, छबड़ा टोंक डिस्ट्रिक्ट की तहसील है और छीपा बड़ोद कोटा जिले की तहसील है। छबड़ा में 13 बिस्वा का एक बीघा और छीपा बड़ोद में 20 बिस्वा का एक बीघा माना जाता है और फिर लगान समान है। इस तरह राजस्थान सरकार में भेदभाव बरता जा रहा है। एक तहसील से दूसरी तहसील में इस तरह से फर्क डाला गया है और कई जगह 7 रुपये बीघा तक लगान लेते। लगान की दरों के बीच में बहुत लम्बी चौड़ी खाई डाल रखी है। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि छबड़ा और छीपा बड़ोद के रकबे के बारे में अवश्य गौर करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, राजस्व विभाग में तहसीलदार होते हैं और तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार बना रखा है। सभापति महोदय, रजिस्ट्रियों के अन्दर किस तरह काश्तकारी की ठगाई होती है। एक काश्तकार दूसरे काश्तकार को जमीन बेचता है तो जो इनकी लीगल स्टाम्प ड्यूटी होती है, जो काश्तकार दस्तावेज लिखाकर पेश करता है, सभापति महोदय, अगर माननीय मन्त्री महोदय को थोडा बहुत भी विश्वास हो और इसके लिए उनमें आत्मबल हो और कुछ कर सकते हैं तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री महोदय कोटा जिले की प्रत्येक तहसील में जांय। वहां पर तहसील प्रत्येक रजिस्ट्री पर चाहे 50 रु० की हो और चाहे पचास हजार की हो 10 परसेन्ट लूट कर खा रहे हैं और अगर इसका दोषी तहसीलदार को बनाना चाहते हैं तो उस दोष से आप भी बरी नहीं हैं—राजस्व मन्त्रीजी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : सभापति महोदय, मेरे भी वन विभाग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव हैं। उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। झालावाड जिले में जितनी रेन्जें हैं उनमें दो-चार को छोडकर सारी रेन्जों में फ़ारेस्ट की काबिल काश्त पडत भूमि बहुत पडी हुई है। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 25 प्रतिशत ऐसी भूमि है। जिन पर खेती कर रखी है और केसेज चल रहे हैं। सेमली, रेतबकानी बीलवा, अकलेरा रेन्ज आदि गांवों में लगभग 20 हजार बीघा फारेस्ट भूमि काबिल काश्त है। उस पर 25 प्रतिशत खेती होती है और नाजायज कब्जे कर रखे

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
हैं और कितने ही लोगों को कब्जे से बेदखल भी कर दिया गया है। उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं। उनको हटा दिया गया है। वह जमीन काबिल काश्त होते हुए भी पडत पड़ी है। उस जमीन को जो भूमिहीन हैं उन काश्तकारों को वह जमीन प्राप्त हो सके इस ओर वन एवं राजस्व मन्त्री जो को सोचना चाहिये। जो थोड़ी बहुत जमीन की परेशानी आ रही है वह कम हो जायेगी। परन्तु फारेस्ट विभाग से और यहां के उच्च अधिकारियों से और माननीय मन्त्री महोदय से काफी लिखा पढ़ी की मगर चार पांच साल का अर्सा हो गया आज तक कोई विचार नहीं हो सका। डी. एफ. ओ. यह कहता है जितनी राजस्व की जमीन लेंगे उतनी ही देंगे, रेवेन्यू विभाग में ऐसी कौन सी जमीन है? अगर होती तो किसानों को वितरित कर दी जाय जो जमीन जो सभापति महोदय वह फारेस्ट की है। इस पर आपको विचार करना चाहिये। जो भूमिहीन है और बेकार बैठे हुए हैं उनको जमीन दे दी जाय। इसका फैसला जल्दी कर लेना चाहिये। 25 प्रतिशत पर नाजायज कब्जा किये हुये हैं, इसमें कुछ अधिकारी भी हैं और प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार करके फैसला करा लिया है। इसकी कई शिकायतें की गई हैं लेकिन आज तक जांच नहीं हो पाई है। मैंने असेम्बली में भी सवाल पूछा था उसमें गोलमाल उत्तर मिलता है कार्यवाही जारी है। मैं बताना चाहता हूं थानोदा गांव है जिसमें 30 बीघा भूमि पर बारह साल से नाजायज कब्जा किये हुये हैं और उस जमीन पर 15 हजार में कुआ भी लगा लिया है। मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, मन्त्री महोदय अपने विभाग से ही नहीं पूछ सकते हैं कि क्या वह कुआ 5–7 मिनिट में ही बन गया था। चार चार साल से पम्पिंग सेट लगा रखे हैं, ऐन्जिन लगा है तो क्या विभाग चार साल से सोता ही रहा है।

इस प्रकार हर जगह है। मैंने यह उदाहरण के तौर पर रखा है। उसके बारे में न तो उनको जमीन दी जाती है न और कुछ। हर साल उससे हजारों रुपया लेते रहे हैं। वह कहते हैं कि हम हर साल हजार 500 दे देते हैं। इस प्रकार से काबिल काश्त भूमि अधिकारियों की अकर्मण्यता से भ्रष्टाचार के जरिये से जबरदस्ती कब्जे में ले ली जाएगी। हजारों लोग भूखे मरते हुए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया तो आप क्या कर सकेंगे। इसलिए आप नियमानुसार जो जमीन काबिल काश्त है, जहां जंगल नहीं हैं, उसको देने को तय कर लें, निर्णय कर लें तो अति उत्तम होगा। दूसरे खानपुर रेंज, अकानी रेंज और असनावर रेंज के जो ठेके (70–71) पत्तों के दिये गये हैं. उनमें बड़ा गोलमाल है। श्रमिक सहकारी समिति जयपुर को यह ठेका दिया गया। श्रमिक सहकारी समिति को देने का क्या कारण है? वैसे तो आपके यहां रामराज्य है। 28–30 हजार रुपये का हर ठेके में गोलमाल है। 1968–69 में हमने विजीलेंस कमीशन में फोरेस्ट द्वारा कपास रेंज का कत्थे का गोलमाल करवा दिया था। 1 लाख रुपये के कत्थे का करवा दिया गया था इसके बारे में पूछा जाता है तो मन्त्री महोदय कहते हैं कि इन्क्वारी जारी है। भ्रष्टाचार पनपाने का सवाल किस का है?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

कोई चीज आपके सामने रखते हैं भ्रष्टाचार की तो मैं समझता हूं कि आप निष्पक्ष रूप से कम से कम राज्य की सम्पत्ति का किस प्रकार से थोडे से पैसों के लालच में भ्रष्टाचार करके लाखों रुपयों का सरकारी धन नष्ट किया जा रहा है, इसके बारे में जांच क्यों नही करते हैं। लोग समझते हैं कि जिम्मेदार मन्त्री हैं अधिकारी हैं वह भी लिप्त हैं। श्रमिक सहकारी समिति को कत्थे का ठेका क्यों दिया गया है ? गरीबों को मिलता नहीं है। कम से कम निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि नीचे के जो जिला अधिकारी हैं, वह किस प्रकार से जंगल कटवा रहे हैं। लकड़ी अन्य लोगों को बिना परमिट नहीं दी जाती है। यह ठीक है कि परमिट मिलता है। वक्त पर जलाऊ लकड़ी नहीं देते हैं। झालावाड़, पाटन, यहां मुर्दों को जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिलती हैं। माननीय मन्त्री महोदय, जो कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं वे 5 रुपये गाडी तो लेते है। मगर बिना परमिट गाड़ी पर 20-25 रु. वसूल कर लेते हैं। परमिट के नाम पर नाकेदार किस प्रकार से तकलीफ देते हैं। रेंज बकानी और असनावर में जलाऊ लकड़ी नहीं मिलती है। परन्तु वह कहते हैं कि जो कांग्रेस को वोट देगा, हम उसको लकड़ी देंगे। इसके आगे जो जिला के उपमन्त्री और मन्त्री जी बैठे हैं, इनकी यह जिम्मेदारी है कि कम से कम जिला अधिकारियों को बिठाकर मालूम तो करें। मैं आज इनको (उपमन्त्री जी को) दूसरी बार असेम्बली में देख रहा हूं। मन्त्री उदार तो होते ही हैं। कागजों में जंगल की जगह क्या लिखा जाता है इसका भी पता नहीं होता है। मैं आरोप व्यक्तिगत नहीं लगाता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उप मन्त्रीजी हैं, उनके घर पर 68-69-70 में अकाल के वर्षों में कितने ट्रक घास गई है। अगर यह देनी थी तो गरीबों को देनी चाहिए। मंत्री महोदय तो घास खरीद सकते थे। इसके बजाय दूसरी जगह से लेना चाहिए था। मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता हूं।

(2.14 म.प्र.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाते हैं, यह सारी चीजें सामने आनी चाहिए। मैं पुनः मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को दण्डित किया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : मन्त्रियों के यहां घास जाती है, क्या मन्त्री घास खाते है ? अगर बिना पैसे के ली गई है तो क्या मन्त्री महोदय घास खाते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभानेत्री महोदया, मैं रेवेन्यू के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। रेवेन्यू में राजस्व के बारे में किसानों को होने वाली नित्य प्रति की असुविधाओं को खत्म करना चाहिए। आप कह सकते है कि जूडिसियरी में हाईकोर्ट का दखल है। लेकिन रेवेन्यू में तो पूरे तौर से आप का दखल हैं। रेवेन्यू में किसानों के फैसले होने में जो अनावश्यक

(श्री रामनारायण चौधरी)

देरी होती है वह कम करनी चाहिए। रेवेन्यू कोर्ट में यह नहीं होना चाहिए। हमें रेवेन्यू कोर्ट में समय की सीमा बांध देनी चाहिए कि अमुक समय में अपने पास विचाराधीन मुकदमों का निर्णय करें। उनके ऊपर इस बात की निगरानी रहनी चाहिए कि सरकार के जो आदेश हैं, सरकार की जो नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्य रूप में परिणित किया जा रहा है या नहीं? सरकार यहां से आदेश जारी करती है कि मुकदमों के फैसले अदालतों में निर्णय शीघ्र हों, लेकिन रेवेन्यू कोर्टों में उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं इस बात को देखना चाहिये। जब रेवेन्यू कोर्ट्स का इन्सपेक्शन करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन जायें या रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर निरीक्षण करने को जाय तो उनके लिए यह लाजिमी होना चाहिए कि वह यह देखें कि अदालतों में अधिकारियों ने ठीक प्रकार से कार्यवाही की है या नहीं, मुकदमों में एडजोर्नमेंट ठीक प्रकार से दिया है या नहीं? इस बात को उन्हें देखना चाहिए। आज अन्धाधुन्ध तरीके से आंख मींच कर मुकदमों में तारीखें दे दी जाती हैं, और तारीख देने का कोई कारण नहीं लिखा जाता है, इससे जो लिटिगेंट्स अपनी शहादतें और गवाह लेकर जाते हैं, वह खाली हाथ लौट कर आते हैं और इसमें उनका पैसा भी खर्च होता है। एक छोटे से मुकदमे में हजारों रुपया काश्तकारों का खर्च हो जाता है। इसलिए इस बात को देखना चाहिए कि रेवेन्यू कोर्टस में मुकदमों का फैसला शीघ्रातिशीघ्र हो। इसकी व्यवस्था करने के बाद में आपको यह देखना चाहिए कि आपके आदेश का, आपकी नीति का पालन होता है या नहीं। आज आप देख सकते है छोटे छोटे मुकदमे जिलाधीश की अदालत में निर्णय के लिए वर्षों तक पड़े रहते है। वहां से निकालने के बाद में रेवेन्यू अपीलेट कोर्ट के अन्दर वर्षों तक पड़े रहते हैं। और उसके बाद में रेवेन्यू बोर्ड में चले जाते हैं तो वहां दस पन्द्रह साल तक निर्णय नहीं होता है। इसमें आपको ही देखना है, क्योंकि इसमें किसी हाई कोर्ट के द्वारा दखल नहीं दिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दखल नहीं दिया जाता है। आप इसमें व्यवस्था कर सकते हैं कि फैसले जल्दी हों।

दूसरी किसानों को पास बुक दिये जाने की बात कही गई। आज तक मेरी तहसील में, जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, अधिकांश गांवों में पास बुक नहीं दी गई हैं, जो शीघ्र ही दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

जिस जिले से मैं आ रहा हूं उस जिले के अन्दर सैटलमेंट संवत् 1199 के अन्दर हुआ था, आज उसको हुए तीस साल हो गये हैं लेकिन दुबारा सैटलमेंट नहीं हुआ है। तीस साल पुराना सैटलमेंट होने के कारण खेती के अन्दर, जमीन के अन्दर नाम का कई प्रकार से परिवर्तन हो गया है और स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि रिकार्ड में संशोधन हो, लेकिन यह सैटलमेंट के द्वारा ही हो सकता है।

यदि आप सैटलमेंट कराने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो इतना अवश्य करना चाहिए कि किसानों की जो जमीन अभी तक उसी हिसाब से चली आ रही है, जो उनके बाप दादाओं के नाम पर थी, तो उसका ट्रान्सफर उत्तराधिकारी के नाम

(श्री रामनारायण चौधरी)

पर शीघ्रता से हो जाय। यह व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आज दादा और परदादा के नाम से जमीन चली आ रही है, उसी हिसाब से किसानों को सरचार्ज देना पड़ता है। इस कारण किसानों के अन्दर जमीन के प्रश्न को लेकर भाई भाई में आपस में झगड़े होते हैं। इसके अलावा आज किसान किसी बैंक से, या पंचायत समिति से या शिड्यूल्ड बैंक से कोई लोन लेना चाहे तो उनके सामने अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि झुंझुनू जिले का सैटलमेंट जो 30 साल पहले हो गया था, वहां पर शीघ्रता से दुबारा सैटलमेंट कराया जाय। इसमें किसानों का फायदा है और सरकार को भी इसमें फायदा है। जब दोनों को फायदा है तो सैटलमेंट जल्दी कराया जाना चाहिए।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आज जमीनों का नामांकरण करने का अधिकार आपने ग्राम पंचायतों को दे रखा है पहले तहसील करती थी, लेकिन आज कल ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत इन अधिकारों का प्रयोग करे--मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ग्राम पंचायतों को सिर्फ म्यूटेशन को सर्टीफाई, तस्दीक करने का अधिकार दिया है। ग्राम पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि अपने हल्के के पटवारी को आदेश दे सके कि अमुक व्यक्ति का नामांकरण करके ग्राम पंचायतों में पेश किया जाय। इसके लिए तहसील, एस.डी.ओ. से आदेश प्राप्त करना पड़ता है, जब कि नामांकरण को तस्दीक करने का अधिकार ग्राम पंचायत को दे दिया है। तो बाडी का अधिकार है कि वह नामांकरण को प्रमाणित करे. उसको यह अधिकार नहीं है कि वह पटवारी को आदेश दे कि अमुक व्यक्ति का म्यूटेशन भर कर ग्राम पंचायत में पेश किया जाय। यह अधिकार आपने नहीं दिया है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत को जब नामांकरण को तस्दीक करने का अधिकार दे रखा है, तो उसे यह अधिकार देना चाहिए कि ग्राम पंचायत अपने हलके के पटवारी को यह आदेश दे सके कि वह तदनुसार कार्यवाही करे। आज पटवारी ग्राम पंचायत के किसी आदेश को नहीं मानते हैं। इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं कि प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम लिमिट जमीन की है, उससे नीचे की जमीन के खाते पटवारियों ने भर कर ग्राम पंचायत के सामने पेश किये हैं उससे तस्दीक करवाये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन सब बातों को देखें।

दूसरे मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारियों की संख्या झुंझुनू जिले के अन्दर बहुत कम है। रोजमर्रा के काम को देखने में यह जरूरी है कि प्रत्येक ग्राम के पीछे एक पटवारी होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत, एक अध्यापक इस हिसाब से पटवारी नहीं है, तीन ग्राम पंचायतों के अन्दर एक पटवारी है। इसके बाद भी आपने पटवारी को रैवेन्यू रिकार्ड के अलावा और कई काम दे रखे हैं, वसूलियां उसके जिम्मे है, चुनाव के समय मतदाताओं सूची बनाने का उसका काम है, संसद के वक्त उसका काम है यह सब काम उस पर लाद रखे हैं। इस वजह

(श्री रामनारायण चौधरी)
से किसानों के रिकार्डों के सम्बन्ध में जो काम है उसको ठीक समय पर नहीं कर पाते हैं। इसलिये या तो उनका काम हल्का करना चाहिये या पटवारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

मैं इन शब्दों के साथ पुनः राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको रेवेन्यू कोर्टस की तरफ ध्यान देना चाहिये। और वह उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि जो अदालतें सीधी सरकार के अधिकार में हैं, जिनका नियंत्रण और डिसिप्लीनरी अधिकार गर्वनमेंट के पास हैं—इन अदालतों का काम जुडिसियल कोर्टस से अच्छा होता है। यह दिखाना चाहिये। आज हम जन प्रतिनिधि जो प्रत्यक्ष रुप से जनता की तकलीफें कम हों रोजमर्रा आने वाली जो मुसीबतें हैं परेशानी शायद रहती हैं उनको हम अनुभव करते है। तो जो काम सीधा हमारे हाथ में है, जुडिसियल कोर्टस के बारे में तो हम कह सकते है कि जुडिसियरी का सेपरेशन हो चुका हैं, हम इसलिए इसमें दखल नहीं कर सकते, अदालतों में जो पालिसी है, उसमें कोर्ट हाईकोर्ट के नीचे होने की वजह से हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते लेकिन रेवेन्यू कोर्टस, जो सीधी रैवेन्यू बोर्ड के तहत है, उनमें किसी बात की कमी रहे तो सीधा उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर आता है। जिस काम में हमारी जिम्मेदारी है वह काम बेहतर तरीके से कर के दिखाये तो हम दुसरे लोगों को कह सकते है, कि आपको भी इसका अनुकरण करना चाहिये।

इन शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराचन्द (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, वन विभाग की डिमाण्ड और रेवेन्यू विभाग कि डिमाण्ड—दोनों पर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं, उनमें सर्वप्रथम तो वन विभाग के सम्बन्ध में यह मांग की है कि क्योंकि हमारा कृषि प्रदेश हैं और कृषि के साधन जुटाने के लिये हमें हर कदम पर हर प्रकार की जरूरत रहती है, लकड़ी की भी, खेती के लिए और हर प्रकार के काम के लिये जरूरत रहती हैं, खेती अच्छी हो सके, लेकिन आज जितने जंगल हैं उन जंगलों का ठेका दिया जाकर उनको खत्म किया जा रहा हैं और ठेका 500 एकड़ का दिया जाय तो ठेकेदार और मंत्री महोदय या वन विभाग के लोग मिलकर वह चाहें जितनी लकड़ी कटाना चाहे उसके लिए खुली छूट दे रखी तो अगर इसी तरह से जंगल का ठेका दिया जाए 500 एकड़ को दिया जाए और हजारों एकड़ जमीन पर से लकड़ी काटकर ठेकेदार ले जाए और कई बार हमने शिकायत भी की तो सुनवाई नहीं हुई। गरीब जितनी लकड़ी ले जाय उससे भी ज्यादा पैसा खर्च करे फिर भी सुनवाई नहीं। इसलिए आखिर में निवेदन करना चाहता हूं कि अब जंगल पूरे राजस्थान में किसी किसी कोने में बचा है सिर्फ बांसवाड़ा और अलवर में रहा है। थोडा में कोटा में है लेकिन उस तरफ वाला जंगल इमारती लकड़ी का नहीं हैं जितना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वगैरह में हैं, डूंगरपुर में कुछ हैं, कुछ उदयपुर में हैं, कुछ प्रतापगढ़ में हैं तो इस तरह जंगल आप रोजाना ठेकेदारों

(श्री हीराभाई)

को देते रहेंगे तो गरीब काश्तकारों को बांस के लिए और दूसरी किस्म की लकड़ी के लिए मोहताज होना पड़ेगा और खेती के लिए साधन नहीं होगा। इसलिए ठेकेदारी प्रथा कतई बंद कर दें।

इसके साथ साथ एक दूसरा राष्ट्रीकरण वाला मामला सहकारिता वाला जो मामला चल रहा है, वह बहुत भ्रष्टाचार का अड्डा है। सहकारी समिति का सिर्फ नाम है। बात यह है कि सहकारी समिति के नाम से ठेका दे दिया जाता है और व्यक्तिगत ठेकेदार को नहीं दिया जाता है, लेकिन बात वही है। सिर्फ सहकारी समितियों के नाम से ठेका एलाट किया जाता है। उसके बाद वही ठेकेदार सहकारी समिति को पैसा देता है और मुनाफा कमाकर ठेकेदार बाहर माल सप्लाई करेगा। सहकारी समिति की सिर्फ आड़ है। उसका चेयरमैन या सेक्रेट्री, दूसरे वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसमें मिले जुले रहते हैं लेकिन सही माइने में सहकारिता को यह लाभ नहीं हो रहा है। लाभ होता है तो ठेका दिलाने वाले कांग्रेसी नेताओं को होता है।

कुशलगढ़ में बांस का ठेका सहकारी समिति के नाम से है लेकिन जो पैसा खर्च कर रहा है वह गुजरात को गाजी पठान जालोर गांव का खर्च कर रहा है और सहकारी समिति पदाधिकारियों के घर का खर्चा भी इसी तरह निकल रहा है। इस तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा।

तो मैं समझता हूं वहां के लोगों को एक लकड़ी नहीं मिली, बांस का डंडा नहीं मिला और दूसरी तरफ किसान की झोंपड़ी टूट जाए और झोंपड़ी के लिए बांस डण्डा अगर काट लाए तो उसको कई तरह से दंडित किया जाता है और सजा और जुर्माना किया जाता है और जब ठेकेदार 500 एकड़ का ठेका लेगा और हजारों एकड़ जंगल की जमीन को बरबाद करेगा और बेचेगा तो उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है।

तो मेरी राय है कि आप ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दें। चाहे मेरी समिति या दूसरी समिति हो लेकिन 10 साल या 20 साल के लिए यह व्यवस्था बिल्कुल ठेकेदारी की बंद की जाए और जंगल की हिफाजत की जाए तो किसानों के उपयोग में आने वाली लकड़ी की उनको सुविधा मिल सकती है।

कानून है वन विभाग का कि आदिवासी एरिया में जहां आदिवासियों को टूटे फूटे मकान बनाने के लिए लकड़ी दी जाएगी लेकिन कानून का दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि उसका जो जंगल का जो एरिया खोला जाएगा वह 7-8-10 मील दूर होगा और कानून यह है कि, तीन मील एरिया के अन्दर जो रहते हैं उन्हीं को दिया जाएगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि कोई भी किसान अपनी टूटी झोंपड़ी सुधारने के लिए लकड़ी लेना चाहे तो कितना भी मील हो वहां से बांस और दूसरी लकड़ी देने की सुविधा दी जाए।

जहां जंगल एरिया नहीं है, यह मांग हमारी भी थी और हम भी कह रहे थे कि रिलीफ के काम चलायें इसमें दो राय नहीं। जंगल एरिया में कुएं खुदवाएं, उसी ढंग से फेंसिंग करायें तो

(श्री हीराभाई)
कुए जो खुदवाए वह इसलिए खुदवाए कि हमेशा के लिए जंगल की घास की बागर बने लेकिन कानून यह है कि वहां के गांव वालों की मवेशी को चरने के लिए कुछ जमीन छोड़ी जाए और कुछ जंगल इधर आजाए। सारे जंगल में एक भी पौध नहीं है न आज है न भविष्य में पैदा होने वाली है। उस एरिया में अगर मवेशी घुस जाए तो पकड़ कर उसको दंड और जुर्माना वन विभाग करता है।

जितना एरिया है तमाम चरने के लिए खुला कर दिया जाए लेकिन गांव वालों के नजदीक और कुछ एरिया 2–3 साल के लिए मवेशियों के लिए छोड़ा जाए, अगर वह जंगल ठीक हो जाए तो फिर दूसरा जंगल पास वाला खोला जाए और 5–10 सालों के लिए खोल दिया जाए। अगर मवेशियों को नहीं जाने देते हैं तो घर में रखकर उनको भूखा मारना चाहते हैं? हम कहते हैं तो वन विभाग कहता है रिलीफ के काम आप लोगों ने खुलवाए। इसका मतलब यह नहीं कि ठेकेदार सारा जंगल खोद कर इकट्ठा एरिया को घेर ले और मवेशियों को जाने नहीं दें। यह समस्या बुरी तरह से फंस गई है। उस बारे में स्थानीय लोग रेंजर व डिवीजनल फारेस्ट आफीसर से मिले थे और उन्होंने कहा कि आदेश दे दूंगा।

दूसरा निवेदन यह है कि जब हमारा कृषि प्रधान देश है, जिन जंगलों में भूमि काबिल–काश्त है और वहां पर जंगल का पौधा भी नहीं है लेकिन नाम मात्र जंगल का एरिया घोषित कर रखा है तो उस एरिया में जितनी काबिल काश्त जमीन है वह जमीन तत्काल जंगल से निकलवाकर भूमिहीन को बांट दी जाए। अगर हम कहें तो मन्त्री महोदय कहेंगे कि जब तक तहसीलदार उनको मूव नहीं करेगा तब तक देने के लिए हमें सपना नहीं आता। लेकिन जब तक राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं होगा तब तक तहसीलदार कलक्टर को मूव नहीं करेगा। वहां का किसान अपनी मांगों को लेकर आएगा लेकिन नीचे का पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है उसी तरह से नीचे के आफीसर्स तमाम दबे हुए हैं और राज्य सरकार को कोई मूव नहीं करेगा।

तो उसका मतलब है कि वहां के किसान लोग दंड भुगतेंगे। राज्य सरकार खास आदेश जारी कर दे कि जितने भूमिहीन हैं, बांसवाड़ा क्षेत्र के जो भूमिहीन हैं, आपकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 17–18 हजार हैं लेकिन मेरे आंकड़ों के अनुसार चालीस पचास हजार हैं, उनको आप कौनसा रोजगार देंगे? रोजगार नहीं है तो वन विभाग में जहां एक भी पौधा नहीं है, वहां की काबिल काश्त जमीन निकाल कर भूमिहीनों को रोजी रोटी की व्यवस्था के लिये देने के आदेश दें। आपके पास नक्शे और लिस्टें मौजूद हैं। 1970 में समाजवादी दल और हमने भूमि मुक्ति आन्दोलन चलाया था और बांसवाड़ा में पांच पांच दस दस बीघा जमीनों पर भूमिहीनों

Page No. 123

(श्री हीराम ई)

ने कब्जा किया था और यह उनका हक था लेकिन आपने गिरफ्तारियां की और दो चार महीने जेल में रखा। तीन सौ आदमियों पर केस चला रखे हैं। जंगलात से लिस्ट मंगवा लीजिए, समाजवादी दल ने आन्दोलन किया था और जहां कब्जा किया था, उत्पादन काबिल है आप जाकर देखिए और वह भूमिहीनो को बांट दीजिये।

भरतपुर में यह किया है। माननीय सभापति महोदया, काचकी बागरी में 27 हजार बीघा जमीन है। रूंद महेरा में दस हजार बीघा जमीन है। यहां के विधायक मुकुट बिहारीलाल जी ने 9 अगस्त और 22 अगस्त को कोटा और भरतपुर में जाकर सत्याग्रह किया था। और पांच हजार आदमियों ने सत्याग्रह किया था। 600 आदमी गिरफ्तार हुए थे। एक बार 8 हजार आदमियों ने सत्याग्रह किया और 450 को गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार करके फतेहपुर सीकरी के बाहर की सीमा में छोड़ कर आये थे। कलेक्टर और दूसरों ने आश्वासन दिया था कि सरकारी भूमि के नक्शे राज्य सरकार के सामने पेश करेंगे और जितनी काबिल काश्त जमीन है उसको निकाल कर भूमिहीनों को बांटेंगे। सभापति महोदया, जब हमारा सत्याग्रह चल रहा था तो यह षड्यन्त्र हुआ। रैवेन्यू मन्त्री महोदय ने और सुखाड़िया जी ने कहा कि इतने पट्टे दिये काश्तकारों को। सत्याग्रह वालों का मुंह बन्द करने के लिए यह किया गया। पट्टे दिये वह जमीन गांधी शताब्दी के नाम पर थी। वह कहां है जमीन? पट्टे दिये नहीं, जमीन लोगों के पास नहीं। पैसे वालों के पास है पर भूमिहीनों के पास नहीं और यह लोगों को मुंह बन्द करके लोगों को ठंडा पाड़ना और इस प्रकार ठंडे पाड़ेंगे और षडयन्त्र के आधार पर आन्दोलन को ठंडा करने की कोशिश करेंगे राजस्थान के लाखों भूमिहीनों को षडयन्त्र से भूख नहीं मिटा सकेंगे और उनका पेट नहीं भरेगा। गांधी जी ने कहा था कि काश्तकारों को जरूरत पड़ेगी तो भूख मिटाने के लिए काश्त करेंगे चाहे रैवन्यू की हो या वन विभाग की जमीन हो। सरकारी जमीन है। राजा के जमाने में राजा के पेट में भूख थी तो अपने आप काश्त करके भूख मिटाने की कोशिश करते थे, वैसा ही अब करेंगे।

भूमिहीनों को जमीन देने के लिए सारी जमीन की जांच करके इसी साल भूमिहीनों में बांट दी जाय। नहीं बांटी तो जो सत्याग्रह उस साल में चला था उससे भी भयंकर सत्याग्रह आगे बढ़ायेंगे और हमारे काबू के बाहर स्थिति हो जावेगी।

अब रहा सवाल, माननीय सभापति महोदया, एक बड़े दुःख का विषय है, बहुत बड़े खेतों पर टैक्स माफ कर देते हैं। साधारण किसान हैं जिसके पास बैल नहीं, पचास पचास रुपया देकर बैल खरीदेगा, रस्सी वगैरा का पचास रुपये का सामान लावेगा, पचास रुपया बीजवारा का करेगा, खाद लावेगा। एक हल के पीछे एक हजार रुपया खर्च होगा तब ही खेती में लग सकता है। प्रकृति के प्रकोप के कारण बीजवारा

(श्री हीराभाई)

भी पैदा नहीं हुआ तो लगान फिर भी सरकार वसूल करती है।

यह निवेदन करूंगा कि लगान चीज क्या है? लगान टैक्स है। बड़े बड़े कारखानों में नुकसान है तो टैक्स माफ करते हैं किसान के लिये कुछ नहीं किसान एक हजार रुपया खर्च करेगा और उत्पादन सौ रुपये का भी हुआ हजार रुपये खर्च करने के बाद भी तो उसको आपके लगान की छूट भी नहीं। यदि लगान लें तो समाजवाद की बात करना फ़िज़ूल है, समाजवाद तो सौ कदम दूर जा रहा है। इन्दिराजी को समाजवाद के नाम से वोट लेने थे। सही समाजवाद लाना है तो किसी प्रकार की हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है। मेरे पास प्रोपर्टी ज्यादा हो तो बराबर सीलिंग कराने का राज्य सरकार को अधिकार है और उनको करना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार नहीं करेगी। सरकार के भरोसे पर यह जनता रही तो यह डूबेगी। समाजवाद लाना है देश में तो हर नागरिक को, हर कौने के हर नागरिक को जीवन चलाने का साधन देना है, बड़ों पर समाजवाद लाओगे तब ही समाजवाद आवेगा। नारे बाजी से समाजवाद नहीं आवेगा। हां, कुछ लोगों के लिये कुर्सी कायम हो सकती है। समाजवाद लाने के लिए खेती का लगान माफ कर दिया जाय। उसी तरह से जब अकाल का समय आता है तो एक किसान का बैल गया, बीज गया, खेती गयी और एक हजार रुपया खर्च किया वह सब गया बेकार और अकाल पड़ गया आप उस अकाल में भी लगान वसूल करें यह समाजवाद नहीं। लगान क्यों वसूल कर रहे हैं? तो एक साल की माफी करेंगे। पर ऐसे कानून में क्यों नहीं प्रावधान रखते हैं?

(2.50 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

किसान का खर्चा हो जाता है तो टैक्स कहां से देगा। ये अकाल की वसूली रैवेन्यू की जो भी वसूली है वह बिलकुल समाप्त कर देनी चाहिये। जिनके साथ आपके लोगों ने बेईमानी की है, आपके कर्मचारियों ने ग्राम सेवकों ने गरीबों के साथ ज्यादतियां की हैं, आज ग्राम सेवक एग्रीकल्चर के नाम से किसानों को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करो, अच्छे बीज का और खाद का वितरण करो वह टारगेट बनाकर अमुक पंचायत वाले भेजते हैं। कहते हैं इतना खाद भेज दिया, इतना बीज भेज दिया जाएगा। पर उनका ध्यान नहीं है कि यह पथरीला एरिया है, पानी कुदरत के भरोसे है। उस पथरीली जमीन में बीज बोओगे और खाद डालोगे और पानी पूरा नहीं दोगे तो खेती एक दिन भी नहीं पनपेगी जल जायेगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री सभापति : काफी टाइम ले लिया आपने।

श्री हीराभाई : जल्दी करता हूं। काफी टाइम नहीं लिया। मैंने मेरी पार्टी का टाइम लिया है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो खाद और नया बीज दिया गया है, उसमें खाद किसान लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि

(श्री हीराभाई)
पथरीली जमीन है पानी है नहीं, पानी के बिना खाद डालेंगे तो खेती जल जायेगी। इधर ग्रामसेवक को टारगेट पूरा करने का डर है। बी.डी.ओ. का दबाव पड़ता है, ग्रामसेवक खाद व बीज उन किसानों के नाम लिख देता है। तमाम खाद और हाईब्रीड मक्का और खाद ग्रामसेवक बेचकर खा गया। किसान ने इसके बावत शिकायत की पर आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। सरकारी कर्मचारी कहते हैं तुम्हारी जमीन नीलाम करके इसकी वसूली की जायेगी।

तो मेरा निवेदन है कि सरकार पानी की व्यवस्था करे। अगर पानी की व्यवस्था हो जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि अकाल की स्थिति वहां पैदा नहीं होगी। पर जब तक पानी की व्यवस्था न हो जाय तब तक जो लगातार अकाल पड़े हैं उसको देखते हुए कुओं के नाम की जो तकावी है, बैलों के नाम की जो तकावी है, खाद के नाम की तकावी माफ कर देनी चाहिये। इसलिये करदी जानी चाहिये कि किसान जमा करके घर नहीं भर रहा था। लगातार अकाल के कारण इसकी खेती नष्ट हो गयी। किसान देश को अन्न देने के लिये खेती करता है और खेती बढ़ाने के लिये खेती के साधन सरकार को जुटाने चाहिये। कम से कम लगातार अकाल पड़ने से छोटे किसानों की तमाम वसूली माफ करदी जानी चाहिये। सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि साहूकारों के कर्ज की मियाद तीन साल के लिये है, तीन साल अगर निकल गया है तो दावा करने पर डिग्री का अधिकार न्यायालय नहीं देती है। तीन साल के बाद उनका कर्जा खारिज हो जाता है। तो सरकार क्यों डाकू बन कर बैठी है। अगर किसान की हालत खराब है उसकी कमर टूट चुकी है खेती से काफी नुकसान हुआ है, तो सरकार से कर्जे भी तीन साल के बाद खारिज हो जाने चाहिये। पर सरकार अपने लिये कोई मियाद नहीं बांधती है। और एक दम डाकू और लुटेरों की तरह जाकर किसानों से अपने कर्जे की वसूली कर रही है वह नहीं होनी चाहिए। खेती के सम्बन्ध में जितना (लोन) ऋण अकाल के पहले सरकार ने किसान को दिया है और जिस खेती में किसान को लाभ नहीं हुआ है, उस तमाम ऋण को माफ कर दिया जावे जैसे कि तीन साल के बाद साहूकार का ऋण माफ हो जाता है।

इसी तरह पन्द्रह बीघा वाले किसान ने जो भी जमीन पर नाजायज कब्जे कर लिये हैं वो भी रेग्यूलराइज कर दिये जाने चाहिये और पेनेल्टी माफ करदी जानी चाहिये। सरकार ने पन्द्रह बीघे की लिमिट बांधी है पर मुझे समझ में नहीं आता कि पन्द्रह बीघा कौनसा है, या तो पन्द्रह बीघा पर कब्जा किया वह या जिनके पास है और उसके उपरान्त आधा बीघा या आधा बिस्वा या कम ज्यादा जमीन में इधर उधर मिरची लगाली या छोटी मोटी खेती करली वह है। इसमें खतरा है। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि यह आप क्लीयर कर दें कि कौनसी जमीन आपने माफ की है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं उस हालत में जिनके पास ज्यादा जमीन है फेवर में नहीं हूं। अगर नाजायज कब्जा है और एक सौ एकड़ पर नाजायज कब्जा है तो

(श्री हीरा भाई) :

उससे अधिक छीन ली जानी चाहिये और उसे भूमिहीनों में वितरण कर दी जानी चाहिए। दण्ड के बारे में मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं तो सदन से अपील करूंगा कि दण्ड से मुक्ति करें। जिनके पास ज्यादा जमीन है या जिन्होंने ज्यादा जमीन पर कब्जा किया है तो उनसे वह ज्यादा जमीन छीन ली जानी चाहिये। इसी तरह जितने लोगों ने जायज कब्जा किया है उनके लिये आप साफ साफ कहें कि उसका पट्टा आप कब तक दे देंगें। जितने उनके पट्टे हैं वे 22 वर्ष के पहले होंगे।

दूसरी तरफ चरागाह का मामला है जिसकी स्थिति ऐसी है कि चरागाह होने चाहिये। दूर मजदूर जाकर खेती कर सकता है फिर दो तीन खेतों बीच एकड़ या बीघा जमीन हैं वह चरागाह के लिये रखी जानी चाहिये ऐसी जमीनों के टुकड़ों पर से अगर किसी ने कब्जा किया है तो पट्टा हटाया जाना चाहिये। उसको रेवेन्यू में ट्रान्सफर करके चरागाह के नाम से अलाट कर दीजिये।

जागीरदारों के पास में जितनी जमीनें हैं उनका मुआवजा देकर ले लेना चाहिये। हम समाजवादी लोग इसके लिये चिल्लाते हैं। चेयरमैन महोदय, हम बीस साल से चिल्ला रहे हैं और इस बात के निर्माण में लगे हुए हैं कि गरीबी दूर हो, लोगों को खाने, पहिनने के लिये पूरा मिले और समाजवाद हमारे यहां आये और इसी रास्ते पर इन्दिरा रानी आ रही हैं। परन्तु उनके नकली नारों से काम नहीं चलेगा। चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके पास जितनी अधिक जमीन है, वे उसको सरकार को सौंप दे, या भूमिहीन को दे दें। इसी तरह से सीलिंग से जो जमीन आई है वह सरकार भूमिहीन को दे दें। और सभापति महोदय, मैं स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सभापति महोदय आपकी पार्टी से...

श्री सभापति : मेरी कोई पार्टी नहीं है।

श्री हीरा भाई : मैं सभापति महोदय माननीय सदस्य श्री विजय सिंह नकराना की स्वतंत्र पार्टी के लिये कह रहा हूं। आप एकदम दिखावे में क्यों आते हैं इंदिरा ने सबको साफ कर दिया है। आप भी कहते हैं कि बात सही है। इन्दिरा जी ने समाजवाद के रास्ते पर चलने का आह्वान किया है और उनको कामयाबी मिली है। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप भी जनता को रास्ता दिखाओ। यह कांग्रेस आप हम पर हावी हो रही है। कांग्रेस आप और हम पर हावी होती चली जा रही है। यह आपको और हमको सोचना होगा कि आखिर हम जनता को कौन से रास्ते पर ले जायें। जनता की तकलीफ दूर करने का हमारा क्या प्रोग्राम है? मैं स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ पार्टी से निवेदन करूंगा कि जितना परस्पर प्रेम होगा और हृदय से त्याग करेंगे तब तो इन्दिरा जी की आवाज हम से दब सकेगी। विकास के काम के लिए आप प्रिवीपर्स का त्याग कर दें, ऐसी घोषणा कर दें और समाजवाद

(श्री हीराभाई)

के रास्ते पर चलें। अगर अब फिर गलती कर देंगे तो दस साल तक भी तैयार नहीं हो सकेंगे। आप जितने भी प्रिवीपर्स वाले हैं उनका त्याग कर दें और उसको विकास के काम में लगा दें यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री नन्दलाल बैरवा : जब प्रिवीपर्स का सवाल आयेगा तो ये आपका साथ नहीं देंगे ?

श्री सभापति : आप अपने भाषण में कह डालना।

श्री हीराभाई : क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया। मैं भी पार्टी का सदस्य हूं।

श्री नन्दलाल बैरवा : प्रिवीपर्स, विशेषाधिकार का जिस दिन सवाल आयेगा उस दिन जनसंघ स्वतंत्र पार्टी आपका साथ नहीं देगी। आप कैसे उनका विश्वास कर रहे हैं ?

श्री सभापति : यह सवाल यहां नहीं आने वाला है। आप बिराजिये। दूसरे का नाम ले रहा हूं।

श्री हीराभाई : जिस तरह बन्दर उछल कर पेड़ की डाली पर बैठ जाता है उसी तरह से यह कांग्रेस बैठ गई है समाजवाद का नाम लेकर। समाजवाद आपसे आने वाला नहीं है।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): सभापति महोदय, आज वन विभाग के ऊपर मैंने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं। यह मुझे कोई पूछे कि इन बीस वर्षों में हमारी सरकार ने सब से बड़ी गफलत क्या की ? तो मैं कहूंगी कि वन विभाग में जो कार्यवाहियां हो रही हैं सब से बड़ी गफलत तो सरकार ने वह की है। यदि कोई यह पूछे कि क्या हमारे इस राज्य में, इस प्रान्त में आज कौनसा ऐसा काम किया जा रहा है, जिसके करने के कारण नुकसान हो रहा है, तो उस समय भी अफसोस के साथ वन विभाग का नाम लेना पड़ेगा। मैं यहां कोई आरोप नहीं लगाना चाहती हूं। बहुत से माननीय सदस्यों के आरोप हैं कि वन विभाग में भ्रष्ट तरीकों से काम हो रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने एक अपराध किया है। आज से 20 वर्ष पहले इस राजस्थान में मरुभूमि होते हुए भी, रेगिस्तान होते हुए भी काफी मात्रा में वन सम्पदा थी। अच्छे अच्छे वन लहराते थे और कई प्रकार की इमारती लकड़ियां वहां पर होती थीं लेकिन इस फारेस्ट विभाग में जिस तरह से जो आपने कदम उठाया है उसका नतीजा आज हमारे सामने है और बिलकुल सामने हैं कि हमारे राज्य से वन गायब है। थोड़े रहे हैं और यदि इसी तरह से वन विभाग की रफ्तार चलती रही तो शायद ही हमारे राजस्थान में वन नाम की कोई चीज रहे। वन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। जहां हम इधर उधर नजर डाला करते तो हरियाली से आच्छादित पहाड़ियां नजर आती थीं आज हमारे राजस्थान में वे पहाड़ियां सूखी पड़ी हैं। उदयपुर की तरफ, डूंगरपुर की तरफ सूखी हैं। यदि आपने देखा हो तो आज जैसलमेर के इलाके में और हमारे उदयपुर, डूंगरपुर के

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत)

इलाके में कोई फर्क नजर नहीं आता है। थोड़ा बहुत बांसवाड़ा में जंगल बचा है लेकिन लगता है जिस ढंग से वन काटे जा रहे हैं, वहां से भी वनों का सफाया हो जायेगा। मुझे डर है, सभापति महोदय, यही हालत रही, इसी रफ्तार से, इसी ढंग से काम करते रहे तो 15 साल के बाद राजस्थान में चूल्हा जलाने की लकड़ी नहीं मिलेगी। तो इसका नाम है फोरेस्ट विभाग। इनका काम है रि-फारेस्टेशन और आज तक किया है डि-फारेस्टेशन। आवाज लगाई जा रही है, आज नारा यह लगाया जा रहा है कि जंगल को बचाओ, जंगल बचाओ जहां भी मुख्यमंत्री जो जाते हैं सब से पहले भाषण में वन रक्षा की बात करते हैं परन्तु इन बीस सालों में हमने जंगलों को बुरी तरह से उजाड़ दिया है और उसका नतीजा आज हमें देखना पड़ रहा है। वन विभाग कहता है कि वृक्ष इस तरह से काटा जाता है कि वन बना रहे हैं और 20 साल में उसके मुकाबले में दूसरा जंगल, दूसरे वृक्ष तैयार हो जायेंगे। तो मैं मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगी कि आज तक बीस वर्षों में कितने कूप काटे गये हैं और उसके बदले में कितने जंगल तैयार हो गये हैं? मैं मानती हूं, मंत्री महोदय इस बात को मानते हैं और मन्जूर करते हैं कि जंगल चला गया है। मंत्री महोदय को अपने बचपन की जब बात याद आती है, जब मसूदा में, जंगल में शिकार करने वे जाते थे, तो कितने जंगली जानवर वहां होते थे कितनी झाड़ियां वहां पर थीं और उनके कारण सुअर, शेर का शिकार करना मुश्किल हो जाता था लेकिन आज उसी वन में उसी जंगल में से खरगोश मिलता है और कोई जीव मिलता ही नहीं है। यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है। सभापति महोदय, इस राजस्थान के इलाके में जहां कि दरख्तों की जरूरत है, शायद इसके महत्व को देखते हुए हमारे यहां हर हरी डाली को काटना पाप माना गया है और वनों की रक्षा की जाती थी। आज वह वन सम्पदा नष्ट हो गई है। हमारे वन विभाग की कृपा दृष्टि से और आज इसी वजह से हमारे यहां पर अकाल पड़ रहा है और आने वाले वर्षों में इससे भी भयंकर अकाल पड़ेगा।

यह मानी हुई बात है कि जहां हरियाली नहीं होती वहां वर्षा नहीं होती। हम इतने दिनों तक आंख मूंद कर बैठे रहे। सभापति महोदय, हमने अपनी सम्पदा को, अपनी सम्पत्ति को अपने हाथों से बरबाद कर डाला है। अपने हाथों से इन जंगलों को खतम कर डाला है। हमारे यहां यह कहा जाता है, भील की झोली हमेशा अमर रहती है। इसका मतलब यह था कि जंगल में इतने फल पैदा होते हैं कि एक फल बीता कि दूसरा फल आ जाता और भील लोग हमेशा उसको बेचकर अपना पेट पालते थे। आज भील की झोली अमर नहीं है। वह खाली पेट है उसके पास बेचने को कुछ नहीं है। क्यों नहीं है इस बात की जांच की जा सकती है। आज पेड़ों को बेचा जा रहा है और हमारे जंगलों में जो पेड़ काटे जा रहे हैं शायद दूसरे राज्यों की नकल करके यह 20 साल के कूप का लक्ष्य रखा गया है। मैंने दूसरे भी जंगलों की कटाई देखी है। दारजिलिंग में देखा है किस प्रकार कटाई होती है। वहां के पेड़ जल्दी पनप जाते हैं क्योंकि वहां की आब हवा अच्छी है लेकिन

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत)

हमारे राजस्थान की ऐसी आब हवा नहीं है कि पेड़ जल्दी पनप सकें–न तो हमारे यहां इतनी वर्षा होती है और न हमारे यहां की भूमि इतनी उपजाऊ ही है। जगह जगह पथरीली और रेतीली जमीन है। मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक सीधा सवाल पूछा था कि पहले आपके पास कितनी वन भूमि थी? कूप काटने लगे हैं, इसकी सर्वे की गई है या नहीं की गई है? यदि की गई है तो आंकड़े बतायें कि कितनी वन सम्पदा थी, अगर नहीं की गई है तो मैं पूछूंगी हमारी वन सम्पदा की आज तक सर्वे क्यों नहीं की? जो लोग अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो अपने देश में रहने वालों की बहबूदी देखना चाहते हैं वे एक एक लकड़ी पर ध्यान देते हैं, एक एक वृक्ष पर ध्यान देते हैं। जापान एक छोटा सा देश है। जब हम वहां ट्रेन में सफर करते है तो देखते हैं कि टनल्स में से गाड़ी जाती है और वहां का कोयला खराब होने की वजह से डिब्बे में बैठने वालों को असुविधा होती है। मैंने वहां वालों से प्रश्न किया–छोटी सी पहाड़ी है लाइन इसके ऊपर से न निकाल कर टनेल्स में से क्यों निकाली गई है? तो मुझे जवाब मिलता है कि इस पहाड़ी पर वृक्ष लगे हुये हैं। सागवान व अन्य प्रकार की लकड़ियों के वृक्ष लगे हुये हैं अगर हम ट्रेन इसके ऊपर से निकालते हैं तो वृक्षों को काटा जायगा, हमारी वन सम्पदा नष्ट हो जायगी इसलिये यात्रियों को असुविधा होते हुये भी टनेल्स में से ट्रेनें निकाली गई हैं। एक तो वह मुल्क है सभापति महोदय, जो एक एक पेड़ और एक एक डाली पर ध्यान रखते हैं और एक तरफ हमारा मुल्क है जो वन सम्पदा को बड़ी बेरहमी से काट रहा है।

आप काबुल और अफगानिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में देखें, बिल्कुल रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आता है लेकिन वहां भी उन्होंने लाल झाड़ी उनके ऊपर लगा रखी है। उनके ऊपर वास्तविक झाड़ियां नहीं है लेकिन वहां पर भी वन लगाये जा रहे हैं। वनों को सींचने के लिए पानी नहीं है लेकिन फिर भी मशीनों से और पखालों से उनको सींचा जा रहा है ताकि शहर की खूबसूरती बढ़े, पास में रेस्तरां वगैरह बनाया गया है। खूब पखालों में पानी डाल कर वृक्षों को खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ आप उन मुल्कों पर नजर दौड़ायें और एक तरफ हमारे यहां देखें जहां पहले पिछोला की तरफ सूअर और अन्य कई जंगली जानवर दौड़ते थे, हजारों सूअर मैंने वहां देखे हैं जहां पर शिकार किया जाता था। हरे भरे सघन जंगल थे वहां अब एक जीव व जन्तु नजर नहीं आयेगा। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है हमारी वन सम्पदा को बुरी तरह काट कर वन सम्पदा को नष्ट किया गया है। इस प्रकार वन सम्पदा को नष्ट कर हमारे देश के लिए अपराध किया है। पहले माननीय भीखाभाई हमारी वन सम्पदा के मन्त्री थे वे बहुत अच्छे थे क्योंकि भीखाभाई जैसा दूसरा आदमी नहीं मिल सकता है उनकी 7 पीढ़ियां इसी में रहती आई हैं। इन्हीं वनों में इनका लालन पालन हुआ है। इनका मन और प्रेम जंगलों से बढ़ कर नहीं हो सकता है लेकिन अफसोस है उन्होंने इस मन को नहीं समझा और या समझते हुए ध्यान नहीं दिया दूसरे इस पद पर आसीन

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

हुए हमारे राव साहब मसूदा। मैं जानती हूं जंगल के लिए इनके दिल में प्रेम है, जंगल की महत्ता को जानते हैं। भीखाभाई जितने तो नहीं हैं लेकिन जो शिकार के प्रेमी होते हैं उनके दिल में जंगलों से प्रेम होता है–राव साहब के दिल में वह जगह है लेकिन राव सहाब के आने पर भी हमारी वन सम्पदा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. . .

श्री प्रेमसिंह रिघवी : राव सहाब की तरफ से ध्यान है, पटेल साहब की तरफ ध्यान नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं बड़े अदब के साथ मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहती हूं इस जंगल के जीव जन्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। दिनोंदिन हमारे यहां के जीव जन्तु नष्ट हो रहे हैं। यह केवल कागजों में बतायेंगे गेम्स सेन्चुरी स्थापित की गई है और दूसरी तरफ बतायेंगे वाइल्ड लाइफ बोर्ड कायम किया गया है लेकिन उनके कायम करने से हुआ क्या ? पिछली बार असेम्बली में मैंने हरिणों के बारे में पूछा था। हरिणों की पूंछें बेची जाती हैं। ये दिल्ली में पकड़ी गई थीं और वहां के जो जू के डाइरेक्टर हैं उन्होंने बताया था कि ये राजस्थान के जंगल से मारे हुए हिरणों की पूछें हैं। उनको पुलिस में दिया गया था। यह प्रश्न मैंने सदन में उठाया था और मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम जांच करेंगे और दोषी लोगों को सजा दी जावेगी। मैं पूछती हूं तीन साल में क्या हुआ ? आपने किसी मुलजिम को पकड़ा और उसको किसी प्रकार की सजा दी ? भविष्य के लिए क्या करेंगे इसके लिए भी मैंने जोरदार शब्दों में कहा है। मैंने यह भी बताया था कि बीकानेर के आस-पास हिरणों की शिकार होती है। वहां के रहने वालों का यही धन्धा है। हिरणों को मार कर वे लोग बेचते हैं। और सभापति महोदय, हिरणों का मांस बाजार में बेचा जाता है मैंने देखा है बाजार में टोकरे में भर कर बेचते हैं और सरे आम आवाज लगाते रहते हैं लो हिरण का मांस। इस तरह सभापति महोदय, हिरण का मांस सरे आम बेचा और खरीदा जाता है लेकिन उसके ऊपर क्या किया ? बीकानेर के पास किसी गांव में चले जांय तो मालूम हो जायगा कि हिरणों के मांस का और पूछों का कितना धन्धा चल रहा है। आप उनसे पूछेंगे भी तो वे कहेंगे यह हमारा धन्धा है जंगलों में जानवर मारना और बेचना और मजा यह है कि हिरण को मारने पर भारत सरकार ने बेन कर रखा है। इसको मारने वाले को सख्त सजा मिलती है। मैं पूछना चाहती हूं माननीय मंन्त्रीजी आपने कितने लोगों को सजा दी है। या तो आप स्वीकार कर लें कि ये मारे नहीं जाते हैं या यह बता दीजिये आपने आज तक कितने लोगों को सजा दी। शायद आपका जवाब यह होगा कि हमारे अधिकारी चौकन्ने कम रहते हैं क्योंकि रकबा इतना लम्बा चौड़ा है कि हम हिफाजत नहीं कर सकते हैं। उनकी दलील में वजन है लेकिन क्या राज्य के दूसरे अधिकारियों ने चाहे कलक्टर हो, चाहे पुलिस अधिकारी हों मैं तो यह

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत)

कहूंगी सारी की सारी केबिनेट का फर्ज नहीं है मिल कर इस तरह की जो शिकार की जाती है उन शिकारियों को सजा दी जाय तो मैं स्पष्ट और बहुत पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप उनको सजा दें और कस कर सजा दें। पुलिस की मदद लें, कलक्टर की मदद लें और कानून में कोई रद्दोबदल करने की बात हो तो वह इस सदन में रखें ताकि सदन के माननीय सदस्य उसमें संशोधन कर सकें या आपके दूसरे विभाग हैं वे इस प्रकार की मदद नहीं देते हैं तो स्पष्ट कहें कि इन कारणों से नहीं सम्भाल सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा बहुत नम्र निवेदन है और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगी कि ईश्वर के नाम पर आज जंगलों को नष्ट न करें जो कुछ जानवर हमारे रह गये हैं उनको जिन्दा रहने दें और पुनः मेरा यही निवेदन है कि बिना सजा दिये आप यह नहीं रोक सकते हैं।

श्री सभापति : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 33, मुख्य शीर्षक 70, और मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9 पर मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहले मैं वन विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाएं माननीय सदस्यों ने रखी है। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि 47 से या सन् 52 से 70 तक, लगभग 20 वर्षों में जंगलों की जो दुर्दशा हुई है, वह तो बड़ी शोचनीय है। और बराबर इस बात का तुमुल प्रचार करने पर भी, हमको वन महोत्सव में पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी, जंगल की लकड़ी का काटना बन्द नहीं हो पाया है। पहले हमारे देश भर में यह भावना प्रचलित थी कि हरा पेड़ काटना पाप है। आज वह भावना नष्ट हो गई है। इसका कारण यह नहीं है कि उनको पेड़ काटने का शौक हो। दर असल राज्य सरकार वन के प्रति इतनी उदासीन रही है जिससे कि जंगल अधिक कटने लगे हैं। सबसे पहले जागीरों का अधिग्रहण हुआ तो जागीरदारी क्षेत्र में जो जंगल थे, उनको कटवाना शुरू किया गया। जो जागीरें रिज़ूम करली जा सकती थीं और अधिग्रहण की जा सकी हैं उनके क्षेत्र में जो वन आते थे उनका कटवाना शुरू हो गया। धीरे धीरे जागीरदारी के क्षेत्रों में पड़ने वाले जो वन है, उनका कटवाना शुरू हो गया। इसलिये जो वातावरण जंगल न काटने का बना हुआ था, वह जंगल काटने का बन गया।

जहां तक इसका दूसरा पहलू है वह यह है कि रियासतों के समय तो लोगों को ऐसे कन्सेशन थे कि जो उनको आवश्यकता पड़ती थी वह जागीरदारों द्वारा पूरी करवा दी जाती थी। जैसे कि मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं सवाई माधोपुर में परमिटों द्वारा काश्तकारों को यह छूट थी कि अपने हलों के लिए, खेती के उपकरणों के लिए, कच्चे मकान या छावन के लिए काश्तकारों को कम से कम एक गाडी लकड़ी मिल जाती थी एक रुपया परमिट से जलाऊ लकड़ी काट लेते थे। इससे उनकी मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाती थी। साथ ही साथ में मुर्दा जलाने के लिए एक अलग ढंग

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

नियत कर दिया जाता था । जो जलाऊ लकड़ी का सामान होता वह उनको सस्ते आधार पर मिला करता था। इससे उनको इस बात की आवश्यकता नहीं रहती थी कि जंगल से चोरी करके लकड़ी ले आये । लेकिन राजस्थान बनने के बाद किसानों को लकड़ी देना बन्द । कच्ची छावन के लिये लकड़ी देना बन्द। वहां पर अधिकतर स्थानों पर सघन वन है, उस एरिया में 3/4 एरिया विशेषकर जागीरदारों का पड़ता था वहां शर्त क्या रखी गई कि सारी लकड़ी को वहां नहीं बेचा जायेगा। उसके किसी अंश को भी वहां नहीं बेचा जायगा । इसके लिए लकडी और कोयले वालों को पाबन्दी थी कि वह जयपुर लाकर बेचा जायगा । वहां किसानों को उपकरण के लिए लकड़ी बन्द करदी गई। कोई अल्टर्नेटिव व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि उनको लकड़ी उपलब्ध हो सके। तो राजस्थान में इस प्रकार का इस रीति ने वातावरण बनाया कि जो कानून और नियम को मान कर जीवन यापन करना चाहता है तो वह कर नहीं सकता है। जो लोग नियम और कानून को बराबर तोड़ते रहते हैं, उनका काम चलता रहता है। वह लोग जो रात को जाग सकते हैं, शरीर से हृष्टपुष्ट हैं, जंगल में गये और लकड़ी काट कर ले आये। देखते देखते सवाई माधोपुर का पहाड़ नंगा हो गया है। जो रियासतों के टाइम में कन्सेशन किसानों को दिये जाते रहे हैं, कस्बों में मिलते रहे हैं, उनको वह कन्सेशन दूसरे रूप में किसी तरह से देने चाहिए थे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लकडी की जगह तो लकड़ी ही जलेगी। आप सोचें, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वे अपने उपकरणों के लिये 12-25 मील सवाई माधोपुर बैलगाडी लेकर जाय । आज सारा जमाना करवट ले रहा है । तो वह व्यवस्था काम नहीं दे सकती है । आपने राजकीय योजना सवाई माधोपुर में आरंभ की है। मैं लकड़ी काटने पर आपत्ति नहीं करता हूं। लेकिन जो सारा का सारा नीलाम किया गया है, जितना बेचा गया है, उसमें यह शर्तें होती है कि सारी की सारी लकड़ी जयपुर में ले जाकर बेची जाएगी। जब कि स्टेशन से लेकर कस्बे तक पहले यह किसी ठेकेदार को नीलाम कर दी जाती थी। वह इसको कस्बे में बेचा करते थे। अब सुना है वह व्यवस्था आपने समाप्त कर दी है। राजकीय व्यापार योजना में आपने वन काटना आरम्भ कर दिया है। तो आप को आल्टरनेटिव रखना ही चाहिए था। टाल पर लाकर बिकवानी चाहिए थी। वर्ना परिणाम उसका आखीर में यह होता है कि जगल में चोरी होती है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी तो आरम्भ ही किया है। आपने बैल बजा दी है।

श्री सभापति : आप टाइम का ध्यान रखें।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : क्या यह पाबन्दी यहीं आकर हो जाती है ?

दूसरे अभी सवाई माधोपुर में गये वक्त में वन का बन्दोबस्त हुआ था। उसका न पंचायतों को पता लगा न पंचायत समितियों को पता लगा। न तहसील को पता लगा।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

राजस्व विभाग की 32 हजार एकड़ भूमि पर वन्दोवस्त करने वालों के साथ मिल कर वन विभाग ने अतिक्रमण किया है और 32 हजार एकड़ भूमि ली है। मैं मान कर चलता हूं कि यह भूमि, उस भूमि को मिला कर शामिल है जो म्युनीसिपल लिमिट्स में रेवेन्यू में है, जो राजस्व से वन विभाग को दी गई है। इस प्रकार चरागाह नहीं छोड़े, गांव का चरागाह वन में शामिल कर दिया। मवेशियों का पानी पीने का तालाव है उसको शामिल कर दिया। सड़क उसमें आ गई। अब पानी पीने के लिए मवेशी जंगल में जायं, जंगल में चरने के लिए मवेशी जायं। तो चरागाहों को भी इन्क्लुड कर लिया है। तो निश्चित रूप से जो विस्तार वन-सीमा-निर्धारण के अन्दर हुआ है, सिवाय इसके कि इससे किसानों को दिक्कतें पैदा हुई हैं, वनों से कोई लाभ नहीं है। यह क्षेत्र लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आपने हथिया लिया है। तो यह आपके वन्दोवस्त के द्वारा इस प्रकार का क्षेत्र शामिल किया गया है। मैं मान कर चलता हूं, इसका पुनः रिव्यू होना चाहिए क्योंकि इसमें सारे जिलों की वात है; सब तहसीलों में इससे दुःख है। टोडा भीम को ले लीजिये, आधा गांव वन विभाग में है, आधा कस्वा वन विभाग में है, आवादी तक उसमें ले आये। आबादी को उसमें शामिल कर लिया। इस प्रकार की ज्यादती हुई है, इसलिए इसे पुनः देखना चाहिए। यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि हमारे यहां गेम सैंचुरी है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, जब मैं पढ़ा करता था तो शाम के वक्त हम खेला करते थे, तो नित्य प्रति टाइगर, एक, दो, तीन टाइगर पहाड़ी पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमा करते थे। इस तादाद में टाइगर उस वन में थे। लेकिन मेरे ख्याल में अब देखने को नहीं मिलते हैं। देखते देखते न मालूम सब के सब कहां गये। यही हालत हिरणों की है। यही हालत अन्य वन्य पशुओं की है। खरगोश भी मुश्किल से ही नजर आते हैं। इसका कारण है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, उसके अधिकारी शिकार के लिए जाते हैं, उनका सबसे ज्यादा प्रवेश वनों में होता है। जो वन विभाग के अधिकारी हैं, गेम्स वार्डन, उनकी उससे कम्बख्ती आ जाती है, अगर वह मना करते हैं तो उनके लिए खराब है और मना नहीं करते हैं तो भी खराब है। एक बार गेम्स वार्डन ने एक साल कलेक्टर को रात को शिकार करने से रोका. गेम्स वार्डन ने उसको पकड़ लिया तो बाद में कलेक्टर ने उस पर इल्जाम लगाया कि मैं तो फेमिन के लिये घास को देखने के लिए जा रहा था कि कहां कहां पर घास पैदा होती है। इसने फेमिन के काम में रुकावट डाली है। इस इल्जाम पर वह गेम्स वार्डन सस्पेन्ड होते होते बचा। इसलिए आपको यह देखना है कि कोई भी स्थानीय अधिकारी हो, उसको कोई भी शिकायत हो, लेकिन जहां तक गेम्स सैंचुरी का सवाल है, उसमें यह देखना चाहिए कि गेम्स सैंचुरी में कोई भी इस प्रकार की चीज होती है, तो वहां कई अधिकारी हैं, एक तो वहां सीमेन्ट फैक्ट्री है, दूसरे तहसील लगी हुई हैं, दो तीन जंगल पड़ते

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

हैं और फिर गेम्स सैंचुरी है तो कैसे इस में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व रखा जाय। इसलिए जब तक गेम्स वार्डन को नहीं सुना जाय तब तक एटरेन्डम किसी अधिकारी की शिकायत पर कागनीजेंस नहीं लें। इसमें सबसे पहले गेम्स वार्डन को सुनना जरूरी है कि क्या परिस्थिति थी, वरना वह अपने आपको सेफ नहीं पा सकता और इस तरह की कार्यवाही को नहीं रोक सकता। इसलिए इस ओर विभाग को जल्दी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर एक पिछड़ा जिला है और पचास प्रतिशत पापुलेशन वहां की शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उनकी पापुलेशन का पचास से ज्यादा, पचपन, साठ पर्सेन्ट पड़ता है। पिछले दिनों जो सुविधायें वन विभाग ने दे रखी थीं, जैसे मवेशियों से चराई न लेना, जलाने की लकड़ी का इन्तजाम करना और अकाल के टाइम पर जंगलों में पशुओं को चरने देना। यह सारी सुविधा आपके द्वारा दूसरे जिलों में दी हुई हैं, और चराई की सुविधा अब भी दूसरे जिलों में दे रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि सवाई माधोपुर जिला, जिसमें कदीमी से हमेशा से यह सुविधा रही है, वह सुविधा आप सवाई माधोपुर के काश्तकारों को क्यों नहीं देते हैं। पहले जब यहां राजाओं का राज्य था, तब वहां झाड़शाही रुपया चलता था, वह स्टेट बनने के बाद में समाप्त हो गया, उस पर आना बट्टा कर दिया, लेकिन राजस्थान बन गया, तब भी जो चराई की दरें हैं, वह छः रुपया छः आना, तीन रुपया तीन आना, एक रुपया एक आना, जैसे अभी भी झाड़साई रुपया हैं। ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है। भैंस की चराई दर छः रुपया छः आना, ऊंट की चराई तीन रुपया तीन आना, बकरी की एक रुपया एक आना। इतनी घास की चराई रियासती टाइम पर भी नहीं लगती थी। यह आपका विभाग अभी इस हिसाब ले लेता है, इसके बारे में निवेदन है कि एक सी नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

भिन्न भिन्न नीतियां नहीं हों, और सौतेला व्यवहार किसी जिले के साथ में नहीं हो, सब जिलों के लिये एक जैसी नीति होनी चाहिये, फोरेस्ट के लिए एकसी नीति होनी चाहिए। एक नीति निर्धारित करना नितान्त आवश्यक है—यह मैं मान कर चलता हूं।

इसलिए आपने जो गाय की चराई छः रुपया छः आना, ऊंट की चराई तीन रुपया तीन आना और बकरी की चराई एक रुपया एक आना रखी है-इस रेट को आप संशोधित करें।

(समय—समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : सभापति महोदय, पांच मिनट तो मैं मान लेता हूं।

श्री सभापति : पांच दस मिनट का सवाल नहीं है। वैसे आपने दस मिनिट से ज्यादा ले लिये है।

श्री हरिबल्लभ शर्मा : एक एक घंटा एक सदस्य एक डिमाण्ड पर ले लेते हैं।

श्री सभापति : पन्द्रह मिनिट का समय

(श्री सभापति)

आप ले लें लेकिन यह आपकी क्षमता पर है कि पन्द्रह मिनिट में आप कितना बोलें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं शीघ्रता करूंगा आधा घंटा बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : एक माननीय सदस्य बोल लिए हैं और और बोलने वाले हैं। आपको अपनी पार्टी का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री जयनारायण सात्रोदिया : बिल्कुल ध्यान है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : नानतोड का जो जंगल रिलीज किया है, उसके विषय में मेरा निवेदन है कि 26 अगस्त को मैंने एक प्रश्न रखा था कि नान-तोड का जंगल रिलीज किया 56 में और 1954 में जागीर रिजम्प्शन एक्ट फोर्स में आ गया, तो मेरे ख्याल में एक्ट में प्रावधान यह है कि दो साल पहले तक के ट्रांसफर इनवेलिड हैं। जब जागीर रिज्यूम हुई 1954 के बाद···

राव श्री नारायणसिंह : आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, उसको अब निरस्त कर दिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस कारण सवाई माधोपुर में बड़ी उत्तेजना थी। वहां पर पांच तो कम से कम पिकनिक सेन्टर है, तीन धार्मिक स्थान हैं, इसलिए मैं आपको इस बारे में बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने निरस्त करने की आज्ञा जारी कर दी है।

इसलिए मैं आप से पुन: मांग करूंगा कि सवाईमाधोपुर में जलाने की लकड़ी के बारे में और मुर्दा को जलाने की लकड़ी का इन्तजाम करने का विशेष प्रबन्ध करें और साथ-साथ कृषकों को खेती के काम के लिए सस्ती दर पर मिल सके इसका प्रबन्ध कर और राजकीय व्यापार की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करें।

अब मैं भू-राजस्व के सम्बन्ध में कहूंगा···

श्री सभापति : अब एक दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : हां यह तो हैं।

श्री जुझारसिंह : अभी तो शुरुआत नहीं हुई है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे रामनारायणजी ने कहा था, वैसे ही सवाई माधोपुर में 1990 में बन्दोबस्त हुआ था, आज 2027 है, इस प्रकार तीस वर्ष हो गये हैं, लेकिन दुबारा बन्दोबस्त नहीं हुआ है। 1967 से मैं बराबर मांग करता आ रहा हूं। कि सवाई माधोपुर में बन्दोबस्त किया जाना चाहिये। कई बार राजस्व मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन 1971 आ गया है, और इस विधान सभा की अवधि के सात-आठ महीने और रह गये है, लेकिन अभी भी बन्दोबस्त का कार्य आरम्भ नहीं करवाया है।

दूसरे मुझे लगान को असमान दरों के बारे में निवेदन करना है। जो कृषक अपनी लागत से कुए वगैरह बनवाते हैं, और राज्य सरकार जमीन का इम्प्रूवमेंट करने के लिए नहर बनाती है, इन दोनों में लगान की दरों में बहुत बड़ा अन्तर है यह जयपुर डिवी-

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

जन का ही सवाल ही नहीं है, मैं दूसरे जिले के लिए कह सकता हूं कि असमान दरों को दूर करने के लिये नेशनल एक सिस्टम अख्तियार करना चाहिये और एक ही दर होनी चाहिये। मेरे ख्याल में जो नहरी जमीन की दर नियत की है, उससे किसी प्रकार से यह दर अधिक नहीं होनी चाहिये। यह जो तेरह तेरह रुपया बीघा की दर कर रखी है, यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है'' '

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक बात और ।

श्री सभापति : एक बात नहीं, अब समाप्त करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह मोस्ट इम्पार्टेन्ट बात है।

श्री सभापति : अच्छा आपको पता लग गया पहले से।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपके जो मीडियम इरीगेशन वर्क्स होते हैं उसमें खातेदारी जमीन जितनी डूब में आती है काश्तकारों को जमीन के एवज जमीन सवाई माधोपुर में नहीं दी और जो कभी निकल ही नहीं सकती। दो प्रकार की जमीन है तो खातेदारी की वह जमीन जहां आकेजनल कल्टीवेशन हो सकता है और दूसरी वह जो भराव के कारण कभी निकल ही नहीं सकती जो बिल्कुल भराव में रहती हैं। उसके एवज में काश्तकार को जमीन देनी चाहिए और जो आकेजनल कल्टीवेशन की जमीन हो सकती है, ऐसी जमीन पर उनके पर्चे कन्सेशन रेट से 5 आना बीघा लगान सालाना पर किया जावें और जब कभी कल्टीवेशन आकेजनल हो तो रेट जो बंदोबस्त के द्वारा कायम की गई हैं वह लिया करें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो किसानों पर बराबर बकाया चढ़ता रहता है। यह बहुत बड़ी समस्या है और सैकड़ों किसानों से इसका सम्बन्ध है। इस बारे में आपको जल्दी आदेश प्रसारित करने चाहिये लेकिन उसके बाद भी इम्पलीमेटेशन नहीं हुआ, उसके लिए उसका फालोअप होना चाहिये। आपको देखना चाहिए कि आपके जो आदेश हुए हैं उनका पालन हुआ या नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप विराजिए। आपने बहुत समय ले लिया।

श्री बृजबल्लभ बोहरा : (हरिबल्लभ से) आप समझदार हैं, आप बिराजिए।

श्री शंकरलाल : दूसरे समझदार नहीं हैं।

श्री सभापति : सभी समझदार हैं, ये उनमें से एक हैं।

श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद) : सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखें हैं उनमें पहले वन मंत्री ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा कोटा जिला एक प्रधान जिला है। यहां की 80 प्रति जनता खेती करती है लेकिन दुख की बात है कि किसानों को उनकी खेती करने के लिए औजार तथा जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं होती। जब

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

हमारा देश आजाद हुआ था उसके पश्चात् संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो वन मंत्री की तरफ से एक विज्ञप्ति प्रसारित हुई थी उसमें यह कहा था कि किसानों को अपने मकानों के लिये तीन साल के बाद घास बिछाने के लिये मिलेगी और कृषि के काम के लिये हल और जितने औजार हैं फ्री मिलेंगे। साथ में जलाऊ लकड़ी उचित कीमत पर मिलेगी। सारी विज्ञप्ति खतम हो गई और मौजूदा सरकार के जमाने में जो गजट में प्रकाशित हुआ है उसके अनुसार लकड़ी उपलब्ध नहीं होती है। इसका कारण यह है कि विभाग में भ्रष्टाचार है। जब किसान लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाता है तो उसको कई कठिनाइयां आती हैं। सरकार ने एक विभाग कायम किया है। सरकार यदि लकड़ी का व्यापार करेगी तो शासन कौन करेगा? सरकार ने लकडी का व्यापार अपने हाथ में लिया। लकडी का व्यापार करने के लिए उन्होंने जगह जगह रेंज कायम किये हैं और जंगल से लकडी काट कर 5) मन के हिसाब से बेचते हैं। एक किसान लकडी की गाडी लेने जाता है, 18) मन के हिसाब से 5 मन का 90) तो वहीं देने पड़ते हैं। उसके पास गाडी है, बैल हैं, मजदूरी करने के लिए समय है लेकिन उस किसान को भी आप 5) मन के हिसाब से देते हैं, वह भी जलाऊ लकडी जब कि शहर में काम में आने वाली लकड़ी आप ठेकेदार को देते हैं जो जाकर शहर में बेचते हैं। किसान जब ठेकेदार के पास जाता है तो वही लकडी उसको 20–25 में जाकर पड़ती है। किसान दुखी होता है। वह दूसरा रास्ता अख्तयार करता है। कभी जंगल में चोरी करने की आदत पड़ जाती है, कभी कभी लकड़ी लाने के लिए ग्राम पंचायत में जाते है तसदीक करा कर रेंजर के पास जाता है रेंजर इजाजत देता है। इजाजत मिलने के बाद जंगल में जाता है तो लकड़ी नहीं मिलती है तो खेती का समय चूक जाता है और उसकी खेती बिगड़ जाती है। इस तरह से जलाने की लकड़ी खाद को खतम कर देती है। खेती खाद के भरोसे खतम हो जाती है जितने गल्ले की आशा थी वह बिल्कुल नहीं होता है। जो राज-पत्र में आपकी निर्धारित दर है कम से कम उसके हिसाब से आप किसानों को जलाऊ लकडी दिया करें।

इसके साथ साथ सरकार आंकड़े दिखाने के लिए कहती है कि अमुक अमुक समय में किसानों के लिए हजारों एकड़ कूप खोल दिये गये हैं लेकिन उस कूप में 100–200 मन लकड़ी भी नहीं होती है। किसान जंगल में जब प्रवेश करता है तो वह रह जाता है और किसान के सामने लकड़ी की समस्या ऐसी कि कई गांव ऐसे हैं जहां मुर्दों को जलाने की लकड़ी नहीं मिलती है। कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्दे जलाने के लिए 4–4 घंटे तक वेट करना पड़ता है और किसी दूसरे आदमी के यहां लकडी मिलती है, वहां मुंह ताकना पड़ता है इसलिए हर गांव में जहां कि लकडी नहीं मिलती है वहां लकड़ी दिलाने की व्यवस्था करें तो किसानों को मुर्दा जलाने की व्यवस्था हो सके।

हमारे जिले में एक क्षेत्र था, बबूल की रानी के नाम से मशहूर था, उसमें कई पेड काटे गए हैं उनकी कीमत 10 हजार है। मैं पूछना चाहता हूं यदि आप बबूल

(श्री बृज बल्लभ बोहरा)

के पेड़ किसानों को देते तो किसानों के प्रति कितनी सहायता होती । वहां ठेकेदारों ने रेंजर्स से मिलकर सारे जंगल को बरबाद कर दिया । कम से कम एक लाख बीघा जमीन का नुकसान हुआ है । आपने कहा था कि कमेटी बिठाई थी, जांच होगी । आपने 7 महीने में क्या जांच की ? उसके बाद एफ. ओ. के लिये हुक्म था कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर न रखा जाय तो उनको वहां क्यों रखा ?

सारे बारावास के जंगल को बरबाद करवा दिया । किसान को लकडी नहीं मिली सीधी कोटा के बाजार में आ गई और किसान और आदिवासी हैं वह लकडी नहीं ला सकते । आपके प्रशासन में रेंजर साहब ने बहाना बना रखा है कि अगर रोजाना जंगल में जावेंगे तो नुकसान पहुंचेगा । उसका उत्तर यह है कि किसानों से तो कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा इसलिए कर्मचारी ठेकेदार से सीधी रिश्वत लेते हैं और आदिवासी जिनका धंधा लकडी बेच कर पेट भरना है, उनको नहीं मिलती । इसलिए गेम्स सैंक्चुएरी के पास या जंगल के पास उनकी खेत की बचत के लिये किसानों के अन्दर दुख है कि हमें दिन भर मेहनत करने के बाद रात को भी जगना पडता है क्योंकि यदि गेम्स सैंक्चुएरी के जानवर आयेंगे तो फसल बरबाद कर देंगे इसलिए किसानों के लिए हमेशा खेती रक्षा की आवश्यकता होती है, तो वाजिब रेट पर आप तय करें ताकि किसान कुछ पैसा बचा सके।

राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि परसाल प्रधान मंत्री पधारी थीं कोटा में तो मुख्य मंत्री ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ के विधायकों की बैठक बुलाई थी उसमें आश्वासन दिया था कि गंगानगर के मुकाबले में कोटा जिले की उपेक्षा की जा रही है । कोटा में ज्यादा जमीन होनी चाहिए । सीलिंग सीमा निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी लेकिन अफसोस की बात है कि वह कमेटी अब तक कुछ फैसला नहीं कर सकी जबकि किसानों के गले पर सीलिंग की तलवार लटक रही है । इसलिए सीलिंग की सीमा के सम्बन्ध में जो आपने कमेटी बिठाई है उसको जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करें और किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कोटा और गंगानगर जिले में न हो।

जो कालोनाइजेशन एरिया, अनकमांडेड एरिया जो लिफ्ट इर्रीगेशन के तहत में आती है उसको भी कमांड घोषित कर रखी है । अनकमांड जमीन का सरचार्ज उसको 22 एकड़ बराबर सिंचित मान कर डबल चार्ज लिया जाता है, यह गलत है । इसलिए जो सरचार्ज की धारा है उसमें संशोधन करना चाहिए ।

कोटा डिवीजन में पुराने जमाने में पांच रुपया छः रुपया लगान का लिया जाता था । नहर आ गयी । उसके बाद लगान भी बढ़ गया और सिलाई का पांच रुपया वह तो अलग लिया ही जाता है। दूसरी जमीन का लगान 1॥ रुपया था और पांच रुपया सिलाई का लिया जाता है । 6॥ रु. के मुकाबले में 11॥ रुपया किया है । यह वसूल किया जाता है इसलिये इसमें समानता लाने की कृपा करें ।

(श्री बृज वल्लभ बोहरा)

कोटा डिविजन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पटवारियान और तहसीलदारों के द्वारा सरचार्ज अलग अलग वसूल किया जाता है। तहसील बीगोद, तहसील लाडपुरा और तहसील शाहबाद, इन तीनों को ही देख लीजिये कि इनमें अलग अलग प्रकार से वसूल किया जाता है। तहसील लाडपुरा में 22 बीघा का एक एकड़ माना गया है। सिंचित माना गया है। 22 एकड़ के हिसाब से वसूल किया जाता है वह गलत है। इसलिये इसके लिये आप ओर्डर निकालें। रेट के अनुसार ही वसूल किया जाय।

जो पड़त जमीन रहती है और भूमि में पैदावार नहीं होती है उसका भी लगान ले लेते हैं। जो क्षेत्र बिलकुल खराब हो गया है, बीज या अन्न ही पैदा नहीं होता है वहां से क्यों लगान वसूल किया जाय? इसलिये इसकी जांच करा कर लगान से मुक्त कराने की कृपा करें।

जमीनों का अलाटमेन्ट चल रहा है। नहरी क्षेत्र में किसी को डेढ़ दो बीघा जमीन दे दी। इसमें क्या होता है? कम से कम एक परिवार को 15 बीघा जमीन देनी चाहिये जिससे कि वह परिवार अपना पेट तो भर सके। मंत्रियों के परिवार, उनके रिश्तेदार और बड़े अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को जमीन दे दी जाती है और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको नहीं दी जाती। मेरे गांव में बैरवा समाज के 20 परिवार हैं 15 वर्ष से उनका उस जमीन पर कब्जा है। चरागाह की जमीनें बेच दी गयीं, दूसरे लोगों को दे दी गई या तो सरकारी नौकरों ने खरीद ली या बाहर के आदमियों ने आकर उसको खरीद ली। उन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने क्या बिगाड़ा कि उनको नहीं दी गयी? समाजवाद का नारा लगाने वाली और शिड्यूल्ड कास्ट को ऊंचा उठाने वाली सरकार को उस ओर कदम उठाना चाहिये। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, मैंने भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं आज की मांगों पर। सर्व प्रथम ग्रामीण जनता और किसानों से सम्बन्ध रखने वाले भू-राजस्व के बारे में, मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सर्व प्रथम यह निवेदन करूं कि भू-राजस्व की जिस प्रकार की प्रणाली है उसके कारण काफी भ्रष्टाचार फैल रहा है। बड़ी बड़ी जमीनों को सेठ लोग, जिनके पास पूंजी है, खरीद कर रहे हैं और उनका विक्रय कर रहे हैं। पता लगाया गया तो ऐसा मालूम होता है कि जमीनों को इसलिये खरीदी कर रहे हैं कि जमीनों पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगता है, बड़े बड़े पूंजीपति जमीन खरीद कर अपनी इनकम इससे बताते हैं और काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करते हैं। लगान की जगह एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन्ट्रोड्यूस होता है, किसान जो अनपढ़ है उसको दिक्कत जरूर आवेगी। वैज्ञानिक युग में जमीन पर कर नहीं लगा सकते हैं। जमीन पर कर लगाने से कई बातें आती हैं उससे किसान को असुविधा हो रही है। जिन किसानों के

(श्री शंकरलाल)

पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, जिनकी कम आमदनी होती है, एक चिन्तन करके जरिया निकालें कि छोटे 2 किसान की एक मिकदार करके एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स उन पर न लगे और ऊपर के लोगों पर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगे वरना एक तरफ तो पूंजीपति जमीन ले लेते हैं और दूसरी तरफ टैक्स की भी चोरी करते हैं। राज्य सरकार को मैं सुझाव दूंगा कि चिन्तन करके एक जरिया निकालें कि जिससे चोरी होती है टैक्स की वह बन्द हो और वैज्ञानिक ढंग से लगान निश्चित हो।

इस सम्बन्ध में यह भी, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के पूर्व वक्ता माननीय चौधरीजी ने बताया कि सारी जगह जमीनों पर लगान लिया जाता है वह एक रूप से नहीं लिया जाता है। उसी भूमि का लगान किसी जगह 6) रु०. किसी जगह 4 रुपया और किसी जगह 9 रुपया बीघा है। इस प्रकार एक तरह से इसमें डिस्क्रिमिनेशन है।

लगान के पश्चात रैवेन्यू लॉज पर आयें। हम यह समझते हैं कि किसान के फायदे का ऐसा कानून हो जिसको किसान सरलता से समझ सके और गांवों में भी उसके अनुसार वह चल सके। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे रैवेन्यू लाज काश्तकारों के लिये नहीं हैं। कितने ही कानून निकले और कितनों में ही संशोधन हुआ। कोई सरल कानून आज तक ऐसा नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि किसान समझ कर उसका फायदा उठा सकता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि एक सरल, सारे कानूनों के निचोड़ की एक किताब बनायें जिससे किसान सही रूप में उसको समझ सके और उसमें जल्दी अमेन्डमेन्ट न हो। एक सीधा और सरल कानून बनाया जाय।

सभापति महोदय, इसी सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि मौजूदा हालात में बेदखली के हजारों मुकदमात हैं। तहसीलों में कहीं पर चले जाइये, आपको किसानों के झुंड के झुंड मिलेंगे, उनसे पूछने पर पता लगेगा कि 91 के केसेज लगा रखे हैं और पेशियों पर आते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापतिजी, कोरम नहीं है। देख लीजिये। उन तीनों को (रिपोर्टर्स और कर्मचारी) को गिन लें तो हो जाता है।

श्री राम पति : नहीं है।

(कोरम सूचक घंटी)

श्री सभापति : (कोरम पूरा होने पर) यस। केरी ओन।

श्री शंकरलाल : सदन के माननीय सदस्यों को मैं बेदखली के मुकदमात के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। बजट के समय राज्य सरकार ने घोषणा की उससे छोटे 2 काश्तकारों को अवश्य फायदा मिलेगा। बेदखली के मुकदमात का निर्णय तहसील तक होने के बाद अपील कलेक्टर के पास होती है और दूसरी अपील रैवेन्यू अधिकारी के पास होती है। मैं यह समझता हूं कि अलॉटमेन्ट की अपील का कानून में संशोधन किया है कि गलत अलॉटमेन्ट होता है तो कलेक्टर बिना

(श्री शंकरलाल)

अपील के केन्सल कर सकता है और उसके बाद में राज्य सरकार को अधिकार है जिससे मुकदमे की सुनवाई निगरानी में कर सकते हैं। जो आदमी ट्रेसपास करता है उसके लिये भी ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिससे कि दो दो चार चार अपीलों में न जाना पड़े और कलेक्टर को अधिकार होना चाहिये कि जिस प्रकार अलॉटमेन्ट के केसेज की सुनवाई करते हैं, उसी प्रकार से बेदखली के केसेज की सुनवाई कलेक्टर करके जल्दी से जल्दी निपटारा कर सके। अपील का अधिकार राजस्व अधिकारी के पास नहीं होना चाहिये। कुछ मुकदमें जरूरी समझें तो निगरानी में राज्य सरकार ले सकती है। वरना राज्य सरकार अपने आप में सक्षम नहीं पाती है।

मकराना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मकराना में पत्थर की खानें हैं जो राज्य सरकार की राजस्व भूमि पर कई सालों से हैं। एक नहीं अनेक हैं, जिनके खिलाफ बेदखली के मुकदमें चल रहे हैं। उनको बेदखल किया नहीं जा सकता उसके लिये राजस्व अधिकारी और आप से निवेदन किया गया मंत्रीजी, 91 के केसेज ज्युडिशियल नेचर के हैं। उद्योग विभाग में जाते हैं तो वे कहते हैं कि राजस्व विभाग वाले फैसला करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की भूमि है। राजस्व मंत्रीजी को अधिकार होना चाहिये। उनको रेगुलेराइज करने के पावर्स आपको होना चाहिये। इस प्रकार अड़चन आने से यह प्रतीत हुआ कि इन मुकदमात को सरल बनाना पड़ेगा। इस प्रकार रेवेन्यू मुकदमात में गांवों में दिक्कत आती है। एस. डी. ओ. की अपील रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी को कर सकते हैं, राजस्व अधिकारी के पास। कलेक्टर और एडीशनल कलेक्टर के पास वहीं सुनवाई हो जाय तो सुविधा हो सकती है। राजस्व अपील अधिकारी को जो यह कोर्ट है यह एक बिचौलिया कोर्ट है, मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता हूं। पहले कमिश्नर्स थे और अपील सुनते थे। वह तो सिस्टम बन्द कर दिया। इसी प्रकार का राजस्व अपील अधिकारी आपने रखा है, जिसकी आवश्यकता नहीं जोधपुर में हो या कहीं कुछ हो। इससे तो अच्छा है कि राजस्व मन्डल के किसी अधिकारी को सैकिन्ड अपील की सुनवाई का रख दें और यह न हो कि राजस्व अपीलेट अथोरिटी के पास जाय और फिर रेवेन्यू कोर्ट में जाय। इसका निर्णय हो जाय इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व मन्डल अजमेर में है, राजस्व मन्डल के मेम्बर्स अलग अलग डिविजन में जाकर सुनवाई करें इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है।

सभापति महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। राज्य सरकार ने सीलिंग के कानून के लिए घोषणा की थी कि अप्रेल तक तमाम भूमि का सीलिंग हो जायेगा और मई के बाद उसका वितरण शुरू हो जावेगा तो मन्त्री महोदय बतावें अप्रेल समाप्त होने को है राजस्थान में उन्होंने कितनी भूमि ले ली है और आने वाले महीने में किस स्थिति में हैं क्या वह सीलिंग की आधी हुई भूमि का आवंटन कर सकेगी?

आज के लोकतन्त्र के युग में भी हमारे कई भूतपूर्व राजा और जागीरदारों के पास

(श्री शंकरलाल)

तालाब या बन्धे हैं जो इनकी निजी सम्पत्ति मानी जाती है। स्थिति यह है कि गांवों में पीने के पानी की समस्या है और खेतों को पानी देने की समस्या है, पर इन पर भूतपूर्व राजा और जागीरदारों की जनता की इस पानी की समस्या से कोई सहानुभूति नहीं होती वे उन तालाबों और बान्धों के पेटे में काश्त करने के लिए उनका पानी खाली कर देते हैं। कहते हैं तो जवाब मिलता है कि यह उनकी परसनल प्रोपरटी में है।

वास्तव में यह बात तो खुशी की है कि राजस्थान कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया था कि ऐसे तालाबों और बांधों को निजी सम्पति में नहीं माने जावें। यह भी खुशी की बात है कि सरकार इस पर तत्परता से विचार रही है कि इस संबंध में कानून इसी सत्र में लाया जावे। यही नहीं, बड़े बड़े कुए भी इस तरह से हैं, कई जगह ऐसे कुए हैं जिनके पीछे पांच पांच छः छः हजार बीघा जमीन की पिलाई होती है। किसानों से इस हिस्से के लिए दो तीन हिस्सों का बांटा लिया जाता है, यह शोषण है। हमने जागीरदारी इसलिए तो खतम की थी कि इस तरह के तमाम शोषण खतम हों तो ऐसे कुओं को भी उनकी निजी सम्पति से मुक्त कराया जावे। बोरूंदा में ऐसे कुऐ हैं। तो राज्य सरकार को ऐसे तमाम तालाब, बांध और कुओं पर से निजी स्वामित्व समाप्त करने का कानून जल्दी लाना चाहिए।

मैंने कटौती के प्रस्ताव के जरिये, रेवेन्यू इन्सपेक्टर के पद को समाप्त करने की मांग की है। यह बिल्कुल बेकार पद है। केवल इसलिए कि पटवारी जितनी रिश्वत लेता है उसमें से कितने हिस्से का मालिक वह हो सके इसके सिवाय रेवेन्यू इन्सपेक्टर का कोई काम नहीं है।

इससे तो अच्छा है कि पटवारियों के सरकल हैं, बड़े बड़े जहां सरकल हैं उनको पंचायत के साथ छोटे बना दिये जायं और पटवारियों की संख्या उनके हिसाब से बढ़ा दीजिये। पर रेवेन्यू इन्सपेक्टर का पद तो फालतू नजर आता है आज के युग में। उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये।

खासकर पटवारियों के बारे में गांव गांव से शिकायतें आती हैं। मैं समझता हूं राज्य सरकार इसके बारे में गम्भीरता से चिन्तन करे और सोचे उनकी बुराइयां कैसे मिटे। ये पद आज के युग में महत्वपूर्ण पद हैं। सब काम पटवारियों के जरिये कराने पड़ते हैं। चाहे सेन्सेज का काम हो, चाहे कोई रिपोर्ट लेनी हो तहसीलदार पटवारी से मदद लेगा। तो एक तो ऐसे पद पर उन्हीं लोगों को अपाइन्टमेन्ट दीजिये जो गांव के रहने वाले हों, ईमानदारी से गांव में रह कर काम करते हों और उनका कन्फर्मेशन इसी पर आधारित हो। उनकी निगरानी रखी जावे। आज वे शहरों में आकर रहने लगे हैं, इधर उधर घूमते फिरते हैं और अपनी खेती करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सब शिकायत जो पटवारियों के खिलाफ आती है उनकी जांच की जानी चाहिये। और ऐसे आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। अच्छे आदमियों का चयन करें ताकि उनसे काश्तकारों को जो राहत मिलनी चाहिये वह मिल सके।

(श्री शंकरलाल)

अन्त में रिकवरीज के बारे में निवेदन करूंगा। मौजूदा समस्या है उसका परिपत्र सरकार ने निकाला था 18 जनवरी को किस प्रकार की रिकवरीज होंगी, किस प्रकार की तकावी की रिकवरीज होंगी। परिपत्र कुछ ऐसा है जो अस्पष्ट है।

इसको किसी ने तो क्या समझा। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को भी चार, पांच बार पढ़े तो ही समझ में आ सकता है। इसके बाद एक आवाज उठी थी कि अनाज के भाव गिर रहे हैं। चूंकि किसानों से एक साथ वसूली हो रही है और उस वसूली को चुकाने के लिये अनाज बाजार में लाना पड रहा है और अनाज बाजार में लाया है तो सप्लाई बढ़ती है और उससे अनाज के भाव गिरते हैं। राज्य सरकार कहती है कि सक्युलर निकाल दिया है जिससे सारी रिकवरी एक साथ न हो। लेकिन राज्य सरकार का क्या आदेश निकला है अभी तक कल तक तो आदेश गांवों में नहीं पहुंचे हैं और वहां पर वसूली उसी प्रकार से कुर्की के द्वारा की जा रही है। किश्तों के लिए उनको ताकीद की जा रही है और चारों तरफ से वसूली के लिए काश्तकारों को तंग किया जा रहा है। यह एक हिसाब से अच्छा नहीं है। इसलिए मैं राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस रिकवरी के मामले में इसके अन्दर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें।

सभापति महोदय, एक बात वन विभाग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि वन वि विभाग के अन्दर यह जो प्रशासनिक ढांचा है, यह जो व्यवस्था है, वह हमारे समझ में नहीं आती है। यह कैसी व्यवस्था है? पाली जिले में सेनवा रैन्जर है उसका डी. एफ. ओ. अजमेर लगता है। आप एक डी. एफ. ओ. पाली जिले का अलग से क्यों नहीं रखते हैं? एक जिले का दूसरे जिले से ताल्लुक है। पाली जिले का एक रेन्ज अजमेर लगता है और एक जोधपुर लगता है। यह क्या एडमिनिस्ट्रेशन है?

श्री नाराणसिंह मसूदा: इसका रि-आर्गेनाइजेशन किया जा रहा है।

श्री शंकरलाल: मेरा निवेदन है कि इस प्रशासन व्यवस्था में सुधार हो। बाकी और भी निवेदन करना चाहता हूं लेकिन समय कम है। सभापति महोदय देख रहे हैं। तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): सभापति महोदय, मैंने भी फोरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के कटौती प्रस्ताव दिये हैं। लेकिन समय के अभाव में मैं कुछ खास खास बातों पर निवेदन करना पसन्द करूंगा।

सब से पहले तो मैं माननीय राजस्व और वन मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कम से कम आपस में फैसला करेंगे कि किस प्रकार की भूमि में किस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं। जब तक आप दोनों के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक उस पर्टी

(श्री जुझार सिंह)

कूलर लेण्ड का किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा और किस तरह से उपयोग में अच्छी तरह से ला सकते हैं, इसके बारे में आपका फैसला नहीं होगा तब तक राजस्व विभाग और वन विभाग में डवलपमेंट नहीं होने पायेगा। इसलिये कहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे क्षेत्र में खास तौर से कोटा डिविजन में फोरेस्ट बहुत हैं और राजस्व विभाग की हमारे यहां बहुत समस्यायें हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में और उस डिविजन में भूमि कटाव की जबरदस्त समस्या है और जब तक इस समस्या का अच्छी तरह से, लैण्ड यूटिलाइजेशन के बारे में राजस्व विभाग नहीं सोचेगा तब तक वहां हमारे यहां की जो पैदावार है जमीन की वह कम होती जायेगी। इस विषय में मैंने कई बार राजस्व मन्त्रीजी और फोरेस्ट मन्त्रीजी से निवेदन किया है परन्तु आपस के दोनों डिपार्टमेन्ट्स ने कोई निर्णय नहीं किया है कि कौनसी जमीन फोरेस्ट में रखी जाये और कौन सी राजस्व में दी जाये। इसकी वजह से अभी तक आप यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि जो चम्बल रेवीन एरिया है उनको किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जायेगा। राजस्व मन्त्री महोदय ने बहुत दिन पहले, –– मन्त्री महोदय आप मेरी बात को सुन लें, मुझे डिस्टर्ब न करें, आप मेहरबानी करें, – –यह कहा था और राजस्व डिपार्टमेंट ने भी इस तरह की घोषणा की थी कि चम्बल रेविन एरिया में कुछ प्लाट्स 100-100 बीघा के और इसी तरह के बीघा के कुछ सरटन प्लाट्स काश्तकारों को एलाट किये जायेंगे और इसके आधार पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी चम्बल रेविन एरिया का सर्वे कराया है और उसके बारे में रिपोर्ट दे दी है और इन एरियाज का फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा यूटिलाइजेशन होगा। इन दोनों डिपार्टमेंट्स की चम्बल रेविन एरियाज के सम्बन्ध में अपनी अपनी राय है और दोनों में कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से एक तरफ लोग बाग यह समझ कर कि इन पर इनक्रोचमेन्ट कर के काश्त कर ली जाये और बाद में एलाटमेंट हो जायेगा, वह उसको काश्त के लिये काम में ले रहे हैं और दूसरी तरफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के डाउटफुल एरियाज हैं उन एरियाज के यूटिलाइजेशन के पहले आप यह निर्णय कर लें कि आप उनको किस तरह से काम करना चाहते हैं। अभी तक दोनों डिपार्टमेंट्स ने इस बारे में कोई राय नहीं बनाई है। इसलिए इस क्षेत्र को नुकसान हो रहा है। इसलिये आप जल्दी ही इसके बारे में निर्णय करें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट का जो एरिया है वह आज के दिन में राजस्थान में बहुत कम है। जितना एरिया है फोरेस्ट के लिये उसमें भी फोरेस्ट नहीं है। 16 हजार स्क्वायर मील का कुल एरिया है उसमें से मुश्किल से चार पांच हजार स्क्वायर मील में फोरेस्ट होगा। तो यह सेटिसफेक्टरी पोजीशन नहीं है। इसके बावजूद भी आप फोरेस्ट का एरिया कल्टीवेशन के लिये, काश्त के लिये रिलीज करते जा रहे हैं और काश्त में रिलीज करने की वजह से जो एरिया फोरेस्ट का रिलीज होता है

(श्री झुझारसिंह)

जिन काश्तकारों को वहां पर बसाया जाता है, ये काश्तकार उसकी लकड़ी काटकर बेचते हैं और उसके साथ ही लगे हुए फोरेस्ट के एरियाज से रेवेन्यू के एरियाज से लकड़ी लाकर बेचते हैं और यही कारण है कि आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट को नुकसान हो रहा है और वह अपने वनों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। मैं उदाहरण के लिये बताऊं जैसे कोयले की टाल है। सब जगह पर फोरेस्ट विभाग की तरफ से कोयला बेचा जा रहा है लेकिन जितना कोयला आप अपनी टालों पर बेचते हैं उससे तीन, चार गुना अधिक प्राइवेट लोगों द्वारा बेचा जा रहा है और यह ज्यादातर उन गांवों से आ रहा है। वे लोग लकड़ी की चोरी करते थे और राजस्व विभाग का उनके पास सरटीफिकेट होता है कि यह लकड़ी बिकाऊ नहीं है। यह उन एरियाज के काश्तकारों को दिया जाता है। इस तरह से आपके डिपार्टमेंट में और फोरेस्ट डिपार्टमेंट में कोआर्डिनेशन नहीं होने की वजह से जंगल को नुकसान हो रहा है। इसलिये यह जरूरी है कि आप आपस में लेण्ड यूटिलाईजेशन के बारे में एक निश्चित निर्णय करें ताकि कोई नुकसान न हो।

एक बात खासतौर से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं। पिछले साल 19-4-70 को कोटा के किसानों का एक डेपुटेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था और उनसे इस बात के लिए निवेदन किया था कि कोटा में जो सीलिंग का एरिया दिया गया है उसमें सीलिंग का कोई एरिया अंकित नहीं है लेकिन जितनी पैदावार उस एरिया से होनी चाहिये वह वेरियस फेक्टर की वजह से, भूमि कटाव की प्रमुख समस्या, सीपेज, वाटर लागिंग की समस्यायें और दूसरी समस्यायें हैं, उन समस्याओं की तरफ माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए एक डेपुटेशन मिला था। इसके लिये एक कमेटी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष माननीय श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी और रेवेन्यु सेक्रेटरी और शेरसिंह जी इसके मेम्बर थे। जहां तक मेरी जानकारी है इस कमेटी ने कोटा क्षेत्र का दौरा किया था और मौके पर जाकर हम लोगों ने उनको यह बताने की कोशिश की थी कि अनसिस्टेमेटिक यूज आफ दी लेन्ड की वजह से इस क्षेत्र में किस तरह से इरोजन बढ़ रहा है इसको मौके पर बताने की कोशिश की थी जहां तक मेरी जानकारी है इस सम्बन्ध में उन्होंने यू. एन. डी. आई. पी. के. जो मेम्बर्स हैं उनसे भी राय मांगी है और डाईरेक्टर साइल कन्जरवेशन से भी राय ली है और मैं महसूस करता हूं कि वहां पर जो रकबा सीलिंग के लिए बताया है बारह आना, वह 77% फर्स्ट क्लास में बताया गया है। वहां वास्तव में 300 मन पैदावार नही हैं। यह समस्या है। वहां के लोगों ने मांग की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी समस्या के रूप में आप इसको समझें और जो सीलिंग के ऊपर जो निर्णय किया उसको वापिस वर्क आऊट करेंगे। इस समस्या से वहां का किसान एक साल से पीड़ित है। आप जल्दी निर्णय कर लेंगे तो वह सस्पेन्स में जो पड़ा है वह नहीं रहेगा। यही मेरी

(श्री जुझारसिंह)

खास बातें हैं, मुख्य बातें हैं। लेकिन एक बात का मैंने कटौती प्रस्ताव और दिया था कि क्लोज सीजन में आपके यहां जो फारेस्ट डिपार्टमेंट में शूटिंग वगैरह चलती है खास तौर से आपको मालूम हैं कि अभी तीतर और जो सरटेन एनीमल्स है हमारे कोटा में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां आज भी आप जाकर देखें सैंकड़ों तीतर वन में जाकर पकड़ कर लाते हैं और सरे-आम बाजार में इधर-उधर बेचते हैं और, सभापति महोदय, जहां ये लोग बेचते हैं वहां से फोरेस्ट डिपार्टमेंट के जो डी. एफ. ओ. का दफ्तर है उससे ज्यादा दूर जगह नहीं है। आपकी स्वयं की निगाह होने पर भी और निगाह में लाये जाने के बाद भी पाइन्ट अऊट करने के बाद भी आप उसको इवेड करने की कोशिश करते हैं। आप रियेलाइज नहीं करते हुए और बहुत जरूरी समझते हैं तो सोचते हैं एक्सप्लेन कर दिया जायगा और किसी तरह जवाब देकर छुट्टी पायेंगे। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ वास्तव में सीरियस हैं तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और जो अनियमिततायें बरती जा रही हैं–आपके डिपार्टमेंन्ट की नेगलिजेन्सी की वजह से, कुछ इन्तजाम करना चाहिये।

सभापति महोदय, क्योंकि मेरे दल के एक मा. सदस्य और बोलने वाले हैं इसलिये मैं उनकी बात को ध्यान में रखता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री कल्याण मल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव एक वन के सम्बन्ध में और दूसरा भू-राजस्व के सम्बन्ध में दिया है। मैं सबसे पहले इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा जो रेवेन्यू के सम्बन्ध में है। भीलवाड़ा जिले में पेटा तालाब की जमीन के अलाटमेंट के टाइम जिलाधीश ने एक आदेश निकालकर एक ऐसी प्रथा चालू की जो 25 रु. प्रति बीघा के हिसाब से चन्दा के जमा करायेगा उसको ही जमीन अलॉट की जायगी। माननीय सभापति जी, यह एक बहुत ही दुख का विषय है। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया, कई बार पत्र लिखा पर आज तक उस पत्र का उत्तर तक नहीं मिला और इससे हजारों बीघा जमीन पेटा तालाब की सूख गई। सभापति महोदय, कानून में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि तालाब पेटा की जमीन अलाटमेंट में 25 रु. बीघा लिया जाय। आज यह कहा जाता है कि काश्तकार को हम फायदा दिला रहे हैं। यह फायदा जब इस तरह पाबन्दी लगा कर और चन्दा लेकर उनको दे रहे हैं, यह बहुत ही दुख की बात है। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा और ये हमारे राजस्व मंत्री जी फिर भी उन काश्तकारों की मदद नहीं कर सके तो इससे बुरी बात क्या होगी माननीय सभापति अभी भी वह चन्दा कुर्की के जरिये वसूल किया जा रहा है। कई लोगों पर कुर्की की जा रही है और वे चन्दा वसूल कर रहे हैं और जिन आदमियों ने 25 रु. जमा करवा दिया चाहे उनके पास कितने ही बीघा जमीन हो उसको जमीन दे देंगे। यह एक प्रथा बन गई है और एक

(श्री कल्याणमल)

काश्तकार चाहे भूमिहीन हो उनके पास एक बिस्वा भी जमीन न हो अगर 25 रु. जमा नहीं कराता है तो उनको जमीन नहीं मिलेगी। 25 रु. जो जमा कराने वाला है उसको ही जमीन दी जायगी। उसी के नाम जमीन अलाट हो जायगी।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इकोला ग्राम है उसमें शंकर मीणा है। उसके पास कम से कम 40 बीघा जमीन है··

(निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

उसने 25 रु. बीघा जमा करा दिया तो उसको जमीन का और अलॉटमेंट हो जायगा अध्यक्ष महोदय। वहां पर कई भूमिहीन काश्तकार हैं और उनकी दरख्वास्तें हैं, वे रेगर जाति के लोग है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और आज भी वहां पर मौजूद हैं 25 रु. न देने से उनको जमीन आज तक अलाट नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से नाम बता देता हूं–

(1) हेमा पिता गोगा रेगर

(2) रामा पिता गोगा रेगर

(3) दुर्गा पिता दुल्ला रेगर

(4) देवी पिता लक्ष्मण रेगर

(5) रामसुख पिता गोविन्दा रेगर

(6) श्री मांग्या पिता नोनदा रेगर

श्री अध्यक्ष : कितने हैं ये करीब ?

श्री कल्याणमल : नाम बहुत हैं 20, 25, 50····

श्री अध्यक्ष : तो फिर आदि आदि लगा दीजिये।

श्री कल्याण मल : सारी तहसील के लोगों ने जितनी पेटा तालाब की जमीन है उसकी मांग की है। वे भूमिहीन हैं उनको दिलाई जाय क्योंकि वे 25 रु. नहीं दे सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह नामों की लिस्ट मंत्री महोदय के बंगले पर लगवा दीजिये।

श्री कल्याणमल : वह तो लगवा दूंगा मगर····

श्री अध्यक्ष : आप उनकी बात पर ध्यान न दीजिये, प्रारम्भ रखिये।

श्री कल्याणमल : सही बात को कहने में कोई बात नहीं है। मैंने उप मंत्री महोदय को यह बताया था तो उप मन्त्री महोदय ने तो मदद दी, जहां तक वे मदद कर सके वह मदद की लेकिन मंत्री महोदय ने कभी मदद नहीं की। तो, अध्यक्ष महोदय, काश्तकार को इस तरह कानून के खिलाफ व्यवस्था हो, अनुचित व्यवस्था हो तो उस पर अवश्य ध्यान दिया जाय। अगर ध्यान नहीं दिया जायगा तो फिर काश्तकार कैसे जिन्दा रह सकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चहता हूं नाजायज कब्जों के सम्बन्ध में। नाजायज कब्जों के बारे में वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के समय में 15 बीघा जमीन के बारे में लिखा है 15 बीघा भूमि से अधिक न हो। यह समझ में नहीं आता

(श्री कल्याणमल)

कि यह 15 बीघा भूमि सिंचित है या असिंचित है। यदि असिंचित है तो पांच बीघा जमीन रह गई और उससे एक परसेन्ट भी काश्तकार को फायदा मिलने वाला नहीं है तो मैं मा. सदस्यों से निवेदन करूं सारे मुझे इस सम्बन्ध में सहयोग दें कि 15 बीघा के बजाय यदि 25 बीघा पीवल यदि कुल मिलाकर नाजायज कब्जा की हो तो उसे पेनेल्टी से माफ करें तभी उन लोगों को फायदा मिल सकता है बाकी यह घोषणा करना न करना बराबर है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, अभी पांच मिनिट ही नहीं हुए। मैं संक्षेप में कहूंगा। तो मैं यह अर्ज कर रहा था वे नाजायज कब्जे और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कोई जमीन का नाम निशान भी नहीं है और एक बीघा भी जमीन पर कब्जा नहीं किया फिर भी पटवारी ने झूंठी शिकायत करके पेश कर दी, ऐसे ऐसे अन्यायी काम राजस्व के महकमें में होते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करूं ऐसे मामलों में आप पुन: विचार के लिये आदेश दें कि जो नाजायज कब्जे किये हैं और जिनके पास ज्यादा जमीन है उन पर जुर्माना हो तो कोई बात नहीं पर जिसके पास एक बीघा भी जमीन नहीं उन पर जुर्माना क्यों किया। मैं आपको तहसील के हाल बताऊं तो एक गांव जिन पर नाजायज कब्जे की कार्यवाही हुई है उन पर कोई जुर्माना किया हो तो बतायें। मैं यह अर्ज करूंगा आपसे उनकी सभी मिसलों को वापिस मंगाये और उन पर दुबारा विचार करके जिसने नाजायज कब्जा किया हो कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री कल्याणमल : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट भी नहीं हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : लम्बे चौड़े नाम देते हैं।

श्री कल्याणमल : मैं शीघ्र ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त कीजिये।

श्री कल्याणमल : कई आदमियों का नाजायज काश्त पर कब्जा है। पिछड़ी जाति के आदमी हैं। वह जमीन उन्हीं के नाम से दर्ज करवाई जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माडलगढ़ क्षेत्र की वन सम्पदा की दृष्टि से मुझे कुछ कहना है। वैसे माननीय मन्त्री महोदय बहुत ही सज्जन हैं। चरित्रवान हैं। वह न तो रिश्वत खाते हैं और न किसी का अहित करते हैं। यही कारण है कि ईमानदार को कोई लाभ नहीं हो सकता है और बेईमानो को रोक नहीं सकते हैं। इस लिये आप के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे मांडलगढ़ क्षेत्र में वहां श्यामपुरा, सिंगोली, लाडपुरा, जलिन्द्री आदि में जंगल हैं। वहां खासतौर से जांच कराइये, यह कैसे बरबाद हो गये हैं? वर्षा 10 इंच से 15 इंच रह गई है। आप जांच तो कराईये। दबाव डालेंगे तब तो कुछ होगा नहीं तो नहीं। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि जंगल खुले हो गये हैं। पेडोक्स

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
नहीं लगायेंगे तो वर्षा भी 15 से 5 इंच रह जायेगी। मैं जानता हूं कि हमें वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको हिम्मत से बन्द करना चाहिये। मै जानता हूं कि चुनाव नजदीक हैं। इसलिये आप हिम्मत नहीं करेंगे। आप मनोहरसिंह का नाम ले दीजिये। भले ही मुझे वोट नहीं मिलें लेकिन जंगल पैदा हो जायेगा तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : वेरीगुड।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप इतना काम तो अवश्य करें। क्योंकि जो घास की कटाई होती है वह पेडोक्स लगाने पर हो सकेगी।

श्री विजयसिंह : मन्त्री कौनसा काम करते हैं ? यह भी तो घास काटते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वह समझ लेंगे कि हम को फ्री घास काटने को मिल जाती है। मवेशी अन्दर नहीं जाती हैं तो कोई बात नहीं। यह प्रयोग आप शुरू करेंगे तो उससे आप को बड़ा लाभ होगा।

श्री मदनसिंह : उधर से वोट खो देंगे तो इधर से मिल जायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अगर आपने घास की गंजी लगाई होती तो अकाल में फायदा होता। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पर आप ध्यान दें। जो खेती योग्य जमीन है उसको आप राजस्व में बदलें। लम्बे समय तक एक क्षेत्र में किसी कर्मचारी को नहीं रखें। क्योंकि लम्बे समय तक रहने पर उसके स्वार्थ क्रियेट हो जाते हैं। फिर वह जंगलों को बरबाद करते हैं।

अब मैं राजस्व के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सब से अधिक पीड़ित अगर कोई क्षेत्र है राजस्व के बारे में तो वह मांडलगढ़ है। अगर विनोबा जी की बात मानी होती और वितरण कमेटी वाले पटवारी के साथ इकट्ठे होकर बैठ जावें फिर गांव वाले कहते कि यह आदमी है जो हाथ से खेती करता है। लेकिन इसके पास जमीन नहीं है। उसी को जमीन दी होती। तो सारा नजारा ही बदल जाता। आज क्या होता है। ऊपर से ही नाम सुना जाते हैं, सुगनचन्द 15 बीघा। राधाकृष्ण 15 बीघा, भंवरलाल 15 बीघा। इनको दे दी जाये····

श्री अध्यक्ष : ये नाम फर्जी हैं या वास्तविक हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : वास्तविक नाम हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : उनको दे दी जाये ? ऐसा क्यों है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने अध्यक्ष महोदय, सही नाम बताये हैं।

श्री विजयसिंह : इन्दिरा मायाराम·····
(आगे अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : मोहनसिंह मेहता माडलगढ़ के रहने वाले हैं, 15 बीघा इनको अलाट की जाती है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अलॉट नहीं की है। नहरी मैं डील नहीं करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अलॉटमेन्ट हुये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय इसी तरह से एक आदमी जब कि वह कुआ खोद रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। कलेक्टर भावनाशील थे तो उन्होंने दो बीघा जमीन देदी। पर आज तक कब्जा नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय ये सब ले चुके हैं। एक दो बीघा भले ही कहीं इसी प्रकार पड़ी हो। चम्बल एरिया के अलावा चित्तौड़ भी इसी का शिकार है। मेरा क्षेत्र भी शिकार है। बिजोलिया में जंगलात की जमीन राजस्व से निकली नहीं लेकिन 600 बीघा का अलाटमेंट पहले ही हो गया।

श्री रामकिशोर व्यास : बिजोलिया की भी हमने नहीं किया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप कृपा कर दीजिए कि जिससे भूमिहीनों को अलाट हो। यह ध्यान दीजिये। कई जगह जमीन पंचायत खाते में अलाट हो गई है। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समितियों की तरफ से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो फार्म चल रहे है उनमें लाखों का घाटा है, अध्यक्ष और मंत्री खा रहे हैं जो सहकारी फार्म चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री के सामने अध्यक्ष को क्यों लगा रहे हो ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : जी ?

श्री अध्यक्ष : कौन से अध्यक्ष ?

श्री शंकरलाल : सहकारी समिति के।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सहकारी समिति के। कई समितियों को हजम कर गये हैं। न जाने कहां से उनका हाजमा इतना जबरदस्त है कि इतना सब खा के भी हजम कर गये है।

दूसरी बात जो कुवों पर आप लगान लगाते हैं उसके बारे में निवेदन करूंगा कि किसान बंजर जमीन पर 5–6 हजार खर्च करके तब कुवा बना पाता है। उसको तो इनाम देना चाहिए। मैं इस राय का नहीं हूं कि लगान नहीं लें। लेकिन इस राय का हूं कि कुवों पर हरगिज नहीं होना चाहिए। नहरी पर आप जरूर लगाये। मेरे क्षेत्र में नहर आई है। नहर पर 7 बीघे की 5 बीघे की पिलाई की जाती है और कुए से पिलाई का 135 रुपया खर्च होता है। अतः कुओं वाली जमीन पर लगान न बढ़ायें।

श्री विजयसिंह : तो फिर अपने को सिविल लाइन में कब्जे कर लेने चाहिए। बहुत से हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : पच्चीस रुपये बीघा के लिए। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 4 कलेक्टर ने चन्दे के रूप में लिये। मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां जो अस्पताल है, वहां पर रोगी नीचे धरती पर पड़े रहते थे, क्योंकि वहां बैड नहीं थे इसलिए लोगों को बड़ी कठिनाई थी। इसलिए कुछ रुपया, जो पच्चीस रुपये हो सकते हैं, जिनकी ऐसी देने की स्थिति है, जिनकी बिना खाद के तालाब के पेटे में काफी पैदावार होती है, उनसे चन्दे के रूप में लिये हैं। इससे जनता के सामने जो समस्या थी, वह दूर हुई है। जो रोगियों के सामने दिक्कत आती है, उसको दूर करने के लिए एक लाख की राशि इकट्ठी करके

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कलेक्टर ने जो काम किया हैं, उससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मैं समझता हूं, कलेक्टर ने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता . . .

श्री शंकरलाल : चन्दा इकट्ठा करने का कार्य सरकारी अधिकारी करे–यह क्या अच्छी बात है ?

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त कर दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं संक्षेप में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल।

(अनुपस्थित)

श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराडा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं राजस्व पर और तीसरा वन पर है। मेरा कटौती का प्रस्ताव इस विषय पर है, मेरे क्षेत्र में काश्तकारों पर नाजायज कब्जा करने की कार्यवाही करने का दोष लगा कर लगभग दो लाख की पैनल्टी और जुर्माना किया है। इस जुर्माने के आदेश हुए हैं, उससे प्रार्थना करने पर भी माफ करने के अभी तक आदेश नहीं हुए हैं, इससे काश्तकार बड़े दुःखी हो रहे हैं, उनसे वसूलियां हो रही हैं जोरों से कुर्कियां हो रही हैं। यह जो पैनल्टी और जुर्माना काश्तकारों पर लगाया गया है, वह तहसीलदार ने बिना सोचे समझे लगा दिया है। उनका पुराना कब्जा है, जिसको पटवारियों ने रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है और उनका नया कब्जा मान कर दो तीन बार उन पर जुर्माना कर दिया गया है। मौके के अधिकारियों को इससे अवगत कराने पर भी आज तक तवज्जह नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पैनल्टी और जुर्माना वसूल हो रहा है ...

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय, यह आपके महकमे से अन्याय हो रहा है।

श्री देवीलाल : उससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : बीच में आपने फर्माया इसलिए अर्ज कर दूं कि इस तरह के जो आदेश हुए थे, उसे स्थगित करने के आदेश जारी हो चुके हैं, वायरलेस से सब भेज दिये गये हैं कि कोई पैनल्टी वसूल नहीं हो।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हमारे यहां भी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आरम्भ रखिये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो पैनल्टी है, वह वसूल हो रही है।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, जो वसूली हो रही है उसके मामले में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लौटाई जाय, यह आज्ञा दी गई है।

श्री देवीलाल : आज गेहूं का भाव और दूसरे अनाजों का भाव गिर गया है, उसके बाद भी क्योंकि काश्तकार को पैनल्टी, लगान, और तकावी भरनी पड़ती है, इसलिए काश्त-

(श्री देवीलाल)

कार को अपना अनाज लेकर बाजार में जाना पड़ता है । लेकिन बाजार में अनाज का भाव है वह तीस रुपया क्विन्टल और पचास रुपये क्विन्टल का है । तो एक तरफ तो काश्तकारों की उपज, अनाज का भाव गिर गया है और दूसरी तरफ वसूलियां सारी की सारी हो रही हैं । आज की स्थिति में बीज की वसूली अलग हो रही है, खाद की वसूली अलग हो रही है । और सहकारिता के कर्जे की वसूली अलग हो रही है इधर तकाबी की वसूली हो रही हैं । यह वसूलियां हो रही हैं और अनाज के भाव नीचे गिरते जा रहे हैं । इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी है । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस मामले में आपको विचार करना चाहिए । इससे काश्तकारों को काफी परेशानी है...

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लीजिये ।

श्री देवीलाल : नाजायज कब्जे का मामला है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि पटवारी कब्जों को दर्ज नहीं करते हैं, पुराने कब्जों को भी दर्ज नहीं करते हैं तो क्या आप उसको रैगुलेराइज करना उचित नहीं समझते हैं ? हमारे इलाके में आदिवासी और काश्तकार काफी गरीब हैं और उनके पास छोटे छोटे टुकड़े जमीन के हैं, और कोई जमीन नहीं है । अगर जमीन नहीं हो तो वह क्या खायेंगे और क्या करेंगे ? वहां पर मजदूरी का भी कोई धन्धा नहीं है । इसलिए जमीन को छोड़ कर काश्तकार जी नहीं सकते हैं । मेरा निवेदन है कि उनको खातेदारी राइट दे दिये जायें ।

तीसरा चरनोट में काश्तकारों का कब्जा है, दूसरे लोगों का कब्जा है । वह सारी की सारी जमीन, कुए और मकान चरनोट में दे दिये हैं और पटवारियों ने मौके पर जाकर देखा नहीं, और पंचायतों को वह चरनोट का काम सुपुर्द किया नहीं, इससे काश्तकारों को काफी परेशानी हो रही हैं । उनका नाजायज कब्जा मान कर चरनोट में से उनको हटाया जा रहा है और उन पर जुर्माना किया जा रहा है । इससे काश्तकार दुखी हैं । चरनोट के मामले में पंचायत ने जो प्रस्ताव लिये जाकर भेजे हैं उनको आधार मान कर आप काश्तकारों को जमीन पर खातेदारी राइट दे दीजिये ।

तीसरा निवेदन यह है...

श्री अध्यक्ष : फर्माइये ।

श्री देवीलाल : काबिल काश्त जो भूमि है, वह भूमि निकलवा कर काश्तकारों को दी जाय क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, वहां पर इतनी जमीन नहीं है इसलिए यह व्यवस्था करें कि काश्तकार दूसरी जमीन, जहां मैदानी इलाका है, वहां ले सकें । आज पहाड़ के बीच बीच में छोटे छोटे टुकड़े में काश्तकार खेती करते हैं, अगर वहां पर जंगलात की बाउन्डरी आ जाय तो काश्तकार कहां पर काश्त करें । इसलिए मेरा निवेदन है कि पहाड़ पर जो जंगल रखा जाता है वैसे हमारी राय है कि पहाड़ पर जंगल रखा जाय, लेकिन जो नीचे तलहटी है, उसमें जो टुकड़े काबिल काश्त भूमि में दर्ज नहीं हैं, वह रिकार्ड में नहीं हैं, इसलिए काबिल काश्त नहीं मान कर एलाटमेंट के फार्म खारिज कर दिये जाते हैं । इसलिए यह

(श्री देवीलाल)

हमारे नीचे के अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ऐसी भूमि को काबिल काश्त में बदल कर उस भूमि का अलाटमेंट किया जाय। इसके अलावा छोटे छोटे नाले बहते हैं, खेतों के बीच में होकर नाले बहते हैं, लोग उसमें खेती करते हैं लेकिन काश्तकारों को वह नाले एलॉट नहीं किये जाते हैं। वह नाले केवल बरसात के दिनों में बहते हैं, और बाद में काश्तकार उनमें खेती करते हैं लेकिन उनको काबिल काश्त नहीं मान कर काश्तकारों पर जुर्माना किया जाता है। जब उन नालों की शक्ल बदल गई तो बदली हुई शक्ल में उनको काबिल काश्त में दर्ज करने के आदेश होने चाहिए।

मेरा यही निवेदन है कि पटवारियों से काश्तकार दुःखी हैं, इस बारे में सरकार विचार करे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र सिंह।

श्री सुरेन्द्र सिंह (खारची) : अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं, इनके जरिये मैं राजस्व मन्त्री जी को कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है, माननीय सदस्य इस बारे में काफी कह चुके हैं, बिगोडी की जो दर है, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इसमें काफी डिस्पेरिटी है, एक तरह की जमीन की रेट में अलग अलग जिलों में फर्क है। खास तौर से कुओं से जो काश्त करते हैं उस पर ज्यादा है और नहर से काश्त करते हैं, जो नहर से पानी लेते हैं उस पर कम है। कुओं से खेती करने वालों को मेहनत ज्यादा पड़ती है और कम पैदावार होती है, इसलिए खास तौर से मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय इसके बारे में ध्यान देंगे और एक जैसी दर करने की कोशिश करेंगे।

दूसरे रेवेन्यू कोर्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो आपने यहां एक्जीक्यूटिव और जुडिसियरी का सेपरेशन कर दिया गया है, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड में दोनों काम साथ में होते हैं, इसलिए वहां भी किसी तरह से दोनों को सेपरेट किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, सर्दियों के दिनों में मैं दोनों––मंत्री, मंत्रीजी और उपमंत्री जी––से मिला था कि जो बिगोड़ी की वसूली हो रही है वह तीन साल की कर रहे हैं। इसके बारे में दोनों ने आश्वासन दिया था और हुक्म भी जारी किया हुआ है कि सिर्फ दो साल की वसूल की जाय। इसके बाद मेरे ध्यान में है, राज्यपाल महोदय ने या वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि दो साल से ज्यादा वसूल नहीं की जायगी। इसके अलावा, कलेक्टर, एस. डी. ओ. और तहसीलदार से जब तब मिला और बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि दो साल की वसूल की जायगी, तीन साल की नहीं की जायगी, पर कितने ही गांव ऐसे हैं, खारची तहसील में जहां के लिए मुझे मालूम है, तीन साल की वसूली कर रहे हैं। बेचारे पटवारी कहते हैं कि हमें हवाला नहीं है, हमारे पास आदेश नहीं है इसलिए अगर तीन साल का चढ़ गया है तो तीन साल का लेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, मंत्री कुछ और कहते हैं, कलेक्टर कुछ और कहते

(श्री सुरेन्द्र सिंह)

हैं, विधान सभा में घोषणा होती है कि नहीं लिया जायगा लेकिन लोगों से वैसे के वैसे तीन साल की वसूली हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी सारे कलेक्टर सहबान को इत्तला दें, जहां पर गांव अकालग्रस्त थे, वहां की वसूली के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी इत्तला दी जाय...

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह असेम्बली में मंत्री महोदय घोषणा करते हैं, राज्य सरकार जो घोषणा करती है तो क्या समझें...

श्री अध्यक्ष : कुछ मत समझिये अभी, मौन रहें...

श्री मदनसिंह : मैं मौन रहूंगा लेकिन...

श्री अध्यक्ष : को ईव्यवधान नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : कई दफा यहां पर अनाउन्समेंट होते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप बाधा न डालें। आरम्भ रखिये।

श्री सुरेन्द्रसिंह : दूसरी बात यह है कि वहां जो बांध बन रहा है, दो साल से उसके दोनों तरफ से काश्तकारों की जमीन में खोद खोद कर मिट्टी डाल रहे हैं, लेकिन उन काश्तकारों को उस जमीन के बदले में कोई जमीन एलॉट नहीं हुई है। इस मामले को दो साल हो गये हैं। दो साल पहले मंत्री महोदय निरीक्षण करने के लिये गये थे, विद्युत मंत्रीजी, तो उस समय एस.डी.ओ. साहब साथ थे, उनको कहा था कि इस बारे में जल्दी कार्यवाही होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि जिन लोगों के खेतों की मिट्टी खुद कर बांध बनाने में गई है, उनको वैसी की वैसी जमीन कहीं न कहीं काश्त करने के लिए जल्दी से जल्दी दिलाने की कोशिश करें और यह बरसात के मौसम के पहले हो जाय तो अच्छा ज्यादा होगा।

एक निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू विलेज के हिसाब से मारवाड़ जंक्शन की अभी तक उपेक्षा कर रखी है। वह खारची तहसील में है, वहां जो स्थिति है उसकी ओर मैं डिप्टी मिनिस्टर जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वहां पर तीन पंचायतें हैं, लेकिन उसको रेवेन्यू विलेज घोषित नहीं किया है। इस ओर राज्य सरकार ध्यान देकर उसे रेवेन्यू विलेज घोषित करे। वहां आज तीन पंचायतों की सरहदें मिली हुई हैं, रेल्वे का जंक्शन है, उसी तरह से तीन गांवों का जंक्शन है। इसलिए तीन पंचायतें एक गांव में काम कर रही हैं, उसके तीन हिस्से हैं, जबकि बर्लिन के दो हिस्से हैं, पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। पहले यह जागीर के गांव थे तो अलग अलग लगान वसूल करना मुश्किल होता था इसलिए एक कर रखा था, अब तो आपका राज्य है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको रेवेन्यू विलेज बनाया जाय, ताकि वहां एक पंचायत हो। अभी वहां पर दो तीन पंचायतें ही चलती हैं और आज उसको खारची तहसील हैड-क्वार्टर से, तहसील पुलिस हैड क्वार्टर और खारची तहसील के नाम से सब जानते हैं। लेकिन जब मारवाड़ जंक्शन नाम है तो मारवाड़ तहसील उसका नाम होना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय समय समाप्त हो रहा है।

Page No. 155

श्री अध्यक्ष : मैं इस ओर बहुत सजग हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह चीफ व्हिप का फर्ज है।

श्री अध्यक्ष : शुरू कीजिये आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अब मैं एक खास बात कहना चाहूंगा। महीने भर पहले चार गांवों में मेरी तहसील में आग लग गई थी। एक बाडी गांव है उसमें चालीस पचास घर जल गये थे, और उन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। सिर्फ मकानों की चार दीवारें खड़ी हैं मिट्टी की और अब गर्मी पड़ने लगी है, तो उनको सिर छिपाने के लिये छाया भी नहीं मिल सकती है। दरख्त थे घरों में वह भी जल गये हैं। जानवरों के लिए शेड थे वह भी जल गये हैं। उन्होंने घास इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि इस बार अच्छी घास पैदा हुई थी, वह भी जल गई है। तो चालीस घर कम्पलीट साफ हो गये। इन चार गांवों में, जिनमें आग लगी, सबसे ज्यादा नुकसान बाडी गांव में हुआ इसलिए उनको जल्दी कम्पन्सेशन देकर बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए बरसात के मौसम के पहले क्योंकि अब वहां आंधी चलना शुरू हो गया है, आंधी के साथ धूल आयेगी तो उनको दिक्कत होगी। अगर कम्पेन्सेशन मिलने से वह महीने दो महीने में वापिस घर बना लें तो अपने खेतों में काश्त करने लग जायेंगे। इसके बारे में मेरी इत्तला है, वैसे आग लगने की जो बात हुई थी वह तो कुदरत की चीज है, लेकिन जैसे ही आग लगी तो वहां स्टेशन मास्टर को इत्तला की कि आग लग रही है। उसने कहा कि मैं कैसे मानलूं कि आग लग रही है। उसने बाहर जाकर देखा फिर उसने इत्तला की अधिकारियों को कि आग लग गई है, पानी का बन्दोबस्त करके टंकियां वगैरह भिजवायें। लेकिन उन्होंने कहा हम कैसे मानें कि आग लग गई है, आकर देखेंगे। वह आठ सात मील दूर से आये, जब उन्होंने देखा कि इतने घर जल रहे हैं तो उन्होंने कलक्टर को इत्तला दी कि गांव में आग लग रही है। तो इस तरह ज्यादा टाइम लगा, इतना टाइम कलैक्टर वगैरह को कन्विन्स होने में लगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! सदन की अनुमति से मैं यह मांग पारित हो तब तक के लिए सदन की अवधि बढ़ाता हूं। आरम्भ रखें।

श्री सुरेन्द्रसिंह : उसके बाद आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि एस. डी. ओ. ने पच्चीस हजार के नुकसान का एस्टीमेट लगाकर भेजा है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करके इन लोगों को जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन दिलायें। बाडी गांव में काफी नुकसान हुआ है, चालीस घर कम्प्लीट बरबाद हो गये हैं। इसके अलावा एक गांव है बड़ो, दूसरा है रिसानिया और तीसरा है दुगोड। वहां इतनी आग नहीं लगी, लेकिन अनाज कटा हुवा पड़ा था वह जल गया और दो हजार का नुकसान हुआ। मैं निवेदन करूंगा, बाडी गांव में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य!

(अनुपस्थित)

Page No. 156

(श्री अध्यक्ष)

श्री कल्याण मल !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सब थक गये ।

श्री अध्यक्ष : बड़ी मुश्किल है मेरे सामने । बचे हैं तीन माननीय सदस्य, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री आर्य और श्री गोयल । मैं इन तीन माननीय सदस्यों से जिनको समय देना चाहूं • • •

श्री मदन सिंह : एक बार में ही दे दें, तीनों को साथ साथ बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष : तो दस मिनिट का समय काफी नहीं होगा । लेकिन मेरा निवेदन है कि दस मिनट की सीमा से परे नहीं हों । इस सन्दर्भ में श्री रामचन्द्र आर्य को मौका देता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व के सम्बन्ध में मेरे भी सात कटौती प्रस्ताव हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं राजस्व विभाग द्वारा जितनी भी गलत कार्यवाहियां की जाती हैं उनके सम्बन्ध में । राजस्थान में पहले राजाओं का राज था, जागीर क्षेत्र में लोग बसते थे और अभी यह प्रजातन्त्र के नाम से चलने वाली सरकार के अन्दर भी आज उसी जमाने की झलक नजर आ रही है, पूरे तौर तरीके वही नौकरशाही के उसी तरह से लोगों को परेशान किया, कोई भी किसानों को सहूलियत नहीं । आज विधान सभा में घोषणा करते हैं और वे घोषणायें रद्दी की टोकरी में डाली जाती हैं । सबसे पहले मैं राजस्व मन्त्री से पूछना चाहता हूं राजस्व विभाग से कि क्या गांवों के लोग अंग्रेजी जानते हैं । अभी 9 अप्रेल को नोटिस निकाला है भूमि एलाटमेंट के लिए नोटिस गया है । इसमें अंग्रेजी में लिखा है सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट • • •

फार्म नं० 2
See Rule 2

श्री अध्यक्ष : रहने दीजिए ।

श्री रामचन्द्र आर्य : Nohar Bhadra-Whereas 644 bighas of unoccupied Govt. land (for both irrigated land and unirrigated landia) Village of this tehsil.

श्री अध्यक्ष : समझ में आ गया, आगे बढ़िये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो जानता हूं, ऐसी बात तो आज नहीं है ।

श्री मुकुट बिहारीलाल : 33 प्रतिशत मार्क्स तो आ सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या गांव के लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस नोटिस को किस तरह से लोग समझेंगे कि यह एलाटमेंट के बारे में है, 320 दिन के अन्दर आना है । इनकी अक्ल दिवालिया है या नौकरशाही के हुक्म से गया हो, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से ये लोग राज करते हैं, उनका कोई हुक्म मानता है या नहीं मैं समझता हूं इनका कोई हुक्म नहीं मानता ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
सन् 1968 में घोषणा की थी कि 26 जनवरी के बाद में राजस्थान में हरेक विभाग में हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा लेकिन आज तक भू-राजस्व विभाग में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। यह कापी सदन की मेज पर रखना चाहता हूं, आप इन्क्वायरी करायें।

श्री अध्यक्ष : रहने दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वही अंग्रेजों वाले तरीके, वही पुराने टैक्स जो हजारों वर्ष पहले लगते थे और कहीं पांच कहीं दस कहीं पन्द्रह कहीं आठ आने। इस प्रकार की व्यवस्था से थोड़ी सी आमदनी है। 17-18 प्रतिशत से ज्यादा भू-राजस्व की आमदनी नहीं है। ज्यादातर रुपया कर्मचारियों की तनख्वाह मे चला जाता है, कोई खास बचत नहीं है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक काश्तकारों को परेशान करते हैं। आये दिन तावान के नोटिस देते हैं, मुकद्दमें चलाते हैं सिर्फ भू-राजस्व वसूल करने के लिए, इस प्रकार की कार्यवाही होती है। पंजाब में भूमि लगान समाप्त कर दिया गया, आज इस विज्ञान के युग में दूसरे टैक्सेज लगायें, कोई जरूरी नहीं कि पुराने टैक्सेज वसूल करें। नये तरीके से वसूल करें जिससे गरीबों को राहत मिले और किसानों को इन कर्मचारियों की गुलामी से छुटकारा मिले। आज पटवारी गांव में काश्तकारों से पैसा मांगता है, लोगों को परेशान करता है, अदालतों में जाते हैं। नकल लेने के लिए उनको 100) देने पड़ते हैं। जमीन बेचनी पड़ती है तो यह आपकी पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को आप बदलें। एक तरफ घोषणा करते हैं कि इन लोगों को राहत देना चाहते हैं दूसरी तरफ आप वही पुरानी अंग्रेजों की चाल पर चल रहे हैं। केवल कुर्सी लेने के लिए थोड़े ही लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों के साथ टक्कर थी, आप में तो वह थोड़े आदमी हैं, जो नए मजनू बैठे हैं हुकुमत के अन्दर ये समझते हैं कि हम हुकुमत करते हैं, मैं लानत देता हूं ऐसी हुकुमतों को, क्योंकि गरीबों के लिए कोई राहत नहीं दिलवा सके और न ही दिला सकेंगे। अकालियों की हुकुमत पंजाब में है, वहां मालगुजारी समाप्त करदी तो क्या आप समाप्त नहीं कर सकते? आपने 1967 में घोषणा की थी कि हम छोटी जोतों पर से लगान समाप्त करेंगे लेकिन घोषणा घोषणा ही रह गयी। अंग्रेजों वाली घोषणा भी रद्दी की टोकरी में गई। कहा गया कि पंचायत समितियों के मारफत खर्च करेंगे, वह पैसा खर्च किया? इस प्रकार की व्यवस्था को आप बदलें। सभी काश्तकारों को कुछ फायदा मिल सकता है।

इस विभाग के अक्ल के दिवालियापन के उदाहरण मैं देता हूं। गंग कैनाल 46 वर्ष पहले आई थी। उस समय की जमीन किन लोगों की नहर के नीचे आई। राना वाली घाणी गंगानगर जिले में है, उस जमीन का मालिक पण्डित गंगाराम आज भी रोया करता है। पौने तीन बीघा जमीन नहर के नीचे आई। 10 साल पहले अपने क्लेम के लिए राजाओं के जमाने में भी लड़ता रहा। राजस्व बोर्ड से फैसला हुआ। 23 साल से आपकी हुकुमत चल रही है, आप पौने तीन बीघा जमीन नहीं दे सके।

(श्री रामचन्द्र आर्य)
पण्डित गंगाराम पुत्र श्री हरिराम, चक 55, आर. बी. तहसील रायसिंहनगर । कई दिनों से वह घूम रहा है, कोई उसको मिसल नहीं बताता है क्योंकि समझते है कि गंगानगर में जमीन की कीमत बहुत है एक दो हजार रुपया वह देगा इसलिए कागजों को दबाए रखा है । तो पण्डित गंगाराम की दरख्वास्त मैं सदन की मेज पर रखता हूं ।

इसके अलावा आपने अकाल के समय नियम बनाए रखें है कि तीन साल से बराबर अकाल पड़ेगा उस गांव से आप लगान वसूल नही करेंगे तो जिस गांव में आमदनी न हो, वहां दो साल की वसूल नहीं करते हैं, सारा माफ होना चाहिए। किस बात की वसूली करते हैं ? पटवारी, गिरदावर और तहसीलदारों का पेट भरने के लिए। इस साल मेरे हलके से दरखास्त आई। एक गांव में बराबर 4 साल से अकाल पड़ा, चारों साल की रकम वसूल हो गयी। इस साल अच्छी फसल हुई तो उनसे 4 साल तक कर्जे लेकर खाया, उसका चुकारा करने में असमर्थ हैं तो आइन्दा भी वसूली होगी तो कैसे करेंगे, यह कहां का न्याय है ? मैं काश्तकारों की दरख्वास्त लेकर आया हूं, जो सदन की मेज पर रखता हूं। गांव रामका के काश्तकारों से चार साल की रकम वसूल की है।

श्री शंकरलाल (जैतारन) : सारे कागजों की लिस्ट बनाकर एक साथ रखा जाए ।

श्री रामचन्द्र आर्य : भादरा से एक काजी आया। उसकी जमीन पर सौ दो सौ वर्ष पुरानी खातेदारी है और वह मस्जिद के नाम करदी है, मुसलमानों का काजी है वह कल आया । कई दिनों से घूम रहा है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार के केसेज सामने आए, पटवारी से लिखा कर आया है कि फलां साल से खातेदारी की जमीन है। बरकतुल्ला खां नजर नहीं आते हैं उनके अधीन है यह महकमा मैं राजस्व मन्त्री से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच पड़ताल कराई जाए, उस काजी की जमीन उसके नाम दर्ज की जाए। वह 18 बीघा जमीन का मालिक है मस्जिद के नाम गलत दर्ज की है। उसको वह भूमि मिलनी चाहिए।

इसलिये नीति सम्बन्धित दो तीन बातें कहने के लिये मैंने यह निवेदन किया है।

अब मैं वन विभाग के बारे में दो तीन मिनट बोलूंगा । वन विभाग के सम्बन्ध में विधानसभा में लोगों को काफी चिन्ता रहती है। सरकार की अक्ल का हर तरह से दिवाला निकल गया है हनुमानगढ़ में आपने वन लगाया । जहां पर वन लगा सकते हैं वहां तो उनको कटवा रहे हैं और जहां पर चावल पैदा हो सकते हैं वहां पर वन लगा रहे हैं काश्तकारों को खेती को छुड़ा लिया। आप वहां के लोगों को उजाड़ना चाहते हैं हनुमानगढ़ का फार्म हैं । इतनी जमीन ले ली है। इतनी उपजाऊ जमीन है। हजारों रुपया बीघा बिकने वाली यह जमीन है। राजस्थान केनाल में टीबे पड़े हुए हैं वहां कुछ करें । राजा महाराजाओं की तरह से अधिकारियों के लिये शिकार खेलने के लिये स्थान बनाये जाते हैं, सरे आम शिकार खेलने दी जाती है। एक तरफ तो शिकार खेलने की मुमानियत है और दूसरी तरफ

(श्री रामचन्द्र आर्य)

अधिकारी लोग हिरन और दूसरे जानवरों को मारते हैं। या तो राजा महाराजा लोग मौज करते थे या अधिकारी लोग मौज करते हैं न तो कोई पूछने वाला है और न कुछ कहने वाला है। अपने बंगले बना रहे हैं, कोठियां बरकरार हैं और आराम से रहते हैं न तो उनके पास की जीपों का पता है और न कुछ हिसाब है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के फोरेस्ट को खत्म कर देना चाहिये। और जमीन लोगों में बांट देनी चाहिए 95429 दरख्वास्तें आयीं हुई पेन्डिंग हैं। पर भूमिहीन को जमीन नहीं दे रहे हैं। राजस्व मंत्रीजी को मौके पर जाकर देखना चाहिये और सरकार को कहना चाहिये कि रेगिस्तान में वन लगायें न कि चावल पैदा होने वाली उपजाऊ जमीन पर लगायें। सड़कों के साथ में दरख्त लगाये जा रहे हैं। उसका काश्तकारों को मुआवजा नहीं यह जबरदस्त खेदजनक है वन विभाग के द्वारा लोगों की काश्त को उजाड़ा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें। माननीय सदस्य। आपको 15 मिनट हो गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्रीजी और वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि विधान सभा में पांच साल से बराबर मांग करता आया हूं। आज तक एक मांग भी इन लोगों ने मंजूर नहीं की है। यहां पर सत्य बात कहकर चले जाते हैं। कोई बात नहीं। जिस तरह से भड़भूंजारा कहकर चला जाता हम उसी तरह से कह कर चले जाते हैं। कहने में और करने में इनके बड़ा भारी अन्तर है। इनमें विश्वास नहीं रहा। जो कहते हैं तो पूरा करे उसको। यदि कोई मजबूरी है तो उसको जाहिर करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम सहयोगी हैं। हम बुरा नहीं चाहते हैं। हम भी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये आये हैं। यहां पर जनता की तकलीफों को रखने के लिये आये हैं। सही सुझाव देने आये हैं और सही समर्थन देने वाले हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : करोड़ों रुपया उन्होंने गबन किया है अब कमीशन बैठाने की मांग करते हैं। तो वे इनकार करते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार भाई भतीजे ये सब इसमें आ सकते हैं। इसलिये जान-बूझ कर इन्क्वायरी कराना नहीं चाहते। इसलिये मैं यह कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं उन बातों पर सरकार विचार करे और मैं यह कापी रखता हूं सदन की मेज पर रखता हूं इसकी आप जांच करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीलाल यादव (अनुपस्थित)

श्री. अध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार (अनुपस्थित) यदि मैं श्री देवीदत्त गाडिया को समय दूं तो फिर निवेदन कर दूं कि दस मिनट की समय सीमा होगी। श्री देवीदत्त गाडिया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी खजाने में नुकसान हो रहा है और राजस्थान की जनता चुस्त होती जा रही है मैं वन विभाग के मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि सन् 1963-64 में बारां वन विभाग के तत्कालीन डी. एफ. ओ., ओ. पी. पारीक के समय में अकाल के निमित्त जो करीब 3 लाख 24 हजार का घास खरीदा गया और खरीदकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर भेजा गया उस घास कांड के अन्दर हजारों रुपयों का घोटाला हुआ। उस घोटाला कांड की जांच आपके विभाग के एकाउन्ट्स आफिसर एस. एल. अजमेरा कोटा के तत्कालीन सी0 एफ0 रामप्रताप शर्मा और आपके विभाग द्वारा एन्टीकरप्शन विभाग को दी गयी। जांच जो उस समय के विभाग के अधिकारी ने डी. वाई एस. पी. ने जो जांच की थी, माननीय अध्यक्षजी, मेरी जानकारी के अनुसार उस सारी जांच रिपोर्ट के अन्दर श्री ओ. पी. पारीक को अपराधी पाया गया। उस समय करीब 1277 घास के वेगन लदाये गये और एक एक वेगन में दस दस रुपया मजदूरी के नाम पर दिया हुआ बताया गया। पर वास्तव में मजदूरों को दो रुपया ढाई रुपया प्रति वेगन ही दिया गया था। इस प्रकार से उस घास कांड के अन्दर 9-10 हजार रुपये की राशि का घोटाला हुआ। जो घास खरीदा गया उसके लिये बारह तेरह हजार रुपये की नारियल की रस्सी खरीद की गयी उसकी कीमत थी 85 पैसा पर किलो बाजार में, पर वही रस्सी विभाग के अधिकारी ने एक रुपया अस्सी पैसा एक रुपया नब्बे पैसा और दो रुपया प्रति किलो खरीदी गयी। और इस तरह से इस घास कांड में हजारों रुपयों का घोटाला हुआ।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि इस घास कांड में जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया था, वहा के अकाउन्ट्स क्लर्क श्री चांदमल, ओमप्रकाश और दूसरे कर्मचारी इन सबको आपने बहाल कर दिया लेकिन दो फोरेस्ट गार्ड जिनको आपने इस मामले को लेकर सस्पेन्ड किया उनकी सर्विसेज आपके विभाग ने टरमिनेट करदी पर मुख्य अपराधी ओ. पी. पारीक को आपने बहाल ही नहीं किया बल्कि आई. एफ. एस. के सलेक्शन में उनके नाम की सिफारिश भी की। आपने उनका आई. एफ. एस. में सलेक्शन किस आधार पर किया। मैं पूछना चाहता हूं आई. एफ. एस. के लिये केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक फार्म प्रेसक्राइब्ड है जिसका एक कालम होता है जिसमें उस अधिकारी के प्रति रिमार्क्स देने पड़ते है कि उसके खिलाफ कोई चार्ज या जांच का आरोप आदि तो नहीं है। यह विगत उस प्रोफार्मा के कालम में भरी जानी चाहिये। पर मैं पूछना चाहूंगा कि श्री ओ. पी. पारीक की रिकमन्डेशन में ये सारी बातें उस कालम में क्यों नहीं लिखी गयी। उनके खिलाफ में भ्रष्टाचार का केस चला था और भी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

केस चले थे पर आपने उन सारे मामलों को भी छिपाया। माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक प्रश्न रखा था कि बारां के सीताबीड़ के महुए का ठेका हुआ था ओ. पी. पारीक के जमाने में। आदिवासी सहकारी श्रमिक संघ से अर्नेस्ट मनी भी जमा कर ली गयी। पर उस ठेके को सोसाइटी को न देकर एक दूसरे बड़े व्यक्ति को दे दिया। उस सम्बन्ध की तमाम फाइलें गायब है मैंने प्रश्न पूछा था आपने उत्तर दिया था कि उन फाइलों के गायब होने के संबंध में जांच हो रही है और मामला एन्टीकरप्शन के सुपुर्द कर दिया है। मैं फिर पूछना चाहता हूं क्या हुआ उसका ? इतने गम्भीर आरोप और उन आरोपों की इति श्री यही नहीं मेरा यह इलजाम है अध्यक्षजी कि ऐसे गन्दगी के ढेर को उठाकर उसको आग लगादी जावे तब तो चलेगा पर उस गन्दगी के ढेर को भूरे से उठाकर उसे सी.सी.एफ. के टी. ए. को पोस्ट पर बिठा दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भ्रष्टाचार किये हैं, उनकी ये आदत है, माननीय मन्त्रीजी मैं आप से पूछना चाहता हूं कि सी.सी.एफ. के दफ्तर में ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को कैसे लगाया गया है। वह अधिकारी अपने भ्रष्टाचारी हरकतों से वहां भी बाज नहीं आया, सी. सी. एफ. के दफ्तर में एक परचेजिंग कमेटी है। इसके अन्दर ओ. पी. पारीक डी. एफ. ओ. महेशप्रकाश माथुर और एक अकाउन्टस आफिसर माथुर ये तीन सदस्य हैं।

अध्यक्षजी, मेरी जानकारी के अनुसार इन्होंने सी. सी. एफ. के कार्यालय के चार लाख रुपये के कांटेदार तार खरीदे। इस तरह को कीमत राजस्थान में प्रति मेट्रिक टन 1700 रुपये है, पर ओ. पी. पारीक तथा महेशप्रकाश माथुर ने और अकाउण्टेण्ट इन तीनों ने मिलकर 2250 रुपये प्रति मेट्रिक टन के भाव से खरीदे। इस तरह इस चार लाख की खरीद में 34 हजार रुपये के करीब घोटाला हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं इसके टेण्डर किससे लिये क्या यह सही नहीं है कि किसी एक जोधपुर की फर्म से लिये ? और जिस समय टेण्डर लिये उस फर्म ने कोई अर्नेस्ट मनी जमा नहीं कराई और न अर्नेस्ट मनी के पेटे कोई चैक या ड्राफ्ट दिया। दूसरी एक फर्म मेसर्स राधावल्लभ एण्ड सन्स ने टेण्डर दिया था। उसका लोएस्ट था पर इसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने अर्नेस्ट मनी के रूप में कोई चैक या ड्राफ्ट नहीं दिया। पर यह तो जोधपुर की फर्म ने भी नहीं दिया था पर फिर भी ओ. पी. पारीक और महेशप्रकाश माथुर और अकाउण्टेण्ट ने मिलकर उस फर्म का टेण्डर मन्जूर करा लिया। कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट।

श्री अध्यक्ष : समय बहुत नजदीक आ रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार सी. सी. एफ. से चकमा देकर उस टेण्डर की स्वीकृति करली पर इस 3500 हजार का अपराधी कौन है ? आई. एफ. एस. की पोस्ट के लिये ओ. पी. पारीक का नाम केन्द्रीय सरकार को रिकमण्ड करके भेजा गया। मैंने इस सम्बन्ध में शिकायत केन्द्रीय सरकार से की थी। मैंने राज्य सरकार को भी लिखा कि

(श्री देवीदत्त गाडिया)

ओ. पी. पारीक के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है एण्टीकरप्शन में जांच चल रही है। एण्टीकरप्शन की रिपोर्ट है इनके खिलाफ इतना सब होते हुए भी आई. एफ. एस. के लिये इनका नाम रिकमण्ड करते हुए परिपत्र में इन सब बातों का उल्लेख क्यों नहीं किया और मेरे केन्द्रीय सरकार को लिखने पर और केन्द्रीय सरकार द्वारा बार बार जानकारी मांगने पर भी आपने तुरन्त जवाब क्यों नहीं दिया? इसके बाद फिर से जबाब तलब करने पर सारे रिमार्क्स को बदल दिया, उनको फाइल को ठीक किया। आपने अपनी गलती को छिपाने के लिये उनके खिलाफ जितने एडवर्स रिमार्क्स थे उनको बदला गया।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में करके फिर रेवेन्यू पर आवें।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं पूछना चाहता हूं कि आज आई. एफ. एस. का जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ, जम्मु काश्मीर के फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब इस सिलेक्शन में सी. सी. एफ. मौजूद हो और सी. सी. एफ. आई. एफ. एस. के सिलेक्शन में अपने किसी अधिकारी को लाना चाहता हो तो उनकी प्रेजेन्स में हुआ सिलेक्शन रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर जम्मू काश्मीर की सरकार ने मद्रास और मध्य प्रदेश की सरकार ने और पंजाब की सरकार ने आई. एफ. एस. के निर्णय रद्द कर दिये पर मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उस आई. एफ. एस. के सिलेक्शन को क्यों रद्द नहीं किया? इससे लगता है सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करती हैं। अगर आप इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करते हैं तो राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट का आप बहुत बड़ा अपमान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन ओ. पी. पारीक के खिलाफ जो आरोप थे उन आरोपों की जांच हुई थी उस पर आपने क्या एक्शन लिया? जिन मजदूरों का आज भी पन्द्रह हजार रुपया बकाया है वह आपने आज तक उनको नहीं दिलाया। क्यों नही दिलाया जबकि उसका अकाउण्टेण्ट स्वीकार करता है एन्टी करप्शन डिपार्टमेण्ट स्वीकार करता है तो फिर इन रुपयों का मजदूरों से भुगतान क्यों नहीं करवाते हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जहां राजस्थान का वन विभाग स्टेट ट्रेडिंग की ओर जा रहा है, स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा इस विभाग की आमदनी आप बढती हुई बताते हैं पर मैं आप से पूछना चाहूंगा कि 69–70 में बारां के अन्दर स्टेट ट्रेडिंग के माध्यम से कितने उत्पादन का काम किया गया? और उसके अन्दर कितने का घोटाला हुआ। बारां रेन्ज में मैं निवेदन करूं स्टेट ट्रेडिंग में लाखों का घोटाला हुआ है।

शाहबाद रेन्ज में 69–70 में डी. एफ. ओ. और रेन्जर ने मिलकर पत्तों का ढेर लगाया वह नीचे के लेवल पर लगाया वे बरसात में भीग गये इसके कारण से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हजारों का नुकसान हुआ । इसके विपरीत बारां में सारे पत्तों को गोदाम में रखा, वे पत्ते ठण्डे गोदामों में रखे जाने चाहिये थे, ठण्डे गोदाम में नहीं लेकर के रद्दी गोदाम आपने लिये । उन गोदामों में रखने से पत्ते सूख गये और उनका रंग बदल गया उन पर सफेदी आ गई और इसके कारण से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इसकी जांच कराई क्या ? कितना नुकसान हुआ यह देखा और इसी प्रकार से जो दूसरे सामानों की खरीद हुई इसमें भी आधा आधा घोटाला है । अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ साथ एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि 70–71 के अंदर जो इस बारां सब डिवीजन क्षेत्र के अन्दर झालावाड़ रेन्ज में तेन्दू पत्ते का ठेका दिया गया, गोंद का ठेका दिया है इसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने एक प्रश्न पर कहा कि हम इस तरह से वन श्रमिक सहकारी संघ जिसमें कई सोसाइटियां हैं लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनिट और आपको पन्द्रह मिनिट हो गये हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो मैं पूछना चाहता हूं । एक तरफ आप कहते हैं कि हम इस तरह सोसाइटियों की आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं । उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं । पर अध्यक्ष महोदय आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि बांरा में 25 जनवरी, 71 को आपके विभाग के डी. एफ. ओ. जी ने सी. सी. एफ. की उपस्थिति में शाहबाद तेन्दू पत्ते के ठेके को नीलाम किया । कस्बा थाना की फर्म प्रकाशचन्द कैलाशचन्द ने 53,300 की अन्तिम बोली लगाई और 5000 रुपया अर्नेस्ट मनो जमा करवाया । इसी प्रकार किशनगढ़ रैन्ज का ठेका सोलह हजार में हुआ इसकी अन्तिम बोली रणछोड़ भाई पटेल की हुई । नाहरगढ़ रेन्ज का 14,200 में ठेका हुआ, रतनलाल एन्ड कम्पनी की अन्तिम बोली हुई । उन्होंने 700 रुपया अर्नेस्ट मनी जमा करवाया । इस प्रकार से इस रैन्ज के अन्दर जहां राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ है उन्होंने अन्य जंगलों का ठेका जहां रणछोड़ भाई का हुआ । छीपा बड़ौद रेन्ज का नाहर गढ़ रैन्ज का हुआ वे श्रमिक सहकारी संघ के अधिकारियों के पास गये, धमकाया । उन्होंने पैसा नहीं दिया था फिर भी उनको तीन साल के एवरेज औसत पर ठेका दिया । शाहबाद रैन्ज की 53,300 की अन्तिम बोली हो गई । राजस्थान सरकार के पास से स्वीकृति पहुंच गई तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब स्वीकृति दे दी तो फिर वन श्रमिक सहकारी संघ को इस तरह से क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, आप आधा समय मुझे देने वाले हैं मैं चाहूंगा कि मेरा समय गाड़िया जी को दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : रामचन्द्र जी इसे नहीं मानते हैं, स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गोयल साहब ने अपना समय मुझे दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : गोयल साहब का समय दूसरों को दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप के एक मिनिट में समाप्त कर दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गोंद का ठेका हुआ है। शाहबाद रेन्ज के अन्दर, किशनगंज रेन्ज के अन्दर राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को दिया गया और वह ठेका शाहबाद रेन्ज का 10-12 हजार में और किशनगंज का 4500/– रुपये में राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को दिया गया है। राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ ने उस ठेके को आदिवासियों और उनकी सोसाइटी को नहीं दिया और उस संघ ने उसको सबलेट कर दिया और जिस प्रकार नीलामी करते हैं, उन्होंने इसके लिये बोलियां लगवाईं और इस प्रकार शाहबाद कस्बा थाना के व्यापारियों को कस्बा थाना का 5500/– रुपयों में, कैलाशचन्द को 11 हजार रुपये में, गंगाप्रसाद महाजन को, कमलाप्रसाद महाजन को 9 हजार रुपये में और बृज-मोहन को दस हजार रुपये में इनका ठेका नीलामी के द्वारा दिया गया। इस प्रकार राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ ने 50 हजार रुपयों में ठेके को नीलाम किया और यह पैसा राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के अकाउन्ट में जमा नहीं है। मेरा आरोप है कि वन श्रमिक सहकारी संघ ने, उसके पदाधिकारियों ने और राजस्थान सरकार के वन विभाग के जिम्मेदार व्यक्तियों ने नेताओं ने वन विभाग के मन्त्री और अधिकारियों से मिलकर यह घोटाला किया है और उस इलाके में आदिवासियों की जो सोसाइटी हैं उसको इस काम से महरूम रखा गया है।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय रैवेन्यू विभाग के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आपने ज्यादा समय ले लिया है। सीमा 15 मिनिट तक की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सिर्फ रेवेन्यू पर कहना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें श्री मुकुट बिहारी। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्वीकार करता हूं ज्यादा समय हो गया है।

मैं राजस्व विभाग के बारे में मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जितनी भी फार्मिंग सोसायटीज हैं किशनगंज, शाहबाद, बारां, अटरू के इलाके के अन्दर हैं वे बोगस सोसाइटीज हैं और इस प्रकार की 39 बोगस फार्मिंग सोसाइटी हैं जिसको कम से कम 30 हजार बीघा जमीन आपने दे रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सहरियों के नाम से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के नाम पर आवंटित कर के यह सारी जमीन एक व्यक्ति एक जमीन्दार के पास है। मैं उसका नाम भी बता सकता हूं। किशनगंज क्षेत्र के अन्दर, शाहबाद क्षेत्र

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
के अन्दर सरदार स्वर्णसिंह रघुवीरसिंह के पास बीस हजार बीघा जमीन है। इन लोगों ने पर्चेजिंग सोसाइटी बना रखी है सहरियों के नाम पर। आप इस जमीन को क्यों नहीं इन भूमिहीनों को आवंटित करते हैं। बारां के अन्दर जो सोसाइटी बनी है उसको भी आपको नीति और नियमों के विरुद्ध भूमि का आवंटन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह क्या है मैं पूछना चाहूंगा। यह जो भूमिहीनों की परिभाषा है यह भूमिहीनों की परिभाषा आज के युग के अन्दर गलत है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या वास्तव में ये भूमिहीन किसान हैं। अध्यक्ष महोदय मेरे और भी कटौती के प्रस्ताव हैं किन्तु समय नहीं है इसलिए समाप्त करता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व मन्त्री जी इस पर ध्यान देंगे और विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

माननीय राजस्व मन्त्री जी 6 वजे से उत्तर देंगे। इस बीच में अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अकोमोडेट करने का प्रयत्न करूंगा परन्तु इसमें आपका सहयोग भी चाहता हूं। श्री मुकुट जी बोले इसके बाद। माननीय सदस्य पांच मिनिट से अधिक समय देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : दस मिनिट में।

श्री अध्यक्ष : दस मिनिट ज्यादा हैं। पांच मिनिट।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं समयाभाव के कारण जो पूरे तथ्य सदन के सामने रखने की सोच रहा था वह सम्भव नहीं है। मैं मोटी मोटी बातें आपके माध्यम से यहां पर रखूंगा और सब से पहले राजस्व विभाग की तारीफ रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी मैंने सदन में नम्रता के साथ निवेदन किया था आपके माध्यम से कि आज भरतपुर जिले के अन्दर रेवेन्यू विभाग में एक तरह से भ्रष्टाचार की होड़ लगी हुई है और इस होड़ के अन्तर्गत पटवारी से लेकर ऊंचे से ऊंचे अनेक अधिकारी लेविल तक इसमें इस कद्र व्याप्त हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं रहा। आप चाहें तो एक नहीं अनेक उदाहरण पेश करूंगा। बहुत सी चीजें हैं और समय कम है। (5.35 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने धारा 91 के अन्तर्गत, राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत जो रैगुलेराईजेशन की प्रोसिडिंग्ज चली है, जमीन का आवंटन कराया है। इस प्रोसिडिंग्स के अन्तर्गत किस तरह का भ्रष्टाचार चलता है वह मैं आपको बताना चाहता

(श्रीमुकुटबिहारीलाल)

हूं । अच्छा हो राजस्व मन्त्री जी जो मेरी बात को ध्यान से सुन लें ! तो मैंने 91 की प्रोसिडिंग्स की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराया था । इसके अन्तर्गत यह होता है कि आज चाहे जो व्यक्ति कोई भी पेशे वाला व्यक्ति हो एक दरख्वास्त दे दे तहसीलदार के नाम पर कि अमुक जमीन मेरा कब्जा दीगर 15 साल से है और यह जमीन मेरे नाम पर रेगुलराइज कर दी जाये । कुछ थोड़ी पर्दे के पीछे सांठ गांठ करले । फिर आज एप्लीकेशन दे दी और शाम को ही आपके नाम पर 50, 60, 70 बीघा जितनी भी भूमि है वह रेगुलराइज हो जायेगी चाहे वह जमीन सरकारी न हो, चाहे वह जमीन किसी की भी क्यों न हो । इससे ज्यादा अच्छा और ऊंचे दर्जे का उदाहरण आप कहीं नहीं पा सकते । जल्दबाजी का परिणाम यह हुआ है । एक गांव है बंद बरैठा, तहसील बयाना, वहां पर तीन, चार आदमियों ने मिलकर एक दरख्वास्त दे दी, फलांफलां जमीन जो निश्चित तारीख तक सरकारी जमीन थी और सरकारी रेकार्ड में है, यह अमुक जमीन हमारे कब्जे में है और इसको रेगुलराइज कर दिया जाये और शाम को उसी वक्त यह कर दिया जाता है । इतनी जमीन उनको दे दी जाती है और उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, और उनके नाम पर छोड़ दी जाती है । सभापति महोदय, आज उस जमीन की कीमत 5,000 रुपया फी बीघा है और ऐसी जमीन 50-50, 60-0, 80-80 बीघा उनके नाम पर रेगुलराइज कर दी जाती है । इस तरह के कई उदाहरण हैं । समय का अभाव है परन्तु उन गांवों के नाम मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं । तहसील रूपावास ग्राम रताउवा में 85 बीघा जमीन इस तरह से एलाट की गई है । मुरंका, एक गांव का नाम है, सोनेठा दूसरा गांव है, कुरका में 800 बीघा जमीन इस तरह से रैगुलराइज कर दी गई है ? खरेरा, एक गांव का नाम है । उसमें भी इसी तरह से जमीन रेगुलराइज की गई है । सेनडा, बयाना, बंद बरैठा, बडोदा, एक गांव का नाम है । इनके अन्दर भी इसी तरह से जमीन का रेगुलराइजेशन हुआ है ।

श्री मदनसिंह : किसको ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बड़े जमीन्दारों को, पैसे वालों को । आपने सुना होगा एक एम. एल. ए. भी हैं । कुम्हेर के अन्दर उन्होंने जमीन ली है । रहने वाले सवाईमाधोपुर जिले में करौली के हैं । उन्होंने 90 बीघा चारागाह जो पडा हुआ था आवंटित कराया है । इसकी उन्होंने दरख्वास्त दे दी । मेरे गांव के पास है, फलां जगह पड़ी हुई जमीन है । 15 साल से कब्जा चाहे गांव वालों ने रखा हो लेकिन एक आदमी जो गांव के बाहर का रहने वाला है उस गांव का आदमी नहीं है । मैं समझता हूं दो चार रोज में हुक्म हो जायेगा ।

श्री श्रवणलाल : नाम बता दें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं छोटे मोटे राम कुमार वाम कुमार का नाम लेना उचित नहीं समझता मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, समय कम मिला है समय की पाबन्दी में रहना चाहता हूं । सभापति महोदय, गान्धी शताब्दी के अन्तर्गत पट्टे कलक्टर ने कुल लोगों को उपलब्ध कराये,

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कुछ भूमि रिलीज कराई और वह भूमि न जाने किस किस को दे दी और सरकार की तरफ से एक वक्तव्य निकल गया कि गान्धी शताब्दी में हमने हजारों भूमिहीन लोगों को जमीन वितरित कर दी बहुत बड़ा टार्गेट अचीव कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपने कौन से शिड्यूल्ड कास्ट और हरिजन को जमीन वितरित की है, बता सकते हैं ? इनके पास कोई जवाब नहीं है। रेडियो से और अन्य प्रकार से घोषणा कर देंगे कि हरिजनों को, शिड्यूल कास्ट के लोगों को जमीनों के पट्टे दिये जायेंगे, जमीनों का वितरण किया जायगा लेकिन इसका फल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इधर कमेटी ने पट्टे दे दिये और उधर पटवारी ने दस्तखत नहीं दिये और अगर दे भी दिये तो 100 रु. लेकर। इस तरह सारे गांव के लोग परेशान हैं। जनता ए.डी.एम. के यहां गई और कहा सात साल से कब्जा है लेकिन उन गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज गांव में लठ्ठ चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, भयंकर रोष व्याप्त है। आज एक इंच भूमि पर हरिजन किसानों का कब्जा नहीं है। इस तरह मेरा निवेदन है, सभापति जी कम से कम इस पट्टे के सिलसिले के अन्तर्गत जो बेजा कार्यवाही हो रही कुछ चन्द लोग जो राजस्व विभाग के बड़े बड़े अधिकारो हैं या जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके हाथों में जमीनें आ गई हैं और बेचारा किसान लुट रहा है, मर रहा है, पिस रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा इन तमाम को धारा 91 के अन्तर्गत जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है पट्टे के नाम से, चारागाह जमीन को कैन्सिल कराने के लिये, सभापति महोदय, एक आयोग नियुक्त किया जाय। एक वरिष्ठ अधिकारी आप में से कोई आ सकता है। जो किसानों के प्रति अन्याय हो रहा है और जिन लोगों ने अनधिकृत कब्जे किये हैं, चारागाह की भूमि को दबाया है ऐसे कई लोगों की एक लम्बी सूची मैं सदन में प्रस्तुत करने को तत्पर हूं और अगर यह गलत निकले तो मैं मुझ से कोई भी बोन्ड लिखाया जा सकता है। उसके लिये मैं तत्पर हूं...

श्री देवीदत्त गाड़िया : (कागज दिखाते हुये) ये रहे मेरे पास में।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : वहां का तहसील वगैरह का जो स्टाफ है वह लाइसेन्सिग होल्डर का काम करता है। कलेक्टर काम नहीं कर सकता वह तहसीलदार सरसरी तौर पर कर देगा। कुछ तहसीलदारों की बहुत ज्यादा शिकायत हुई तो उनको इस तहसील से उस तहसील में ट्रान्सफर कर दिया। यह लाइसेन्सिग खोरी, रिश्वत खोरी, बेईमानी खूब धड़ाधड़ चल रही है। अब, सभापतिजी दो बात और कहना चाहूंगा और वह यह कि हमने सभापति जी एक भूमि मुक्ति का आन्दोलन चलाया था उसमें हजारों आदमियों ने प्रदर्शन किया–दो बार 19 अगस्त को 5–7 हजार आदमियों का प्रदर्शन था और उसमें मुझे खुद को पकड़ा गया। इसके बाद 22 अगस्त को 8–10 हजार आदमियों का प्रदर्शन हुआ और मुझे वहां भी गिरफ्तार किया गया और जेलों में भेजा गया। बड़ा भारी रकबा 27 हजार बीघा का एकत्रित करने का था। मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा अगर आप आज्ञा देंगे।

(श्री सभापति द्वारा मौन स्वीकृति)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : निवेदन करूं, सभापति जी, वे आज भी केवल उसी स्थिति में है। हमने यह पूछा था कि कल्टीवेटेड लेन्ड कितनी है। इस बात का सर्वे करने के लिये भी तैयार नहीं हुये जबकि वह काम एक महीने मे कर देना चाहिये था। आज भूमिहीन केवल जमीन चाहता है। वह गरीब किसान धरती को चीर कर अपना पेट भरना चाहता है। कोई रिश्वतखोरी और दगाबाजी नहीं करना चाहता है। मेहनत करके अपना पेट भरना चाहता है। वह कोई धन दौलत नहीं मांगता है अपना शरीर चलाने के लिये केवल रोजी रोटी चाहता है। उसे भी आप मुहैया नहीं करा सकते हैं तो फिर एक गरीब किसान के लिये आपके दिल में क्या हमदर्दी है ? आप उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकते है।

एक मिनिट और चाहूंगा, सभापति महोदय और वह यह है कि भरतपुर में एक वर्ड सेन्चूरी है। वहां हजारों की तादाद में प्रतिदिन विदेशी अतिथि आते है। यही नहीं वहां भी, सभापति जी, रूस और साईबेरिया की चिड़ियायें लाखों की तादाद में आती है। बड़ा सुरम्य स्थान है। उसके लिये ठीक है मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा वैसे राजस्थान की सरकार ने विकास काफी किया है। वहां के स्थानीय अधिकारियों की दिलचस्पी और निष्ठा का परिणाम है। वह स्थान बड़ा सुरम्य बना हुआ है लेकिन उसको और भी अट्रेक्टिव बनाने के लिये, यात्रियों को सुविधा देने के लिये और उन्हें आकर्षित करने के लिए अभी जरूरत है इसके साथ वन विभाग का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो रात दिन लकड़ियों की चोरी होती है। लकड़ियों के मामले में काफी गड़बड़ घोटाले हुए हैं, मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। इन्हीं बातों को कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री हंसराज आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु.) : सभापति महोदय, आज वन विभाग और भू-राजस्व पर जो अब तक बहस हो रही है। मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूं। मैंने भी इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य 5 मिनिट का समय दिया गया है।

श्री नन्दलाल बैरवा : सभापति जी, मैं तो कभी कभी बोलता हूं।

श्री सभापति : खास खास बात बताना चाहें बता दें।

श्री नन्दलाल बैरवा : सभापति महोदय, आज वन विभाग के सम्बन्ध में काफी चर्चा हुई। मैं निवेदन करूंगा वन विभाग का मामला है और अपने इस बात को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह में वन हो, वन नष्ट न हो। सरकार नियम बनाती है। आप और हम बैठकर नियम बनाते हैं और जहां कहीं कोई गड़बड़ी होती है उसको आपस में बैठ कर, डी. एफ. ओ. या अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर उसको खत्म कर

(श्री नंदलाल बैरवा)

बाते हैं। सभापति महोदय, जो रसीद काटने का समय होता है उस समय नहीं देते हैं। जो आदमी वहां रहता है–फारेस्टर या अन्य जिम्मेदार आदमी रुपये आदि चीज लेकर उस जंगल को उसी टाइम पर बंटवाते हैं और अन्य टाइम पर कटवाते रहते हैं, क्योंकि एक जकाती रहता है यह एजेन्ट होता है वह एजेन्ट पैसे लेकर जंगल को कटवाता रहता है। यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा तहसील नेनवा है उसमें एक गांव जेजपुर है। सारे नेनवा के लोग जितने हैं मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस जगह हजारों की तादाद में जंगल से लकड़ी कट कर आ जाती है। जनवरी, फरवरी, में लकड़ी कटकर आ जाती है और आपका आदेश जाता है मार्च और अप्रेल में। आज हम कहते हैं जंगल सुरक्षित रहें, लेकिन आपका जो फारेस्टर है वह कहता है सरकार का जो हुक्म आयेगा तभी आपको जंगल काटने के लिए कहेंगे। उसके पहले जंगल काट दिया जाता है गेन्डली केशोरायपाटन में एक गांव है वहां शंकर नाम का एक एजेन्ट बना रखा है। आये दिन गांव वालों को पीटता रहता है, डराता, धमकाता रहता है। डी. एफ. ओ. और अन्य अधिकारी को शिकायत की तो वे कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों कि शंकर लाल आपका जो व्यक्ति है वह हजारों रुपया लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को देता है। हमने बार बार शिकायत की लेकिन आज दिन तक उस आदमी को बुला कर कह नहीं सके। जितना जंगल की सुरक्षा का सम्बन्ध है आप लोग बचाना चाहते हैं लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं बैठे हुये हैं वे जंगल को सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। हजारों बीघा जंगल काटा जा चुका है।

जहां तक कूप का सवाल है, कहते हैं कि नहीं खोला जाएगा। लेकिन हमारे बून्दी जिले में कूप खोले नहीं जाते हैं। बिना खोले ही खुल जाते हैं। हजारों रुपया जेबों में जाता है। इसलिए जंगलात के जो अधिकारी हैं, फोरेस्टर है, हजारों रुपया उनकी जेब में आता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा कहते हैं।

श्री नन्दलाल : तहसील हिण्डौली में 2 हजार एकड़ जमीन छिपा रखी है। उस जंगल में भी किसी प्रकार की कोई लकडी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी बबूल हैं जो फोरेस्टर लगाते हैं, उन पर तार खींच देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नन्दलाल : इस प्रकार से उस जमीन पर····

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी चाय पीने के लिये कैन्टीन में गया तो वहां पर श्री. पी. पारीक जिसके खिलाफ मैंने अभी बोला था वह मेरा हाथ पकड़ कर घसीटने लगा। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो। इस प्रकार का व्यवहार करने का तुम्हें क्या अधिकार है?

श्री सभापति : ऑर्डर, **ऑर्डर।** यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अध्यक्ष)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है। अभी इस सम्बन्धित व्यक्ति को गिरफ्तार करके हाउस को उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिल्कुल।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : हाउस इसी वक्त काग्नीजेंस ले।

(5.02 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : यह महत्व का प्रश्न है। एक एक सदस्य बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग की मांग चल रही है। श्री ओ. पी. पारीक हैं जिनके खिलाफ माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। इस सम्बन्ध में यह हमारा संविधान के अन्तर्गत विशेषाधिकार है। हमें यह गारण्टी है। यह हमारी फ्रीडम आफ स्पीच है। अगर माननीय सदस्यों पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जैसा कि अभी अभी श्री ओ. पी. पारीक ने किया है–he should be taken into custody and he should be given suitable punishment in the House.

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : हाउस की प्रेसिंक्ट्स में किया है।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा बोल रहे हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैं पूरी बात कह नहीं पाया हूं। हाउस को इसका काग्नीजेंस लेना चाहिए। उनको अभी-अभी गिरफ्तार करके सदन के कठघरे में खड़ा करना चाहिए। यह गम्भीर मसला है संविधान के अन्तर्गत और विशेषाधिकार के अन्तर्गत।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के बहुत से मामले आते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों पर मन्त्री लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। वैसे कहा जाये तो वैसे, लेकिन सदन के अन्दर ही माननीय सदस्य के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। तो दुर्व्यवहार करने वाले अफसर को चाहे वह किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी मन्त्री का सम्बन्धी क्यों न हो उसको गिरफ्तार करके फौरन सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बाद में खड़ा होगा कि उस पर क्या कार्यवाही की जाये क्या नहीं। इस प्रकार का व्यवहार उस अधिकारी द्वारा किया गया है। हाउस की प्रीसिंक्ट्स में, हाउस की गैलरी में उसने इन्टीमिडेट किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया है, गाड़िया साहब का

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
हाथ पकड़कर उसने मैनहैण्डल करने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, हमारी भी मांग है, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं श्री गाड़िया जी से निवेदन करूं कि विषय पर संक्षेप में प्रकाश डाल सकें तो···।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं चाय पीने के लिए गया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोलने के बाद।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बोलने के बाद, तो मेरे पीछे मि. ओ. पी. पारीक आये और आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि यह कौन सा शिष्टाचार है। वहां पर एक प्रहरी भी बैठा हुआ था, उसका नाम ए.डी. बनर्जी है। मैंने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हो? धमकी क्यों देते हो। तो श्री पारीक ने कहा कि तुम हमारे खिलाफ बातें रखते हो। हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो फिर मैं चाय मांगने के लिए केबिन के पास आया। वहां भी आकर वह धमकी देने लगा। तो मैंने कहा कि यह हमारा प्रिविलेज है। मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा। तो यह कह कर कि तुमको भगवान दण्ड देगा यह थ्रैटनिंग देकर चला गया। तो मैंने लाचारी के कारण यह अशिष्ट व्यवहार किया है, इसकी मैं माफी मागता हूं।

श्री अध्यक्ष : वन मन्त्री जी कुछ कहेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गाड़िया जी के साथ श्री ओ. पी. पारीक ने जो अभद्र व्यवहार किया बताया उस पर आप कोई कार्यवाही करें, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कार्यवाही करने को सदन तभी काग्नीजेंस लेता है जब वह सदन के सामने घटना हुई हो या सदन ने प्रत्यक्ष रूप से घटना देखी हो। इसे सदन ने देखा नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करें कि वस्तुस्थिति क्या है, वह सदन के सामने रखें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हम नहीं जानते कि उसने किस भावना से गाड़िया जी का हाथ पकड़ा है। हो सकता है मुलाकात में पकड़ा हो और गाड़िया जी ने दूसरी भावना ले ली हो। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि आप खुद जांच करें। उसके बाद सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय रामनारायण जी चौधरी ने फरमाया है, मुझे इस बात का खेद है कि जब किसी माननीय सदस्य ने स्वयं ने इस बात को सदन में कहा है कि उनके साथ इस तरह से एक अधिकारी ने उनको इन्टीमिडेट करने की कोशिश की। अब इस संदर्भ में उन्होंने जब बात कही कि आप जानकारी करलें, वह हो या नहीं हो, यह प्रश्न बाद में होता है। तो मैं समझता था कि एक जिम्मेदार सदस्य अगर इस तरह से बात को मोड़ दे और बात कहना चाहे तो उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि आखिर सदन के एक माननीय सदस्य का सवाल है और विशेषाधिकार का प्रश्न है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ घटना घटी है, वह चिंताजनक है। हमारी फ्रीडम आफ स्पीच में यदि थ्रेटनिंग और इन्टीमिडेशन किया

(श्री दिग्विजयसिंह)
जाएगा तो हम अपने अधिकार से वंचित रहेंगे। आप इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : यह विशेषाधिकार का प्रश्न है जो माननीय सदस्य श्री गाड़िया ने उठाया है। सम्माननीय सदस्यों ने इस पर चिन्ता व्यक्त की और निश्चय ही यह चिन्ता का प्रश्न है। जो कुछ तथ्य माननीय सदस्य ने यहां सदन के सामने रखे, उन तथ्यों और आरोपों को रखा, जो कुछ उन्होंने अपने भाषण में रखे थे, उन आरोपों को रखने के बाद जैसे माननीय श्री गाड़िया ने कहा, वे कैंटीन में गए और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ। आपके द्वारा रखे हुए तथ्यों के संदर्भ में यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। प्रश्न केवल इतना रहता है कि चूंकि व्यक्ति विशेष, अधिकारी है और जैसा माननीय श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि वह प्रेसिक्ट्स आफ दी हाउस में है, हाउस के अधिकार क्षेत्र में है, जुरिस्डिक्शन में है। यदि ऐसा है और वे यहां से चले भी जायं तब भी इस सदन का अधिकार कहीं नहीं जाता। अतः दो प्रश्न माननीय सदस्यों के सामने हैं। माननीय सदस्यों के कथन के अनुरूप अधिकारी को यहां बुलाया जाकर उनका ट्रायल किया जाए और इसी समय जो कुछ भी यह सदन उपयुक्त समझे, वह दण्ड के रूप में तथ्यों की सत्यता के आधार पर दे सकता है। किन्तु सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इसके साथ है। जब कोर्ट के रूप में सदन परिवर्तित होता है तब उसका दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि सदन इस प्रश्न पर शांति से विचार करने का अवसर लें।

अभी चूंकि डिमांड्स पर विचार बाकी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के रूप में आज ही बैठे, उनका ट्रायल करे और फिर कुछ निर्णय ले। भय है कि कहीं सदन यह न्याय देने के प्रश्न पर को उद्विग्न न हो जाय। शांत मन से सदन इस पर विचार कर सके, यह तो मैं उपयुक्त समझता हूं। अतः इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाए और यह विशेषाधिकार समिति के लिये मैं आपकी भवानाओं के सन्दर्भ में और जो कुछ हुआ है उस प्रश्न को समझते हुए मैं समय की सीमा बांध सकता हूं। कल या परसों विशेषाधिकार समिति बैठ जाए, सत्या-सत्य, सत्य ही है आपका कहना, फिर भी जो न्याय देने का प्रोसीजर है उसके अनुसार, एक रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत हो जाए और सदन उस पर विचार कर ले।

जहां तक अधिकारी का प्रश्न है, उनके भागने का प्रश्न नहीं है। सदन चाहे तो आज उनको खड़ा रखा जा सकता है या कल जब रिपोर्ट प्रस्तुत हो या परसों प्रस्तुत हो तब भी मैं आदेश दे सकता हूं, सदन की रिपोर्ट के संदर्भ में अधिकारी को यहां उपस्थित रखा जाए और जब कभी सदन अधिकारी की उपस्थिति चाहे, वह मार्शल के द्वारा उनकी उपस्थिति यहां रखी जा सकती है। इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न चिंता

(श्री अध्यक्ष)
का है, उद्विग्नता का है। जैसे माननीय सदस्य ने जो तथ्य प्रकट किए हैं यदि वे तथ्य हैं तो फिर भी हमें शांति से उद्वेग को परे रख कर इस प्रश्न पर विचार करना उपयुक्त होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो कल ही वह कमेटी बैठ सकती है और उस पर रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कल-वकिंग डे है। तो इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करते हुए समय का प्रश्न आप पर छोड़ देता हूं। कल सायं के समय या प्रश्नोतर काल के बाद में इस प्रश्न को ले लिया जाए। मैं समझता हूं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा है, शहादत को पेश करने और देखने का मौका मिल जाए, आप चाहें तो कल ही ले लें। आज समिति को संकेत करता हूं कि वह आज या कल प्रात: 9 बजे तक सारे तथ्य संग्रह करके अपना निर्णय देकर कल ही इस प्रश्न को सदन के समक्ष रखा जाए।

श्री विजयसिंह : यह सब तो ठीक है लेकिन आज अपना सदन एजर्न हो उससे पहले जानकारी मिले कि वह हमारी कस्टडी में है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को क्यों लेते हैं ? माननीय सदस्य ने कहा वह अधिकारी हैं और मैं वन मंत्री से निवेदन करूंगा कि कल जब यह प्रश्न उपस्थित हो तो वह अधिकारी यहां रहे।

श्री विजयसिंह : श्री रामसिंह कुड़ी के बारे में जब प्रश्न आया था तो वारंट जारी किया गया था।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं एक सुझाव प्रस्तुत कर दूं कि आप इस मामले को सम्बन्धित, अधिकारी को अपने कक्ष में हाजिर होने के लिए आदेश दे दें। संबंधित अधिकारी आपके समक्ष हाजिर हो जाए और आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दें कि किसी तरह से कल सुबह फलां समय पर विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश हों उनको अभी से डाइरेक्शन्स हों और विशेषाधिकार समिति अपना प्रतिवेदन क्वेश्चन अवर के बाद जैसा आप उचित समझें, सदन के समक्ष रखें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मैं उक्त अधिकारी को आदेश देता हूं कि वह कल प्रश्नोत्तर काल से पहले मेरे चेम्बर में आकर मुझसे मिले और····

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: अभी मिल ले।

श्री अध्यक्ष : अभी मिल ले। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था करें, मैं चेम्बर में जा रहा हूं, जो अधिकारी है, मुझसे चेम्बर में आकर मिले।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मार्शल के जरिए बुलायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसमें एक कठिनाई आएगी कि माननीय जो चेयरमेन महोदय हैं इस समिति के वह बाहर तशरीफ ले गए हैं तो····

श्री अध्यक्ष : कमेटी दूसरा चेयरमैन रखेगी। आरम्भ रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था आपने दी है वह तो ठीक है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा आपके हाथ में है। इस प्रकार के मेटर्स जो सदन में आये हैं, इस सम्बन्ध में जो अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को रेफर करने का नोटिस सदन ने ले लिया है, ऐसी हालत में फार दी टाइम बींग वह अधिकारी एक प्रकार से सदन के सदस्य को इन्टीमिटेड करने के दोषी हैं।

He should be immediately asked to withdraw from the House.

श्री अध्यक्ष : कन्ट्राडिक्टरी हो जावेगा। चेम्बर में मिलकर I will ask him immediately to withdraw.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He should be immediately asked to withdraw from the official gallary.

श्री अध्यक्ष : If he is there, he should withdraw from the official gallary.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : Should he be taken to be in the custody of the house.

श्री अध्यक्ष : Order please.

अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री नंदलाल बेरवा (पाटन सु ं) : सभापति महोदय, मैंने चार कटौती प्रस्ताव रखे हैं। राजस्व के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि एलॉटमेंट करने के आदेश जिलाधीश को नहीं पहुंचे हैं। यदि यह जमीन वन विभाग से मिलती है तो भूमिहीनों को एलॉट की जा सकती है लेकिन अब तक भी इसके आदेश नहीं पहुंच पाये हैं। यह जिले की तहसीलों में वन विभाग से कृषि योग्य भूमि राजस्व विभाग में नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में है।

इसी प्रकार बजट स्पीच में 15 बीघा भूमि तक भूमिहीनों को रेगुलेराइज करने के आदेश दिये हैं। मैं 24-25 को ही अपने इलाके से आया हूं लेकिन इसके आदेश वहां पर तहसील के अधिकारियों और पटवारियों के पास नहीं पहुंचे हैं। अभी भी पेनेल्टियों की वसूली हो रही है। हमने गांवों में जाकर यह कहा कि सरकार के इस प्रकार के आदेश हो गये हैं कि भूमिहीनों से 15 बीघा तक वसूल नहीं होगा। लेकिन पटवारी अभी तक भी वसूल कर रहे इसलिये जहां पर भी अभी तक आदेश नहीं पहुंच पाये हैं उनके पहुंचाने की शीघ्र ही व्यवस्था की जाय ताकि उनसे पेनेल्टियां वसूल न हों। भूमिहीनों को 15 बीघा तक भूमि पेनेल्टी दिये बगैर आवंटन करने के आदेश दिये हैं। जिनके पास 15 बीघा जमीन ऐसी हो कि जिसमें पानी नहीं जाता हो और अनकमान्ड एरिया हो, तो वह वहां पर भूमिहीन का किस प्रकार से गुजारा हो सकता है जब कि सीलिंग कानून के अनुसार 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की बात करते हैं। एक भूमिहीन को 15 बीघा जमीन देकर किस प्रकार से उसको आबाद करना चाहते हैं? राजस्थान सरकार ने कानून बनाया सीलिंग का। भूमिहीनों के लिये भी उसमें 15 एकड़ का प्रावधान करना चाहिये ताकि भूमिहीन भी अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। उनका पालन कर सके।

(श्री नंदलाल बैरवा)

इसी प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन आवंटित की जाती है तहसीलदार और कमेटी जाकर नियमानुसार अलाट करते हैं लेकिन सम्बन्धित पटवारी और कानूनगो कई वर्षो तक कब्जा नहीं देते हैं। पटवारी उनसे दस्तखत करवा लेता है कि कब्जा करा दिया। और किसी प्रकार उसको दाखिल दफ्तर कर देता है इस प्रकार की धांधली पटवारी के द्वारा हो रही है उस पर भी मंत्री महोदय ध्यान दें।

नामांतरण करने के लिये आदेश निकाले गये थे। राजस्थान में कहीं पर भी ये आदेश नहीं पहुंचे हैं। बून्दी जिले में यहां से आदेश जाते हैं कि नामांतरण को रोक दिया जाय। जितने किये हैं उनको खारिज कर दिया जाय। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में आदेश नहीं गये हैं इस प्रकार के लेकिन बून्दी जिले में आदेश इस प्रकार के जाते हैं और जितने नामांतरण किये हैं उनको खारिज करना चाहते हैं। किस प्रकार से ये आदेश बूंदी जिले में पहुंचे हैं? जानकारी करके इसके आदेश करें। किन कागजों के तहत इस प्रकार के आदेश दिये इसकी जानकारी करनी चाहिये।

सारे राजस्थान में सीलिंग का कानून लागू हुआ। कमान्ड और अनकमान्ड में भी हजारों रुपयों का काश्तकारों का जमीन में खर्चा हो चुका है। कोटा के पास लाड़पुरा हिन्डौली तहसीलों में सिंचाई होती है। खेद का विषय है कि केशोराय पाटन में हजारों किसानों पर केस चल रहे हैं। बूंदी कलेक्टरी में जाकर देखिये कि हजारों किसानों की लाइन लगी हुई है। केशोराय पाटन में ही सीलिंग होगा या सारे राजस्थान में होगा? एस. डी. ओ. की राज्य सरकार पूरी जांच करेगी।

इसी प्रकार कई जगह भूमि अलॉट की जाती है। पन्द्रह बीस वर्ष पहले खरीदी पचास रुपये सौ रुपया बीघा में खरीदी। कमान्ड एरिया नहीं था, पानी नहीं था और अब मिलना शुरू हो गया। उसी जमीन की कीमत जो पहले 25 रुपया बीघा थी वह आज पांच सौ रुपये बीघा हो गई है। रजिस्ट्री की कोई वकत नहीं रही है और लोग उन पर कब्जा करना चाहते हैं। रजिस्ट्री सरकार के द्वारा की गई इसलिये उसका पालन किया जाय और उस वक्त की कीमत को माना जाय और नामांकन खोले जायं। यदि वह नहीं होगा तो वह भूमि छोड़नी पड़ेगी किसान को। इसलिये सरकार को आदेश देने चाहिये।

इसी प्रकार निवेदन करना चाहूंगा कि बंदूकों के लाइसेन्स बनाये जाते हैं। हमारे यहां भी बन्दूकों के लाइसेन्स बनाये गये हैं रुपया सवा रुपया लेना चाहिये। दस दस रुपया लिया गया है। उसकी जांच करके रेवेन्यू मिनिस्टर वापिस दिला दें।

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नंदलाल बैरवा: कमान्ड एरिया, चाहे वह चम्बल हो, भाखरा हो, गंग केनाल हो, दो पटवारी होते हैं एक तो राजस्व का और दूसरा सिंचाई विभाग का। सिंचाई विभाग का सिंचाई वाला जितना पानी पिलायेगा उतना लगायेगा लेकिन उसकी वसूली रेवेन्यू का।

(श्री नंदलाल बैरवा)

पटवारी करेगा। रेवेन्यू वाले को पता नहीं कि कितने बीघा के लिये पानी दिया। गेहूं की जगह चना लिख देगा। इसलिये अलग अलग पटवारी न होकर एक ही हो। सरकार को भी इससे फायदा होगा कि एक ही पटवारी दोनों काम करेगा। इस प्रकार की धांधलियां होती हैं। कई दिक्कतें किसानों के सामने आती हैं। इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इन कटौती प्रस्तावों के जरिये यही निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह मकराना।

श्री विजय सिंह (मकराना) : सभापति महोदय, जो व्यक्ति समय का बन्धन लगाता है उसको समय के बन्धन में रहना पड़ता है। सबसे पहले मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। शायद वन मंत्री जी का ध्यान न हो तो मैं उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि माउन्ट आबू के अन्दर जंगल को बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए और न ही किसी को इसका ठेका देना चाहिये। राजस्थान और गुजरात के लिये गर्मियों में विजीटर्स को आने के लिये एक ही तो यह स्थान है, और यदि यहां पर ही वन कटने लग गये तो ज्यादा गर्मी पैदा होने लग जावेगी। अब तो यह है कि पहले से ज्यादा गर्मी होने लग गई और बरसात का रैन फाल कम होने लग गया क्योंकि उसमें फर्क पड़ गया जंगल काटने से।

दूसरी बात आबू में जो आपने रेन्जर बिठा रखा है वह क्या करता है? दुनिया भर की धांधली बाजी चलाता है हो सकता है कि कुछ खास खास आदमी वहां जावें उनका एन्टरटेनमेण्ट कर देता हो पर इसका मतलब यह नहीं कि खामख्वां में उसे वहां बिठा रखो। मैं जानता हूं कि उनका स्टैण्डर्ड आफ लिविंग क्या है? और उसे मेण्टेन करने के लिए रुपया कहां से आता है? अच्छे से अच्छे ट्रान्जीस्टर, सोफा सेट आदि बहुत सी अमूल्य चीजें कहां से आ रही हैं? यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आबू में जो गरीब मजदूर, सिर पर भार लेकर आते हैं उनसे ये रेन्जर साहब प्रति भार आठ आना वसूल करते हैं और भी गोमुखी का स्थान है, मन्दिर है, महाराज हैं उन्होंने एक टंकी बनवायी थी ताकि यात्रियों को पीने का पानी मिल सके। पर रेन्जर ने उनसे भी रिश्वत मांगी, नहीं देने पर उस टंकी को जो सीमेण्ट की अच्छी बनी हुई थी तोड़ दिया। एक व्यक्ति यात्रियों को पानी पिलाने के लिए कोई अच्छा कार्म करे उसके खिलाफ रेन्जर जिस तरह का कार्य करे यह शोभनीय नहीं है।

फिर भी मैं आपसे खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपके टूरिस्ट बंगलों के ये अफसर हैं। कई बार लड़कियों को लेकर जाते हैं और वहां रंगरेलियां करते हैं। ये टूरिस्ट बंगले इस लिये नहीं हैं, ये लवर्स की मीटिंग प्लेस नहीं है। इस ऑफिसर को वहां से हटाना चाहिये।

इसके अलावा, आबू में हद से ज्यादा शिकार होते हैं ये अधिकारी इसमें मदद पहुंचाते हैं। अगर बाड़ ही खेत को खाने लगे तो क्या होवे? इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं गेम रेन्जर को इमीडियेटली ट्रान्सफर कर देना चाहिये वरना

(श्री विजयसिंह)

आपका जो उनके प्रति सॉफ्ट कार्नर है उससे वन सम्पत्ति को बहुत हानि होगी और लोग बड़े परेशान होंगे।

राजस्व मंत्रीजी से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने 67 में एक मुद्दा उठाया था इकरामुल्ला पटवारी के खिलाफ। सौ रुपया रिश्वत का लिया जिसका क्वेश्चन भी आया उसको पोस्टपोन भी किया स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाने के कारण। इसकी इन्क्वायरी भी चल रही है। सौ रुपया लिया रसीद भी दी पर उसे जमा नहीं कराया। रसीद सदन की मेज पर रखी है। पटवारी की दी हुई रसीद है साफ भ्रष्टाचार का मामला है। फिर भी आपने कुछ नहीं किया इससे यह कह सकता हूं कि हो सकता है ऊपर तक पैसा पहुंच रहा हो। वह ऊपर की सीमा कौन सी हो सकती है कह नहीं सकता। पर उस पटवारी को आज रैवेन्यू इन्सपेक्टर बना दिया। भ्रष्टाचार का मामला होता है तो सरकार को तुरन्त एक्शन लेना चाहिए। नहीं एक्शन लेते हैं तो हमें भी दुख होता है इसका मतलब यह है कि आप भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क नहीं हैं तो मैं यह समझता हूं कि आप भी भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए सतर्क नहीं हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अगर यह बात जो भ्रष्टाचार की मैंने पटवारी के मामले में उठायी थी आप तुरन्त देखते तो हमारी धारणा ठीक बन सकती थी। रसीद मौजूद है आपको एक्शन लेना चाहिये नहीं लेते हैं तो मैं यही समझूंगा कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। आपका भी इससे सम्बन्ध है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है। दूसरों के लिए कहते हैं तो दूसरों का नहीं आपका सम्बन्ध होगा।

श्री विजयसिंह : उनका सम्बन्ध नहीं होगा आपका होगा।

तो खास तौर से पटवारियों की शिकायतें हैं इसलिए निवेदन करूंगा कि पटवारियों पर बहुत ज्यादा अंकुश रखना चाहिए।

खास तौर से भ्रष्टाचार के मुख्य मुद्दे वे मामले होते हैं जो जरूरी होते हैं जिन पर निर्णय न लेकर पेंडिंग में रखते जाते हैं। मसलन म्युटेशन के मामले। सरपंच भी म्युटेशन के मामले टालते जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि इन म्युटेशन के मामलों में टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिये। उस टाइम लिमिट में अगर म्युटेशन के मामले तय नहीं करते हैं तो पटवारी हो, या सरपंच हो उनके खिलाफ तुरन्त सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिये। जब एक आदमी रजिस्ट्री करा लेता है तब म्युटेशन करने में देरी करने की क्या आवश्यकता है इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय राजस्व मन्त्री जी।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): सभापति महोदय, राजस्व विभाग के संबन्ध में माननीय सदस्यों ने सदन में कई बहुत अच्छे सुझाव दिये उनमें से कइयों पर अमल किया जा सकता है उन पर अमल करने की हम कोशिश करेंगे। मैं माननीय

(श्री रामकिशोर व्यास)
सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने राजस्व विभाग की मांगों के सिलसिले में दिलचस्पी ली, और इस विभाग में सुधार लाने के लिए सुझाव भी दिये ।

सब से ज्यादा जोर जो यहां दिया गया, पहले भी दिया गया था वह है सीलिंग के इम्प्लीमेण्टेशन के बारे में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेण्ट इस बात पर कटिबद्ध है कि सीलिंग का कानून जल्दी से जल्दी लागू हो और उसका जो फायदा मिलना है वह भूमिहीन किसानों को जल्दी से जल्दी मिले । हमारी बराबर कोशिश रही है कि इसकी क्रियान्विति जल्दी से जल्दी हो । इसकी देरी का बहुत कुछ कारण हाई कोर्ट में मुकदमे चलने की वजह से है या अन्य कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है । लेकिन जब से सीलिंग लॉ में संशोधन हो रहा है और जो एक्जेम्पशन्स इसमें से कम किये हैं और जो कुछ ट्रान्सफर्स थे उनको रिकगनाइज किया है इसके बाद से बराबर इस बात के लिए हम कोशिश करते रहे हैं, कटिबद्ध रहे हैं कि सीलिंग के मामले जल्दी से जल्दी तय किये जावें । जैसे ही कानून पास हुआ और प्रेसीडेन्ट की सहमति आई इसके बाद से ही इस पर कार्यवाही शुरू कर दी। 9–10–70 को मन्जूरी प्रेसीडेन्ट के यहां से हुई थी इसके बाद तुरन्त ही एक टाइम शेड्यूल बनवाया और कलेक्टरों को और अफसरों को हिदायत दी गई कि शेड्यूल की माफिक वे अमल करें, और जिसमें अप्रेल 19 तक पजेशन के बारे में और मई के अन्त तक कब्जा दिलाने के बारे में हिदायतें दी गई थीं इस सिलसिले में हमने और भी कलेक्टरों की मीटिंग बुलाई थी जिसमें विशेष आग्रह किया गया था कि इस कानून को जल्दी से जल्दी अमल में लावें । कठिनाइयां भी बताई थीं उन्होंने अपनी । उनका यह कहना था कि जो स्टाफ है वह नाकाफी है और स्टाफ नहीं दिया जावेगा तो यह काम जल्दी से पूरा नहीं होगा । जैसे जैसे सिफारिश की उसके माफिक अमल किया गया और जैसे चाहा जहां जहां जैसी मांग आई स्टाफ बढ़ाया गया, और इसके माफिक कार्यवाही हुई । अब जो स्थिति है इस सम्बन्ध में मैं वह अर्ज करूं कि रूल 9 के तहत में 17386 डिक्लेरेशन्स आये हैं जो तैयार हो गये है उनकी संख्या 9872 है। रूल 10 के तहत नोटिस हुए वे 19501 हैं जो वेरीफाई हो चुके वे 4812 हैं, और जो रूल 14 में नोटिस जारी हुए हैं उनकी संख्या 13947 है उनमें से करीब 60516 एकड़ भूमि रिजम्प्शन के अण्डर आ गई है। 14530 एकड़ पर गवर्नमेण्ट का कब्जा हो गया है । 11 हजार पर एलॉटमेण्ट हुआ है ।

सदन में कई बार यह बात आई थी कि 14 हजार एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है वह कौन कौन से जिलों में है कहां कहां पर है इसके बारे में भी मैं पढ़ देता हूं:-

अजमेर	38
अलवर	11
बांसवाडा	251
बाड़मेर	1375
भरतपुर	146
बीकानेर	2118

(श्री रामकिशोर व्यास)

बूंदी	1351
चितौड़	308
चूरू	132
डूंगरपुर	33
गंगानगर	22
जयपुर	500
जालौर	3262
झुंझुनूं	63
जोधपुर	42
पाली	4319
सवाई माधोपुर	1032
सीकर	49
टौंक	393
उदयपुर	83
टोटल	14532

श्री शंकरलाल : यह कौनसी तारीख तक का है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह लेटेस्ट फीगर है।

श्री शंकरलाल : परसों की तारीख तक जैतारण में 15 हजार बीघा पर कब्जा कर लिया गया था। यह लेटेस्ट नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके अलावा जहां-जहां, जिस-जिस जिले में कितनी भूमि के एक्जम्पशन के ऑर्डर हुए हैं वह भी पढ़ कर सुना दूं।

अजमेर	168
अलवर	177
उदयपुर	138
चितौड़	862
चूरू	188
जयपुर	1180
जालौर	3265
जोधपुर	3622
भीलवाड़ा	301
झुंझुनूं	63
टौंक	396
डूंगरपुर	36
नागौर	17
पाली	11993
बाड़मेर	1376
बांसवाड़ा	256
बीकानेर	31428
बूंदी	1181
भरतपुर	146
गंगानगर	650
–	211
सवाई माधोपुर	2007
सीकर	49
टोटल	70516

इस तरह से इस सिलसिले में प्रगति हुई है। अभी काम बाकी है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पूरा करवायेंगे और पूरी कोशिश के साथ दिलचस्पी देकर जल्दी से जल्दी मामले तय होंगे। इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी।

दूसरी बात जिसका यहां पर काफी जिक्र किया गया है वह एलॉटमेंट के सम्बन्ध में थी। इसमें दो बातें मुख्य रूप से आई थीं। कुछ ने तो एक बात यह कही कि कुछ इर्रेग्युलर एलॉटमेंट हुए थे। खास तौर से मेहता साहब ने कहा और यहां यह बात भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

रखी कि उस पर कब्जा नहीं दिया गया। ये नये रूल्स इस सम्बन्ध में बनाये गये हैं इसके अन्दर स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है और प्रावधान किया गया है कि अब जैसे ही ऐलाटमेन्ट हो उसके साथ ही साथ पटवारी द्वारा कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी। आमतौर पर यह कह सकता हूँ कि एलाटमेंट में ज्यादातर कब्जे दिलाये गये हैं। हो सकता है कि कहीं यह शिकायत हो। मेरी जानकारी में लाने पर कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी। इस वजह से भी रुके हुए हैं कि उस पर अपील हो गई और स्टे हो गया है। ऐसे केसेज में हो सकता है कब्जे नहीं दिलाये गये हों ...

श्री रोशनलाल : पुराने हैं, सात सात साल के हैं और आज तक उनके खाते नहीं बने हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जो इर्रेगुलर अलाटमेन्ट हैं उसमें भी नियमों का प्रावधान रखा गया है खास तौर से सदन की भावनाओं को समझते हुए। कलक्टर की कान्फ्रेंस हुई थी और उसमें उनको यह कहा गया है कि वे इन आंवटन को देखें और उन्होंने यह समझा कि यह नियमानुकूल आंवटन नहीं हुआ है तो वे कदम उठा सकते हैं कार्यवाही कर सकते हैं। भीलवाड़ा कलक्टर ने ऐसे 100 केसेज में नोटिस दिये हैं। जहां एलाटमेंट नियमों के विरुद्ध हुए हैं, आप यह मान कर चलें कि वहां कार्यवाही की जायेगी कदम उठाया जायेगा। ऐसे और जगह भी केसेज हों, जहां आपको कोई अनियमितता दिखाई दे और आप यह समझें कि यह बेजा एलाटमेंट हुआ है आप उसको कलक्टर के नोटिस में लावें और वह कार्यवाही कर के उसको हटा सकता है।

श्री रोशनलाल : जिनको आवंटन हुए है ठीक तरह से हुआ है, अभी तक वह जमीन उनके खाते में नहीं पड़ी है। दूसरों का कब्जा है और कई जगह पर कब्जा नहीं दिया गया है। नाजायज कब्जा है और वह आवंटन कर दी गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : खाते में नाम नहीं लिखा गया है तो उसके लिये आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आवंटन के सम्बन्ध में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एक शिकायत की जाती है कि आवंटन नहीं हो रहा है, जमीन नहीं दी जा रही है मैं मोटे तौर से बतलाना चाहता हूँ कि अभी तक करीब 86 लाख 50 हजार 379 एकड़ भूमि भूमिहीनों को ऐलाट की जा चुकी है जिसमें से 7 लाख 14 हजार 49 परिवारों को यह मिली है और उसमें से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कुल भूमि मिली है वह है 15 लाख 68 हजार 642 एकड। यह भूमि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को मिली है और इसमें से 31 हजार 553 व्यक्ति या परिवार हैं। आर्म्ड परसोनल है उनको 4 लाख 61 हजार 365 एकड जमीन ऐलाट की गई है और वह 5236 परिवारों को मिली है। इसी तरह से आप देखेंगे कि काफी संख्या में, काफी मात्रा में भूमि का आवंटन हुआ है भूमिहीन लोगों को और यह कहना कि आवंटन नहीं किया जा रहा है मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आवंटन हुआ है परन्तु कब्जा कितनों का हुआ है ? मौके पर कब्जा नहीं मिलता।

Page No. 181

श्री रामकिशोर व्यास : कब्जा नहीं मिला ऐसे केसेज नोटिस में लावें।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरे तहसील क्षेत्र में एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ है। आपका यह ऐलाटमेंट कागजों में है, रेकार्ड में है। जबकि मैं ऐलाटमेंट कमेटी का सदस्य हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप कमेटी के सदस्य हैं और सदस्य होते हुए ऐसी बात है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कमेटी ऐलाटमेंट कर देती है लेकिन आपका पटवारी तहसीलदार गलत रेकार्ड प्रस्तुत कर देता है और ऐलाटमेंट कमेटी कर देती है और फिर झगड़ा शुरू होता है जबकि पहले से ही किसी आदमी का कब्जा होता है।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खसरा 76 का ऐलाट करा दिया जबकि वहां पर वह दूसरे के नाम पर है और 75 का खाली है वह नहीं किया। अब लोग गलत नम्बर के कारण चक्कर खा रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसी स्थिति तो रहेगी। आप नोटिस में लावें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। पहले मंत्री महोदय को वक्तव्य पूरा करने दें।

श्री रामकिशोर व्यास : साथ ही साथ जवाब देता जाऊं यह तरीका ठीक नहीं है। मेरी ऐसी मान्यता है और मेरे पास ऐसी सूचना है कि आम तौर पर कब्जा दिलाया जाता है। फिर भी इस तरह की शिकायतें हों तो आप उसको नोटिस में लावें और उन पर कार्यवाही की जा सकती है। कई जगह लोग अपील में चले गये हैं या कोई झगड़ा है। फिर भी आम तौर पर यह बात कही जा सकती है कि कब्जा मिलता है।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : गलत नम्बर पर दे दिया जाता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर व्यास : इण्डिविजुअल केसेज के बारे में तो नहीं कह सकता हूं और यह मेरे लिये सम्भव नहीं है। अगर एक गलत नम्बर पर अलाटमेंट हो जायेगा तो उसकी तरमीम करनी चाहिये।

श्री केदारनाथ : जो इनक्रोचमेंट हुए हैं और जिनको रेगुलराइज कर दिया गया है क्या वह इसमें शामिल हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं वह अलग है। यह तो अलाटेड है। जहां कहीं शिकायत हो तो हमारे नोटिस में लायें हम जांच करायेंगे। अलाटमेंट कमेटी के आप मेम्बर हैं तो आप खुद शिकायत कर सकते हैं।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : भरतपुर जिले में कितनी भूमि अलाट की है?

श्री रामकिशोर व्यास : पता नहीं इसका तो अभी यहां पर।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : एक इन्च भी अलाटीज के पास नहीं है। आप जांच कराइयेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर जिले में कितनी जमीन अलाट हुई यह मैं बता दूंगा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : ए. डी. एम. ने कितनी जमीन रिलीज करके बड़े जागीरदारों में बांट दी है। जो सवाल है उसका जवाब तो देते नहीं है।

श्री सभापति : मा. सदस्य आप प्रश्न इतने कर रहे हैं। मंत्री जी का उत्तर हो जाने दें। फिर कोई रह जायगा तो जानकारी प्राप्त कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : अब रही पजेशन की बात......

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैंने पजेशन के बारे में नहीं कहा है। इधर अलाटमेंट किये और कब्जे मिले तो उधर डंडे चल गये।

श्री रामकिशोर व्यास : अलाटमेंट तो बिना कमेटी के नहीं हो सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अलाटमेंट तो आपके लाइसेन्स होल्डर तहसीलदार कर देते हैं। आप कहें तो आपके नाम भी शाम तक अलाटमेंट करा लाऊं। लाइसेन्स होल्डर तहसीलदार आपके यह काम तो कर देते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अलाटमेंट इललीगल है वह सेट असाइड हो सकता है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : मैंने जो बात बताई है उसमें हजारों बीघा जमीन का अलाटमेंट हो चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप ऐसे ही करवाते होंगे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आप तो बेकार बातें करने के आदी हैं। आप इन मामलों में सब अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने जो कहा है अलाटमेंट के बारे में कहा है या रेगुलराइज के बारे में कहा है?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके बाद नेक्स्ट पाईन्ट है वह पास बुक के बारे में आया है। पास बुक वितरित कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा गवर्नमेंट इस मामले में चाहती है कि पास बुक लोगों को मिलें। करीब 8 लाख पास बुक अलग अलग जिले के अन्दर गई हुई हैं। अब एक बात आई कि 8 लाख क्यों छापी जब 41 लाख खातेदार हैं तो मेरा निवेदन है 40 लाख भी छपेगी जितनी जितनी जरूरत होगी वह छपती जायेगी और जैसे जैसे छपेगी वह डिस्ट्रिब्यूट करते रहेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपकी मंशा नहीं है अधिक छापकर बांटने की...

श्री राम किशोर व्यास : यह बांटनी नहीं पड़ती है बल्कि लेनी पड़ती है। पास बुक के दो रुपये देने पड़ते हैं। एक रुपया लिखावट वगैरह का है और एक रुपया कीमत है। वह जाकर काश्तकार के मकान में दे आयेंगे। ऐसा प्रोविजन नहीं है। वह रुपया जमा करायेगा तब ही उसको पास बुक मिलेगी। पास बुक लेने जाते हो और वह नहीं मिलती हो तो आप बता दें, हम उस जगह और कोशिश करके भेज देंगे। इसमें जो दरख्वास्त की पाबन्दी थी वह भी

(श्री रामकिशोर व्यास)

हटा दी। बस रुपया जमा करा दें तो पास बुक मिल जाती है।

श्री मदन सिंह दांता : इसका मतलब 40 लाख जनता को रुपया जमा कराना होगा। तो इस तरह 80 लाख रुपया तो गवर्नमेंट के पास में यों ही आ जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा जिले में कितनी पास बुक भेजी हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह बता दूंगा। रुपया जमा कराना होगा तब मिलेगी। कहां-कहां कितनी कितनी भेजी हैं वह मैं आपको बता देता हूं:—

अलवर	55 हजार
अजमेर	21 हजार
भरतपुर	94 हजार नौ सौ
भीलवाडा	49 हजार पांच सौ
बांसवाड़ा	16 हजार पांच सौ
चूरू	27 हजार पांच सौ
डूंगरपुर	16 हजार पांच सौ
गंगानगर	11 हजार
जयपुर	एक लाख 26 हजार पांच सौ
जैसलमेर	पांच हजार पांच सौ
जालौर	27 हजार पांच सौ
झुंझुनू	22 हजार
जोधपुर	एक लाख 20 हजार
कोटा	49 हजार
पाली	एक लाख सात हजार पांच सौ
सवाई माधोपुर	55 हजार
सीकर	58 हजार
सिरोही	16 हजार
टौंक	27 हजार पांच सौ
उदयपुर	82 हजार

इनमें जो डिस्ट्रिब्यूट हुई हैं एक्चुअली और जो काश्तकारों के हाथ में पहुंची हैं वह हैं–एक लाख चार हजार आठ सौ सत्ताइस। जिलेवार आप ब्यौरा जानना चाहते हैं तो, पास बुक किस किस जिले में कितनी कितनी बंटी वह भी बता दूं—

एक माननीय सदस्य : टोटल फीगर बता दी आपने ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : मर्जी है आपकी। मैं तो सुना सकता हूं। वैसे फिर आपकी मर्जी है छोड़ दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : टौंक डिस्ट्रिक्ट में पास बुक नहीं हैं। एक रुपया जमा करा कर लेना चाहते हैं। कलक्टर के पास एक भी पास बुक नहीं है।

श्री राम किशोर व्यास : टौंक का फीगर बताया न आपको।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो बंट गई सब।

श्री राम किशोर व्यास : कमी नहीं है जितनी चाहें ले जायं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा निवेदन है आपके पास रिकार्ड में है खातेदार कितने हैं, काश्तकार कितने हैं टौंक जिले में उतनी संख्या में पास बुक भेज दें।

श्री रामकिशोर व्यास : इस वजह से काम रुका हुआ नहीं है। जयपुर में बहुत सारी पड़ी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : पड़ी हुई हैं तो भिजवा दें।

Page No. 184

श्री राम किशोर व्यास : गलत फहमी यही है घर पर बैठे मिल जाय वह नहीं मिलेगी।

श्री जय नारायण सालेदिया : कलक्टर ने मांग कर रखी है पास बुक भेजी नहीं है। परसों डिसकस हुआ है पंचायत समिति की मीटिंग में। कलक्टर ने कहा गवर्नमेंट से डिमान्ड कर रखी है। गवर्नमेंट भेज रही है।

श्री राम किशोर व्यास : टोंक में 27 हजार पांच सौ भेजी है।

श्री जयनारायण सालेदिया : वह तो बंट गई, भेजी सो तो।

श्री मुकुट बिहारी लाल : इसका मतलब कलक्टर साहब कहते गलत हैं।

श्री जय नारायण सालोदिया : हम कह रहे हैं सो तो सुन नहीं रहे हैं और अपनी ही बता रहे हैं। जिला परिषद् की मीटिंग में डिसकस हुआ था यह कह दीजिये आप कि हम नहीं दे सकते हैं।

श्री राम किशोर व्यास : जितनी चाहें छपी हुई पड़ी हैं, भिजवा देंगे। आप मुझे टेलीफोन कर दें मैं भिजवा दूंगा।

अब रही म्यूटेशन की बात। म्यूटेशन किस किस जगह पेन्डिंग है उसमें देर लग रही है। इसमें दो राय नहीं हैं-केसेज जल्दी से जल्दी निपटें। केसेज इकट्ठे होने का यही कारण था जो कानून था उसकी वजह से बहुत से म्यूटेशन नहीं हुये सक्सेशन का भी नहीं होता था। वह शिकायत सही है। इस वजह से कायदे को बदला गया। इस सदन में बनाकर पेश किया है और जब वह तय हो जाय हिदायतें जारी कर दी गई हैं। एक बार यह आ जाय तो पंचायतें म्यूटेशन, नामान्तरण के मामले तय कर सकती हैं लेकिन पंचायतों को यह अधिकार नहीं है पटवारी को कह सके। इस तरह की हिदायत कर दें कि पंचायत पटवारी को कह सके। इस तरह की बात सदन में आ जाय तो ठीक है।

कुछ जोर इस बात में आया था कि राजस्थान के अन्दर अलग-अलग जिले, अलग-अलग तहसीलों में भू-राजस्व है वह समान नहीं है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी आया भू-राजस्व रहना ही नहीं चाहिये। जो यह दृष्टिकोण है कि भू-राजस्व रहना ही नहीं चाहिये, इसके बारे में गवर्नमेंट का मत है भू-राजस्व रखना जरूरी है। एक दफा यह फैसला गवर्नमेंट ने लिया था कि भू-राजस्व छोटी जोतों पर नहीं लिया जाय लेकिन उसके बाद आम तौर से यह बात आई कि काश्तकार जो अन्न पैदा करता है अगर उसमें गवर्नमेंट लगान नहीं लेगी तो वह जमीन हमसे छीन लेगी . . .

श्री दौलत राम सारण : यह बिलकुल गलत कह रहे हैं आप गलत तरह से बयान कर रहे हैं। किसान के घर में पैदा हुये अनाज को लेने की बात ही नहीं है। सारे इलाके में किसानों की यह शिकायत नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह नहीं कहता कि आप काश्तकार नहीं हैं। होंगे।

श्री दौलत राम सारण : काश्तकार की दलील मत दें। ये कहें कि हमारी नीति नहीं है। स्पष्ट कहें। आर्थिक जमीन पर लगान लेंगे यह अलग बात है। लेकिन किसान के नाम से यह बात कहें तो गैर वाजिब है।

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर से यह बात आ जाय और आम तौर से यह नहीं आ जाय । यह बिलकुल गैर वाजिब है । आपके दृष्टिकोण से ठीक है मैं तो मेरे दृष्टिकोण से कह रहा हूं ।

श्री हीराभाई : आपका दृष्टिकोण साफ हो जाना चाहिये वाकई लाभकर खेती है या अलाभकर खेती है लगान लेंगे। 25 हजार से 60 हजार तक के इन्कम टैक्स को छूट देना चाहते हैं और दूसरी तरफ किसान को...

श्री रामकिशोर व्यास : अभी गवर्नमेंट की नीति नहीं है ।

श्री हीराभाई : फिर किसान का नाम क्यों लेते हैं ?

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कामर्सियल क्राप्स पर लगा दें और अनाज वगैरह पर जो लगान है वह छोड़ दें ।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी बात में काफी वजन है । काफी माननीय सदस्यों ने कहा भू-लगान की दरों के अन्दर राजस्थान में काफी असमानता है वह बात सही है। मैं समझता हूं असमानता है क्योंकि कई जिलों में बहुत ज्यादा है और कई जिलों में बहुत कम है। जयपुर, धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर में बहुत ज्यादा है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : पाली में ?

श्री रामकिशोर व्यास : पाली में भी है। कई जगह है। कहने का मेरा मतलब है कुछ जगह काफी भू-राजस्व है और कुछ जगह भू-राजस्व कम है । बीच में गंगानगर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बारानी भूमि के बारे में, दरों में यह ऐलान किया था कि 25 रु. प्रति बीघे से ज्यादा बारानी का लगान नहीं बढ़ेगा । अब दो सवाल सामने हैं। आज जो आये हैं कुछ मोशन, उनमें एक तो यह है कि चाही की दरें जो हैं नहरी से ज्यादा न हों । दूसरे चाही की दरें कहीं कहीं बहुत ज्यादा हैं उनका समानीकरण होना चाहिये । यह चाही की जमीन में फर्क रहता है और रहेगा । चाही और नहरी जमीनों में प्रोड्यूज में फर्क रहता है। चाही जमीन को इर्रीगेशन के चार्जेज देने पड़ते हैं और जो उनकी वाटर सप्लाई है वह अस्योर नहीं है। पानी पूरी जमीन के लिये नहीं मिलता । एक फसल के लिये एक बार मिल जाता है तो दूसरी बार दूसरी फसल के लिये अधूरा ही रह जाता है और दूसरी तरफ नहरी जमीन इर्रीगेटेड होती है और पैदावार भी अच्छी होती है...

श्री रामचन्द्र आर्य : आपका क्या खर्च लगता है ? आप किस बात का चार्ज ले रहे हैं ? पानी निकलता है, खुद की जमीन है आप किस बात का लेते हैं...

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह कह रहा हूं चाही जमीन और नहरी जमीन में कुछ अन्तर होता है । अब जो सवाल है जो रेट्स चाही की हैं नहरी के बराबर आ जायं, कम बेसी आ जायं, यह प्रश्न है। उसके लिये अभी कुछ कहना मुश्किल है। चाही की रेट्स नहरी के बराबर कर दी जायगीं यह कहना सम्भव नहीं है । इतना जरूर निवेदन कर सकता हूं कि रेट्स रेशनलाईज हों यह एक्टिवली गवर्नमेंट के कन्सीडरेशन में है और उसके लिये सेटिलमेंट प्रोपोजल्स फाइनल करके जो आये हैं

(श्री रामकिशोर व्यास)

किसी तरह समानीकरण हो, इतना निश्चित है । हम कह चुके हैं जहां जहां सेटिलमेंट होगा वहां पर रेट्स का समानीकरण किस आधार पर किया जाय उससे पहले भी करने की बात है एग्जामिनेशन की बात है, एग्जामिनेशन हो रहा है किसी तरह डिसपेरेटी मिटे और समान रूप ला सके इसके लिये हमारा प्रयत्न है लेकिन इतनी समानता लाना मुश्किल है जैसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की जो एक चपरासी है चाहे वह जोधपुर में हो, बीकानेर में हो या जयपुर में एक ही सेलेरी है । एक ही सेलेरी का आधार होता है यह पासिबल नहीं है । समानीकरण का प्रयास है लेकिन फिर भी जो समानीकरण होगा उसमें डिफरेन्स तो रहेगा क्योंकि रेट्स डिटरमिन करने के लिये कोई फैक्टर नहीं है । 20 साल की जो कीमत होती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है । उसका खर्चा कितना होता है वह भी ध्यान में रखना पड़ता है । बहुत सारी बातें होती हैं, साइल इरोजन हैं, इस तरह बहुत सारे फैक्टर हैं । सारे राजस्थान में एक ही रेट हो जाय, हम सोचते हैं राजस्थान को पांच जोन्स में डिवाइड करें और फिर समानीकरण की बात सोचें । मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं रेन्ट रेट्स रेशनलाइज हो । अलग अलग जिलों में बहुत ज्यादा अन्तर है हम समानीकरण के लिए बहुत एक्टिवली कर रहे हैं और इसमें कुछ फैसला कर रहे हैं ।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : समानता लायेंगे वह मिनिमम पर लायेंगे या मैक्सिमम पर ले जायेंगे मैक्सिमम पर समानता होगी तो वेचारे गरीब काश्तकार मर जायेंगे । इसमें ध्यान रखना ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय मंत्री महोदय ने रेट्स के बारे में, लैन्ड रैवेन्यू के बारे में बताया मगर मैंने नाप के लिये कहा उसके बारे में क्या बताया । कोटा डि. में 13 बिस्वा का एक बीघा और टोंक में 20 बिस्वे का एक बीघा है और लैन्ड रैवेन्यू उनकी बराबर है । इसमें भूमि की नाप तो अलग अलग पड़ती है ।

श्री राम किशोर व्यास : सेटिलमेंट होगा तब ठीक हो जायगा ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह रेट्स के बारे में कब तक निर्णय हो जायगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह निश्चित नहीं कह सकते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : क्या राजस्थान में जहां सेटिलमेन्ट ड्यू हो गया है वहां सेटिलमेंट हो रहा है ? और नहीं हुआ है तो क्या राज्य सरकार कराने की स्थिति में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोशिश में है ।

श्री दौलतराम सारण : आपके पास इतना स्टाफ ही नहीं है करायेंगे क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कोशिश करेंगे ।

श्री दौलत राम सारण : आप ऐसी बात क्यों करते हैं जिसमें आपकी इतनी कैपेसिटी

(श्री दौलतराम सारण)
ही नहीं है । 23 वर्ष हो गये आप नहीं करवा रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : अब कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये · · ·

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ड्यू नहीं, ओवर ड्यू हो गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके यहां के लिये कहा, ड्यू हो गया है तो करा देंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्षमा करें, सभापति महोदय · · ·

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! बार बार व्यवधान न डालें ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जहां हमारे कोटा के अन्दर · · ·

श्री शंकरलाल : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सभापति महोदय, जब मंत्री महोदय भाषण दें, तो मैं समझता हूं कि इस पर प्रश्न पूछे जायेंगे तो उपयुक्त नहीं होगा। भाषण पूरा हो जाय, उसके बाद प्रश्न पूछना चाहें प्रश्न तो पूछ लें। मैं समझता हूं कि इससे समय की बचत होगी और माननीय सदस्यों को निश्चित रूप से संतोष होगा, नहीं तो मंत्री महोदय पूरी तरह जवाब नहीं दे सकेंगे। बीच बीच में जो इस तरह की बात होती है, उसके लिए आप व्यवस्था करें कि जब भाषण हो तो बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्या मंत्री महोदय को कमजोर समझते हैं कि अपने राइट को एसर्ट नहीं कर सकते ?

श्री रामकिशोर व्यास : बीच बीच में दखल न करने के लिए कहा है ।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : शंकरलाल जी चेअर से अधिक होशियार अपने आप को समझते हैं और कहना चाहते हैं कि वह चेयर पर आ जायं तो इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

श्री विजयसिंह : शंकरलाल जी को चेअर की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी बेंच पर बैठे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरह बीच बीच में बात करने लग जाते हैं · · · ·

श्री सभापति : बीच बीच में व्यवधान पैदा न करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप मामूली सी बात का जवाब दिलवा दीजिये। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि कोटा जिले में नहर आ गई है, कमाण्ड एरिया हो गया है तो वहां सिंचाई की लगान किस रेट से भरेंगे ? इसका जवाब दे दें।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री !

श्री रामकिशोर व्यास : उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, बहुत से जागीरदारों को, जिनमें खण्डेला के बारे में खास तौर से फर्माया था, मुआवजे की रकम नहीं दी गई है। इसका कारण है, और कारण यह है कि उनके खिलाफ बकाया है। बकाया की वजह से वह रुकी हुई है। उसका निर्णय हो जाय तो कर देंगे।

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरी बात इन्ट्रेस्ट वाली आई। डूंडलोद के केस में हाईकोर्ट ने इन्टरीम पीरियेड का इन्ट्रेस्ट मिले–यह तय किया है। वह मान्य है। उसी रूप में व्यवस्था की जायगी और की जा रही है....

श्री केदारनाथ : अपील नहीं कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत दिन हैं अपील के।

श्री दिग्विजयसिंह : अब दिला देंगे सबको ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसा हाईकोर्ट का फैसला है उसके अनुकूल कार्यवाही की जायगी।

कुछ बातें रेवेन्यू बोर्ड के मुतल्लिक कुछ बन्धुओं ने कहीं, जिनमें इसके फंक्शन के बारे में कहा, जब सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव एण्ड जुडिसियरी हो गया है तो रेवेन्यू बोर्ड में अभी तक मिला जुला चले–यह ठीक नहीं है। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है इस बात का कि रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर एक जुडिसियरी का आदमी और एक बाहर का आदमी शामिल करें। इसके रूल्स फाइनेलाइज हो गये हैं और फाइनल होकर प्रेस में चले गये हैं। सरकार चाहती है जल्दी से जल्दी जो एलीमेंट हो, जुडिसियरी का उसमें एक हो, एक बाहर का शरीक हो। हम यह भी सोचते हैं कि कुछ जजेज खास तौर से केस वर्क करें और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करें। इससे जिस प्रकार की बात आप कहते हैं उस प्रकार का नतीजा उसमें निकल आयेगा। कुछ नम्बर जजेज केसेस का वर्क सम्भालते रहें, कुछ प्रशासनिक कार्य करते रहें। यह होकर आज का रूप नहीं रहेगा और वह हो जायगा जैसा आप फर्मा रहे हैं।

केस वर्क के बारे में बात आई, केस वर्क काफी है–यह ठीक है। गये डेढ साल, दो साल में काफी केस वर्क का डिस्पोजल हुआ है। मैं समझता हूं, अब पुराने केस ज्यादा नहीं है, एक दो पुराने केस होंगे। इस अर्से में रेवेन्यू बोर्ड ने, जहां तक मुकदमों को सुनने का ताल्लुक है, जहां तक फैसलों का ताल्लुक है, काफी बड़ी तादाद में केसेज का फैसला किया है और लोगों को राहत दी है। लेकिन साथ ही साथ नये मुकदमे भी दायर हो जाते हैं, इसलिए करीब चार हजार मुकदमे अभी हैं जो चल रहे है। जल्दी से जल्दी उनका भी डिस्पोजल किया जायगा।

इसी तरह से मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने अदालतों की तकलीफ के बारे में कहा और बताया कि वह मुकदमे काफी लम्बे अर्से तक चलते हैं, तय नहीं होते हैं, डिले इन डिस्पोजल होती है। मैं समझता हूं, यह बात ठीक है। अगर इस तरह की बात है कि मुकदमो में काफी देर हो जाती है तो हम लिखेंगे। यह बात ठीक है कि मुकदमों का जल्दी फैसला करें, एडजोर्नमेंट नहीं दें और जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका फैसला करें।

इसी तरह से यह भी कहा था उनके हल्के में पटवारी की संख्या कम है। यदि

(श्री रामकिशोर व्यास)
निश्चित आधार से कम है तो बढ़ा दी जायगी। वैसे बहुत से लोग पटवारी को नापसन्द करते हैं। मुझे खुशी है, पटवारी की संख्या बढ़ाने की बात की है। वैसे पटवारी जिस हिसाब से रखे जाते हैं उससे कम हैं तो और बढ़ा देंगे।

कई जगह, अभी माननीय सदस्यों ने यह बात कही, पैनल्टी अब भी वसूल की जा रही है और आदेश यहां से दिये हैं कि वसूल नहीं की जाय। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस तरह के आदेश 13-14 अप्रेल को जारी हो चुके हैं जिनके जरिये से तमाम वसूलियां स्थगित कर दी गई हैं जून तक। इसमें दो अलग अलग टुकड़े हैं- एक तो वह है जिनमें आम तौर से पेनेल्टी माफ की है। दूसरी वसूली स्थगित की है, वह अनाज के भाव गिर जाने को वजह से जून तक की है। यह दो तरह के अलग अलग टुकड़े हैं, जो पेनेल्टी रेगुलर वसूली की है उसमें तय किया था कि आयन्दा 15 बीघा तक जिसके पास जमीन है वह रेगुलराइज कर दी जायगी और पेनेल्टी चार्ज नहीं की जायगी, जो चार्ज की गई है वह एडजस्ट कर दी जायगी। इसके आर्डर जारी हो गये हैं और वह सब जगह पहुंच गये हैं। अब नीचे के लिये बताया कि कहीं कहीं वसूली हो रही है, तो जहां के लिये बताया है वहां लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है! और जानकारी करके इसको तय कर देंगे। दूसरा सवाल आया था कि वह आर्डर जारी नहीं हुए, पहुंचे नहीं, जिनमें जून तक स्टे करने की बात थी सब तरह की वसूली की क्योंकि अनाज के भाव गिर गये हैं और बहुत से काश्तकारों को तकलीफ है। तो वसूली जून तक स्थगित की है- यह आर्डर हो गये है . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : 13 को नहीं हुए हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह 27 का है, वह 13 का है। पहले वाला 13 का है और वह 27 का है।

श्री दिग्विजयसिंह : (श्री रघुनाथ विश्नोई से) बाद में पूछना आप।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : रजिस्ट्रेशन के बारे में।

श्री रामकिशोर व्यास : रजिस्ट्रेशन के बारे में आपने कहा कि सब रजिस्ट्रार पैसा लेते हैं। इसको हम तहकीकात करने को तैयार हैं। आप कोई केस बता दें, हम तहकीकात कर देंगे।

श्री दौलतराम सारण : आप कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां पैसा नहीं लेते हों। राजस्थान में कोई ऐसी जगह बता सकते हैं?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : हर जगह है।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां पैसा लेते है ऐसा केसे आयेगा तो हम अपने तरीके से जानकारी करेंगे, कलेक्टर को हिदायत देंगे कि वह निगाह रखें। आप

(श्री रामकिशोर व्यास)
भी बतायें तो कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप कहीं मत जाइये, कोटा जिले को ही देख लें, वहां पर दस पर्सेन्ट आम है। आप कोई गुप्त एजेंसी, सी. आई. डी. या किसी अन्य व्यक्ति से जांच करा लें। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जो भी रैवेन्यू अधिकारी कोटा जिले में है उनके एक एक लाख के मकान हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरी बात रैवेन्यू लाज के बारे में आई कि रेवेन्यू लाज को इकट्ठा नहीं किया गया है, इससे काफी डिफीकल्टी है। बक्तन फवक्तन रेवेन्यू लाज में जो अमेंडमेंट होते रहे हैं, वह सब कम्पाइल करके पब्लिश हो चुके हैं, वह 1966 तक के हैं। 1966 के बाद के कम्पाइल नहीं हुए हैं। यह बात सही है कि 1966 के बाद के का कम्पाइलेशन नहीं हुआ है, उसका भी कर देंगे।

एक बात जागीरदारों के तालाब के सम्बन्ध में कही गई। जिन तालाबों से आबपाशी होती थी वह पर्सनल पेटे में आ गये, तो कास्तकार जो पहले उनसे पानी लेते थे यह नहीं ले सकते हैं। मेरी अर्ज है कि जहां जहां पर तालाबों को एक्वायर करने की जरूरत होगी उसके लिए कार्यवाही की जायगी। आम तौर से कहना मुनासिब नहीं है कि सभी तालाबों से आबपाशी होती थी, जहां जहां होती थी और पब्लिक के काम आते थे वहां एक्वायर करने की कार्यवाही करेंगे . . .

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात चम्बल कोटा के लिए आई थी कि वन विभाग और राजस्व विभाग में एलाटमेंट के मामले में कुछ सामंजस्य नहीं होता। जहां तक एलाटमेंट का सवाल है, रेवेन्यू विभाग करता है। चंबल रैविन्स के अन्दर और वन विभाग के भी है, वहां कुछ पेड़ लग सकते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बात तालमेल की होगी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मामले में डिफीकल्टी की बात होगी तो उसको हल कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा की सीलिंग की जांच कमेटी आपने बराया की अध्यक्षता में मुकर्र की थी, श्री एस. पी. सिंह भंडारी . . .

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे जैसे आपकी स्पीचिज हैं वैसे मैं आ रहा हूं। कोटा सीलिंग के बारे में वह रिपोर्ट जिसमें कि सीलिंग इग्जेमिन करने की बात थी और जो सीलिंग की बात कही गई है उस लिहाज से रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है, जल्दी फैसला कर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब तक हो जाएगा? सीलिंग से सम्बन्धित कागजात और पेंडिंग पड़े हैं, जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक उनका निपटारा कैसे होगा? कब तक घोषणा कर देंगे?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट मेरी लेविल पर नहीं आई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गवर्नमेंट के पास आ गई?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी लेविल तक नहीं आई।

Page No. 191

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये गवर्नमेंट में शामिल थोड़े ही हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सदन के अन्दर जानकारी देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : पूछेंगे तो बताऊंगा, रिपोर्ट इग्जामिन हो रही है। रिपोर्ट मेरे पास अभी नहीं आई है। जल्दी से जल्दी फैसला करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सीलिंग के अन्दर सारी कार्यवाही चल रही है। साधारण प्रश्न था कि गंगानगर के समकक्ष कोटा को रखा जाए। इसलिए कमेटी बनी है, अगर निर्णय जल्दी हो जाता है तो कम से कम जो मामले पेंडिंग पड़े हैं वह नहीं रहेंगे, मालूम हो जाएगा।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं सहमत हूं कि जो रिपोर्ट है, समय पर आ जानी चाहिए। जिस किसी को फायदा मिलना हो तो मिले। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह आश्वासन चाहता हूं कि यह सत्र चल रहा है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है जब आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है सरकार के पास उसके बाद अब आपके सामने क्या दिक्कत है 2–4 दिन में फाइल देख लें और निर्णय ले लें। आप यह आश्वासन दे दें कि इस सत्र के अन्दर...

श्री रामकिशोर व्यास : इतना ही कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी...

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सत्र के अन्दर सदन को जानकारी देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। गोयल साहब ने कहा, मैंने जवाब में कहा, मैं समझता हूं रिपोर्ट में फेवर की कोई बात हो तो जल्दी फैसला करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सत्र के अन्दर देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख कैसे मुकर्र करें ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सत्र में।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी नहीं कह सकता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्यों नहीं कह सकते ? मन्त्री महोदय के पास जब रिपोर्ट आ गई...

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट जो है कैबीनेट में जाएगी, सरकार इग्जामिन कर रही है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितना समय लगेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रेग्यूलराइजेशन केसेज में पैसा लेता है। कलक्टर को लिखेंगे कि रेग्यूलराइजेशन के मामले जितने हैं, वह जांच करें, अगर दोषी हों तो उनको सजा दें और आप भी मदद दे सकते हैं तो दें।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: आप कलक्टर को लिखेंगे कि रेग्यूलराइजेशन के बारे में पैसा

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

लेने की शिकायत आई है। लेकिन जांच कौन करेगा ? बयाना तहसील...

श्री देवीदत गाडिया : सारे राजस्थान में है।

श्री राम किशोर व्यास : सारे हिन्दुस्थान में है। आपने जहां के लिए कहा है, वह जांच करेंगे और आपकी मदद की जरूरत पडेगी तो...

श्री मुकुटबिहारीलाल : कलक्टर साहब के नोटिस में तमाम चीजें ला चुका हूं परन्तु आज ए० डी० एम० लेविल तक वह बात है इसलिए किसी दूसरे अधिकारी को भेज दें रेवेन्यू बोर्ड से।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर हम और आप कलक्टर को...

श्री मुकुटबिहारीलाल : बराया साहब हैं या और किसी अधिकारी को भेज दें।

श्री रामकिशोर व्यास : पहले कलक्टर से जांच करायेंगे। अगर उसके बाद सैटिसफाई नहीं होंगे तो दूसरे आफीसर से करायेंगे इनीशिली कलक्टर से करायेंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल : आप चाहते हैं कि मामला वहीं ही समाप्त हो जाए ?

श्री राम किशोर व्यास : कलक्टर के बारे में मैं ऐसी बात को नहीं मानता।

श्री मुकुट बिहारी लाल : वह सीधा आदमी है रेवेन्यू के बारे में।

श्री राम किशोर व्यास : कलक्टर से कहूँगा कि जांच करें, हम डिस्सैटिसफाइ होंगे तो दूसरे को देंगे, इतना ही निवेदन करना था। बाकी कटौती प्रस्तावों के जवाब भेज दूंगा।

श्री विजयसिंह : मकराना पटवारी के बारे में बताइए ?

श्री राम किशोर व्यास : सवाल भी आपने पूछा था इस बारे में उसकी इन्क्वायरी हो रही है।

श्री विजयसिंह : रसीद उसके हाथ की लिखी हुई सदन में रखी गई है। इसको सस्पेंड करना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : असली है, जांच से पता चलेगा।

श्री विजयसिंह : असली है।

श्री राम किशोर व्यास : जांच की रिपोर्ट आएगी....

श्री विजयसिंह : इन्क्वायरी कहां हो रही है ? वह कहते हैं विधान सभा वाले रसीद नहीं बता रहे हैं। आप इस मामले को खाते में डाल रहे हैं।

श्री हीराभाई : मंत्री महोदय ने कहा कि जो पेनल्टी वसूल की गई है वह भविष्य में उनको मुजरा दी जाएगी। मैं यह मानने को तैयार हूं लेकिन किसान पर कर्जा है लगान तो दो-दो चार-चार या 15 रुपए आएगी लेकिन 250-500) वसूल कर लेते हैं तो उस बारे में आप वापस देने के लिए तैयार हैं या मुजरा देते रहेंगे ?

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री मदन सिंह : मुजरा देंगे तो ब्याज कौन देगा ?

श्री हीराभाई : मुजरा देने का प्रावधान है नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : जब गवर्नमेंट आर्डर हो गया है उसके बाद में तहसील लेविल पर गल्ती हो गई है, किसी बनिये से हम 500 ले लेते हैं तो ब्याज हम देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : गल्ती नहीं की है। पेनल्टी ला के अनुसार वसूल की गई। सरकार ने डिसीजन लिया क्योंकि लोगों को दिक्कत है इसलिए वसूल नहीं करना चाहते।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : तहसील छबड़ा में 75 नम्बर जमीन का एलाटमेंट किया गया पटवारी ने 76 नम्बर पर दे दी। काश्तकार ने 76 नम्बर पर काश्त कर लिया। वहां ट्रेसपासर हो गया और 75 पर दूसरे ने काश्त कर ली। ऐसे केसेज का क्या करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जानकारी करके जो उचित कार्यवाही होगी करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने खंडेला जागीरदार के बारे में, सदन में भी यह प्रश्न आया था और जो वित्त विभाग का लेटर मिला वह भी मैंने बताया था। वित्त विभाग से होकर आया, अकाउंट्स सेक्शन से भी होकर आया, जागीर कमिश्नर के पास से होकर आए। अब उनका बकाया और इन्टेरिम कम्पेन्सेशन नहीं दिया, कब तक निर्णय कर देंगे ? उनके पास रेकार्ड मौजूद है दूसरी बात आपने कहा हाई कोर्ट से फैसला हो गया उसको आप मानेंगे। वह जो रकम आपको देनी है, उसके लिए आप आदेश कब तक देंगे यह रकम जागीरदारों की जो ड्यू है दी जाए।

तीसरी बात, जागीरदारों के जो तालाब हैं उनके अन्दर ऐसी परिस्थिति है कि उनको हम एक्वायर कर लेंगे। उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो तालाब जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत जागीरदारों की निजी सम्पत्ति घोषित की गई है और उनकी प्राइवेट प्रापर्टी मान ली गई है, उसको आप किस प्रकार से एक्वायर करेंगे ? एक्ट में साफ लिखा है कि यदि तालाब और उसका पेटा नीचे की जमीन दोनों में पानी जाता है तब तो जागीरदार की सम्पत्ति मानी गई है और नीचे काश्तकार की है तो सिर्फ प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट के रूप में जागीरदारों को अधिकार दिया गया है। ऐसी हालत में जागीरदार को मना करने का प्रश्न नहीं उठता। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली एप्रूव करा दें नहीं तो आप एक्वायर नहीं कर सकेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : तालाब जो पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेयर हो गये हैं और जहां जरूरत समझेंगे पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लेना जरूरी है तो कायदे कानून के अनुसार करेंगे। खंडेला वाला का जैसा मैंने कहा जागीर कमिश्नर को कहेंगे कि जल्दी करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : इन्ट्रेस्ट वाला मामला ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे आदेश की जरूरत ही नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला हो गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : कई जागिरदारों ने मांग की है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे यहां से रुकावट नहीं होगी।

श्री दिग्विजयसिंह : आप इजाजत दे दें।

श्री मदनसिंह दांता : आपके यहां से रुकावट है। आप सुप्रीम कोर्ट में आगे नहीं करेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : जाना हो तो जा सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : गवर्नमेंट जा रही है सुप्रीम कोर्ट में।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने यह कहा है कि जा सकते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : जागीर कमिश्नर को डाइरेक्शन क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हाई कोर्ट का फैसला मान्य है।

श्री मदनसिंह : 30 हजार आदमियों का सवाल है। न तो हर एक कोर्ट में जा सकता है।

श्री सभापति : काफी हो चुका है।

श्री मदनसिंह : दुख होता है। छोटे-छोटे जागीरदारों के लिये एप्रोच किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है और प्रान्सिपल एक्सेपट किया है उसको हम मानने के लिये तैयार हैं।

श्री दौलतराम सारण : सभापतिजी मैं यह जानना चाहता हूं राज्य सरकार से कि सदन में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था और उसके बाहर माननीय राजस्व मंत्रीजी ने विरोधी दल के सब मुखियाओं को बुला कर यह निश्चय किया था अध्यक्ष महोदय के सामने कि 62 से 69 तक कितना आवंटन हुआ है। उनमें सरपंच प्रधान, प्रमुख, एम.एल.ए., एम.पी. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने गैर वाजिब तरीके से, गैर कानूनी ढंग से अलाटमेंट करवा लिया अधिकृत न होते हुए भी, ऐसी सारी जमीनों को खारिज करके दूसरा आवंटन कराया जायगा। दो सेशन निकल गये। तीसरा सेशन है, उस जांच के सम्बन्ध में अब तक सदन को कोई सूचना नहीं दी गयी है। उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई है ?

अनार्थिक जोत के लिए सरकार का क्या निश्चय है ? अनार्थिक जोत पर लगान बरकरार रखना चाहते हैं या माफ करना चाहते हैं। यह मैं जानना चाहता हूं। नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

तीसरी बात यह जानना चाहता हूं कि यह जो भूमि का लगान लिया जाता है भूमि कर इसके बारे में आपने कहा कि सब जगह होना सम्भव नहीं है। मेरा यह पूछना है कि जब आप भूमि की किस्म करते हैं और उस किस्म में समता है कानून के मुताबिक साइल क्लासिफिकेशन करते है और आपका फार्मूला है उसके अनुसार दर निश्चित करते हैं, भाव कीमत आदि सारी बातें देखते हैं। उसी फार्मूले के हिसाब से भूमि की किस्म का लगान तय करते हैं उसी भूमि पर एक जगह लगान कुछ है और दूसरी जगह कुछ है फिर आप कहते हैं कि

(श्री दौलतराम सारण)

समानीकरण करना चाहते हैं। जब उसकी किस्म एक प्रकार की है। उसकी उर्वरा शक्ति है और मार्केट वेल्यू आदि पर तय किया है तो डेस्पिरैटी होने का समानीकरण न होने का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : स्पीकर साहब के कमरे में एक मीटिंग हुई। प्रधान, उप प्रधान, सरपंच आदि को अलाटमेंट हुआ।'

श्री दौलतराम सारण : सरकारी कर्मचारी।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना स्पीकर साहब को दे दी गयी है। फहरिस्त हमने दे दी। रेट्स के बारे में कहा। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स और चपरासी की सेलेरी मुकर्रर है। राजस्थान में यह नहीं कह सकते हैं पांच रुपया और सात रुपया ही लिया जायेगा। सेटलमेंट साइन्टिफिक आधार पर करना पड़ेगा।

श्री दौलतराम सारण : साइल क्लासिफिकेशन के अनुसार कह रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : उस लिहाज से तो आवेगा।

श्री दौलतराम सारण : साइल क्लासिफिकेशन के आधार पर नहीं रखा जावेगा तो अब तक लगान लिया जा रहा है उसको ध्यान में रखा जायेगा। आस-पास को देखकर एडजस्ट कर दिया जायेगा, मान लीजिए कि जयपुर में एक जगह की एक केटेगरी की जमीन आती है और दूसरी जगह दूसरी केटेगरी की आती है तो समानीकरण नहीं होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यही तो दिक्कत है। क्या-क्या प्रोडक्शन हैं यह देखना पड़ेगा।

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं देखा जाता है यही तो मुश्किल है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह देखा जायेगा।

श्री केदारनाथ : कितने एन्क्रोचमेन्ट को कितना रेगुलराइज किया है और वह कितनी जमीन होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए तो नोटिस की जरूरत है।

श्री केदारनाथ : एन्क्रोचमेंट को रेगुलेराइज कर दिया, राजस्थान केनाल और भाखरा में भूमि पर कब्जा कर लिया वहां क्या दिक्कत है। गश्त गिरदावरी और बेसिक रिकार्ड में तो सब टिनेन्ट का नाम जोड़ दें।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने कहा उसको उचित समझता हूं। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है आपने यह बात कही सब टिनेन्ट का ट्रांसफर खसरा गिरदावरी में करें। करप्शन आदि की शिकायतें आयीं। 2019 के बाद इन्द्राज खसरे में करना बन्द कर दिया। सब टिनेन्ट का कोई रेकार्ड नहीं रहा। सब टिनेन्ट कौन है और कौन नहीं यह पता नहीं लगता। अधिकार देने की बात है, सोचा यह है कि 2019 के बाद का रिकार्ड नहीं है इसलिये यह फैसला किया है कि सब टिनेन्ट रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा

(रामकिशोर व्यास)

सकता है। रेवेन्यू लाज कमीशन ने भी यही कहा है।

दूसरा एक और फैसला किया है। खातेदारी राइट्स हैं टिनेन्सी एक्ट के जरिए से 55 के अन्दर देते हैं। उसके बाद उसमें कोई प्रोविजन नहीं था, उसके बाद के एलोटीज ही में उनकी खातेदारी के बारे में क्या होगा। कैसे दी जावेगी। अलाटमेंट रूल्स में यह प्रोविजन है कि दस साल के बाद खातेदारी हकूक मिल सकते हैं ट्रान्सफर करने का प्रोविजन नहीं था। मेजर डिसिजन यह लिया कि रूल्स में प्रोवाइड किया है, आप भी पसन्द फरमायेंगे कि जितने अलाटीज हैं जिनको दस वर्ष हो गये, जस्ट टिनेन्ट हैं, उनको आटोमेटिकली खातेदार मान लिया जाय। दस वर्ष का पजेशन रह गया है उनको एप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 55 में टिनेन्ट रिर्काडेड था उनको खातेदार मान लिया है। दस साल जिनको हो गये हैं उनको खातेदार सुप्रो मोटो मान लिया जावेगा।

श्री शंकरलाल : दस साल की जगह पांच साल कर दें तो और भी अच्छा हो।

श्री रामकिशोर व्यास : रिवर बेड में कल्टीवेशन होता है और टैंक बेड्स में। रिवर बेड्स का मैं कहता हूँ कि इनमें हर साल अलाटमेण्ट होता है। इसमें काफी घपले होते हैं बाज वक्त तो ऐन टाइम पर होते हैं। खेती हो नहीं पाती। इसलिये तय किया है कि रिवर बेड्स में बजाय एक साल के पांच साल के लिये अलाटमेन्ट हो। हर साल करने की जरूरत नहीं है। एक और डिसीजन भी लिया है। डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी शिकायत थी कि गवाई जमीन में चारा इकट्ठा होता है या खलियान वगैरह बनाते हैं तो उन पर दफा 91 के मुकद्दमे बन जाते हैं। इस बारे में अब यह फैसला किया है कि आइन्दा उन पर 91 के केसेज नहीं बनेंगे। काश्तकार चारा इकट्ठा कर सकेगा या खलिहान बना सकेगा पर उसका हक नहीं पैदा होगा उस पर।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): बन्धों में जमीन डूब में आगई है, पर मुआवजा नहीं दिया गया उन पर 10-15 साल का लगान भी चढ रहा है?

श्री रामकिशोर व्यास : मिडियम और मेजर प्रोजेक्ट्स में जो जमीनें डूब में आयी हैं उनको कहीं और जगह मुआवजे की जमीन दे या कि पास में या कैश में दें यह प्रश्न है इसमें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जो डूब में आ गई है वे तो यह कहते हैं कि वह खाली हो तब तो कल्टीवेशन तो करें। अब जब तक फाइनल अवार्ड नहीं होता है उस समय तक रेवेन्यू विभाग किस तरह ट्रीट करेगा?

श्री रामकिशोर व्यास : रेवेन्यू विभाग को बता दिया जावेगा कि डूब में आई है तो लगान नहीं लेंगे।

श्री केदारनाथ : कानूनी तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट एवं ट्राइब्ज के लोग गैर हरिजनों को बेच नहीं सकते थे पर इसमें भी कुछ इल्लीगल ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं। उनको वह वैसी जमीनें वापस मिल जावे इसके बारे में आपने क्या किया?

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ पोइण्टस क्लीयर हो रहे हैं। इस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की जमीनें हैं उनमें रूल्स के वायोलेशन भी हुए हैं। ऐसी जमीनें खरीदी हैं, लोगों ने ली हैं पर गवर्नमेण्ट के ध्यान में ऐसी बातें बहुत देर से आती हैं। इस बारे में निवेदन करना है कि सदन में ही हमने अधिनियम बनायें हैं पहले एप्लीकेशन के लिये तीन साल की मियाद थी उसको इसी कारण से बढ़ाकर बारह साल किया है।

दूसरा जो है यह भी हुआ है आपने सुना होगा कुछ लोगों ने मजहब बदल कर के भी जमीनें अपने नाम ट्रान्सफर कराली हैं। ऐसे केस भी नोटिस में आये हैं इसके लिये भी बिल इन्ट्रोड्यूस किया है। इस प्रकार के ट्रान्सफर्स को नहीं माना जावेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : कुछ केस ऐसे भी हुए हैं तहसील शाहबाद किशनगंज में जो सहरियों की जमीन थी उसको लोगों ने जबरन लेकर कब्जा कर लिया है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं बताता हूं ग्राम है चण्डालिया वहां 63 सौ बीघा जमीन पर बड़े आदमियों ने कब्जा कर लिया। अब वे कहते हैं कि जमीन हमारी है और सहरिया कहते हैं कि हमारी है। पैसे के बल पर वे कोर्ट से स्टे ले आये हैं। इसलिए उस जमीन पर सहरियों का कब्जा नहीं हो पा रहा है। यह बात आपके सारे अधिकारी जानते हैं फिर भी आप चुप बैठे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते?

श्री रामकिशोर व्यास : जिनमें कोर्ट से स्टे आ जाता है उनके खिलाफ हम कार्यवाही नहीं कर सकते–एक बात। दूसरी आपकी जो बात है स्वर्णसिंहजी वगैरह के बारे में उसके लिये हमने रामसिंहजी को अपोइण्ट किया है।

श्री देवीदत्त गाडिया : एक बार ट्रांसफर कमिट हुआ नहीं। माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने कहा वह मानता हूं पर आपसे निवेदन करता हूं कि रामसिंह जी को यह कहें कि वे एक बार शाहबाद किशनगंज तहसील में जल्दी जाकर जांच करें तथा वे कब जा रहे हैं उसकी तिथि मुझको बता दें। मैं जांच में उनकी मदद करवा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री रामसिंह जी रिटायर हो गये हैं क्या यह सही है?

श्री देवीदत्त गाडिया : फिर कौन करेगा जांच?

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस पर बहस न करें।

श्री देवीदत्त गाडिया : सभापति महोदय, किशनगंज शाहाबाद तहसील में छबड़ा को आपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है। राजस्व विभाग ने जमीन अलोट की है उस जमीन को क्यों नहीं देते। ऐसी जमीन बीस हजार बीघा है। आपकी क्या नीति है?

श्री रामकिशोर व्यास : जानकारी मिली नहीं है।

(शोरगुल अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया : मुझे केवल एक सवाल पूछना है छोटा सा···

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती सुमित्रा : चेयरमैन महोदय, क्या मंत्री इस तरह से सवालों के जवाब देते ही रहेंगे ? यह परम्परा अच्छी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह परम्परा बन चुकी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तालाबों की पेटा काश्त जमीन अलाटमेण्ट कमिटी समय पर अलोट नहीं करती है इस कारण अगर कोई उनमें काश्त कर लेता है तो उनसे पेनेल्टी वसूल की जाती है तो क्या सरकार उन पैनेल्टीज को भी माफ करने का इरादा रखती है ? क्योंकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है ? समय पर तहसीलदार अलोट नहीं करता। ये जमीन काश्त हो जाती हैं फिर पेनेल्टियां वसूल होती हैं। निवाई में ऐसी वसूलियां आज भी की जा रही हैं। क्या सरकार इनको माफ करेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : हरेक केस मेरिट पर सोचना पड़ेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने क्या कहा मैंने सुना नहीं।

श्री सभापति : मेरिट पर निर्णय होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सर्कुलर से कवर होता नहीं है इसलिये ओन मेरिट पर देखो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भीलवाड़ा जिले में सेटलमेंट हो गया है पर लगान के लिये तय नहीं हुआ है क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि लगान की दर जो इस समय है कम से कम उससे बढ़ेगी तो नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बढ़ेगी तो मुनासिब बढ़ेगी।

श्री सभापति : श्री वन मन्त्री जी।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि . . .

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : जो जमीन राजाओं की जमीन मानकर चल रहे थे उसका क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें अपील करनी हैं रिवीजन बैंच के सामने।

श्री सभापति : इसकी चर्चा समाप्त हुई। श्री वन मन्त्री जी।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति महोदय, जिला परिषद् ने पास किया है।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामकिशोर व्यास : जिन हालतों में हुआ है, जानकारी में आ गया है कलेक्टर को लिख दिया है कि आयन्दा से ऐसा न करें।

श्री कल्याण मल : पटवारी वसूली कर रहे थे।

श्री श्रवणलाल : जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज को जमीनें अलोट हुई हैं और जिनको अब तक कब्जा नहीं दिया गया और उन व्यक्तियों को क्या आगे आने वाली फसल से पहले पहले कब्जा दिला दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर दिला दिया जायगा ।

श्री रामकिशोर व्यास : उनको जरूर दिलाया जायेगा और कलक्टर को अप्लाइ करें या मेरे नोटिस में लायें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वन मंत्री महोदय के भाषण की सीमा निर्धारित की जाये । जैसे सभापति महोदय आप माननीय सदस्यों के भाषण के लिये समय सीमा निर्धारित करते हैं ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : वैसे तो आप दस मिनिट में ही भाषण समाप्त कर सकते हैं यह कह कर कि भ्रष्टाचार की जांच करेंगे और वनों की रक्षा करेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है । वह यह है...

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सवाल जवाब में समय समाप्त न करें ।

श्री दिग्विजय सिंह : कटमोशन का जवाब जो यहां पर रखे हैं उपमंत्री जी दे दें और जो नीति सम्बन्धी बात हो वह वन-मंत्री जी कह दें ।

श्री सभापति : वन मन्त्री महोदय ।

श्री नारायणसिंह मसूदा (वन मन्त्री) : सभापति महोदय, आज माननीय सदस्यों ने कई सुझाव, बड़े उपयोगी सुझाव वन संबंधी दिये हैं जिससे काफी रोशनी मिली और उसके लिये मैं उनका बड़ा आभारी हूं ।

सबसे पहली जो उणियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की कि वन से आमदनी घटती जा रही है और खर्चा बढ़ता जा रहा है । इस विषय के अन्दर थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा । वर्ष 1966–67 में 114.28 लाख वनों से आय थी जहां आयोजना भिन्न खर्चा 61.65 लाख और योजना व्यय 48.54 लाख था जो कुल 110.19 लाख था वर्ष 1967–68 में आय 117.77 लाख थी और आयोजना भिन्न व्यय 71.98 व योजना व्यय 44.96 लाख कुल खर्चा 116.94 लाख था । वर्ष 1968–69 में आय 93.30 लाख प्लस 00.49 लाख ग्रास इन्कम थी...

श्री दौलतराम सारण : यह तो पढ़ा हुआ मान लिया है । आगे चलिये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह आंकड़े तो किताब में देख लिये हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय दो मंत्रिमण्डल के ऐसे सदस्य हैं जो बोले नहीं और दूसरे बिठाने पर बैठे नहीं ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार इन आंकड़ों को देखने से ऐसा लगता है कि यह आमदनी वर्ष 68–69 से कम हुई है और 70–71 में भी यह कम रही है ।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पहले ठेकेदारी प्रथा थी उसके बारे में आप सब जानते हैं। परन्तु इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जो यह ठेकेदारी प्रथा थी, उसको हटा कर यह स्टेट ट्रेडिंग रखा गया है। स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर बहुत विवाद है। बहुत लोग यह चाहते हैं कि यह खत्म हो जाये और मुझे इस बात पर ऐतराज है। इस विषय के अन्दर मैं माननीय सदस्यों से प्रेरणा चाहता हूं, उनसे सहयोग चाहता हूं। अगर उनका मानस इस तरफ रहा तो निश्चित रूप से न केवल स्टेट ट्रेडिंग सफल होगा। ठेकेदारी प्रथा के जो अवगुण हैं वे सब साफ हो जायेंगे। स्टेट ट्रेडिंग का जो एरिया है उसके अन्दर ठेकेदारों के मार्फत 1963–64 में 34331 एकड़ में कोयले व लकडी के कूप बनाये गये और उस से आय 25 लाख 60 हजार हुई वर्ष 1964-65 में 35146 एकड़ में 26 लाख 25 हजार की आय हुई वर्ष 1964–65 में 35834 एकड़ से 35 लाख 16 हजार की आय रही वर्ष 1966–67 में 37419 एकड़ से 34 लाख 55 हजार की आय हुई और 1967–68 में 40 हजार एकड़ में 32 लाख 55 हजार की आय हुई है। इसके अन्दर अधिक से अधिक एक्सपलाईट हुआ है। इसके बाद वर्ष 1968-69 में स्टेट ट्रेडिंग आया और उस वक्त केवल 150 एकड़ का ऐक्सप्लाइटेशन किया गया जिससे 42 हजार की आय नेट हुई। इसके बाद वर्ष 1969–70 में 9260 एकड़ का एक्सप्लाइटेशन किया गया और उससे नेट इनकम 23.43 लाख थी। वर्ष 1970–71 में 11756 एकड़ का ऐक्सप्लाइटेशन किया गया और 32 लाख नेट इनकम रही। अगर पूरी खास आमदनी ली जाये तो वह 65 लाख हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ठेकेदारी प्रथा से जहां इस एरिया के अन्दर 32 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख की आमदनी हुई थी वहां इस स्टेट ट्रेडिंग के मार्फत 65 लाख की आमदनी हुई और उससे कम एरिया में 30 हजार एकड़ के बजाय 11 हजार एकड़ में ही एक्सप्लाइटेशन करके इतनी आमदनी हुई है। इस विषय में स्टेट ट्रेडिंग ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है उसका एवरेज आपको निवेदन करें तो जहां ठेकेदारी प्रथा से 76,75, और 100 रुपया प्रति एकड़ का एवरेज था वहां स्टेट ट्रेडिंग में 280,255 और 273 रुपया प्रति एकड़ का एवरेज आया है। इस प्रकार यह स्टेट ट्रेडिंग कम कर रहा है और जब वह बन रहा है वह एक स्थिति को प्राप्त कर रहा है और उस पर कोई आघात लगता है, और मैं जानता हूं कि कई तरफ से, यहां से ही नहीं बाहर से भी उसके खिलाफ आवाज आती है। तो इसका यह मतलब है कि हम पीछे की ओर, ठेकेदारी प्रथा को रिलेप्स हो। रिलेप्स उसको कहते है जिस प्रकार एक बीमारी से छूटा हुआ पीछा बीमारी में पकड़ा जाये, उसे रिलेप्स हुआ कहते हैं। उस लिहाज से मैं यह कह रहा हूं। अगर माननीय सदस्यों की प्रेरणा और सहानुभूति इसके साथ नहीं मिलती है तो यह कह सकता हूं कि कोई नया काम शुरू किया जायेगा तो पहले उसमें त्रुटियां होना स्वभाविक है। लेकिन एक इस बात की मेरे आफिसरों को दाद देना पड़ेगा जिन्होंने स्टेट ट्रेडिंग को शुरू करके तीस साल के

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
अन्दर 11 हजार एकड़ में ही डबल आमदनी इसके अन्दर करके दिखाई है, डबल आमदनी इसके अन्दर शुरु कराई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मन्त्री महोदय जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है वापिस ठेकेदारी पर जाना नहीं हो सकता है। अगर यह दबाव आयेगा तो उदयपुर डिवीजन से आयेगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : बिल्कुल नहीं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज!

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने जो प्रोफिट निकाला है.......

श्री सभापति : पहले माननीय मन्त्री महोदय, अपना उत्तर देंगे। माननीय सदस्य जो प्रश्न करें, उत्तर नहीं दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय, भूल जायें तो क्या करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार 11 प्रतिशत से अधिक इसमें नहीं आ पाया है। कोई भी व्यापार हो शुरू-शुरू में उसके अन्दर ज्यादा खर्च आता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर आधा एरिया बल्कि आधे से कम एरिया में जो ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, उसमें कम खर्च में यह हुआ है। इसी कारण स्टेट ट्रेडिंग को रखा गया है।

श्री देवदत्त गाडिया : भावों के बारे में क्या है? मोनोपोली होने पर कीमत ज्यादा वसूल करते हैं। लकड़ी ढाई रुपये मन मिलती थी। आप 5 रु. में देते हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर में कोयला थोक का थोक भाव 38 रु. प्रति क्विण्टल, फुटकर 40 रु. है। बाजार में थोक 42 रु. है और फुटकर 45 से 50 रु. तक है। जोधपुर में कोयला थोक थोक 37 रु. है और फुटकर 40 रु. है। बाजार भाव थोक 40 रु. में है और फुटकर 45 से 60 तक है। इसी प्रकार कोटा में कोयला थोक थोक 33 रुपये हैं और बाजार थोक 35 रुपये और फुटकर 37-50/40 रुपये है। इस प्रकार से लिस्ट काफी लम्बी हो जाएगी। जो स्टेट ट्रेडिंग की टालें हैं, उनमें काफी फर्क आया है। बांसवाड़ा के लोगों ने मांग करके टालें लगवाई हैं। वहां लोगों को फायदा हुआ है। इससे बिल्कुल स्पष्ट है। मैं निवेदन करूं कि आगे भी जो आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। रूरल वर्क प्रोग्राम अधिक से अधिक किया गया है। जो सेन्ट्रल स्पोंसर्ड है। जहां इसकी शिकायत है, वहां पर तीन साल के अन्दर इस प्रकार से अधिकारियों ने काम किया है तो वह वाकई में प्रशंसा के पात्र हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया। तेंदू पत्ते के बारे में भी हम सोच रहे हैं। लेकिन इसके बारे में यह है कि हम सारे राजस्थान में करें। मान्यता यह है कि सारे राजस्थान में किया जाये तो उसके अन्दर फायदा हो सकता है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में किया जाये तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाये इस प्रकार से चोरी की पोजीशन आ सकती है। पूरे राजस्थान में इस प्रकार से सहयोग मिलेगा राष्ट्रीयकरण हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि वनों के ग्रास की बात की जाती है। पोलिटिकल/लीडर-

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

शिप का आधार बताया जाता है। इमारती लकड़ी का भी सवाल उठाया जाता है। कि ज्यादा इमारती लकड़ी दी जानी चाहिए। कन्सेशन की ज्यादा मांग करते हैं। यह तो आपको मालूम है कि वनों की क्षमता कम है। मुझे यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। इस अवस्था में कन्सेशन का भार अधिक पड़ता है। मैं तो चाहता हूं कि कन्सेशन का अधिक लाभ मिले। आदिवासियों के लिए कन्सेशन ज्यादा मिले। जैसे कि तेन्दू पत्ता है। इसके साथ-साथ जो फोरेस्टर है, उसके अन्दर कुछ जगहों पर उन्हीं आदिवासियों के कन्ट्रोल में इन्हीं वनों को दें।

श्री दौलतराम सारण : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह विभागीय बातें हैं। इनको यहां क्या आवश्यकता है। यहां जो प्रश्न उठाये गये हैं, उन्हीं का उत्तर दें। हमको भी भूख लगी है, जल्दी से छुट्टी चाहते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : लघुवन उपज.... (अश्रव्य)

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासियों को कोआँपरेटिव लगाकर वह पैदा हो सकता है। इसी प्रकार मार्ग दिशा मिल सकती है। यहां पर यह कहा गया है कि वन क्षेत्रों का नुकसान हो रहा है। मैं यहां जो कन्सेशन दिये जाते है, उनकी तस्वीर देना चाहता हूं। उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड। इन क्षेत्रों में विशेष कन्सेशन आदिवासियों को दिये जाते हैं। तो इन कन्सेशन के मुकाबले वर्किंग प्लान के अनुसार उससे मैं कम्पेयर करके प्रस्तुत करता हूं। एन्युअली सस्टेण्डजीज 1/66 टिम्बर/क्यूबेक इन्हीं वनों से निकल सकती है। इसके साथ-साथ 37 लाख मन फ्युयेल फायर वुड निकालने की क्षमता है। कन्सेशनिस्ट 253 लाख क्यूबेक टिम्बर और 50 लाख मन फ्युयेल। इस आधार पर यह अंकन लिया जाता है। इसमें अगर अन्दाज हम लगायें तो जितना वर्किंग प्लान के अन्दर एक्सप्लोइटेशन होना चाहिए फारेस्ट का, उससे दुगुना तिगुना कन्सेशन्स के अन्दर होता है। मैं इसके अन्दर एतराज नहीं करता। यह होना चाहिए। ज्यों ज्यों आबादी बढ़ेगी आबादी की आवश्यकतायें पूरी करनी पड़ेगी। इन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम केवल यह नहीं कह सकते कि वन घटे नहीं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अन्दर वन घट रहे हैं तो घटेंगे, और उसको रोकने के लिए हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं हो सकता। मै निवेदन करूं कि...

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बारह-बारह जिलों के किसानों को टिम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एक जिले का सवाल नहीं है, दस बारह जिलों में टिम्बर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इससे डेप्राइव्ड है।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : कुछ जिलों में नहीं है, फिर भी दो करोड़ तीन लाख की इस प्रकार से छूट दी

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

जाती है। इसके साथ-साथ में कहां रीलीज हुई है इन वर्षों के अन्दर वन भूमि कृषि के हेतु। और फिर भी माननीय सदस्यों ने स्वयं अनुभव किया, और रिलीज करने की मांग है, उन सबको अकामोडेट करें, हमको इस अन्तर्द्वन्द्व की स्वयं सिद्धि करनी पड़ेगी, उसके लिए विचार करना पड़ेगा····

श्री दौलतराम सारण : समाधि लगानी पड़ेगी सिद्धि करने के लिए।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : रिलीज करने के बारे में निवेदन करूं। जिस प्रकार कहा गया, रिलीज कम हुई, ज्यादा हुई–तो दोनों प्रकार के मानस आये हैं। कहीं कहीं इस बात का एतराज किया गया कि रिलीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कहीं इस बात को कहा गया है कि अपर्याप्त रूप से रिलीज हुई है। मैं दोनों बातों का वचन देता हूं। बात सही है, यह अन्तर्द्वन्द इसलिए है कि हमारे यहां की आबादी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। आबादी की आवश्यकतायें, आबादी की उन आवश्यकताओं को मैं अमान्य नहीं कर सकता। उन आवश्यकताओं को मंजूर करते हुए यह बात निर्धारित करनी पड़ेगी कि आसूदी जमीन रखनी है या नहीं–जमीन के नीचे वन रखकर जमीन के नीचे तराई रखनी पड़ेगी, जो बायोटिक पोटेंशियल, जो इकानामिकल बेस बनता है वह किसी प्रकार कायम रखना है या नहीं–इन चीजों, इन बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना है। उन बातों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते। जो पोपूलेशन की आवश्यकता है, वह पूरी करनी पड़ेगी। ऐक तो रोटी-रोजी का सवाल पैदा होगा, फिर लकड़ी का, कोयले का दूसरा सवाल होगा। हो सकता है, लकड़ी और कोयले के बजाय इलेक्ट्रिसिटी मिल जाय, तो फिर वनों की आवश्यकता नहीं रहे इस दृष्टि से मै निवेदन कर सकता हूं कि आसूदी जमीन में वन हैं, ऐसी तराई है, उनके सम्बन्ध में हम यह नहीं भूल सकते हैं कि डेजर्ट बढ़ता जा रहा है, आपकी शिकायत है कि उसको रोक नहीं सकते, तो डेजर्ट में जाकर तो प्लान्टेशन करें और जहां वन हैं उनको उखाड़ना पड़े, तो मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं, दो लाख एकड़ जमीन आज तक निकल चुकी हैं, पांच साल के अन्दर 34,803 एकड़ निकली है। यह फिगर इसलिए रखे हैं कि इन फिगर्स को देख कर सही स्थिति का अन्दाज लगा सकते हैं। झालावाड़ के बारे में बताऊं कि दस वर्ष के अन्दर 2',402 एकड़ निकली है···

श्री हरिवल्लभ शर्मा : डिस्ट्रिक्टवाइज फिगर्स दे दीजिये।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : अलग अलग बताने में समय खराब होगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है, वहां ज्यादा नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : समय तो सारा खराब हो रहा है।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : इसके साथ साथ फिर भी निवेदन करूं

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

राज्य सरकार ने अभी यह निर्णय लिया है, और यह निर्णय लेना पड़ा–इन निर्णय के लेने के अन्दर जिस तरह से शिकायत हो रही थी कि किसी ने अतिक्रमण किया, आपने रेगुलेराइज कर दिया। रेगुलेराइज किया तो अतिक्रमण की भावना बढ़ी। क्या किया जाय ? आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अनुसार अतिक्रमण हो रहा है...

श्री देवदत्त गाडिया : राजनैतिक दबाव है।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : पापूलेशन बर्स्ट आउट हो रही है। जो कुछ राजनैतिक दबाव उधर है तो दबाव इधर भी है...

श्री देवदत्त गाडिया : उधर ही है, आप सारा का सारा करते हैं।

राव श्री नारायण सिंह (मसूदा) : मैं निवेदन कर दूं, जिस प्रकार माननीय हरिवल्लभ जी ने कुछ जमीन के बारे में कहा था, सवाई माधोपुर के अन्दर जिसको बोली घटघोदल...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : गोदल।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : तहसील बोनी, लानपुर...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिला बोंली।

श्री जगन्नारायण सालंदिया : जिला नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बोंली तहसील।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : हां, वही। उसके बारे में शिकायत की थी कि वन विभाग ने उसके अन्दर सड़क बना दी, उसके अन्दर काश्त कर रहे थे, वह खत्म हो गई। 1948 के अन्दर जयपुर राज्य ने उसके अन्दर वन घोषित किया था, और राजस्थान में 1954 के अन्दर सेटलमेंट के अन्दर स्वीकार किया गया, और उसको प्राटेक्टेड वन स्वीकार किया गया। उसके लिए राज्य सरकार ने अभी निर्णय लिया है, वह लागू होने से मसला हल हो जाता है। लेकिन एक तरफ मसला हल हो जाता है, तो दूसरी तरफ पैदा होता है, वह कह चुका हूं, वह किस तरह पैदा होता है। तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, फारेस्ट सेटलमेंट 1961–62 के अन्दर जो हुआ, उसके पहले जिनका कब्जा है, उन सबका रेगुलेराइज कर दिया जायगा। कोटा के अन्दर, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में इस प्रकार के क्षेत्र, इस प्रकार की जगह में बालाबाला जमीन को उकेरने के केस बने थे वह सब रफा कर दिये गये। इसके अलावा जो अतिक्रमण इस प्रकार 1970 तक किया गया, उसको भी मान्य कर दिया जाय, उसको वन मुक्त करके राजस्व को सौंप दी जायगी और उसी के पास रहेगी। इसके अलावा जो विज्ञप्ति है, 55 की विज्ञप्ति है, उसके पहले मारवाड़ में 1947 में थी, उससे जो कन्सेशन्स अलाउ हुए हैं, उसके अन्दर कोई प्रकार की दिक्कत होगी तो उसको दूर किया जायगा। अब एक तरफ तो वह निर्णय लेना पड़ा, एक तरफ रिलीज करनी पड़ी, और दूसरी तरफ उसके साथ-साथ वन सम्पदा को बढ़ाते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए कदम उठाना पड़ा। मैंने निवेदन

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
किया, डेजर्ट डवलपमेंट रूरल वर्क्स प्रोग्राम के विषय में, उसके सम्बन्ध में निवेदन करता हूँ डेजर्ट डवलपमेंट रूरल वर्क्स प्रोग्राम में 34.90 लाख रुपये की 1970–71 में स्वीकृति हुई···

श्री देवीदत्त गाड़िया : जालौर में की गई जालौर की जमीन बड़े आदमी को दे दी। यह क्यों हुआ ? यह कैसे दे दी। बड़े आदमी को जमीन डेयरी फार्म के नाम पर कैसे अलाऊ कर दी। आपने कैसे कलम से लिख दिया ? रेवेन्यू मिनिस्टर का दबाव था या मुख्य मंत्री का दबाव था।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : इसी प्रकार से 44 लाख 1971–72 में डेजर्ट डवलपमेंट के लिए प्रोविजन है। मैं निवेदन कर दूं, 1970–71 के अन्दर 2500 हैक्टर क्षेत्र में परिभ्रशित वनों का पुनर्वास, 500 हैक्टर क्षेत्र में चरागाह सुधार कार्य, 2000 हैक्टर क्षेत्र में ऊसर भूमि सुधार व 500 कतार किलो मीटर पट्टियों में वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराये गये हैं। 1971–72 के अन्दर उसी क्रम में 200 हैक्टर क्षेत्र में परिभ्रंशित वनों का पुर्नउद्धार, 2000 हैक्टर क्षेत्र में चारण भूमि की उन्नति, 1000 हैक्टर क्षेत्र में ऊसर भूमि का सुधार तथा 500 कतार किलो मीटर पट्टियों में वृक्षारोपण के नये कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे। इसी प्रकार रूरल वर्क्स प्रोग्राम बाड़मेर, जालौर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में लिए जायें, उसके लिए 1970–71 के अन्दर 25.51 लाख रुपये का प्रावधान था, जिसमें 32500 क्विन्टल घास इकट्ठी करायी गया है, यह हमारा लक्ष्य था घास था, कि एक फोडर बैंक बनाया जाय·······

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो हमारे कटौती प्रस्ताव हैं उनका आप जबाब दे दें। आप तो रामायण पढ़ने लग गये हैं। वही बातें बता रहे हैं जो रिपोर्ट में आ चुकी है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : जो कटौती प्रस्ताव वन विभाग के सम्बन्ध में आये हैं उनके सम्बन्धित बातें हैं। आपके ही कटौती प्रस्ताव आपको याद हैं। तो घास 32500 क्विन्टल इकट्ठा किया···

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, कटौती प्रस्तावों के बारे में नहीं।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : 3600 हैक्टर क्षेत्र में परिभ्रंशित वनों का पुनर्वास, 3400 हैक्टर क्षेत्र में चरागाह सुधार, 500 हैक्टर में टीबा स्थरीकरण एवं 12 नई पौधशालाओं की स्थापना···

श्री दौलतराम सारण : तौबा कर दें तो छोड़ देंगे।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : एक्सपर्ट कमेटी भी इसके अन्दर रखने का रखा गया है ताकि जो कुछ काम हो, उसके अन्दर एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सही ढंग से राय आ सके कि किस प्रकार से किया जा सकता है। इस एक्सपर्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित हैं, प्रेसिडेन्ट, फारेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून, डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल आफ फारेस्ट, मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर,

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया, नई दिल्ली, यह दूसरे मेम्बर हैं, तीसरे हैं, मि. इन्दूदगांवकर डाइरेक्टर आफ ग्रास रिसर्च इन्स्टीट्यूट, झांसी। चौथे हैं, फारेस्ट सेक्रेटरी, पांचवे हैं, डाइरेक्टर आफ प्रोजेक्ट्स, कोटा, और छठ कन्वीनर के रूप में सी सी एफ हैं ··

विशेषज्ञों की राय के अन्तर्गत यह काम शुरू किया जायगा।

श्री मुकुट बिहारी : यह कमेटी इकट्ठी होगी या नहीं ?

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : यह कमेटी मिलने के लिए बुलाई गई है। इसके कुछ माननीय श्री जुझारसिंहजी ने नदी घाटी योजनाओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे सांगोद का प्रश्न आया था और परसनली उन विषयों को रखा था कि जमीन रैविन्स रिक्लैमेशन के लिए ट्रांसफर भी की गई थी और कुछ जमीन बीच-बीच में राजस्व की रही तो उस संदर्भ में यह कहा गया था कि टुकड़ा-टुकड़ा जमीन मिलने के कारण वहां पर पूरी तरह सारा कार्य होने में बाधा पड़ती हैं। फारेस्ट और रैवेन्यू इन दोनों को मिल कर तय करना होगा कि जैसे बीच-बीच में ग्रास आ गया है उसमें अगर टुकड़े-टुकड़े के रूप में किसी प्रकार वनों की सीमायें लग जायेंगी तो किसी प्रकार उन्नति एक ब्लाक में जो हो सकती है, टुकड़े टुकड़े होने से उसमें दिक्कतें आती हैं। इस क्षेत्र में भूमि है 1,36,780 हैक्टर्स और सर्वे हो पाया है 64,019 और इस सर्वे के साथ साथ जो काम हो रहे हैं वह 3200 हैक्टर्स पैक्टर्स हैं, 3225 सोइल कन्जरवेशन का काम हुआ है, 1500 हैक्टर्स कृषि भूमि में काम हुआ है। इसके अलावा रेविन्स रिक्लेमेशन का सारा काम चल रहा है। जितना हमारा प्रावधान है वह पर्याप्त नहीं है, बहुत बड़ा काम है और इसके अन्दर काफी प्रावधान की जरूरत है, बहुत खर्चे की जरूरत है। यह जो भू-संरक्षण होता है और जो रेविन्स बनते हैं उनमें आज आबादी और दूसरे फैक्टर्स का तकाजा है। उसको देखते हुए कि कितना क्षेत्र रेविन्स रिक्लेमेशन के अन्दर घेरा जाए, यह प्रश्न खड़ा होता है। कुछ जमीनें नदी घाटी पर तैयार भी की हैं और आक्शन करने के लिए नीति बनाई गई है। इस प्रकार जो तैयार शुदा भूमि है जिसको तैयार करने में 100–200 प्रति हैक्टर के हिसाब से लगा है। उस हिसाब से नीलाम करके उनको दिया जाए, वह नीति अभी निश्चित नहीं हो पाई है। फिर भी तकाजे हैं जिनके अनुसार पूरा पूरा उन बातों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य जो हनुमानगढ़ से आते हैं उन्होंने कहा हनुमानगढ़ के अन्दर जो फारेस्ट लगाया है वह बिल्कुल बेकार है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लाखों रुपये का घोटाला है।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कई जगह का रखा है कि लाखों रुपये का घोटाला है अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार वह घोटाला है।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
अगर हम अपने हाथ पांव पर भी विश्वास नहीं करेंगे तो चलना भी मुश्किल है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर पर 15 वर्षों में नहर के किनारे रक्षी वृक्ष मेखला 864 हेक्टर है, सड़कों के किनारे 100 कतारें कि. मी. हैं रेतीले टीबों का स्थायीकरण 280 हेक्टर्स में···

श्री दिग्विजय सिंह : आपने इवैल्यूएशन कमेटी बनाई थी ? उसका क्या किया ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : आपसे निवेदन करूं···

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको कटौती प्रस्तावों का जवाब देना चाहिए ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह कटौती प्रस्ताव ही है ।

श्री मुकट बिहारीलाल : इसके जवाब में सेमी कल्चर की थ्योरी पर प्रकाश डालें तो उचित होगा ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : 1969–70 तक 27.54 लाख रुपए व्यय हुए हैं और आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 106 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान है । नहरों के किनारे रक्षी वृक्ष मेखला 11550 कतार किलोमीटर्स, सड़कों के किनारे 820 कतार कि. मी., रेतीले टीबों का स्थिरीकरण 1560 हेक्टर····

श्री दौलतराम सारण : कौनसा मेखला ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो सड़क के किनारे हैं ।

श्री दौलतराम सारण : हिंदी में नाम क्या है ?

श्री अर्जुनलाल : पेड़ जिंदा कितने हैं ? वैसे ही गड्ढे खोदे गए ।

राव श्री नारायणसिंह मसूदा : कई मर भी जाते हैं । प्लांटेशन होता है उसके अन्दर सिंचाई की जरूरत पड़ती है । सारी बातें करते हुए भी जहां रेगिस्तान नहीं है वहां पर भी 40 प्रतिशत तो खत्म हो जाते हैं और फिर उनको रिप्लेस करना पड़ता है । जैसे हनुमानगढ़ 5 हजार एकड़ में पूरे में वन नहीं लगा सकते हैं, तीन हजार में लगाया है लेकिन उसकी भी एक आवश्यकता है । जिस तरह से रामचन्द्रजी ने कहा था कि इसको खत्म किया जाए, अगर इनको हटाया जाए तो टीबों के स्तरीकरण का प्रश्न नहीं रहेगा ।

श्री दौलतराम सारण : हनुमानगढ़ में लोगों की खातेदारी के बढ़िया–बढ़िया खेत आपने वन में लिए हैं और अन कमांड एरिया में धूल उड़ रही है वहां प्लांटेशन नहीं किया । आपने बढ़िया लैंड ली है फर्टाइल जो बढ़िया खेती करते थे ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जो जमीन काश्तकार से ले ली । दो तीन साल बाद मंत्री या उनके रिश्तेदार ने कब्जा करके रिलीज कराई····

श्री दिग्विजय सिंह : क्या जो प्लान्टेशन के लिए इवैल्यूएशन कमेटी थी उसने कहा है कि प्लान्टेशन बिल्कुल अन्सक्सेफुल है

श्री नारायणसिंह मसूदा : गलत है । मैंने स्वयं प्लान्टेशन्स को देखा है, कई जगह पर प्लांटेशन्स सफल नहीं हुए हैं···

श्री दौलतराम सारण : आपने डेजर्ट डेवलपमेंट और प्लांटेशन के अन्दर बीकानेर बीड़ में कितने पेड़ लगाए। जो थे वह काट दिए। आज बीड़ों की सत्यानाश हो गई, लाखों रुपए बरबाद हो गए।

श्री नारायण सिंह मसूदा : काफी संख्या में जो प्लांटेशन्स किए गए वह फेल्यूअर्स भी हुए हैं, कई जगह कामयाब भी हुए हैं। पहले अनुभव जिस-जिस प्रकार से होता रहा, उस प्रकार से काम को किया।

श्री देवीदत्त गाडिया : थोथे आंकड़े हैं?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सारी बातें ही थोथी हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर कितनी लम्बी चौड़ी पट्टी पर....

श्री सभापति : अलग से प्रश्न है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : गाड़िया जी ने तेंदू के पत्ते, खानपुर....

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने शाहबाद रेंज के बारे में जो 53 हजार में हुआ है, उसके बारे में कहा था।

रा **श्री नारायणसिंह मसूदा** : मैं इस विषय में स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कवानी खानपुर के ठेके आए थे, मेरी जानकारी में नहीं हैं, अपनी कम्पीटेन्स में वन विभाग ने किए थे। जब मैंने विचार किया, पहली बार विचार किया। किसी भी प्रकार से जो हमारी स्टेट ट्रेडिंग चल रही है वह तेंदू के पत्ते के अन्दर भी जाए हालांकि थोड़ी विभाग की शाइनेस थी कि हमारे पास स्टाफ होगा या नहीं, फाइनेन्शल सैंक्शन होगी या नहीं, कर सकेंगे या नहीं, फिर भी इनसिस्ट कर रहा था कि इस क्षेत्र को डिपार्टमैंटल वर्किंग में लेना। मैंने रोका और देखा एवरेज से भी कम बोलियां थीं....

श्री देवीदत्त गाडिया : गलत बात है, जितने ठेकेदार थे, उन्होंने वन सहकारी समिति से ज्यादा बोलियां लगाई हैं।

श्री नारायण सिंह मसूदा : उनको रोकने के अन्दर सब करने में इतना समय निकल गया कि इस ठेका लेने की बात नहीं हुई....

तब आखिरकार में डेस्परेशन में कोआपरेटिव्ज को दिया।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप सदन को गुमराह मत कीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जितने भी ठेके हुए थे, बोलियां ज्यादा लगी थीं। एक-एक व्यक्ति का मैं नाम बता सकता हूं। तीन वर्ष का एवरेज बिठाकर श्रमिक सहकारी संघ ने उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया।

राव श्री नारायण सिंह मसूदा : ठेके की बोली लगी। कोआपरेशन ने ठेका दिया वह ज्यादा था। यह बदमाशी की कि उसको सबलेट किया, इसकी इन्क्वायरी की गयी और एक्सप्लेनेशन मांगा गया जो निवेदन करने के लिये तैयार हूं। उन्होंने कहा कि इतनी रेट्स पर ठेका दिया। हमने कहा कि हमारे ऊपर रियायत या राहत

Page No. 209

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
नहीं की। आपको खुद को वर्क करना था इसलिए कोआपरेटिव बनायी गयी है, आदिवासी और दूसरे वरकर्स हैं उनको फायदा हो। जो कोआपरेटिव है उनमें कुछ इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति आ गये। मैने खुद ने देखा है कि जितना लेवर को फायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिला।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जरा भी नहीं मिला।

एक बात वता दीजिए। राजस्थान वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं, शाहवाद, छीपा वड़ोद आदि को दिया और ठेकेदार को नहीं दिया। फिर ठेकेदारों को दिया है · · ·

श्री दौलतराम सारण : नीति का सवाल है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उसी पर आ रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : एक नीति का सवाल यह है कि निहित स्वार्थी लोग सहकारी समितियों में भी घुस गये हैं। जिन श्रमिक सहकारी समितियों का संघ आपने बना रखा है उन संघों में भी मजदूरों के अलावा ये लोग सदस्य बन जाते हैं, उनको वहां क्यों अलाऊ करते हैं। जो मजदूर नहीं हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सारा काम कर रहे हैं साफ मतलब यह है कि मजदूरों का एक्स्प्लोयटेशन हो रहा है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : कौंस्टिट्यूशन पहले से बना हुआ है। मेम्बर्स उनको रखने का प्रावधान है। बाइलाज हैं। कोआपरेटिव डि. और फोरेस्ट डि. इसको देखता है। हम भी जागरूक हुए हैं, उनको बार बार कहते हैं कि इनका रिओरगेनाइजेशन होना चाहिए। वास्तविक लाभ है वह उनको मिलना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : यह भी आपने देखा है कि श्रमिक सहकारी समिति की जगह पर ठेकेदारों ने अपने मजदूरों के नाम लिख कर ठेके ले लिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : शाहबाद की आदिवासियों की सहकारी समितियां हैं, उन्होंने दरख्वास्तें दी, डेपुटेशन आये, उनको एशोरेन्स दिया लेकिन एक को भी ठेका नहीं दिया और जो डोमिनेट करते हैं सहकारी समिति में, उदयपुर ग्रुप है। श्री ब्रह्मदत्तजी हैं। उनके दवाव में आकर यह फैसला किया है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : शाहबाद और किशनगढ़ रेन्ज का आप कह रहे हैं।

श्री विजयसिंह : उदयपुर के विचौलियों के लिये कह रहे हैं।

श्री नारायणसिंह : संघ को यह दे दिया था सतर्कता दल से इसकी जांच करायी गई थी।

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह बिलकुल गलत है। आपने रामगढ़ सहकारी समिति

(शोरगुल)

को नहीं दिया। किशनगढ़ रेन्ज का 4।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
हजार में दिया और शाहबाद का दस हजार में दिया। नीलामी के लिये नोटिस जारी किया था। यह किसी सोसाइटी को नहीं दिया। सदन को गलत सूचना क्यों दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

संक्षेप में आजाइये माननीय मंत्री महोदय।

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैं तो संक्षेप में करने के लिए तैयार हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक घंटे के लिये छुट्टी कर दी जाय। यह तो बहुत बड़ा घपला मचा दिया, मंत्री महोदय।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे प्रश्न का रिप्लाइ दीजिये।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री नारायणसिंह मसूदा : हाउस की राय हो तो मैं बंद कर सकता हूं।

श्री गाड़िया : घास काटने के बारे में कह दीजिये।

श्री गिरधारीलाल : "माननीय मंत्री महोदय ने घपला किया" यह शब्द माननीय सदस्य ने कहा यह एक्सपन्ज किये जाय।

श्री सभापति : एक्सपन्ज किये जाते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय गाड़िया जी ने जो बात कही, 1731 साग-वान के वृक्ष ... मेरी नॉलेज में काटे हुए स्पष्ट मालूम पड़े। दो रेन्जर और एक वन रक्षक पर आरोप लगाये थे उनको सस्पेन्ड किया गया। रेन्जर अटलबिहारी सक्सेना को रिइन्स्टेट करके चम्बल में लगाया गया। बाकी पर इन्क्वायरी चल रही है। और यथोचित कार्यवाही जो होगी वह की जावेगी।

घास कांड का जिक्र किया गया जिसमें तत्कालीन डी. एफ. ओ. की बात कही। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि उसकी जांच काफी अर्से से चल रही है वहां के इन्चार्ज, रैन्जर और कनिष्ट लिपिक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और ए. सी. एफ. के बारे में कार्यवाही चल रही है। वन मंडल अधिकारी था उसके बारे में सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स की एक फाइन्डिग आयी थी और माननीय सदस्य को मालूम है, जैसा पहले प्रश्न किया था, तो पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया में भी आई. एफ. एस. का सलेक्शन हो रहा है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया को भेजा और स्क्रूटिनी करके यह निश्चय किया कि आई. एफ.एस. को लेने में दिक्कत नहीं है। यह हमारे हाथ की बात नहीं थी, वहां से होकर आया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि एण्टी-करप्शन विभाग की रिपोर्ट श्री एस. एल. अजमेरा अकाउण्टस आफिसर की रिपोर्ट तथा तत्कालीन रामप्रसादजी शर्मा की रिपोर्ट इन तीनों की रिपोर्ट देखी है? इनमें ओ.पी. पारीक को अपराधी पाया गया है नारियल की रस्सी की खरीद के अन्दर और घास के वेगनों के मामले में। यह आपकी जानकारी में है कि नहीं?

Page No. 211

श्री नारायणसिंह मसुदा : जो था वह बता दिया।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप बता दीजिये कि एन्टी-करप्शन की रिपोर्ट, एस. एल. अजमेरा की रिपोर्ट और डि.वाई.एस. पी. की रिपोर्ट तथा रामप्रताप शर्मा की रिपोर्ट इन तीनों रिपोर्टों को आपने देखा या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : (पंचायत मंत्री) मा. सभापति महोदय, ट्रेजरी बेंचों से मंत्री उत्तर देते हैं उसमें इस तरह से ओब्जेक्शन रैज किये जाते रहेंगे तो इससे गलत परम्परा का निर्माण होगा। दुनियां में जहां भी पार्लियामेण्टरी सिस्टम है हाउस आफ कामन्स बैठती है, संसद् है वहां भी मैं कई बार गया हूं मा. सदस्य भी गये हैं वहां अगर इस तरह एक एक प्रश्न पर बोलते रहें, या टोका जावे तो कभी कार्यवाही पूरी हो नहीं सकती। वहां इस तरह नहीं होता। तो यहां इस परम्परा को रोका जाना चाहिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : आप क्या यह चाहते है कि हम सप्लीमेण्टरी क्वश्चन नहीं करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर कभी समय कम होता है तो क्लोजर मूव होता है। आप क्लोजर मूव कर दें तो मैं समर्थन कर दूंगा।

श्री सभापति : मैं स्वयं बता रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। जो प्रश्न कटौती प्रस्ताव के द्वारा नहीं उठाया गया है उसको डिबेट में चर्चा नहीं की जा सकती। और न ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव ही होगा।

श्री नारायणसिंह : आइ हैव फिनिश्ड सर।

श्री हीराभाई : आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सन् 70 तक जिन्होंने जमीनों पर नाजायज कब्जा था। अतिक्रमण किया है उसे सरकार मान लेगी ? इसके बारे में तो सरकार को धन्यवाद दूंगा। पर इस सम्बन्ध में जो आपके विभाग के द्वारा केस चलाये जा रहे हैं लोगों पर उनको क्या आप विथड्रा करेंगे ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 70—वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,94,30,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे, को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च 1972 को समाप्त, होने वाले वर्ष के लिये किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,17, 21,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये, स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 1 स्वीकार की गई।

Page No. 212

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि

मांग संख्या 36, मुख्य शीर्षक 92- भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के संबंध में 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 75,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 36 स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिये सधन्यवाद स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.35 बजे 29 अप्रैल, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 500 की सूची)

गत दो वर्षों में रेल्वे लाइन कटने की दुर्घटनाएं

वर्ष	दिनांक	स्टेशन का नाम	संख्या
1969	–	सादुलपुर	3
,,	–	रतनगढ़	1
,,	–	सिन्धुजरा	1
		योग:–	5
1970	8–9–70	सीरसत	1
,,	25–4–70	मौलीसर	1
,,	7–6–70	,,	1
,,	7–8–70	,,	1
,,	6–6–70	रतनगढ़	1
,,	4–9–70	भीगा रैल्वे स्टेशन	1
,,	20–11–70	भीगा ग्राम	1
		योग:–	7

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 510 की सूची)

सूची तारांकित प्रश्न संख्या 188

क्र. सं.	कार्य का नाम	रकम ठेके टेण्डर के अनुसार	जिस दिनांक तक कार्य समाप्त करना था।	कार्य समाप्ति की दिनांक
1–	मोडक खैराबाद सड़क मील नं. 1 से 3 का विशेष मरम्मत कार्य	31,203)	18–6–70	25–3–70
2–	मोडक चेचट सडक मील नं. 41/42 का विशेष मरमम्त कार्य	29,789)	18–7–70	5–4–70
3–	बी.टी. कार्य मोडक खैराबाद सडक पर मील नं0 1 से 3 में	15,540)	18–6–70	18–4–70
4–	मोडक चेचट सड़क मील नं. 40 पर बी.टी. का कार्य	12,285)	18–5–70	18–12–70
5–	मोडक चेचट सडक मील नं. 41 से 44 का बी.टी. का कार्य।	58,881)	13–1–71	14–12–70

नोटः—उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है।

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

देवगढ़ जल प्रदाय योजना

519. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) देवगढ़ में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत अभी टंकी बनाई जा रही है उसका काम कब शुरू हुआ और कब तक पूर्ण होगा?

(2) क्या यह सही है कि टंकी ठीक तरह से नहीं बनाई गई और पानी बह रहा है ?

(3) क्या पाइप लाइन ठेकेदार ने बिछाई थी ? लाइन डालने के बाद पाइप लाइन से पानी बहता रहा और उसकी मरम्मत विभाग द्वारा की गई ?

(4) यदि विभाग द्वारा मरम्मत की गई तो उसका खर्चा ठेकेदार के पेमेन्ट से काटा गया या नहीं ?

उत्तर

(1) कार्य 13-3-70 को प्रारम्भ हुआ और दिनांक 30-9-70 को पूर्ण हुआ

(2) जी नहीं। टंकी ठीक तरह से बनाई गई है।

(3) जी हां, जी हां, जी हां।

तहसील सांचोर की कृषि सहकारी समितियां

520. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में कुछ कृषि सहकारी समितियां बनाई गई थीं ? अगर हां, तो कितनी व कहां कहां ?

(2) उपरोक्त सहकारी समितियों के समितिवार अलग कितने कितने सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सहकारी समितियां अब नियमानुसार कोई कार्य नहीं कर रही हैं और सिर्फ जमीन प्राप्त करने के लिए ही बनाई गई थीं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि सहकारी समितियों को दी गई भूमि सदस्यों ने आपस में बांट कर अलग करके कुछ काश्त करते हैं एवं कुछ सदस्यों ने अपने हिस्से दूसरों को बेच दिये हैं ? इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसे सदस्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कृषि सहकारी समितियों के वास्तविक सदस्यों को कोई जमीन नहीं दी गई है एवं वास्तव में भूमिधारी काश्तकारों ने ऐसी समितियां सिर्फ ज्यादा जमीन रखने की दृष्टि से ही बनाई थीं ? अगर हां, तो ऐसे कितने सदस्य समितिवार हैं जिनके पास पूर्व में सैकड़ों बीघा खातेदारी की जमीन थी और फिर भी सहकारी समिति के सदस्य मान लिये गये ? सूची समितिवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(6) उपरोक्त फिक्टीशियस समितियां बनाने की जिम्मेदारी किसकी है ? इसके बारे में अब तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

(7) अब उपरोक्त विषय में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

टोडारायसिंह में पेय जल के लिये टंकी का निर्माण

521. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला टोंक के कस्बे टोडारायसिंह की जनसंख्या कितनी है तथा क्या जनसंख्या को ध्यान में रख कर वहां पेय जल की टंकी बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जनसंख्या को देखते हुए टंकी बहुत छोटी है और कस्बे के नीचे की जगह में दक्षिण व पूर्व भाग में पेय जल बिल्कुल नहीं आता और जनता पीने के पानी से वन्चित है।

(3) सरकार अब कब तक इसका दुबारा सर्वे कराकर बड़ी टंकी लगा देगी ताकि वहां के निवासियों को आने वाली गर्मियों में पानी की भयंकर दिक्कत का सामना न करना पड़े ?

उत्तर

(1) टोडारायसिंह की जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 9,008 है। जी हां, जन संख्या को ध्यान में रखकर टंकी बनाई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं, जल बराबर दिया जा रहा हैं तथापि इन हिस्सों में पानी का दबाव कम रहता है।

टोंक में चर्म उद्योग

522. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971-72 में टोंक में चर्म उद्योग स्थापित कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो कुल कितनी लागत लगेगी ?

(2) उक्त चर्म उद्योग किसी विदेशी फर्म के साथ लगाना तय हुआ हैं, और उसकी शर्तें क्या हैं ? कृपया एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त चर्म उद्योग वर्ष 1971-72 में उत्पादन शुरू कर देगा या नहीं ? यदि नहीं, तो उत्पादन कब तक शुरू हो जावेगा?

(4) उक्त चर्म उद्योग स्थापित होने से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां, आयात लाइसेन्स प्राप्त हो गया है। वर्ष 1971-72 में फ्रांस से मशीनें आयातित हो जावेंगी व 72-73 में कारखाना कार्य करने लग जावेगा।

(2) उक्त चर्म उद्योग फ्रांस की पार्टी मैसर्स मरसीयर फैरेस, मैसर्स एलरिक एवं जी मैगनेट के सहयोग से लगाया जायगा।

(उद्योग मंत्री)
आशा है अनुबन्ध इस महीने के अन्त तक कर लिया जावेगा।

(3) वर्ष 1971-72 में उत्पादन सम्भव हो सकेगा।

(4) इस फर्म उद्योग में करीबन 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

ग्राम कोलासर में हरिजनों के कब्जे की भूमि

523. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में गांव कोलासर के हरिजनों ने सन् 1947 से पहले भूमियां किशनाराम जागीरदार से आरजी काश्त पर ली थी? यदि हां, तो उन हरिजनों से कब्जे जबरन छुडाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि पं. किशनाराम ने राजस्व अधिकारियों व पुलिस से मिलकर उनकी फसल खडी पर कब्जे करवा लिये? और गरीब हरिजनों पर झूठे मुकदमें दर्ज करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

(3) क्या यह सही है कि गांव कोलासर के 20 हरिजन परिवारों को जबरन उठाने की साजिश चल रही है?

उत्तर

(1) तहसील नोहर ग्राम कोलासर के हरिजनों ने सन् 1947 के पहिले किशनाराम जागीरदार से आराजी काश्त पर भूमि ली इसका कोई रेकार्ड उस समय का उपलब्ध नहीं है। क्योंकि जागीर संवत् 2008 में रिज्यूम हुई थी।

(2) जी नहीं। उप जिलाधीश नोहर ने दिनांक 4-9-70 को मौजा कोलासर के 111 मि. नं. 314 व सं. नं. 312 152111)

की 154 बीघा भूमि विवादग्रस्त होने के कारण कुर्की के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में विवाद ग्रस्त भूमि की फसल कुर्क की गई थी।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

ऊनी मिल बीकानेर के लिये मशीनरी की खरीद

524. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ऊनी मिल बीकानेर के लिये किस किस मशीनरी के लिये (ग्लोबल टेन्डर्स) आमन्त्रित किये गये हैं? यदि हां, तो कब? किस किस दर के?

(2) किस किस के टेन्डर आये?

(3) क्या यह सही है कि लोएस्ट टेण्डर स्वीकृत नहीं किया गया? यदि हां तो क्यों? कृपया निविदादाताओं की रेट्स व अन्य अनुबन्धों के अन्तर की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) किस फर्म का टेन्डर स्वीकृत हुआ है और उससे अब तक कितने मूल्य का सामान खरीद लिया गया है और कितना भुगतान कर दिया गया?

(श्री भैरोंसिंह)

(5) यह खरीद किस अधिकारी या समिति द्वारा की गई है ?

उत्तर

(1) दिनांक 5–5–66 को 1200 तकुओं के सम्पूर्ण यूनिट के लिये कोटेशन आमंत्रित किये थे जिसके फलस्वरूप 10 कोटेशन प्राप्त हुए । इनकी जांच बम्बई में टैक्सटाइल कमिश्नर के दफ्तर में की गई जिसको रेमेन्ड मिल्स के श्री अग्रवाल और स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के श्री नन्दी को विशेषज्ञों के रूप में शामिल किया गया। जांच के बाद इन विशेषज्ञों ने यह रिपोर्ट दी कि जापानी मशीन क्रय करना उपयुक्त है और साथ ही येन क्रेडिट उपलब्ध होने पर समस्त जापानी फर्मों के प्रतिनिधियों को तार देकर 9-6–66 को जयपुर में अपने कोटेशन्स के साथ वार्ता (Negotiation) के लिए बुलाया । चार जापानी फर्मों के प्रतिनिधि इस वार्ता के लिये आये ।

(2) जिन मशीनों के कोटेशन आमंत्रित किये उनकी सूची मय दर के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

निम्न चार जापानी फर्मों के कोटेशन प्राप्त हुए :

1. मैसर्स मारुबेनी ईडा, जापान ।

2. मैसर्स निजीमैन एण्ड कम्पनी, जापान ।

3. मैसर्स मिल्स बी. सी. स्योजी, कासा जापान ।

4. मैसर्स मिसो एण्ड कम्पनी जापान ।

(3) जी नहीं । निम्न तक कोटेशन ही स्वीकृत किया गया निविदा दाताओं की रेट्स की तालिका प्रश्न 1 के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) मैसर्स मारुबेनी ईडा कम्पनी का टेण्डर स्वीकृत किया । इनसे 17,49,60,000 येन (रु. 36,73,368.40) की मशीनरी 10 वर्ष अर्धवार्षिक किश्तों पर क्रय की गई एवं इस धनराशि पर 8 प्रतिशत का रिबेट प्राप्त किया गया । उपरोक्त राशि पर 4,68,50,540 ऐन (रु. 99,770.90) ब्याज के 10 वर्षों की किश्तों के साथ दिये हैं । इस अनुबन्ध के अन्तर्गत अब तक जो भुगतान किया जा चुका है वह इस प्रकार है :–

ब्याज ऐन	कुल राशि रुपयों में
12,65,45,896	2,231,166.37

(5) ऊनी मिल की मशीनरी का क्रय सरकार द्वारा इस हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर किया गया जिसमें विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त वित्त आयुक्त व स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के टेक्सटाइल इंजीनियर श्री नन्दी भी थे ।

THE COMPARATIVE QUOTATION OF MACHINERY

Machinery PREPATORY.	Mitabushi (F.O.B)	Marubeni (C.I.F.)	Nichi (C.I.F.)	Nisshe (C.I.F.)
Willow opaner	1871	2100		
Hopper feeder)		1353		
Wool opener)		1657		
Scouring)	31961	10624		
Machine 3 Bowl.)	with			
Wool Dryer.)	5 Bowl.	4950	Details not	Details not
Bur Crusher & Cleaner	3207	3000	Given being	Given being
Fear naught Blending	1223	1442	Not competative	Not compe-tive
Garnett 2 swift	3558	3962		
Total .	41820	29088		
CARDING 4 sets (2 swift)	45477	40400		
SPINNING				
21 Spindles.	35038 (4x300)	47990 (5x240)		
WINDING				
Con Chiese 1 set	925	800		
Twisting 1 set	5428	5460		
(Hank Realing 1 set	1092	1214		
Hank Scouring	6733	7628		
Hank Dryer	..	3505		
Total :	1,36,513	1,56,075		
Less 8%		10,886		
		1,25,189		

कोटा बूंदी, झालावाड़ जिलों के पत्रकारों को मान्यता

525. देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या जन-संपर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्रों-व अखिल भारतीय संवाद समिति के अधिकृत संवाददाताओं व साप्ताहिक पत्रों के सम्पादकों को मान्यता देने का निर्णय कर रखा है ? यदि हां, तो किस किस जिले के किस किस संवाददाता व संपादकों को मान्यता दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि कोटा-बूंदी व झालावाड़ जिले के पत्रकारों को अभी तक मान्यता नहीं दी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक मान्यता दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा डिवीजनल पत्रकार संघ द्वारा बारम्बार पत्रकार कालोनी निर्माण हेतु भूमि के प्लाट दिये जाने की मांग एक लम्बे समय से किये जाने के बाद भी पत्रकार कालोनी के लिये कोई प्लाट नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक यह योजना लागू करदी जावेगी ?

उत्तर

1. यह सही है कि राज्य सरकार ने राज्य के समाचार पत्रों एवं समाचार समितियों के संवादाताओं एवं सम्पादकों के अधिस्वीकरण के लिए 18 दिसम्बर, 1969 को नियम प्रकाशित किये थे। अधिस्वीकृत संवाददाताओं की सूची परिशिष्ट 'क' पर दी हुई है।

2. यह सही नहीं है। उपरोक्त सूची से यह स्पष्ट हो जायगा। अन्य पत्रकारों का अधिस्वीकरण नहीं होने का कारण इनके प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त नहीं होना है।

3. प्लाट अलाट करने का कार्य नगर विकास प्रन्यास से संबंधित है। इसके लिये आवेदन भी सीधे उन्हीं को प्रस्तुत किये जाते हैं। इस विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील खण्डार में गांधी शताब्दी वर्ष में आवण्टित भूमि

526. **श्री चुन्नीलाल : (खण्डार) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील खण्डार में गांधी शताब्दी वर्ष में किस किस पंचायतों में अब तक कितनी भूमि आवंटन की गई है ? प्रत्येक ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जिन पंचायत क्षेत्रों में भूमि आवंटन की गयी थी उनमें लोगों को पट्टे व कब्जे दे दिये गये हैं ? यदि हां तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजस्वमंत्री)

उत्तर

(1) गांधी शताब्दी वर्ष में खण्डार तहसील में 496 व्यक्तियों को 1648 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था। ग्रामवार सूची एकत्रित की जा रही है।

(2) 132 व्यक्तियों को 440 एकड़ भूमि का कब्जा दिया जा चुका है तथा 125 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं।

पाली जिले में कपास का विकास

527. श्री पृथ्वीसिंह चौहान (बाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले को कपास विकास योजना के अन्तर्गत लिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कपास के शकर बीज उपलब्ध करवाने हेतु विभाग ने कोई चेष्टा नहीं की है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत पाली जिले के किसी भी काश्तकार को उन्नत तरीके से कपास की खेती करने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है ?

(4) क्या सरकार यह महसूस करती है, कि कपासों की उन्नत तरीके से खेती होने से, तथा बीज होने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है ? यदि हां, तो इसके लिये वर्ष, 1971-72 के लिये क्या कोई योजना बनाने का इरादा किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग की ओर से उत्तम बीज पाली जिले में वितरण कराया जा रहा है। राजस्थान प्रदेश के लिए कपास का संकर बीज उत्पन्न करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। अतः संकर बीज कपास की उपलब्धि का प्रश्न नहीं उठता।

(3) कृषि सहायकों एवं क्षेत्रपतियों के द्वारा काश्तकारों को उत्तम बीज उत्पन्न करते समय उन्नत तरीके से कपास की खेती की नीति बतायी जाती है।

(4) जी हां। योजना बद्ध कार्यक्रम के आधार पर ही कार्य किया जा रहा है।

जालौर तहसील में नामान्तरकरण के विचाराधीन मामले

528. श्री आईदान सिंह (भीनमाल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर की तहसील जालौर में बहुत ज्यादा संख्या में नामान्तरकरण पत्र पेंडिग पड़े हैं ? अगर हां, तो उनकी गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त नामान्तरकरण पत्र कब पेंन्डिग हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(राजस्व मंत्री)

(2) संलग्न सूची में अङ्कित है 527 विचाराधीन नामान्तरकरण निम्न अवधि से पेंडिंग है:–

2 माह से कम	253
2 माह से 6 माह तक	184
6 माह से 1 साल	11
2 साल के	69
योग—	527

सूची ग्रामवार

क्रम संख्या 1	नाम ग्राम 2	पेंडिंग नामान्तरण की संख्या 3
1.	सायला	11
2.	गोल	2
3.	बावतरा	9
4.	थलवाड़	8
5.	धनानी	4
6.	अलराना	2
7.	बाकरा	1
8.	कलापुरा	1
9.	आसाणा	8
10.	तुरां	5
11.	बागरा	33
12.	साकोली	8
13.	सांगू	7
14.	सियाणा	31
15.	डुडसी	2
16.	नसी	2
17.	मागनी	3
18.	देवदा	1
19.	देता खुर्द	4
20.	कोमता	18
21.	पुनराऊ	1
22.	माडकवाना	26
23.	दादाल	107
24.	हरमू	1

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
25.	चांदणा	8
26.	कांणदर	1
27.	विपलसर	10
28.	वेलदरी	3
29.	सुमेरगढ़	1
30.	तीखी	3
31.	पहाड़पुरा	6
32.	माण्डवला	11
33.	केशवणा	2
34.	डांगरा	6
35.	निम्बलाना	3
36.	थलुण्डा	9
37.	वासन	9
38.	रैवत	110
		योग-528

नोहर-सरसा रोड गांव फेफाना जमाल सड़क

529. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में नोहर-सरसा रोड गांव फेफाना से हरियाना के गांव जमाल तक 4-5 मील का टुकड़ा कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है ?

(2) यह रोड़ लम्बे समय से क्यों अधूरी पड़ी हुई है ?

(3) अब इस रोड को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(4) क्या इसके टेन्डर हो चुके हैं ?

(5) यदि हां, तो किस ठेकेदार के और कब तक पूरा करने का टेन्डर लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अलाइनमेन्ट के तय नहीं होने के कारण।

(3) अलाइनमेन्ट तय होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा।

(4) जी हां।

(5) श्री प्रेमचन्द ठेकेदार को ठेका दिया है जो 6 माह की अवधि में पूरा होना है।

पुलिस की गोली से मारे गये व्यक्ति

530. **श्री रामकिशन (वैर), श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर), श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)**:–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान निर्माण से अब तक पुलिस द्वारा आन्दोलनकारी श्रमिक, विद्यार्थी आदि पर कुल कितनी बार गोली चलाई गई ? इन गोली काण्डो से कुल कितने आदमियों को मारा गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

राजस्थान निर्माण से अब तक पुलिस द्वारा आंदोलनकारी, श्रमिक, विद्यार्थी आदि पर कुल 29 बार गोली चलाई गई और इन गोली काण्डों में कुल 29 आदमियों की मृत्यु हुई है। सूची जिलेवार अलग संलग्न है ।

गोली काण्डों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	जिला	संख्या गोली काण्ड	संख्या मारे गये व्यक्ति	कैफियत
1	2	3	4	5
1.	सिरोही	1	–	–
2.	चित्तौड़गढ	1	–	–
3.	जोधपुर	1	–	–
4.	चूरू	1	–	–
5.	अलवर	1	–	–
6.	बीकानेर	1	1	–
7.	बाड़मेर	1		–
8.	सीकर	1	–	
9.	जयपुर	5	9	–
10.	सवाई माधोपुर	2	[illegible]	
11.	कोटा	1	8	–
12.	गंगानगर	[illegible]	7	–

सरदार शहर में कुओं से पानी

531. **श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर नगरपालिका शहर के कुछ मोहल्लों को अपने द्वारा प्रचलित कुओं से मुफ्त पानी देती है ? यदि हां तो किन किन कुओं से कब से ? इस पर प्रति वर्ष पालिका का कितना खर्च होता है ?

(दौलतराम सारण)

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ कुए जीर्ण-शीर्ण अवस्था में टूटे-फूटे पड़े हैं, तथा भैरूंदानजी का कुआ वर्षों से पालिका द्वारा उनकी मरम्मत ही नहीं करवाई गई ? यदि हां, तो कब तक इनकी मरम्मत करवादी जायगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन कुओं की मशीनें प्रायः खराब रहती हैं और इन कुओं के समीप अन्य पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण नागरिकों को बड़ी परेशानी होती है ? गत दो वर्षों में किस कुए की मशीन कितनी बार खराब हुई और कौनसा कुआ इस कारण बन्द रहा ? कब कब ?

(4) नागरिकों को पानी की परेशानी न हो इस सम्बन्ध में अब क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1957 से निम्न कुओं से।

1. सलाम पुरिया का कुआ वार्ड नं. 22।
2. भैरूंदानजी भंसाली का कुआ वार्ड नं. 7।
3. रंगरों का कुआ वार्ड नं. 10।
4. सुवेदार का कुआ वार्ड नं. 3।
5. मोचियों का कुआ वार्ड नं. 18।

वार्षिक व्यय अठारह हजार रुपया होता है।

(2) सभी कुए काफी पुराने है। जी हां। धनाभाव के कारण नगरपालिका मरम्मत कराने में असमर्थ है।

(3) कुओं की मशीनें पुरानी हो चुकी हैं और कई दफा खराब होने पर ठीक कराई जाती रही हैं। पिछले दो वर्षों में भैरूंदान जी भंसाली व रंगरों वाले कुए की मशीन 2 बार खराब हुई और ठीक करादी गई।

आजकल में फिर खराब हो गई है, ठीक कराई जा रही है। इन कुओं के पास वाटर वर्क्स से लिए हुए पब्लिक स्टेन्ड पोस्ट है, इसलिये जल की कठिनाई नहीं है।

(4) कुओं के पास पब्लिक स्टेन्ड पोस्ट है इसलिए नागरिकों को कोई परेशानी नहीं है।

अलवर जिले में सड़कों के लिये स्वीकृत राशि

532. श्री **अमोलाल यादव** (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में वित्तीय वर्ष, 1968–69 व 1970–71 में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कें बनाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई व उसमें कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(2) अलवर जिले के प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कितनी कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है और उसमें से प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में कितनी कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(3) क्या जिस सड़क की मरम्मत के लिए जो धनराशि स्वीकृत हुई थी उसको उसी पर खर्च कर दी गई है ?

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) चुनाव क्षेत्रवार धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। जिले के खर्च के आंकड़े संलग्न हैं।

(3) मरम्मत हेतु धनराशि सड़क वार स्वीकृत नहीं जाती है। समस्त सड़कों की धनराशि इकजाई स्वीकृत की जाती है।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 173

	आवंटित धनराशि 1968-69	1970-71	खर्च 1968-69	1970-71
सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि	12 लाख	18.50 लाख	12.10 लाख	19.27
नई सड़कों के निमार्ण हेतु स्वीकृत धनराशि	5 लाख	12.50 लाख	4.50 लाख	12.24

अलवर जिला

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	सड़कों की मरम्मत पर अलॉटमेंट		खर्चा		नई सड़क बनाने के लिये अलॉटमेंट		खर्चा	
	68–69	70–71	68–69	70–71	68–69	70–71	68–69	70–71
1	2		3		4		5	
	कुल 12 लाख	18.50 लाख			कुल 5 लाख	12.50 लाख		
1. अलवर			1.20	2.00			00.50	1.45
2. राजगढ़			1.50	2.10			00.60	1.00
3. थानागाजी			0.75	1.70			00.48	1.45
4. बहरोड़			1.80	2.15			00.52	1.50
5. बानसूर			1.10	2.03			00.37	1.50
6. तिजारा			1.50	2.12			00.49	1.25

1	2	3	4	5
7. मण्डावर	0.85	1.91	00.31	1.25
8. कठूमर	1.15	1.75	00.35	0.90
9. खैरथल	1.20	1.99	00.47	0.84
10. रामगढ़	1.05	1.52	00.41	1.10
	12.10	19.27	4.50	12.24

गोल्या–लाका सड़क का कार्य

533. **श्री किशन लाल वर्मा** (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील सिकराय में गांव गोल्या से गांगद वाडी गडरावा होती हुई लांका तक सड़क–निर्माण किये जाने की सरकार ने स्वीकृति दी है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृति के अनुसार सड़क का निर्माण किये जाने के लिये टेन्डर काल किये जाकर ठेका दे दिया गया है ?

(3) इस सड़क का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है तथा उसके द्वारा कार्य शुरू न करने का क्या कारण हैं ?

(4) इस सड़क का कार्य कब शुरू किया जावेगा और स्वीकृत धनराशि का कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जावेगा ? अवशेष बची हुई सड़क का कार्य कब पूर्ण कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम गोल्या की ओर से 5 व 6 किलोमीटर का ठेका दिया गया है।

(3) किलोमीटर 5 व 6 का कार्य श्री मूलचन्द ठेकेदार को दिया गया है। ठेकेदार मजदूर व पत्थरों का प्रबन्ध कर रहा है।

(4) इसी वर्ष आरम्भ कराया जा रहा है। 9 किलोमीटर में बजट धनराशि अनुसार कार्य कराया जावेगा। शेष भाग का कार्य कब तक सम्भव होगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

जिला बूंदी में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

534. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बून्दी में भूमि पर अतिक्रमण के कितने मामले चल रहे हैं ?

(2) उक्त मामलों में से कितने मामलों में बेदखली की कार्यवाही चल रही है ?

(3) क्या यह सही है कि भूमिहीनों को भी बेदखल किया जा रहा है ? यदि हां तो क्या भूमिहीनों को वह भूमि नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी में अतिक्रमण के

(राजस्व मन्त्री)
5566 मामले चल रहे हैं।

(2) उक्त मामलों में से 4246 मामलों में बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

(3) जी यह सही नहीं हैं। यदि कोई काश्तकार वास्तव में भूमिहीन है तो राजकीय परिपत्र संख्या प. 6 (20) राजा।ख।71, दिनांक 13-4-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे अतिक्रमण का नियमन किया जा सकता है। प्रति संलग्न है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE 'B' DEPARTMENT

No. F. 6 (20) Rev/B/71 Jaipur, April 13, 1971.

To

All the Collectors.

Sub:—Regularisation of Tress-pass Cases on Govt. un-occupied agricultural lands.

It has always been an endeavour of the Government to allot land to landless persons as speedily as possible. It was in this context that the Govt. took liberal view of the encroachment on Government agricultural land by landless persons and issued instructions for regularisation of such cases of tress-pass committed upto 31st December, 1966 under the circumstances narrated in detail in this department Circular No. F 3 (59) Rev.B64, dt. 5th October, 1967. A provision was also inserted in the form of Rule 20 in the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Agricultural land for agricultural purposes) Rules, 1970 enabling the Tehsildars to regularise such cases.

The question of such regularisation of tress-pass cases has been further reviewed by the Govt. and it has been decided that all cases of encroachment made upto 1st January, 1971 by landless persons on Govt. agricultural land except lands in colony areas be regularised without payment of any penalty or premium provided that the total area of the land held by such person in the State including land so regularised does not exceed 15 bighas and the land does not fall in any of the categories of lands which are not available for allotment under Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for Agriculture Purposes) Rules, 1970.

It has also been decided that the penalty and premium recovered for regularisation of such cases of tress-pass after 1st January, 1966

from the landless persons would be adjusted towards the arrear as well as the future demand of land revenue of the tress-passer or his successor. In making such adjustment, however, the land revenue due for the years such land remained in unlawful occupation of the tress-passer would also be adjusted.

I have, therefore, been directed to request you that cases pending with various Revenue Officers should be decided according to the instructions referred to above. As far as the circumstances under which regularisation can be done, is concerned reference is invited to this Department Circular of No. 3 (50) R.B., dated 5th October, 1967 which will continue to govern the case of regularisation.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged and the instructions contained in the circular be explained to all subordinate officers to avoid hardship to the cultivators.

गरणपत राय

13–4–71

Dy. Secretary to the Government.

कोटा-बारां तथा-बारां-अटरू वाया कवाई सड़क की मरम्मत

535. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा से बारां व बारां से अटरू होती हुई कवाई तक जो पक्की सड़क बनी हुई है उसकी कब कब व कौन कौन से मीलों की मरम्मत पिछले पांच सालों में करवाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क की दशा बहुत शोचनीय है ? अगर हां, तो इस की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है ।

(2) कोटा की ओर से मील 3.19 तथा 21 से 23 की दशा साधारण है। तथा शेष मीलों की दशा ठीक है ।

ग्राम कठूमर भवन-निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र

536. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि ग्राम कठूमर, पंचायत समिति कठूमर के अनुसूचित जाति के लोगों ने भवन-निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ? यदि हां तो कितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये हैं ? क्या इन आवेदन-पत्रों को सरकार ने स्वीकार किया है ?

उत्तर

जी हां । कठूमर के 10 अनुसूचित

जाति के परिवारों के भवन–निर्माण हेतु हुये थे । पर देर से प्राप्त हुये इस ब्याज मुक्त ऋण के आवेदन-पत्र प्राप्त कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके।

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 33

नाम––कोटा-बांरा-अटरू-कवाई रोड

वर्ष	मील जिन पर भिन्न भिन्न मरम्मत कार्य हुआ	विवरण
1966–67	3 से 14	वर्ग सुधार
	19 से 25	
1967–68	मील 21 से 22	प्रिमिक्स कारपेट
1968–69	मील 1 से 25	पेच रिपेयर
1969–70	मील 1 कल्वर्ट ऊंची कराई	
	मील 5 प्रि मिक्स कारपेट	
	मील 12/1 कल्वर्ट	
1970–71	18–20 प्रिमिक्स कारपेट	
	मील 24	प्रिमिक्स कारपेट

कार्य झालावाड़ खण्ड

(बारां-अटरू-सालपुरा रोड)

वर्ष 1		मील सं. 2
1968–69	एस. आर. एण्ड बी. टी.	3
	रिन्यूवल	2 व 6
	मरम्मत डेमेज्ड कॉजवे भूपसी नदी	6/4
	20 एम. एम. पी. एम. सी.	18/19
	रिन्यूअल वर्क	21, 23
	20 एम. एम. प्रिमिक्स	18, 19
1969–70	20 एम. एम. प्रिमिक्स	26 से 46
	मरम्मत कोंजवे भूपसी	6/4
	20 एम. एम. प्रि मिक्स कारपेट	9 तथा 17

1		2
	एस. आर. सी.टी. रोड, अटरू	—
	एस. आर. एण्ड बी. टी.	3
	रिन्यूअल वर्क	15/16/17
	,,	2 से 6
	,,	21 से 23
1970–71	हेवी पेच रिपेयर्स टू. बी. सरफेस कोटा बारां रोड।	—

ग्राम कठूमर में भवन निर्माण ऋण के लिये आवेदन-पत्र

536. **श्री गंगासहाय (कठूमर)**: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम कठूमर, पंचायत समिति, कठूमर के अनुसूचित जाति के लोगों ने भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिये हैं? यदि हां, तो कितने लोगों ने आवेदन-पत्र दिये हैं ? क्या इन आवेदनपत्रों को सरकार ने स्वीकार किया है ?

उत्तर

जी हां। कठूमर के 10 अनुसूचित जाति के परिवारों के भवन निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। पर वे देर से प्राप्त हुए इस कारण स्वीकृत नहीं किये जा सके।

देसूरी तहसील की सड़कों पर कार्य

537. **श्री दौलत राम आगरी (देसूरी)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्य में देसूरी तहसील में किन किन सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था ? इन में कौन कौन सी सड़कें प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये सड़क निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं ? इन कार्यों को सम्पूर्ण करने हेतु सरकार ने किस सड़क के लिये कितना रुपया स्वीकृत किया है ?

(3) क्या यह सही है कि मौजूदा देसूरी रानी, केनपुरा सड़क टूट कर इस तरह खराब हो गई है कि उस पर किसी प्रकार के वाहन को चलाना दुश्वार हो गया है और गत वर्षों से डामर के ढोल मौके पर पड़े हुए होने पर भी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सादड़ी-नाडोल-देवली सड़क के निर्माण हेतु सारा मेटीरियल मौके पर जमा पड़ा है पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है

(5) क्या यह सही है कि इस सड़क के पूरा बन जाने पर उदयपुर-जोधपुर की मौजूदा दूरी 35 मील कम रह जायेगी ? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य कब हाथ में लिया जायगा।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न सं. 503 की सूची)

तालिका

गांधी शताब्दी वर्षके उपलक्ष्य में आवंटित भू-खण्डों की सूची

क्र.सं. आदमी का नाम	योजना	भू. सं.	क्षेत्रफल	आवंटन की तिथि	कब्जा देने की तिथि	दर	विशेष विवरण
1. कुमारी कमला भील	लालकोठी	डी–1	750 वर्ग.	8–9–70		6/–	
2. श्री समरथलाल	जनताकालोनी	बी–294	333.33 ,,	12-3-70		6/–	13-4-70 को नजराने की राशि जमा हुई है और अब कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी ।
3. किशनलाल एम.एल.ए.	,,	बी–360	333.33 ,	24-9-70		6/–	भूखण्ड विवादग्रस्त है अतः अन्यत्र दिया जाना विचाराधीन है ।
4. जगन्नाथ पहाड़िया	(बापूनगर प्राकृतिक.)	के–1	1005 वर्ग:	19-1-70		6/–	राज्य सरकार का स्टे है अतः कब्जा नहीं दिया गया है ।

5. नयनारायण सालोदिया	,,	एस–3	1000 ,,	28-8-70		4।–	,,
6. श्री जमनालाल बैरवा	,,	एस–4	1056 ,,	,,		6।–	
7. सूरजमल	अम्बावाड़ी	डी–145	388.88 ,,	6-2-70	12-3-70	4।–	
8. रामचन्द्र मोखा	,,	डी–128	,,	29-4-70	11-5-70	6।–	
9. नथमल	,,	सी–29	333.33	5-2-70	20-4-70	4।–	
10. चन्द्र प्रकाश	,,	टी–17	588.88	18-4-70	10-8-70	6।–	
11. श्री श्रवणलाल, एम.एल.ए.	,,	डी–131	388.88	28-2-70		6।–	राशि जमा नहीं होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया है।

Page No. 234

सूची

1. श्री जगन्नाथ पहाड़िया	एम. पी.	9. श्री जयनारायण सालोदिया	विधायक
2. श्री जमनालाल बैरवा	ए.म पी.	10. श्री श्रवण लाल	,,
3. श्री दिनेशराय डांगी	एक्स एम.एल.ए.	11. श्री किशन लाल मीणा	,,
4. श्री रामचन्द्र मीणा	आई.ए.एस.	12. श्री देवाराम खटीक	
5. श्री चन्द्र प्रकाश	,,	13. श्री सूरजमल	एम.एल.ए.
6. श्री नथमल	एम.एल.ए.	14. कुमारी कमला भील	
7. श्री समरथलाल	,,	15. श्री हरिशंकर	
8. श्री गोकुल चन्द	विधायक	16. श्री रामचरण	एम.एल.ए.

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न सं 507 की सूची)

सूची पुरस्कार एवं सुविधायें प्राप्तकर्ताओं की

क्रम संख्या	नाम व पद	परमवीर चक्र	महावीर चक्र	वीर चक्र	अशोक चक्र श्रेणी 1	अशोक चक्र श्रेणी 2	अशोक चक्र श्रेणी 3	उन्हें या उनके आश्रितों को सुविधायें दी गई: भूमि	नकद	अन्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रतापा ड्राइवर	–	–	–	–	हां	–	–	–	–	फोजी न होने
2.	पी डब्लू. आई. चेतनराम	–	–	–	–	–	हां	–	–	–	सुविधाएं
3.	नं. 3030697 बुद्धाराम	–	–	हां	–	–	–	विचाराधीन है	–	–	प्रदान नहीं
4.	श्री सुग्रीव सिंह	–	–	–	–	–	हां	12 बीघा	–	–	की गई।
5.	मेजर पूर्णसिंह	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा	2000)	–	विचाराधीन
6.	2 लैफ्टीनेन्ट, जगदीश प्रसाद जोशी	–	–	–	–	–	हां	25 बीघा	–	–	है।
7.	केप्टिन राजमोहन शर्मा	–	–	–	–	हां	–	विचाराधीन है।			
8.	ले. नायक भंवरसिंह	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा	2000)		
9.	जमादार छोटूसिंह	–	–	हां	–	–	–	उप आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर में विचाराधीन।			
10.	लें. नायक गोकुलसिंह	–	–	हां	–	–	–		2000)	आवेदन करने को लिखा गया।	
11.	लेंस नायक हवलदार शिवपालसिंह	–	–	–	–	हां	–		–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	सूबेदार लालसिंह	–	–	–	–	हां	–			–	
13.	ले. सूबेदार मुलतानसिंह	–	–	–	–	–	हां			–	नियमों के अन्तर्गत नहीं है।
14.	केप्टिन चंदन सिंह	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा सिंचित	1000)		
15.	राईफलमैन जेठूसिंह	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा सिंचित			
16.	केप्टिन महेन्द्रसिंह	–	–	–	–	–	हां		–	–	
17.	ले. कर्नल रघुवीर सिंह	–	हां	–	–	–	–	विचाराधीन	5000	–	राजस्व विभाग में विचाराधीन है।
18.	ले. कर्नल, रामसिंह	–	हां	–	–	–	–	–	5000		
19.	मेजर रामस्वरूप	–	–	हां	–	–	–				
20.	यादव सुबेदार प्रभातीसिंह	–	–	हां	–	–	–		2000		
21.	हवलदार गिरधारीलाल	–	–	हां	–	–	–		25 बीघा असिंचित		
22.	सूबेदार भागसिंह	–	–	–	–	–	–				
23.	सूबेदार मेजर गोपाल राम	–	–	हां	–	–	–				
24.	हवलदार मेजर पृथ्वीसिंह	हां	–	–	–	–	–	25 बीघा			
25.	ला. ना. लादूराम	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा सिंचित			
26.	सि. हनुमानराम	–	–	हां	–	–	–	–	1000)		
27.	मा. तखतराम	–	–	हां	–	–	–	–	1000)		
28.	हवलदार रिछपालराम	–	–	हां	–	–	–	25 बीघा सिंचित			

29. मा. सू. हनुमानराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	
30. सूबेदार सायलराम	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित		
31. केप्टिन वसंतराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	
32. लेफ्टिनेंट सुगनराम	—	—	हां	—	—	—	—	1000)	
33. सिपाही नोहरसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	2000)	
34. जमादार हरिराम	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	2000)	
35. मा. रिसालदार मोहम्मद अयूब	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	1500)	
36. मेजर शैतानसिंह	हां	—	—	—	—	—			10,000) शौर्य पुरस्कार एक प्लाट दिया गया है।
37. ले. कर्नल मेघसिंह	—	—	हां	—	—	—	25 बीघा सिंचित	2000)	
38. मेजर प्रतापसिंह	—	—	—	—	—	—	25 बीघा सिंचित		

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 511 की सूची)

अलवर, खेड़ली व खैरथल मंडियों में माह अक्टूबर, 1969 में चने के भावों की सूची
(भाव प्रति क्विं.)

दिनांक 1	अलवर 2	खेड़ली 3	खैरथल 4
1-10-69	112/- से 114/-	अवकाश रहा	112/- से 114.25 पैसे
2-10-69	112/- से 114/-	,,	112/- से 113.25 पैसे
3-10-69	111/- से 113/-	चने के भाव प्राप्त	110/- से 113.25 पैसे
4-10-69	111/- से 113/-	नहीं हुए	113.25
5-10-69	113/- से 115/-	रविवार अवकाश	-
6-10-69	113/- से 115/-	108.75 पैसे	114/- से 114.25 पैसे
7-10-69	113/- से 115/-	112.50 पैसे	115/-
8-10-69	113/- से 115/-	112.50 पैसे	112.20
9-10-69	113/- से 115/-	107.50 पैसे	115/-
10-10-69	113/- से 115/-	110/-	113/-
11-10-69	113/- से 115/-	107.50	113/-
12-10-69	113/- से 115/-	रविवार अवकाश	-
13-10-69	113/- से 114.75	107.50	111.50 पैसे 113/-
14-10-69	112/- से 115.50	107.50 पैसे	-
15-10-69	111/- से 113/-	105.38 पैसे	-
16-10-69	109/- से 110/-	103.75 पैसे	-
17-10-69	106/- से 108/-	102.50	-
18-10-69	102/- से 104/-	अवकाश	91/-
19-10-69	97/- से 100.50	,,	-
20-10-69	95/- से 98.50 पैसे	,,	-
21-10-69	95/- से 97/-	102.50 पैसे	-
22-10-69	9[illegible]/- से 97/-	95/-	-
23-10-69	96/- से 98/-	100/-	-
24-10-69	96/- से 98/-	100/-	90/-
25-10-69	96/- से 98/-	90/-	-
26-10-69	94/- से 98/-	रविवार अवकाश	-

Page No. 239

1	2	3	4
27-10-69	96/- से 98/-	83.75 पैसे	-
28-10-69	96/- से 98/-	चने के भाव प्राप्त नहीं	-
29-10-69	96/- से 98/-	,,	-
30-10-69	97/- से 100/-	,,	-
31-10-69	-	102.50 पैसे	-

अलवर, खेड़ली व खेरथल मण्डियों में माह नवम्बर, 1969 में चने के भावों की सूची (भाव प्रति क्वि.)

दिनांक 1	अलवर 2	खेड़ली 3	खेरथल 4
1-11-69	97/- से 98/-	-	102/-
2-11-69	98/- से 100/-	-	-
3-11-69	100/- से 102/-	-	-
4-11-69	100/- से 103/-	105/-	103/-
5-11-69	100/- से 103/-	102.50 पैसे	105/-
6-11-69	100/- से 103/-	105/-	103/-
7-11-69	100/- से 103/-	105/-	103/-
8-11-69	101/- से 103/-	-	102.62
9-11-69	101/- से 103/-	-	-
10-11-69	101/- से 103/-	-	104/-
11-11-69	101/- से 104/-	-	106/-
12-11-69	102/- से 104/-	111/-	108/-
13-11-69	102/- से 104/-	110/-	113/-
14-11-69	104/- से 106/-	110/-	-
15-11-69	104/- से 106/-	110/-	110/-
16-11-69	106/- से 108/-	-	-
17-11-69	107/- से 108/-	110.63	115/-
18-11-69	108/- से 110/-	-	120/-
19-11-69	108/- से 110/-	112.50	121.21
20-11-69	108/- से 111/-	112.50	121/-
21-11-69	108/- से 111/-	-	-
22-11-69	108/- से 111/-	-	112/-
23-11-69	108/- से 111/-	-	112/-
24-11-69	108/- से 111/-	-	-

1	2	3	4
25-11-69	108/- से 111/-	108.50	-
26-11-69	103/- से 111/-	110/-	110/-
27-11-69	108/- से 111/-	108/-	110/-
28-11-69	108/- से 111/-	-	110/
29-11-69	108/- से 110/-	-	110/-
30-11-69	198- से 110/-	-	110/-

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 513 की सूची)

राजनैतिक पीड़ित जिनको कि राजस्थान नहर परियोजना, भाखरा तथा चम्बल परियोजनाओं में सिंचित भूमि आवंटन की गई है।

क्र.सं.	नाम राजनैतिक पीड़ित	आवंटित भूमि की तादाद	हानि जो उठानी पड़ी
1	2	3	4
1.	श्रीमती कृष्णा देवी बेवा श्री जीवन-दत्त-शास्त्री	25 बीघा	पति को आन्दोलनों में भाग लेने के कार[illegible] रोग हो गया और मृत्यु हो गई।
2.	श्री गोपाल सेन चोवरो	50.2 बीघा (कीमतन)	नौकरी से वंचित होना पड़ा।
3.	श्री अम्बालाल पुत्र श्री रावतमल	25 बीघा	जेल यात्रा।
4.	श्री पूरनचन्द पुत्र श्री रेखाराम	25 बीघा	जेल यात्रा, 8000) रु. की जायदाद लूटी गई।
5.	श्री किसनाराम पुत्र श्री चूनाराम	23.16 बीघा	जेल यात्रा, आजाद हिन्द फौज में रहे।
6.	श्री घासीराम पुत्र श्री गोबिन्दराम	25 बीघा	जेल यात्रा।
7.	श्री लादूराम पुत्र श्री गोबिन्दराम	25 बीघा	जेल यात्रा। पत्नी ने भी आन्दोलन में भाग लिया जिसके कारण मानसिक सन्तुलन बिगड़ गया बाद में मृत्यु हो गई।
8.	श्रीमती सिरे कौर पत्नी श्री गंगाराम	20 बीघा	प्रार्थिनी एवं उसके पति ने आन्दोलनों में भाग लिया। पति को जेल हुई।
9.	श्रीमती जावली देवी पत्नी श्री करनीराम	25 बीघा	पति की जागीरदारों द्वारा हत्या कर दी गई।
10.	श्री जगनसिंह पुत्र श्री खागसिंह	24.20 बीघा	जेल–आजाद हिंद फौज में रहे।
11.	श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री रामदेवसिंह	25 बीघा	जागीरदारों द्वारा पति की हत्या करदी गई।
12.	श्री हीरालाल शर्मा	25.25 बीघा	जेल यात्रा।

1	2	3	4
13.	श्री अमर किशन व्यास निवासी जोधपुर	40 बीघा	दो बार जेल यात्रा की ।
14.	श्री झूमरलाल चौधरी	12.50 बीघा	दो बार जेल, 200) जुर्माना दो बार
15.	श्री नेतराम सिंह	20 बीघा	जेल यात्रा
16.	श्री करतारसिंह वल्द कालासिंह	25 बीघा	राज्य सेवा से वंचित होना पड़ा ।
17.	श्री मघाराम वैद	21.15 बीघा	जेल, देश निकाला, पुलिस द्वारा पिटाई के कारण शरीर काम करने के अयोग्य हो गया ।
18.	श्री जोरावर मल बोड़ा	20 बीघा	लम्बे अर्से तक जेल यात्रा
19.	श्रीमती चुनन भारती पत्नी श्री शंकर भारती	15 बीघा	पति को जेल
20.	श्रीमती छोटी पत्नी श्री प्रताप डाकोत	15 बीघा	पति को जेल, बून्दी से निष्कासन ।

परिशिष्ट 8

(ता. प्र. सं. 514 की सूची)

रकबा अलाटमेन्ट अनुसूचित जाति का ग्रामवार
पंचायत समिति आमेर के ग्रामों में

क्रम संख्या	नाम ग्राम	व्यक्तियों की संख्या	रकबा
1	2	3	4
1	कंवरपुरा	3	13।।।)
2	देवगुढ़ा	2	4)
3	गुढ़ा सुरवान	12	58) 3
4	भीलपुरा	1	31) 1
5	प्रागपुरा	12	25)
6	खपरिया	2	13)
7	मून्डिया	2	10।।)
8	डीसा	1	13)
9	साहूपरायपुरा	4	10।।) 2
10	जालसू	8	31।) 3
11	दाबरबाड़ी	8	125।।) 2
12	नारदपुरा	2	15)
13	रोजदा	4	50)
14	जलोई	1	5)
15	सरदारपुरा	1	5)
16	छवासकला	8	70)
17	जैतपुरा	1	3)
18	आडमपोलतपुरा	4	2।।।) 2
19	रामपुरा	30	60)
20	पलावता	2	15)
21	चतरपुरा	6	30)
22	अचिलाई	2	15)
23	रामपुरा	6	20)
24	बूढथल	1	5।।)
25	सिपाणी	6	31।।।) 3
26	हेराहाल	3	28)

1	2	3	4
27	दौलतपुरा	29	168।) 2
28	नागलपुरोहित	2	15)
29	चेतावाला	6	27)
30	गोठ्ठ का बास	13	122।।)
31	सेनापुर	2	19)
32	रामपुरा	5	20)
33	उदैपुरिया	25	105)
34	बिशनगढ़	1	15)
35	अखमपुरा	4	28)
36	भांकेड़ा	3	9।।।) 4
37	जैसला	1	7)
38	शीस्या बास	6	30)
39	मून्डोता	22	168।।) 3
40	नांगल लाडी	22	119) 4
	कुल योग	265	1547।।।) 4

परिशिष्ट 'क'

फेहरिस्त भूमि आवंटन अनु.जाति तह. मवा रामगढ़ के ग्रामों की जो पंचायत समिति आमेर के अन्तर्गत है उप-जिलाधिकारी, आमेर द्वारा।

क्र. सं.	नाम ग्राम	तादाद व्यक्ति	रकबा
			181111)
1.	अम्बरोल	37	38111) 3
2.	कण्डल	[illegible]	22)
3.	कालीघाटी	4	15)
4.	गोविन्दपुरा	3	27) 1
5.	काट	6	196111) 3
6.	मानपुरा माचेडी	41	4611) 1
7.	सिरोही	14	
		113	528) 3

परिशिष्ट 9

(अ. प्र. सं. 509 की सूची)

जिला बाड़मेर

नाम थाना	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
बाड़मेर	19	8	2	2	4	2	3
चौहटन	29	6	6	5	6	7	1
सेड़वा	1	–	2	–	2	–	–
बाखासर	7	2	1	1	3	1	–
गिराब	56	12	21	18	22	18	3
रामसर	9	8	1	5	11	6	2
बालोतरा	1	–	1	–	–	–	–
सिंधरी	–	–	–	1	–	1	–
शिव	1	–	–	–	–	–	–
योग	123	36	34	32	47	35	9

जिला जैसलमेर

जैसलमेर	3	2	–	1	2	4	–
रामगढ़	1	7	2	5	4	2	1
सम	1	2	1	6	2	3	1
मोहनगढ़	2	1	–	1	–	3	1
नाचना	3	1	1	–	1	3	1
पोकरण	–	–	–	1	1	1	–
सोमगढ़	–	–	–	3	1	1	–
योग	10	13	4	17	10	17	4

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Revenue (B) Department

To

All Collectors

No. F. 2 (682) Rev. B. 62 Dated the 29/30th April, 1969.

Sub :— Village Service Grants.

Sir,

I am directed to state that in accordance with the provisions of section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the Collectors of the respective districts are required to declare that services rendered by the village servants are no longer required and the concerned village servant shall become a Khatedar tenant of his village service grant and shall be liable to pay rent accordingly. It has been brought to the notice of the State Government that the custom of utilising the services of village servant has still not ceased altogether in some parts of the State. The State Government is keen to abolish this system of village service grants in the State at an early date. Orders regarding abolition of the system in the colony areas of Ganganagar District were issued vide No. F.2 (628) Rev. B.62, dated 5-6-65 but no separate order has been issued regarding non-colony areas. Action regarding the abolition of village service grants which come under section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 has now to be taken by the concerned Collectors for non colony areas immediately.

Yours faithfully,

गणपत राय,

Dy. Secretary to Govt.

Forwarded

Copy to :

1. Chairman, Board of Revenue, Ajmer.
2. Colonisation Commissioner, Bikaner.
3. The Registrar, Board of Revenue, Ajmer.
4. Jagir Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
5. The Secretary to C.M.
6. P.S. to Revenue Minister and Dy. Minister, Revenue.
7. O. & M. Section-Codification Branch.
8. P. S. to All Ministers.

O.S.D. (Revenue) Comm.

परिशिष्ट 11

(अ. १. सं. 518 की सूच)

प्रश्न भाग 1 की सूची—

(1) बाकलिया
(2) गिडोदा मीठा
(3) गिडोदा खारा
(4) ओसला
(5) छापरा
(6) जोखडिया
(7) बाल समन्द
(8) दूजार
(9) मंगलपुरा
(10) सेडू
(11) चान्दराई
(12) लुकास
(13) मट्टु
(14) जकाडिया
(15) ओडिया
(16) चान्दासरिया
(17) हिरावत
(18) सुहरि
(19) मातासी
(20) कासाम
(21) मरगढ़

इन गांवों का सर्वे जनवरी—फरवरी माह में किया तथा अब विस्तृत योजनाऐं बनाई जा रही हैं ।

प्रश्न के भाग 2 की सूची

		अनुमानित लागत	
1. बकलिया	पम्प एवं टैंक योजना	41,000/–	योजना माह फरवरी 71 में बनाई जा चुकी है।
2. दुजार	–	49,000/–	–
3. सेड़ू	–	–	योजना बनाई जा रही है।
4. मंगलपुरा	–	1,24,000/–	–
5. वालसमन्द, छापर जोखड़िया,	क्षेत्रिय जल प्रदाय योजना	3,20,000/–	–
6. गिडोदा मोठा, गिडोदा खास	–	3,24,500/–	–
7. चान्दराई, लुकाम महु, अर्काडिया, ओडिया, चान्दासरिया, हिरावत, सुहारी, मालासी, कासाम, मरगढ़		9,51,000/–	–

ALLOTMENT UNDER 50 P.W. REPAIRS (COMMUNICATIONS)

Kota Divn.

YEAR	ALLOTMENT
1966—67	10,75,050
1967—68	19,50,000
196—68	11,00,000
196—70	12.00,000
1970—71	13 00,000

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 79 की सूची

APPENDIX 'A'

Unstarred Question No.————

Name of work	Amount sanctioned during 69–70
Equiping the Dak Bungalow Badnore	Rs. 4000/—
Electrification in Dak Bungalow Dudu	Rs. 3520/—
A/A first floor Rest House Barmer	Rs. 17400/—
A/A Providing sanitary fitting Milk Kothi	
Rest House at Abu Road	Rs. 500/—
Maintenance of Dak Bungalow Badnore	Rs. 2000/—
Gang Huts ;	
Gang Hut at Deoli Kalan	Rs. 10,000/—
,, ,, Ahore	Rs. 20,000/—
,, ,, Ladnu	Rs. 20,000/—
,, ,, Jaswantgarh	Rs. 20.000/—
,, ,, Bhadragun	Rs. 15,000/—
,, ,, Nokha	Rs. 3,000/—
,, ,, Banua (Bhilwara)	Rs. 5,000/—
,, ,, Phulla Kalan	Rs. 5,000/—
,, ,, Hamirgarh	Rs. 5,000/—
,, ,, Hamipur (Bhilwara)	Rs. 5,000/—
Inspection Bungalow Jadol	Rs. 20,000/—
,, ,, Gogunda	Rs. 20,000/—
Rest House Kotgram	Rs. 15,000/— (Deposit Work)

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 28 अप्रैल, 1971)

स्कम्भ	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	अन्तिम से 8	संभाववा	संभावना
2	,, 8	चरु	चूरू
16	4	असचित	असिंचित
22	अन्तिम से 1	सफलता असफलता	सफलता-असफलता
23		में	का
30	97	ती	तो
46	अन्तिम से 4	श्री देवी त्तद गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
50	7	प्लास	प्लाटस
51	6	उपोक्त	उपरोक्त
65	शीर्ष	—	(गृहमंत्री)
67	,,	—	(श्री बालसिंह सोढा)
68	अन्तिम से 1	भंत्री	मंत्री
82	3	तोरनोल	तारकोल
84	अन्तिम से 4	निगम	नियम
85	,, 10	निकाख	निकाल
87	6	जाघेगा	जावेगा
97	शीर्ष	(श्री दिग्वि सिंह)	(श्री दिग्विजयसिंह)
132	14 के बाद शीर्षक		अनुदानों की मांग सं. 33, 1 व 36 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव
133 से 188	तक शीर्षक	अनुदानों की मांगों-28 अप्रेल, 1971-का प्रस्तुती करण	अनुदानों की मांग सं. 33, 1 व 36 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव
152	5	कठित	गठित
153	अन्तिम से 11	(कु	(कुछ
162	,, 12	00	100
163	15	कानूगो	कानूनगो
172	अन्तिम से 4	देवेन्द्र कुमार मीणा	श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
179	2	श्री भगवानदास शास्त्र	श्री भगवानदास शास्त्री
181	9	श्री कशनलाल वर्मा	श्री किशनलाल वर्मा
211	अन्तिम से 2	प्राडक्श	प्रोडक्शन
216	,, 1	करर	कर रहे
219	3	क कीदार	चौकीदार
229	5	आन्नद	आनन्द
229	अन्तिम से 8	लेते	लेते हैं।
231	शीर्षक	अमुदानों की मांगों पर–18 अप्रेल, 1971–	अनुदानों की मांगों-पर–18 अप्रेल, 1971–

1	2	3	4
240	1	श्री सभापति	श्रीमती सभानेत्री
240	2	श्री हीराचन्द	श्री हीरा भाई
243	11	धन	वन
262	अन्तिम	डूंग	डूंगर
286	11	श्री नारायसिह मसूदा	श्री नारायणसिंह मसूदा
293	11	(निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)	(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)
312	12	Landia	Land
315	शीर्षक	नुदानों	अनुदानों
327	5	श्री अध्यक्ष	—
372	अन्तिम से 4	श्री दामकिशोर व्यास	श्री रामकिशोर व्यास
418	7	श्री ौलतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
428	14	क बे	कस्बे
428	अन्तिम से 9	वन्चित	वंचित
433	,, 12	आइवान सिंह	श्री आईदानसिंह
453	5	कार दय	काररा हृदय
462	6	196–68	1968–69
462	7	196–70	1969–70
463	6	Equiping	Equipping

———